

वार्षिक रिपोर्ट

ANNUAL REPORT 2022-23






भाखड़ा ब्यास प्रबंध बोर्ड BHAKRA BEAS MANAGEMENT BOARD



50वीं वार्षिक रिपोर्ट

50thAnnual Report 2022-2023



भाखड़ा ब्यास प्रबन्ध बोर्ड

Bhakra Beas Management Board









मान्यताएँ VALUES

अनुशासन-कठिन परिश्रम, परिचालन श्रेष्ठता और व्यावसायिकता

Discipline- Hard work, Operational Excellence and Professionalism

लक्ष्य MISSION


हमारी प्रणालियों को न्यूनतम लागत पर दक्षतापूर्वक चालू रखना To Keep our systems running efficiently at the minimum cost

परिकल्पना VISION

जलविद्युत परियोजनाओं, पारेषण, नहर प्रणालियों के परिचालन एवं अनुरक्षण तथा नवीनीकरण एवं आधुनिकीकरण और विद्यमान मूलभूत ढांचे तथा संसाधनों के सर्वोत्तम उपयोग के लिए नई जल विद्युत अंत:शक्ति का लाभ उठाने के लिए उच्च मानकों की स्थापना में विद्युत क्षेत्र में अग्रणी रहना और एक ट्रेंडसेटर बनना।

To lead and be a trendsetter in Power Sector by establishing high standards in Operation & Maintenance, Renovation & Modernization of Hydel Projects, Transmission System availability, Canal Systems and by exploiting new Hydro Power Potential with optimal utilization of existing infrastructure and resources.





भाखड़ा बॉध का सामने/नीचे से दृष्य Bhakra Dam – Downstream View

"भाखड़ा नंगल परियोजना में कुछ आश्चर्यजनक है, कुछ विस्मयकारी है, कुछ ऐसा है जिसे देखकर आपके दिल में हिलोरें उठती हैं। भाखड़ा, पुनरुत्थित भारत का नवीन मन्दिर है और यह भारत की प्रगति का प्रतीक है"

Bhakra Nangal Project is something tremendous, something stupendous, something which shakes you up when you see it. Bhakra, the new temple of resurgent India, is the symbol of India's progress."

वर्ष 2022-23 के दौरान बोर्ड के सदस्य

<u>अध्यक्ष</u>	
श्री. संजय श्रीवास्तव	01.04.2021 से 31.03.2023
सदस्य/ प्रतिनिधि	
भारत सरकार	
श्री रघुराज माधव राजेन्द्रन	01.04.2021 से 30.11.2022
श्री मोहम्मद अफजल	01.12.2022 से 31.03.2023
श्री ए.के.पाल	01.04.2022 से 31.03.2023
भागीदार राज्य	
<u>पंजाब</u>	
श्री सरवजीत सिंह	01.04.2022 社 18.04.2022
श्री कृष्ण कुमार	18.04.2022 से 31.03.2023
<u>हरियाणा</u>	
श्री देवेन्द्र सिंह	01.04.2022 से 31.07.2022
श्री ए.के. सिंह	08.08.2022 से 02.11.2022
श्री पंकज अग्रवाल	02.11.2022
राजस्थान	
डा. पृथ्वी राज	01.04.2022 से 18.04.2022
श्री आनन्द कुमार	18.04.2022 से 28.10.2022
श्री शिखर अग्रवाल	28.10.2022 से 31.03.2023
हिमाचल प्रदेश	
श्री राम सुभाग सिंह	01.4.2022 社 13.07.2022
श्री आर.डी.धीमान	14.07.2022 से 31.12.2022
श्री प्रबोध सक्सेना	01.01.2023 से 31.03.2023
सदस्य/सिंचाई	
श्री संजय श्रीवासत्व, अध्यक्ष,	01.04.2022 से 01.01.2023
(अतिरिक्त कार्यभार सदस्य/सिंचाई),	
भाखड़ा ब्यास प्रबंध बोर्ड, चंडीगढ़	
श्री संजीव दत्त शर्मा	02.01.2023 से 31.03.2023
सदस्य/विद्युत	
श्री हरमिन्द्र सिंह चुघ	01.04.2022 से 30.11.2022
श्री एस.एस.डडवाल	30.12.2022 से 28.02.2023

बोर्ड के सदस्य (31.3.2023 को) MEMBERS OF BOARD (AS ON 31.3.2023)



श्री ए.के.पाल (प्रतिनिधि भारत सरकार) आयुक्त, इंडस, जल संसाधन मंत्रालय, नई दिल्ली



श्री संजय श्रीवासत्व अध्यक्ष, भाखड़ा ब्यास प्रबंध बोर्ड, चंडीगढ़



श्री रघुराज माधव राजेन्द्रन, सदस्य भारत सरकार, संयुक्त सचिव/हाइड्रो, विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली



श्री कृष्ण कुमार, आईएएस (प्रतिनिधि पंजाब सरकार) सचिव, सिंचाई विभाग, पंजाब सरकार, चंडीगढ़



श्री पंकज अग्रवाल, आईएएस (प्रतिनिधि हरियाणा सरकार) आयुक्त एवं सचिव,सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग,हरियाणा सरकार, चंडीगढ




श्री प्रबोध सक्सेना,

(प्रतिनिधि हिमाचल प्रदेश सरकार)

मुख्य सचिव , हिमाचल प्रदेश सरकार, शिमला

श्री पृथ्वी राज, आईएएस, राजस्थान सरकार, जयपुर सचिव, जल संसाधन विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर



श्री संजीव दत्त शर्म (सदस्य/सिंचाई), भाखड़ा ब्यास प्रबंध बोर्ड, चंडीगढ़



श्री हरमिन्द्र सिंह चुघ सदस्य (विद्युत) (पूर्ण कालिक सदस्य) भाखड़ा ब्यास प्रबंध बोर्ड, चंडीगढ़ (1.4.2022 से 31.11.2022)

विषय सूची			
CONTENTS			
अध्याय	पृष्ठ संख्या		
Chapter	Page No.		
1. प्रस्तावना	8-12		
Introduction			
2. बोर्ड के निर्णय	13-51		
Decisions of the Board			
3. संगठनात्मक व्यवस्था	52-61		
Organizational Set-up			
4. वित्तीय कार्य-निष्पादन	62-83		
Financial Performance			
5. परिचालन एवं कार्य-निष्पादन	84-103		
Operational Performance			
6. परिचालन एवं अन्रक्षण	104-143		
Operation & Maintenance			
7. जल-शक्ति अध्ययन	144-149		
Water- Power Study			
8. प्रस्कार एवं सम्मान	150-152		
Honour and Awards			
9. पर्यावरण प्रबन्ध	153-158		
Environment Management			
10. मानव संसाधन विकास	159-169		
Human Resource Development			
11. परामर्शी सेवाएं	170-171		
Consultancy Services	_		
12. सूचना का अधिकार	172-175		
Right to Information			



अध्याय -1

Chapter-1

प्रस्तावना Introduction

1.1 बीबीएमबी-उत्पत्ति

- भाखड़ा-नंगल परियोजना का कार्य स्वतंत्रता के तुरंत बाद तत्कालीन पंजाब एवं राजस्थान राज्यों के संयुक्त सहयोग से शुरु किया गया ।
- पंजाब के पुनर्गठन के बाद, भाखड़ा-नंगल परियोजना के प्रशासन, परिचालन एवं अनुरक्षण के लिए पंजाब पुनर्गठन अधिनियम, 1966 के अंतर्गत 1 अक्तूबर, 1967 को भाखड़ा प्रबंध बोर्ड का गठन ह्आ था ।
- पंजाब पुनर्गठन अधिनियम, 1966 के उपबंधों के अनुसार ब्यास परियोजनाओं के कार्य ब्यास निर्माण बोर्ड को सौंपे गए थे। ब्यास परियोजनाओं के पूरा होने पर इन्हें 15 मई, 1976 को भाखड़ा प्रबंध बोर्ड को स्थानान्तरित कर दिया गया और पंजाब पुनर्गठन अधिनियम, 1966 के उपबंधों के अनुसार इसका नाम बदल कर भाखड़ा ब्यास प्रबंध बोर्ड कर दिया गया।

<u>1.2</u> कार्य

- 🕨 भाखड़ा-ब्यास परियोजनाओं का प्रशासन, परिचालन एवं अनुरक्षण।
- भाखड़ा-ब्यास परियोजनाओं से पंजाब, हरियाणा तथा राजस्थान राज्यों को जल आपूर्ति का नियमन।
- 🕨 भाखड़ा-ब्यास परियोजनाओं से उत्पादित विद्युत की आपूर्ति का नियमन।
- हिरियाणा, पंजाब तथा राजस्थान राज्य की सरकारों के परामर्श से केन्द्र सरकार द्वारा सौंपे गए कोई अन्य कार्य।
- भारत सरकार ने वर्ष 1999 में जल विद्युत परियोजनाओं तथा सिंचाई परियोजनाओं के क्षेत्र में इंजीनियरिंग और संबद्ध तकनीकी परामर्शी सेवाएं उपलब्ध कराने और निष्पादन के अतिरिक्त कार्य सौंपे गए।
- विद्युत मंत्रालय के दिनांक 22, अक्तूबर, 2019 के पत्र क्रं.5-4/1/2019 द्वारा बीबीएमबी को 2 X 20 मेगवाट बग्गी विद्युत गृह के निर्माण और क्रियान्वयन का कार्य सौंपा गया ।

1.3 विद्युत खण्ड

सामान्य समीक्षा

विद्युत खण्ड को बीबीएमबी के विद्युत घरों, पारेषण प्रणाली तथा प्रणाली भार प्रेषण केन्द्र (एसएलडीसी) के प्रशासन, परिचालन एवं अनुरक्षण तथा हाइड्रो इलैक्ट्रिक परियोजनाओं के क्षेत्र में परामर्शी सेवाओं का कार्य सौंपा गया है।

अधिष्ठापित क्षमता (31.3.2023 की स्थिति अनुसार)

जल विधयुत संयंत्र

विद्युत घर	मशीनों की संख्या एवं मशीन	अधिष्ठापित क्षमता
	की क्षमता	मेगावाट
भाखड़ा (दायां किनारा)	5x157	785.00
भाखड़ा (बायां किनारा)	4x126+1x108	612.00
गंगूवाल	27.99 + 1 x 24.20 + 24.20	76.39
कोटला	1x28.94+2x24.20	77.34
देहर	6x165	990.00
पौंग	6x66	396.00
	योग	2936.73

रूफ टाँप सौर

स्थान	क्षमता (केडब्ल्यूपी)
जालंधर	125
जमालपुर	130
नरेला	20
दिल्ली	80
जगाधरी	70
पानीपत	285.19
कुरुक्षेत्र	113.93
भिवानी	283.24
हिसार	49.5
चण्डीगढ़	175
गंगूवाल	100
नंगल	950
तलवाड़ा	790
संगरूर	60
धूलकोट	94.13
समयपुर	49.91
कुल अधिष्ठापित क्षमता	3375.90

पारेषण प्रणाली (31.3.2023 की स्थिति अनुसार)

पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश राज्यों, केन्द्र शासित प्रदेश-चण्डीगढ़ तथा दिल्ली तक फैली हुई बीबीएमबी पारेषण प्रणाली, उत्तर क्षेत्रीय पावर ग्रिड के साथ एकीकृत रुप में परिचालित होती है। बीबीएमबी की पारेषण प्रणाली में निम्नलिखित शामिल हैं:-

क्र. सं.	विवरण	उप-केन्द्रों की संख्या	लाइन की लम्बाई (सर्किट किमी)
1.	400 केवी	2	573.95
2.	220 केवी	13	2773.54
3.	132 केवी	-	21.72
4.	66 केवी	1	90.00
	कुल	16	3459.21

प्रणाली भार प्रेषण केन्द्र (एसएलडीसी)

भाखड़ा ब्यास प्रबंध बोर्ड के प्रणाली भार प्रेषण केन्द्र (एसएलडीसी) को चौबीस घंटे बीबीएमबी की पारेषण और उत्पादन सम्पति की निगरानी, परिचालन और नियंत्रण की जिम्मेदारी सौंपी गई है।

1.4 <u>सिंचाई खण्ड</u>

सामान्य समीक्षा

सिंचाई खण्ड को निम्नलिखित परियोजना घटकों के प्रशासन, अनुरक्षण तथा परिचालन का कार्य सौंपा गया है :

I भाखड़ा-नंगल परियोजना

- क) भाखड़ा बॉध और जलाशय तथा संबद्ध कार्य, जिसमें नंगल कार्यशाला तथा नंगल टाउनशिप शामिल हैं।
- ख) नंगल बॉध तथा नंगल जल-विद्युत चैनल ।

II ब्यास परियोजना

क) यूनिट-1 (बीएसएल परियोजना)

ब्यास सतलुज लिंक परियोजना, जिसमें पंडोह बाँध , पंडोह-बग्गी सुरंग, सुन्दरनगर जल-विद्युत चैनल, संतुलन जलाशय, सुन्दरनगर-सतलुज सुरंग तथा संबंधित सिविल कार्य तथा सुन्दरनगर, सलापड़ और पण्डोह की टाउनिशप, चिकित्सालय, विद्यालय, विश्राम गृह इत्यादि शामिल हैं।

ख) यूनिट-।। (पौंग स्थित ब्यास बाँध)

जलाशय सिहत पौंग स्थित ब्यास बॉध, आउटलेट कार्य, स्पिलवे तथा संबद्ध कार्य और तलवाड़ा टाऊनिशप शामिल है।

राष्ट्रीय हाइड्रोलॉजी परियोजना (एनएचपी)

भाखड़ा ब्यास प्रबंध बोर्ड ने भाखड़ा तथा पौंग जलाशयों और नहर नेटवर्क के इष्टतम उपयोग के लिए अंतर्वाह पूर्वानुमान (अर्थात अल्पाविध 3 दिन और मध्याविध 7 से 10 दिन) हेतु चण्डीगढ़ में अर्थ रिसीविंग स्टेशन (ईआरएस) स्थापित किया है।



अध्याय -

2

Chapter-2

बोर्ड के निर्णय Decision of Board

2.1 बोर्ड की वर्ष 2022-23 के दौरान आयोजित बैठकें

- 1 बोर्ड की दिनांक 15.07.2022 को आयोजित 242वीं बैठक
- 2. बोर्ड की दिनांक 09ण12ण2022 को आयोजित 243वीं बैठक
- 3. बोर्ड की दिनांक 24ण3ण2023 को आयोजित 244वीं बैठक

2.2 बोर्ड की बैठकों में लिए गए महत्वपूर्ण निर्णय

2.2.1 बोर्ड की दिनांक 1500702022 को आयोजित 242वीं बैठक

<u>मद संख्या 242.02</u>

बग्गी जल विद्युत परियोजना (एचईपी) के संबंध में पूर्व-कार्यान्वयन समझौते (पीआईए) पर हस्ताक्षर ।

विशेष सचिव ने एंजेडा नोट की व्याख्या करते हुए कहा कि बग्गी जल विद्युत परियोजना के कार्यान्वयन हेत् हिमाचल सरकार से प्राप्त समझौता ज्ञापन दिनांक 20-12-2019 को आयोजित 233वीं बैठक में बोर्ड के समक्ष रखा गया था। समझौता ज्ञापन में हिमाचल प्रदेश सरकार 12% नि:श्ल्क बिजली की आपूर्ति, स्थानीय क्षेत्र विकास कोष (एलएडीएफ) के लिए 01% अतिरिक्त नि:श्ल्क बिजली, परियोजना लागत के 1.5% की दर से एलएडीएफ की प्री-कमीशनिंग तथा परियोजना से प्रभावित परिवारों को 10 साल तक 100 यूनिट नि:शुल्क बिजली की महत्वपूर्ण शर्ते शामिल हैं। विस्तृत विचार-विमर्श के उपरांत बोर्ड ने अपनी 234वीं और 235वीं बैठकों में समझौता ज्ञापन के इन प्रावधानों पर अपनी सहमति दी और बीबीएमबी को हिमाचल प्रदेश सरकार के साथ समझौता ज्ञापन हस्ताक्षर करने की अनुमति प्रदान की। बोर्ड द्वारा दिए गए अनुमोदन के अनुसरण में बीबीएमबी ने 17 नवम्बर 2020 को तकनीकी आर्थिक मंजूरी हेतु हिमाचल प्रदेश सरकार को बग्गी परियोजना की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) प्रस्त्त की और साथ ही समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने हेत् हिमाचल प्रदेश सरकार से अन्रोध किया। तथापि, हिमाचल प्रदेश सरकार ने दिनांक 11-05-2022 के पत्र द्वारा परियोजना के निष्पादन से पूर्व बीबीएमबी और डीओई, हिमाचल प्रदेश सरकार के बीच पहले से स्वीकृत समझौता ज्ञापन के स्थान पर 'पूर्व-कार्यान्वयन समझौता (पीआईए)' नामक एक नया दस्तावेज अग्रेषित किया। आगे यह भी सूचित किया जाता है कि पीआईए के कुछ खंड बोर्ड द्वारा पूर्व में अनुमोदित समझौता ज्ञापन के अनुरूप नहीं थे और तदनुसार हिमाचल प्रदेश सरकार से अतिरिक्त खंडों की समीक्षा करने और हटाने का अनुरोध किया गया था। तत्पश्चात, हिमाचल प्रदेश सरकार ने कुछ अतिरिक्त खंडों को हटा दिया लेकिन कुछ अतिरिक्त खंडों को हटाया नहीं गया है। पीआईए एजेंडे के साथ लगा हुआ है।

चर्चा की शुरूआत करते हुए सदस्य (हिरयाणा) ने कहा कि बग्गी विद्युत घर को चालू करने के लिए आवश्यक अधिकांश नागरिक संरचना बीएसएल परियोजना के निर्माण के समय, अर्थात भारत सरकार और हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा जल विद्युत नीति की घोषणा से बहुत पहले उठाई गई थी, जो उस गृह राज्य को नि:शुल्क बिजली की आपूर्ति को अनिवार्य करता है जिसमें जल विद्युत परियोजना चालू की जा रही है, जो अनिवार्य है। तथापि, हिमाचल प्रदेश सरकार के अनुरोध पर तथा जल विद्युत का उपयोग करने हेतु व्यापक राष्ट्र हित में, बीबीएमबी के भागीदार राज्यों ने अपनी नीति के अनुसार राज्य सरकार को परियोजना से नि:शुल्क बिजली प्रदान करने पर सहमित व्यक्त की थी। चूंकि हिमाचल प्रदेश सरकार की प्राथमिक चिंताओं को बीबीएमबी द्वारा पहले ही बताया जा चुका है, इसलिए उन्हें ऐसी अतिरिकत शर्तों के लिए दबाव नहीं डालना चाहिए, जिससे परियोजना के निष्पादन में अनावश्यक रूप से विलम्ब हो।

सदस्य (हिमाचल) के प्रतिनिधि ने बताया की पीआईए के नियम और शर्ते राज्य में सभी जल विद्युत परियोजनाओं के लिए सरकार द्वारा अनुमोदित नीति के अनुसार है। इसके अतिरिक्त, बीबीएमबी के अनुरोध पर, जहां भी संभव हो, हिमाचल प्रेदेश सरकार ने पीआईए की कई शर्तों को पहले ही हटा दिया है।

सदस्य (विद्युत), बीबीएमबी ने कहा कि प्रस्तावित बग्गी जल विद्युत परियोजना में भागीदार होने के नाते हिमाचल प्रदेश सरकार को ऐसी शर्ते नहीं लगानी चाहिए। इस संबंध में सदस्य (हिमाचल) के प्रतिनिधि ने कहा कि धाराएं स्वर्ण जयंती नीति के दिशा निर्देशों के अनुसार हैं और केन्द्रीय क्षेत्र की परियोजनाओं सहित राज्य में चालू होने वाली सभी परियोजनाओं पर लागू किए जा रहे हैं तथापि, उन्होंने आश्वासन दिया कि पीआईए में उल्लेखित धाराएं विशेष रूप से दंडात्मक धाराएं जैसे कि विस्तार शुल्क इत्यादि की उगाही, हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा केवल असाधारण परिस्थितियों में और बग्गी परियोजना के लिए प्रयोज्यता के अनुसार लागू की जाएंगी, न कि नियम के रूप में। उन्होंने बोर्ड से अनुरोध किया कि वे हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा अग्रेषित पीआईए पर विचार करें और अनुमोदन करें।

विशेष सचिव, बीबीएमबी ने सूचित किया कि बग्गी जल विद्युत परियोजना से बिजली की निकासी के लिए पीआईए में उल्लेख किया गया है कि 'इंटरकनेक्शन बिन्दु से परे बिजली की निकासी पारस्परिक रूप से सहमत व्हीलिंग प्रभार या सक्षम नियामक निकाय द्वारा निर्धारण पर आधारित होगी, जैसा भी मामला हो।' इस संबंध में सदस्य (हरियाणा) ने बग्गी जल विद्युत परियोजना के मामले में लागू व्हीलिंग प्रभार जानना चाहा। विशेष सचिव, बीबीएमबी ने बताया कि व्हीलींग प्रभार लगभग 1.03 लाख रूपये मेगावाट प्रति माह है, जो बग्गी एचईपी के मामले में लगभग 40 पैसे प्रति यूनिट है। अध्यक्ष, बीबीएमबी ने आगे बताया कि बीबीएमबी बग्गी से देहर तक अपनी पारेषण लाईन स्थापित करने की संभावना तलाश रहा है, ताकि सर्वीत्तम तकनीकी –आर्थिक

समाधान निकाला जा सके, तथापि कई बांधाएं हैं जैसे आरओडब्ल्यू की उपलब्धता, वन मंजूरी इत्यादि जिस पर भी विचार करने की आवश्यकता है।

सदस्य (हरियाणा) ने जानना चाहा कि क्या बीबीएमबी द्वारा अपनी पारेषण लाइन लगाने के उपरांत भी बीबीएमबी को हिमाचल प्रदेश को कोई पारेषण शुल्क देना होगा। इस संबंध में, हिमाचल प्रदेश सरकार के प्रतिनिधि ने पुष्टि की कि यदि बीबीएमबी अपनी स्वंय की पारेषण लाईन स्थापित करता है, तो बीबीएमबी को एचपीटीसीएल को कोई पारेषण शुल्क या व्हीलिंग शुल्क नहीं देना होगा।

बोर्ड ने पूर्व कार्यान्वयन समझौते (पीआईए) के विभिन्न खंडों पर विस्तार से विचार किया, विशेष रूप से जो पहले से अनुमोदित समझौता ज्ञापन में नहीं थे और बीबीएमबी को 'पूर्व-कार्यान्वयन समझौते (पीआईए)' पर राज्य सरकार की स्वर्ण जयंती ऊर्जा नीति के बाद के संशोधन की प्रयोज्यता को छोड़कर, जो डीओआई, हिमाचल प्रदेश सरकार के पत्र दिनांक 07-07-2022 के माध्यम से प्रस्तुत किया गया था, पर हस्ताक्षर करने के लिए अधिकृत किया गया।

<u>मद संख्या 242.03</u>

मैसर्ज एसजेवीएनएल को टैरिफ आधारित प्रतिस्पर्धी बोली के माध्यम से निकाले गए लेवलाइज्ड शुल्क पर बिल्ड ओन ऑपरेट (बीओओ) के आधार पर 25 वर्षों के लिए बीबीएमबी के चार अलग-अलग स्थानों पर लगभग 18 मेगावाट के ग्रिड कनेक्टेड ग्रांउड माउंटेड सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने हेत् आदेश देने बारे।

विशेष सचिव, बीबीएमबी ने बताया कि बोर्ड की 233वीं बैठक (20-12-2019) के दौरान, बोर्ड ने 18 मेगावाट की कुल क्षमता वाले 04 ग्राउंड माउंटेड सौर ऊर्जा संयंत्रों की स्थापना हेतु एक एकल एनआईटी जारी करने का निर्देश दिया था (10 मेगावाट +04 मेगावाट +02 मेगावाट) पंजाब एनर्जी डंवलपमेंट एजेंसी (पेडा) ने बिल्ड ओन ऑपरेट (बीओओ) आधार पर टैरिफ आधारित प्रतिस्पर्धी बोली (टीबीसीबी) पर पारेषण लाइन की लागत को छोड़कर 2.66 रूपये प्रति यूनिट के ऊपरी स्तर के उच्चतम टैरिफ पर निविदा जारी की। पेडा ने बताया कि कई विस्तारों के बाद भी 2.66 रूपये प्रति यूनिट की सीलिंग टैरिफ पर केवल एक ही बोली प्राप्त हुई है। मामला दिनांक 16-03-2022 को आयोजित 241वीं बोर्ड बैठक में अनुमोदन हेतु रखा गया था, जिसमें विचार-विमर्श करने उपरांत यह निर्णय लिया गया कि बीबीएमबी को मैसर्ज एसजेवीएनएल के साथ बात-चीत करनी चाहिए, क्योंकि केवल एक बोली प्राप्त हुई है और पीएसपीसीएल को भी तलवाड़ा में स्थिति 10 मेगावाट सौर संयंत्र के लिए एलटीए और एसएलडीसी शुल्क की छूट की पुष्टि करनी चाहिए।

बोर्ड के निर्णय को ध्यान में रखते हुए मैसर्ज एसजेवीएनएल के साथ बातचीत करने के लिए एक समिति का गठन किया गया था। बातचीत के दौरान मैसर्ज एसजेवीएनएल ने लेवलाइज्ड शुल्क को 2.66 से घटाकर 2.63 रूपये प्रति यूनिट अर्थात 03 पैसे कम करने पर सहमित जताई है। विशेष सचिव, बीबीएमबी ने आगे बताया कि एलटीए और एसएलडीसी शुल्कों की छूट के संबंध में मामला पीएसपीसीएल के साथ भी उठाया गया था, जहां पीएसपीसीएल ने अपने पत्र दिनांक 19.05.2022 के द्वारा उत्तर दिया है कि मामले पर विचार किया गया और यह निर्णय लिया गया कि बीबीएमबी इस संबंध में पीएसईआरसी के समक्ष एक याचिका दायर करेगा।

अध्यक्ष, बीबीएमबी ने बोर्ड को सूचित किया कि इस 18 मेगावाट के ग्राउंड माउंटेड सोलर प्लांट के लिए 2.63 रूपये प्रति केडब्ल्यूएच की दर से निकाला गया टैरिफ देश में समान क्षमता वाले सौर संयंत्र के टैरिफ की तुलना में बहुत उचित है और ये सोलर प्लांट भागीदार राज्यों को अपनी एपीपीसी दरों को कम करने और अपनी आरपीओ दायित्वों को भी कम करने में सहायता करेगा। उन्होंने आगे संकेत दिया कि आदेश तभी दिया जाएगा जब पीएसईआरसी तलवाडा में स्थित 10 मेगावाट सौर सयंत्र के लिए एलटीए शुल्क की छूट की अनुमति देगा तथापि, शेष 08 मेगावाट के 03 सौर संयंत्रों (4 मेगावाट + 2 मेगावाट + 02 मेगावाट) के लिए पीएसईआरसी की छूट की आवश्यकता नहीं है क्योंकि इन परियोजनाओं से बिजली बीबीएमबी की अपनी प्रणाली में पूल की जाती है और बोर्ड की मंजूरी के बिना, पीएसईआरसी से छूट का इंतजार किए बिना, सीधे फर्म के पास आदेश दिया जा सकता है।

तलवाड़ा में स्थित 10 मेगावाट सौर संयंत्र के लिए एलटीए और एसएलडीसी शुल्क की छूट के लिए पीएसईआरसी में याचिका दायर करने से पूर्व एसजेवीएनएल के साथ बातचीत के अनुसार 2.63 रूपये प्रति यूनिट के स्तर के टैरिफ की स्वीकृति हेतु बोर्ड की मंजूरी आवश्यक है।

सदस्य (हरियाणा) ने राजस्थान राज्य में स्थापित किए जा रहे सौर संयंत्रों के टैरिफ को जानना चाहा। इस संबंध में अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता/आरवीपीएनएल ने सूचित किया कि राजस्थान में 500 मेगावाट और उससे अधिक क्षमता के सौर संयंत्रों की निकाली गई दर 2.20-2.25 रूपये प्रति यूनिट की सीमा में है लेकिन कम क्षमता वाले संयंत्रों में टैरिफ बहुत अधिक है। उन्होंने आगे बताया कि प्रधानमंत्री-कुसुम योजना के अंतर्गत राजस्थान विद्युत नियामक आयोग ने 3.14 रूपये के टैरिफ की मंजूरी दी है।

विस्तृत विचार-विमर्श के उपरांत बोर्ड ने निम्नलिखित प्रस्ताव अनुमोदित किए:-

i. पीएसईआरसी द्वारा एलटीए और एसएलडीसी शुल्कों की छूट के अधीन मैसर्ज एसजेवीएनएल को 10 मेगावाट ग्रिड कनेक्टेड ग्राउंड माउंटेड सौर ऊर्जा संयंत्र को बिल्ड ओन ऑपरेट (बीओओ) के आधार पर पारेषण लाइन लागत को छोड़कर और बिजली खरीद समझौते और भूमि किराया समझौते के नियमों एवं शर्तों के अनुसार 2.63 रूपये प्रति यूनिट की दर से 25 वर्षों के लिए स्थापित करने का आदेश देना।

- ii. मैसर्ज एसजेवीएनएल को 03 नं. ग्रिड कनेक्टेड ग्राउंड माउंटेड सौर ऊर्जा संयंत्र, जिसकी कुल क्षमता 08 मेगावाट (4 मेगावाट + 2 मेगावाट + 2 मेगावाट) है, पारेषण लाईन की लागत को छोड़कर और बिजली खरीद समझौते तथा भूमि किराया समझौते के नियमों एवं शर्तों के अनुसार बिल्ड ओन ऑपरेट (बीओओ) के आधार पर 2.63 रूपये प्रति यूनिट के लेवलाइज्ड शुल्क पर 25 वर्षों के लिए आदेश देना।
- iii. 03 नं. एसपीपीएस से उत्पन्न बिजली को तलवाड़ा और पौंग बॉध में स्थापित करने का प्रस्ताव बीबीएमबी भागीदार राज्य विद्युत इकाइयों के बीच पौंग विद्युत घर में उनके हिस्से के कोटे के अनुसार और नेहला गांव के एसपीपीएस से उत्पन्न बिजली को बीबीएमबी की भागीदार राज्य विद्युत इकाइयों के बीच भाखड़ा कॉम्पलैक्स विद्युत घर से विभाजित करना।
- iv. बीबीएमबी के दायरे में 2.09 करोड़ रूपये की अनुमानित लागत पर ऊर्जा की निकासी हेतु सौर ऊर्जा उप-केन्द्र के गैन्ट्री से बीबीएमबी/पीएसपीसीएल उप-केन्द्र तक पारेषण लाइनों का निर्माण, परीक्षण और चालू करना। तथापि, व्यय वास्तविक आधार पर किया जाएगा।
- v. भूमि किराया समझौता और पीपीए के लिए स्वीकृति।

<u>मद संख्या 242.04</u>

मैसर्ज एसजेवीएनएल को टैरिफ आधारित प्रतिस्पर्धी बोली के माध्यम से निकाले गए लेवलाइज्ड शुल्क पर बिल्ड ओन ऑपरेट (बीओओ) के आधार पर 25 वर्षों के लिए हिमाचल प्रदेश के जिला बिलासपुर के गांव नेहला के समीप नंगल बॉध , जलाशय पर 15 मेगावाट ग्रिड कनेक्टेड फ**्लोटिंग सौर ऊर्जा** संयंत्र स्थापित करने हेतु आदेश देने बारे।

विशेष सचिव, बीबीएमबी ने बताया कि पहले यह एजेंडा दिनांक 16-03-2022 को हुई 241वीं बोर्ड की बैठक में बोर्ड के समक्ष रखा गया था और यह निर्णय लिया गया था कि इस एजेंडा मद को आगे विचार-विमर्श तथा अंतिम निर्णय हेतु आगामी बैठक तक स्थगित रखा जाए। बीबीएमबी फ्लोटिंग सौर ऊर्जा संयंत्र हेतु उपलब्ध सब्सिडी या वीजीएफ की संभावना तलाश सकता है।

विशेष सचिव, बीबीएमबी ने आगे बताया कि मामला एमएनआरआई के साथ उठाया गया था और एमएनआरआई ने पत्र दिनांक 04-07-2022 द्वारा सूचित किया है कि वर्तमान में ऐसे संयंत्रों के लिए उनके पास ऐसी कोई सब्सिडी/वित्त पोषण उपलब्ध नहीं है।

अध्यक्ष, बीबीएमबी ने सूचित किया कि बोली लगाने वाले का चयन उचित रूप से पूर्ण किया गया था तथा ई-रिवर्स बोली में कई दौर के बाद मैसर्ज एसजेवीएनएल को 3.26 रूपये प्रति यूनिट का प्रतिस्पर्धी टैरिफ के साथ एल-1 बोलीदाता के रूप में पाया गया है। उन्होंने आगे कहा कि बीबीएमबी द्वारा एकत्र किए गए आंकड़ों के अनुसार इस 15 मेगावाट के फ्लोटिंग सौर ऊर्जा संयंत्र हेतु 3.26 रूपये प्रति किलोवाट घंटा की दी गई दर देश में हाल ही में किसी भी चालू किए गए /आईर किए गए समान आकार के फ्लोटिंग टाइप सौर संयंत्र के टैरिफ की तुलना में बहुत उचित है। उन्होंने आगे जोर दिया कि बीबीएमबी में भाखड़ा और पौंग बांधों के जलाशयों में फ्लोटिंग सौर ऊर्जा स्थापित करने की बहुत संभावनाएं हैं और इस 15 मेगावाट के फ्लोटिंग सौर संयंत्र के चालू होने के उपरांत, प्राप्त अनुभव बीबीएमबी को सबसे अधिक क्षमता का दोहन करने में सक्षम करेगा।

सदस्य (हरियाणा) ने जानना चाहा कि क्या इस मामले में कोई पारेषण प्रभार लागू है। इस संबंध में सदस्य (विद्युत) ने स्पष्ट किया कि इस मामले में कोई पारेषण प्रभार देय नहीं है क्योंकि बीबीएमबी ने परियोजना से ऊर्जा की निकासी हेतु अपनी पारेषण लाईन लगाने को प्रस्तावित किया है।

सदस्य (राजस्थान) और सदस्य (हिमाचल प्रदेश) ने प्रस्ताव से सहमित व्यक्त की, क्योंकि यह परियोजना मूल्यवान अनुभव प्रदान करेगी जो भविष्य में बीबीएमबी जलाशयों में बड़ी फ्लोटिंग सौर परियोजनाओं को शुरू करने में सहायक होगी। सदस्य (पंजाब) ने भी प्रस्ताव पर सहमत जताई।

विस्तृत विचार-विमर्श के उपरांत बोर्ड ने निम्नलिखित प्रस्ताव अनुमोदित किए:-

i. मैसर्ज एसजेवीएनएल को 15 मेगावाट ग्रिड कनेक्टेड फलोटिंग सौर ऊर्जा संयंत्र को बिल्ड ओन ऑपरेट (बीओओ) के आधार पर पारेषण लाइन लागत को छोड़कर तथा बिजली खरीद समझौते और भूमि किराया समझौते के नियमों एवं शर्तों के अनुसार 3.26 रूपये प्रति यूनिट की दर से 25 वर्षों के लिए स्थापित करने का आदेश देना।

- ii. प्रस्तावित सौर ऊर्जा संयंत्र से उत्पादित बिजली को बीबीएमबी की भागीदार राज्य विद्युत इकाइयों के बीच भाखड़ा कॉम्पलैक्स विद्युत घर से उनके हिस्से के अनुसार विभाजित करना।
- iii. 33 केवी भूमिगत और ओवर हैड लाइन, 33/66 केवी ट्रांसफार्मर और 66 केवी भूमिगत केबल के माध्यम से भाखड़ा बांया किनारे के स्विचयार्ड में फ्लोटिंग सौर उप-केन्द्रसे 33 केवी गेन्ट्री से 66 केवी बे तक 33/66 केवी पारेषण लाईन का निर्माण परीक्षण और कमीशन जो सौर ऊर्जा निकासी के लिए लगभग 06 कि.मी. है, रूपये 519 लाख (बीबीएमबी के दायरे में) अनुमानित लागत पर ऊर्जा। तथापि, व्यय वास्तविक आधार पर किया जाएगा।
- iv. विद्युत मंत्रालय द्वारा दिनांक 22-02-2021 को जारी संशोधित दिशा-निर्देशों के अनुसरण में पीपीए में संशोधन करने हेतु अध्यक्ष, बीबीएमबी द्वारा अनुमोदन की पुष्टि करने के लिए और पीपीए में सीईआरसी नवीकरणीय ऊर्जा (आरई) टैरिफ विनियम दिनांक 23-06-2020 के प्रावधान।
- v. जल और भूमि किराया समझौता एजेंडा नोट के साथ संलग्न है।

<u>मद संख्या 242.05</u>

संचयी 11.5 मेगावाट ग्राउंड माउंटेड सौर ऊर्जा संयंत्र (400 केवी उपकेन्द्र, बीबीएमबी, भिवानी में 10 मेगावाट और 220 केवी उपकेन्द्र, बीबीएमबी, हिसार में 1.5 मेगावाट) की स्थापना।

विशेष सचिव, बीबीएमबी ने एजेंडा नोट की व्याख्या करते हुए कहा कि एमएनआरई के दिशा-निर्देशों के अनुसार, बीबीएमबी अपनी परियोजनाओं और उपकेन्द्रों में अधिक से अधिक स्थानों पर सौर ऊर्जा संयत्र स्थापित करने की संभावना तलाश रहा है, ताकि भागीदार राज्यों में बिजली की लागतार बढ़ती मांग को पूरा किया जा सके।

मूल्यांकन के उपरांत यह पाया गया कि 400 केवी उपकेन्द्र, बीबीएमबी, भिवानी (हरियाणा) में 10 मेगावाट और 220 केवी उपकेन्द्र, बीबीएमबी, हिसार (हरियाणा) में 1.5 मेगावाट के ग्रांउड माउंटेड सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित करना संभव है। संचयी क्षमता के 11.5 मेगावाट ग्रांउड माउंटेड सौर ऊर्जा संयंत्र (भिवानी में 10 मेगावाट और हिसार उप-केन्द्रपर 1.5 मेगावाट) की स्थापना के लिए बोलियां और निविदा प्रक्रिया तैयारी मौजूदा उपकेन्द्रों के परिसर के भीतर किसी तीसरे पक्ष के हस्तक्षेप से बचने के लिए कैपेक्स मोड में, बीबीएमबी द्वारा स्वंय की जाएगी। परियोजना उप-केन्द्र की सीमा के

भीतर होने के कारण, मौजूदा ओएण्डएम स्टाफ का उपयोग प्रस्तावित सौर ऊर्जा संयंत्रों के संचालन के लिए किया जा सकता है, इससे ओएण्डएम लागत तथा अन्य खर्चे कम हो जाएंगे।

पूंजीगत लागत और ओ.एण्ड.एम लागत क्रमशः रूपये 3.40 करोड़/मेगावाट और रूपये 5.50 लाख/मेगावाट (3.84 % की वृद्धि के साथ) माना गया है। स्थापना के लिए अस्थाई पूंजीगत व्यय 39.10 करोड़ रूपये होगा। बीबीएमबी में प्रचलित प्रथा के अनुसार परियोजना की लागत को बीबीएमबी के भागीदार राज्यों के बीच सांझा किया जाएगा।

सदस्य (पंजाब) ने प्रस्तावित बिजली संयंत्र से उत्पन्न बिजली की प्रति यूनिट लागत जानना चाहा। इस संबंध में सदस्य (विद्युत) ने स्पष्ट किया कि बिजली की अनुमानित प्रति यूनिट लागत 2.44 रूपये प्रति यूनिट की गणना की गई है। विस्तृत गणना एजेंडा नोट के अनुंलग्नक ई-3 में दी गई है। तथापि, वास्तविक टैरिफ निविदा प्रक्रिया के उपरांत निकाला जाएगा। भागीदार राज्यों को लागत और ऊर्जा का हिस्सा भी बोई को अवगत कराया गया था।

विस्तृत विचार-विमर्श के उपरांत बोर्ड ने एजेंडा नोट में निहित प्रस्ताव को मंजूरी दी।

- i. 11.5 मेगावाट (400 केवी उपकेन्द्र, बीबीएमबी, भिवानी में 10 मेगावाट और 220 केवी उपकेन्द्र, बीबीएमबी, हिसार में 1.5 मेगावाट) ग्राउंड माउंटेड सौर ऊर्जा संयंत्र की स्थापना हेतु पूंजीगत व्यय मॉडल (कैपेक्स मॉडल के आधार पर) अनुमानित पूंजी लागत 39.10 करोड़ रूपये है, अंतिम लागत का पता खुली बोली और ई-आरए के माध्यम से लगाया जाएगा।
- ii. भिवानी उप-केन्द्र पर 10 मेगावाट संयंत्र हेतु बिजली की लागत का हिस्सा बीबीएमबी पावर यूटिलिटीज द्वारा ब्यास पारेषण प्रणाली में उनके अनुपात के अनुसार वहन किया जाएगा और हिसार, उप-केन्द्र पर 1.5 मेगावाट संयंत्र हेतु बिजली की लागत का हिस्सा बीबीएमबी पावर यूटिलिटीज द्वारा भाखड़ा पारेषण प्रणाली में उनके अनुपात के अनुसार वहन किया जाएगा।

मद संख्या 242.06

बीबीएमबी परियोजनाओं के कुशल रख-रखाव और परिचालन की दिशा में उनके उत्कृष्ट योगदान की एवज् में बीबीएमबी कर्मचारियों का निष्पादन आधारित वार्षिक प्रोत्साहन का अनुदान। अध्यक्ष, बीबीएमबी के अधीक्षण अभियन्ता (तकनीकी) ने कार्यसूची की व्याख्या करते हुए कहा कि वर्ष 2021-22 के दौरान, बीबीएमबी ने सीईए द्वारा निर्धारित संशोधित लक्ष्य की तुलना में 5.46% अधिक ऊर्जा का उत्पादन किया है। वर्ष 2021-22 के दौरान बीबीएमबी की संयंत्र उपलब्धता और पारेषण उपलब्धता क्रमश: 98.30% और 99.78% थी। इसके अलावा बीबीएमबी ने अपने विद्युत घरों के इष्टतम संचालन और रियल टाइम उत्पादन की कड़ी निगरानी के माध्यम से विचलन निपटान तंत्र (डीएसएम) के तहत रूपये 29.21 करोड़ अर्जित किए।

उन्होंने आगे बताया कि बोर्ड द्वारा अपनी 233वीं बैठक में अनुमोदित प्रदर्शन आधारित वार्षिक प्रोत्साहन नीति के अनुसार वर्ष 2021-22 के लिए वार्षिक प्रोत्साहन 21.8 दिनों के वेतन के रूप में निकाला गया है, जिसमें से 2 दिन कर्ी प्रोत्साहन राशि बीबीएमबी कर्मचारी परिवार सहायता कोष बीबीएमबी कर्मचारी की सेवा के दौरान उसकी मृत्यु के मामले में उसके परिवार को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए योगदान के लिए कटौती कर लिया जाएगा।

सदस्य (पंजाब) ने जानना चाहा कि क्या पीएसपीसीएल अपने कर्मचारियों को कोई प्रोत्साहन दे रहा है। इस संबंध में सदस्य (विद्युत) ने स्पष्ट किया कि थर्मल पावर संयंत्र में कार्यरत कर्मचारियों को पीएसपीसीएल द्वारा उत्पादन भुगतान किया जा रहा है। इसके अलावा एनटीपीसी और एनएचपीसी जैसी अन्य बिजली उत्पादक कंपनियां भी प्रोत्साहन दे रही है जो उनके लाभ पर आधारित है। हालांकि बीबीएमबी एक लाभहीन संगठन होने के कारण, प्रोत्साहन नीति को निष्पादन के आधार पर अनुमोदित किया गया है।

विचार-विमर्श के उपरांत बोर्ड ने अपनी 233वीं बैठक द्वारा अनुमोदित प्रोत्साहन नीति के अनुसार बीबीएमबी के उत्कृष्ट निष्पादन की मान्यता के रूप में वर्ष 2021-22 के लिए (असंशोधित वेतनमान में बेसिक पे + ग्रेड पे + डी.ए.+ आई आर एवं संशोधित वेतनमान में बेसिक पे + ग्रेड पे) प्रोत्साहन के रूप में 21.8 दिन का वेतन देने के प्रस्ताव को मंजूरी दी। इसमें यह भी निर्णय लिया गया था कि 21.8 दिनों में से 2 दिन का प्रोत्साहन बीबीएमबी कर्मचारी फैमिली स्पोर्ट फंड में स्थानांतरित किया जाएगा एवं शेष 19.8 दिनों का प्रोत्साहन कर्मचारियों को किया जाएगा।

<u>मद संख्या 242.07</u>

"सेवानिवृत के उपरांत बीबीएमबी में कार्यरत कर्मचारियों के लिए संविदात्मक नीति" में परिलब्धियों में संशोधन संबंधी ।

सचिव, बीबीएमबी ने कार्यसूची की व्याख्या करते हुए कहा कि भागीदार राज्यों द्वारा लंबे समय से बीबीएमबी में अपेक्षित जन-शक्ति उपलब्ध नहीं कराने के कारण बीबीएमबी कर्मचारियों को सेवानिवृति के पश्चात संविदात्मक पुनः रोजगार की नीति को बोर्ड द्वारा अपनी 217वीं बैठक में अनुमोदित किया गया था। यह नीति वर्ष 2014 में तैयार की गई थी और उस समय पीएसपीसीएल के पैटर्न पर तय की गई परिलब्धियों को आज तक संशोधित नहीं किया गया है। बीबीएमबी की उपकरण प्रणालियों की विशेषज्ञता और ज्ञान रखने वाले सेवानिवृत कर्मचारियों के लिए दी जा रही परिलब्धियों पर बीबीएमबी में सविंदात्मक पुनः नियुक्ति स्वीकार करना कठिन और गैर-आकर्षक होता जा रहा है। अतः संविदात्मक आधार पर पुनः नियुक्ति पर लगे कर्मचारियों की परिलब्धियों में वृद्धि करने का प्रस्ताव है।

उन्होंने आगे बताया कि बीबीएमबी कुशल तकनीकी जनशक्ति की भारी कमी का सामना कर रहा है, जिसके कारण कुछ उच्च कुशल और अनुभवी तकनीकी कर्मचारियों की सेवाएं जो संविदात्मक आधार पर पुन: नियुक्ति पर काम कर रहे है, बहुत आवश्यक है। अत: यह प्रस्तावित किया जाता है कि जो तकनीकी कर्मचारी महत्वपूर्ण क्षेत्रों में विशेषज्ञता रखते हैं की संविदात्मक रोजगार पर अधिकतम आयु 62 वर्ष से बढ़ा कर 64 वर्ष की जा सकती है, बशर्ते कि 62 वर्ष की आयु से अधिक और अधिकतम 64 वर्ष की आयु तक किसी भी समय ऐसे सेवानिवृत संविदात्मक कर्मचारियों की संख्या 30 से अधिक नहीं होगी।

सदस्य (राजस्थान) ने सुझाव दिया कि बीबीएमबी को ऐसे नाजुक क्षेत्रों में युवा लोगों की तैनाती करनी चाहिए ताकि वे सेवानिवृत कर्मचारियों से सीख सकें और अपने दायित्व को बखूबी निभा सकें।

सदस्य (पंजाब) ने सूचित किया कि पंजाब सरकार केवल बीबीएमबी के उद्देश्य हेतु भर्ती करने पर विचार कर रही है और शीघ्र ही बीबीएमबी को अपेक्षित जन शक्ति उपलब्ध कराएगी, जिसका सदस्य (हरियाणा) द्वारा भी समर्थन किया गया।

सदस्य (पंजाब) ने सुझाव दिया कि बीबीएमबी को वर्तमान समय की आवश्कताओं और नवीनतम तकनीकी परिवर्तनों को ध्यान में रखते हुए अपने संगठनात्मक ढांचे और बीबीएमबी में जनशक्ति के युक्तिकरण/पुनगर्ठन पर फिर से विचार करना चाहिए। सदस्य (हरियाणा) ने जानना चाहा कि बीबीएमबी को समयबद्ध तरीके से पुनगर्ठन और बोर्ड के समक्ष प्रस्ताव प्रस्तुत करना चाहिए।

अध्यक्ष, बीबीएमबी ने सूचित किया कि विभिन्न परियोजना स्थलों और कार्यालयों में जनशक्ति का अनुकूलन करने के लिए पेशेवर सलाहकार फर्म से नियुक्ति के माध्यम से एक प्नर्गठन अभ्यास पहले ही श्रू किया जा चुका है।

विचार-विमर्श के पश्चात, बोर्ड ने निम्नानुसार प्रस्ताव को अनुमोदित किया:-

i. बीबीएमबी में संविदात्मक रोजगार की नीति में परिलब्धियों का संशोधन परिशिष्ट जी-6 के विवरणानुसार कार्यवृत के साथ संलग्न है। ये संशोधित परिलब्धियां मीजूदा संविदात्मक रूप से पुन-रोजगार पर कार्यरत कर्मचारियों पर भी लागू होगी और इन कर्मचारियों को संशोधित परिलब्धियां अगले महीने की पहली तारीख से देय होगी जब तथाकथित परिलब्धियों के संशोधन का कार्यालय आदेश जारी होगा। इसके अतिरिक्त इस नीति के अन्तर्गत पहले से ही स्वीकार्य अन्य लाभ/सुविधाएं यथावत रहेगी।

ii. नीति की निंबधन एवं शर्तो की क्रमं संख्या 3 में संशोधन निम्नवत है:-

'संविदात्मक रोजगार की अविध अधिकतम एक वर्ष के स्पैल में 62 वर्ष की अधिकतम आयु तक बढ़ाई जाएगी। हालांकि, अगर कोई कर्मचारी विद्युत संयंत्रों, कार्यशालाओं, बांधों, जलाशयों, हाईडल चैनल और इसमें अनुलग्न कार्यों में तथा ट्रांसिमशन लाइनों, उपकेन्द्रों इत्यादि के अनुरक्षण, संचालन और संरक्षण हेतु कार्यरत है जो तकनीकी विशेषज्ञ और फील्ड में तैनात है, जिसकी कोई उपयुक्त प्रतिस्थानी उपलब्ध नहीं हैं, संविदात्मक रोजगार की अविध को अधिकतम एक वर्ष के स्पैल में अधिकतम 64 वर्ष की आयु तक बढ़ाया जाना, इस शर्त के अधीन होगा कि बीबीएमबी में काम करने वाले ऐसे 62 वर्ष से अधिक और अधिकतम 64 वर्ष की आयु तक के सेवानिवृत संविदा कर्मचारियों की संख्या केवल 30 नं. तक ही सीमित होगी।'

iii. नीति की निबंधन एवं शर्तों के क्रम संख्या 12 (ii) में संशोधन निम्नवत है:-

'आवेदक की आयु उपरोक्त क्रम संख्या 3 में निर्दिष्ट आयु से कम होना चाहिए, जैसा भी मामला हो।'

<u>मद संख्या 242.08</u>

बीबीएमबी में संविदा के आधार पर कार्यरत कर्मचारियों की परिलब्धियों में वृद्धि।

विशेष सचिव, बीबीएमबी ने कार्यवृत्त की व्याख्या करते हुए सूचित किया कि बीबीएमबी की 219वीं बोर्ड की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुसरण में कुछ महत्वपूर्ण श्रेणियों जैसे कनिष्ठ अभियन्ता, क्रेन आप्रेटर, दंत सहायक, चालक, इलैक्ट्रीशियन/इलैक्ट्रिकल मिस्त्री, फायरमैन, फिटटर, होईस्ट आप्रेटर, लेब तकनीशियन, विधि अधिकारी ग्रेड ।।, लाईनमैन, होल्डर, आप्रेशन थियेटर सहायक, फिजियोथैरिपस्ट, उप-केन्द्रसहायक, स्टाफ नर्स, टैस्ट मकैनिक, वैल्डर इत्यादि लगभग 288 व्यक्तियों की संविदात्मक आधार पर 01 वर्ष के लिए भर्ती की गई थी। भागीदार राज्यों द्वारा अपेक्षित जन-शक्ति उपलब्ध नहीं कराने तथा उनके कार्य एवं आचरण के संबंध में विभागाध्यक्षों की सिफारिशों के अनुसार, उनकी सेवाओं को समय-समय पर आगे बढ़ाया गया है और आज तक जारी है।

इन संविदा कर्मचारियों की भर्ती उनके पद के प्रारंभिक वेतन प्लस ग्रेड पे प्लस 100% डी.ए. के आधार पर की गई निर्धारित परिलब्धियां पर गई थी जो कि दिनांक 01-01-2014 को प्रचलित थी। इन कर्मचारियों के नियमितीकरण के संबंध में एक कार्यसूची बोर्ड की 231वीं, 232वीं, 233वीं, 234वीं एवं 235वीं बैठक में रखी गई थी, जिसे विचार-विमर्श के बाद टाल दिया गया था। तथापि, 235वीं बोर्ड बैठक में संविदा के आधार पर कार्यरत इन कर्मचारियों के वेतन में उस पद के 64% (प्रारंभिक वेतन + ग्रेड पे) की वृद्धि करने का निर्णय किया गया, जिस पर वे तत्काल प्रभाव से एक मुश्त उपाय के रूप में कार्य कर रहे है।

ये संविदा कर्मचारी कई वर्षों से बीबीएमबी में काम कर रहे है और बीबीएमबी परियोजनाओं के अपने संबंधित और विशिष्ट तकनीकी क्षेत्रों में विशेषज्ञ बन गए हैं। इसलिए, उनके संबंधित नियत किए गए कार्य के लिए आवश्यक कौशल सेट प्राप्त करने के बाद, बीबीएमबी में उनकी सेवाओं का उपयोग करना समझदारी होगी। इसके अलावा, पीएसपीसीएल द्वारा अपने कर्मचारियों के लिए बढ़ती मुद्रास्फीति और वेतनवृद्धि को देखते हुए संशोधित बीबीएमबी वेतनमान और 34.% भत्ते के अनुसार पद के शुरूआती वेतन के साथ उनकी निर्धारित परिलब्धियों को संशोधित करना भी विवेकपूर्ण होगा।

सदस्य (पंजाब) ने इन संविदात्मक कर्मचारियों की चयन प्रक्रिया के बारे में पूछा। सदस्य (विद्युत), बीबीएमबी ने सूचित किया कि इन संविदात्मक कर्मचारियों की भर्ती के लिए एक उचित चयन प्रक्रिया का अनुसरण किया गया था।

विचार-विमर्श के बाद, बोर्ड ने प्रस्ताव को निम्नानुसार अनुमोदित किया:-

- 1) एक मुश्त उपाय के रूप में, बोर्ड की 219वीं बैठक में लिए गए निर्णय के अनुसार संविदा के आधार पर कार्यरत कर्मचारियों के मासिक समेकित परिलिब्धियों को पद के संशोधित प्रारम्भिक मूल वेतन और 34% भत्ते के अनुसार बढ़ाया जाएगा अर्थात इस संबंध में आदेश जारी करने की वास्तविक तिथि से प्रभावी होगा।
- 2) हालांकि, इस संशोधन से इन कर्मचारियों को नियमितीकरण का कोई अधिकार नहीं मिलेगा।

मद संख्या 242.10

भाखड़ा ब्यास प्रबंध बोर्ड की वर्ष 2021-22 की वार्षिक रिपोर्ट।

विशेष सचिव, बीबीएमबी ने बोर्ड के सदस्य को अवगत कराया कि भाखड़ा ब्यास प्रबंध बोर्ड की वर्ष 2021-22 की वार्षिक रिपोर्ट बीबीएमबी नियम, 1974 के नियम 14 के अन्सार संकलित की गई है और बोर्ड के अन्मोदन के बाद विद्युत मंत्रालय को प्रस्तुत की जाएगी। रिपोर्ट की मुख्य विशेषताओं के बारे में बोर्ड के सदस्यों को अवगत कराया गया।

बोर्ड ने वर्ष 2021-22 के लिए बीबीएमबी की वार्षिक रिपोर्ट को मंजूरी दी।

<u>मद संख्या 242.11</u>

पौंग बॉध विस्थापितों के पुनर्वास और पुन:स्थापन (आरएण्डआर) मुददे। बोर्ड द्वारा कार्यसूची की सामग्री को नोट किया गया।

अध्यक्ष, बीबीएमबी ने बताया कि 27वीं हाई पावर कमेटी की बैठक सचिव, डीडब्ल्यूआर, आरडीएंडजीआर, भारत सरकार की अध्यक्षता में 7 जुलाई 2022 को नई दिल्ली में आयोजित की गई थी। एचपीसी की बैठक में निम्नलिखित प्रमुख निर्णय लिए गए:-

- i. जुलाई, 2022 में राजस्थान में एक विशेष शिविर का आयोजन किया जाएगा, जिसमें दोनों सरकारें विस्थापितों के आंकड़ो का समाधान करेगी।
- ii. पात्रता प्रमाण-पत्र प्न: जारी नहीं किया जाएगा।
- iii. शेष मुददों के समाधान के लिए नियमित मासिक बैठक आयोजित की जाएगी।
- iv. दोनों सरकारों को बुनियादी सुविधाओं के संबंध में चरण-।। में एक संयुक्त निरीक्षण करना है। आवंटियों की मूलभूत आवश्यकताओं के संबंध में डीसी को संवेदनशील बनाया जाए।

<u>मद संख्या 242.18</u>

बीबीएमबी पंडोह में रूपये 2.73 करोड़ की अनुमानित लागत से नए वीआईपी विश्राम गृह का निर्माण।

सचिव, बीबीएमबी ने कार्यसूची मद प्रस्तुत करते हुए बोर्ड को सूचित किया कि हालांकि प्रशासनिक अनुमोदन प्रदान करने की क्षमता अध्यक्ष, बीबीएमबी के पास है, फिर भी यह देखते हुए कि पहले पंडोह में पुराने गेस्ट हाउस के नवीनीकरण के लिए बोर्ड की मंजूरी दी गई थी, कार्यसूची मद को बोर्ड के समक्ष रखा गया।

विचार-विमर्श के बाद, बोर्ड, द्वारा कार्यसूची के अनुसार प्रस्ताव को इस सुझाव के साथ अनुमोदित किया कि भविष्य में ऐसे सभी प्रस्ताव जिनकी योग्यता अध्यक्ष, बीबीएमबी के पास है, उन्हें बोर्ड में नहीं लाया जा सकता है।

मद संख्या 242.19

एनएचपी परियोजना के बंद होने के अर्थात् दिनांक 31.03.2024 के बाद एनएचपी गतिविधियों को (स्थापित और चाल्) पर आने वाले खर्च करने के लिए सैदधान्तिक मंजुरी।

सचिव, बीबीएमबी ने कार्यसूची प्रस्तुत करते हुए बताया कि एनएचपी की पिरयोजना दिनांक 31-03-2024 तक बंद होने की संभावना है। बीबीएमबी को लगभग रूपये 8.35 करोड़ के बजट की आवश्यकता होगी, जिसका उपयोग 05 वर्षों की अविध में एनएचपी कार्यों की अनुरक्षण एवं पिरचालन गतिविधियों को पूरा करने के लिए किया जाएगा। यह राशि विभिन्न गतिविधियों की प्रगति के अनुसार भिन्न हो सकती है।

उचित विचार-विमर्श के बाद, बोर्ड ने कार्यसूची मद में निहित प्रस्ताव को मंजूरी देदी।

2.2.2 बोर्ड की दिनांक 09ण12ण2022 को आयोजित 243वीं बैठक

<u>मद संख्या 243.01</u>

दिनांक 15-07-2022 को चण्डीगढ़ में आयोजित भाखड़ा ब्यास प्रबंध बोर्ड की 242वीं बैठक के कार्यवृत्त की पृष्टि ।

सचिव, बीबीएमबी ने सूचित किया कि 242वीं बोर्ड बैठक के कार्यवृत्त पत्र संख्या 1506-23/बी-9/242/1-एम/प्रशा. दिनांक 12-08-2022 द्वारा परिचालित किए गए थे। 242वीं बोर्ड बैठक में लिए निर्णयों पर की गई कार्रवाई रिपोर्ट सदस्यों की जानकारी हेतु परिशिष्ट ए-2 के रूप में सलंग्न है।

सदस्य (पंजाब) को छोड़कर बोर्ड के सदस्यों से 242वें बोर्ड कार्यवृत्त पर कोई टिप्पणी प्राप्त नहीं हुई है। सदस्य (पंजाब) की टिप्पणियां दिनांक 09-09-2022 के पत्र द्वारा प्राप्त हुई थी, उसकी प्रति परिशिष्ट ए-3 के रूप में सलग्न है। जिन मुद्दों पर पंजाब की टिप्पणियां प्राप्त हुई हैं, उन पर बोर्ड द्वारा निम्नानुसार विचार-विमर्श किया गया:-

1 <u>मद संख्या 242.02</u>

'बग्गी जल विद्युत परियोजना के संबंध में पूर्व कार्यान्वयन समझौते (पीआईए) पर हस्ताक्षर'

सदस्य (पंजाब) ने कहा कि बग्गी विद्युत घर कोई नई योजना नहीं है क्योंकि इसकी परिकल्पना बीएसएल परियोजना के दौरान की गई थी और इसके अधिकांश बुनियादी ढांचे का निर्माण बीएसएल परियोजना के साथ किया गया था। इस प्रकार एलएडीएफ के लिए 12% नि:शुल्क बिजली और 1% अतिरिक्त निशुल्क बिजली देने की हिमाचल प्रदेश की दलील न्यायोचित नहीं है और इसके हटा देना चाहिए।

यह सूचित किया गया कि हिमाचल प्रदेश को नि:शुल्क बिजली देने के मामले पर बोर्ड की 234वीं और 235वीं बैठक में विस्तार से विचार किया गया था और बोर्ड की 235वीं बैठक के कार्यवृत्त के अध्ययन से स्पष्ट होता है कि उक्त बैठक के दौरान सदस्य (हिराचल प्रदेश) से बग्गी विद्युत गृह हेतु नि:शुल्क बिजली और एलएडीएफ की छूट पर विचार करने के लिए अनुरोध किया था, जहां सदस्य (हिमाचल प्रदेश) ने सूचित किया कि बीबीएमबी द्वारा अग्रेषित अनुरोध पर राज्य मंत्रिमंडल द्वारा विचार किया गया था लेकिन स्वीकृति के लिए व्यवहार्य नहीं पाया गया। विस्तृत विचार-विमर्श के उपरांत बीबीएमबी बोर्ड ने इन प्रावधानों के साथ हिमाचल प्रदेश सरकार के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने का निर्णय लिया।

242वीं बैठक में एमओयू की बजाय केवल पूर्व कार्यान्वयन समझौते (पीआईए) पर हस्ताक्षर करने के मामले को बोर्ड के समक्ष रखा गया था क्योंकि हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा तैयार पीआइए मसौदे में कुछ अतिरिक्त खंड जोडे गए थे, जो 235वीं बोर्ड बैठक में पूर्व में हिमाचल प्रदेश अनुमोदित समझौता ज्ञापन में नही थे। हिमाचल प्रदेश सरकार की स्वर्ण जयंती ऊर्जा नीति में बाद के संशोधनों की प्रयोज्यता के खंड को छोड़कर इन अतिरिक्त खंडों पर विधिवत विचार-विमर्श किया गया और 242वीं बैठक में बोर्ड द्वारा सहमति व्यक्त की गई। अध्यक्ष बीबीएमबी ने आगे बताया कि विगत 03 वर्षों में बोर्ड की विभिन्न बैठकों में लिए गए निर्णयों के आधार पर, बीबीएमबी ने पहले ही बग्गी विद्युत गृह के निष्पादन के लिए कई कदम उठाए है और इस स्तर पर सुलझाए गए मुद्दों को फिर से खोलना विवेकपूर्ण नहीं होगा।

सदस्य (पंजाब) ने हालांकि कहा कि नि:शुल्क बिजली के प्रावधान का आने वाले समय में भागीदार राज्यों पर वित्तीय प्रभाव पड़ेगा और एक बार पुन: बग्गी विद्युत गृह के लिए नि:शुल्क बिजली और एलएडीएफ शुल्क के प्रावधान को माफ करने हेतु हिमाचल प्रदेश सरकार से अनुरोध करना व्यावहारिक होगा।

विचार-विमर्श के उपरांत यह निर्णय लिया गया कि पिछली बोर्ड बैठकों में लिए गए निर्णयों के अनुसार बीबीएमबी परियोजना के निष्पादन को जारी रखेगा। हालांकि, बग्गी विद्युत गृह के लिए नि:शुल्क बिजली और एलएडीएफ शुल्क की छूट के मामले को पुन: हिमाचल प्रदेश सरकार के साथ उठाया जाएगा।

मद संख्या 242.03

मैसर्ज एसजेवीएनएल को एक स्तिरत टैरिफ पर 25 वर्षों के लिए बिल्ड ओन ऑपरेट (बीओओ) के आधार पर टैरिफ आधारित प्रतिस्पर्धी बोली के माध्यम से निकाले गये कुल 18 मेगावाट के ग्रिड से जुड़े ग्राउंड माउंटेड सौर ऊर्जा संयंत्र बीबीएमबी के चार अलग-अलग स्थानों पर स्थापित करने के आदेश देने संबंधी।

सदस्य (पंजाब) ने कहा कि पारेषण लाइन की लागत और भूमि किराए को छोड़कर 2.63 रूपये प्रति यूनिट का स्तरित टैरिफ पीएसपीसीएल द्वारा अप्रैल, 2022 में 2.33 रूपये प्रति यूनिट के हिसाब से हस्ताक्षरित पीपीए की तुलना में अधिक है।

इस संबंध में अध्यक्ष, बीबीएमबी ने स्पष्ट किया कि किसी भी सौर ऊर्जा परियोजना का टैरिफ संयंत्र की स्थापित क्षमता पर निर्भर है और बीबीएमबी की वर्तमान परियाजना में 10 मेगावाट + 4 मेगावाट + 2 मेगावाट + 2 मेगावाट = 18 मेगावाट क्षमता के चार अलग-अलग सौर ऊर्जा संयंत्र शामिल हैं, जिसे तलवाड़ा और नंगल में चार अलग-अलग स्थानों पर स्थापित किया जाना है। इसके अतिरिक्त, ऊर्जा संयंत्रों का स्थान हिमाचल प्रदेश की तलहटी में हैं, जहां सौर रेडिएशन दक्षिण-पश्चिमी पंजाब और राजस्थान की तुलना में कम है। इन कारणों के बावजूद परियोजना के लिए निकाले गए टैरिफ देश में कही पर भी समान क्षमता के स्थापित की जा रही अन्य परियोजनाओं के साथ काफी तुलनीय है।

सदस्य (पंजाब) ने जानना चाहा कि क्या इसी प्रकार की परियाजनाओं हेतु अब आवंटित की जाने वाली दरों में वृद्धि हुई है या कमी आई है। इस संबंध में अध्यक्ष, बीबीएमबी ने सूचित किया कि उपलब्ध जानकारी के अनुसार सौर पैनल की लागत में वृद्धि हुई है।

विचार-विमर्श के उपरांत, बोर्ड ने 242वीं बैठक में लिए गए निर्णय के अनुसार परियोजना को चालू करने का निर्णय लिया।

111) मद संख्या 242.04

टैरिफ आधारित प्रतिस्पर्धी बोली के माध्यम से निकाले गए लेविलाइज्ड टैरिफ पर 25 वर्षों के लिए बिल्ड ऑन ऑपरेट (बीओओ) आधार पर मैसर्ज एसजेवीएनएल को नंगल बॉध जलाशय पर नेहला गांव के नजदीक जिला-बिलासपुर, हिमाचल प्रदेश में 15 मेगगावाट का ग्रिड कनेक्टेड सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने का कार्य आदेश देने संबंधी।

सदस्य (पंजाब) ने कहा कि प्रस्तावित फ्लोटिंग एसपीपी से 3.26 रूपये प्रति यूनिट की दर अधिक है। इस संबंध में अध्यक्ष, बीबीएमबी ने सूचित किया कि वर्तमान में समान आकार के फ्लोटिंग एसपीपी निकाले गए टैरिफ से अधिक टैरिफ पर दिए जा रहे हैं। उन्होंने आगे कहा कि बीबीएमबी में भाखड़ा और पौंग बांधों के जलाशयों में फ्लोटिंग एसपीपी स्थापित करने की बहुत बड़ी क्षमता है और वर्तमान परियोजना को एक पायलट परियोजना के रूप में स्थापित किया जा रहा है तथा इस परियोजना के माध्यम से प्राप्त अनुभव बीबीएमबी को विशाल सौर ऊर्जा का दोहन करने में सक्षम बनाएगा।

विचार-विमर्श के उपरांत, बोर्ड ने 242वीं बैठक में लिए गए निर्णय के अनुसार परियोजना को चालू करने का निर्णय लिया

IV) मद संख्या 242.06

'बीबीएमबी कर्मचारियों को बीबीएमबी परियोजनाओं के कुशल अनुरक्षण तथा संचालन हेतु उनके उत्कृष्ट योगदान की मान्यता में प्रदर्शन आधारित प्रोत्साहन का अनुदान।'

सदस्य (पंजाब) ने कहा कि प्रदर्शन आधारित वार्षिक प्रोत्साहन देने के लिए बीबीएमबी की मौजूदा प्रथा को हतोत्साहित किया जाना चाहिए क्योंकि इसका कोई औचित्य नहीं है। इस संबंध में वित्तीय सलाहकार एवं मुख्य लेखा अधिकारी,बीबीएमबी ने स्पष्ट किया कि बोर्ड द्वारा 233वीं बैठक में अनुमोदित नीति के अनुसार प्रदर्शन आधारित प्रोत्साहन दिया जा रहा है। नीति को प्रत्येक 05 वर्ष के उपरांत संशोधित किया जाना है और अगले संशोधन के दौरान पंजाब की चिंता को ध्यान में रखा जाएगा।

<u>V) मद संख्या 242.07</u>

'सेवानिवृति के उपरांत बीबीएमबी में कार्यरत कर्मचारियों के संविदा नियोजन हेतु नीति में परिलब्धियों के पुनरीक्षण के संबंध में'। सदस्य (पंजाब) ने कहा कि बीबीएमबी को अपनी जन शक्ति की समीक्षा करनी चाहिए और अपनी श्रेणियों का पुनर्गठन करना चाहिए ताकि बीबीएमबी को भागीदार राज्यों द्वारा आवश्यक जन शक्ति प्रदान की जा सके। इस संबंध में अध्यक्ष, बीबीएमबी ने सूचित किया कि बीबीएमबी पहले से ही जन शक्ति की व्यापक समीक्षा और पुनर्गठन हेत् एक सलाहकार नियुक्त करने की प्रक्रिया में है।

VI) मद संख्या 242.08

'बीबीएमबी में संविदा के आधार पर कार्यरत कर्मचारियों की परिलब्धियों में बढौतरी के संबंध में। '

सदस्य (पंजाब) ने बीबीएमबी में अनुबंध के आधार पर कार्य करने वाले कार्मिकों की परिलब्धियों को संशोधित करने में सिम्मिलित कुल वित्तीय निहितार्थ जानना चाहा। इस संबंध में विशेष सचिव, बीबीएमबी ने कहा कि वर्तमान में बीबीएमबी में 268 कार्मिक अनुबंध के आधार पर कार्य कर रहे हैं और उनकी परिलब्धियों को संशोधित करने में सिम्मिलित अतिरिक्त वित्तीय भार लगभग 2.66 करोड़ रूपये प्रति वर्ष निकाला गया है। अध्यक्ष, बीबीएमबी ने आगे कहा कि इन कर्मचारियों ने बीबीएमबी परियोजनाओं के संचालन एवं अनुरक्षण में पर्याप्त अनुभव प्राप्त किया है और उनकी सेवाएं बीबीएमबी के लिए अत्यधिक मूल्यवान है। उन्होंने बोर्ड से बीबीएमबी की 242वीं बैठक में लिए निर्णय को लागू करने की अनुमित देने का अनुरोध किया।

विचार-विमर्श के उपरांत बोर्ड ने इस मामले पर 242वीं बैठक में लिए गए निर्णय को लागु करने का निर्णय लिया।

उपरोक्त संशोधनों के साथ बोर्ड ने पत्र संख्या 1506-23/बी-9/242/1-एम/प्रशा. दिनांक 12-08-2022 द्वारा परिचालित 242वीं बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि की।

2.2.2 बोर्ड की दिनांक 09.12.2022 को आयोजित 243वीं बैठक । मद संख्या 243.02

बीबीएमबी के भाखड़ा और पौंग बॉध जलाशयों के आस-पास पंप भंडारण संयंत्र का निष्पादन।

विशेष सचिव, बीबीएमबी ने एजेंडा पेश करते हुए बोर्ड के सदस्यों को पीक पावर डिमांड को पूरा करने के लिए पंप भंडारण संयंत्रों के महत्व और भागीदार राज्यों की दिन-प्रतिदिन बढ़ती अक्षय ऊर्जा बाध्यता (आरपीओ) की आवश्यकता के बारे में अवगत

कराया। बोर्ड के सदस्यों को ग्लासगों में सीओपी-26 शिखर सम्मेलन में सन् 2030 तक गैर-जीवाश्य ईंधन आधारित स्त्रोतों से 500 जीडब्ल्यू बिजली उत्पादन के संबंध में भारत द्वारा की गई प्रतिबद्धता के बारे में भी सूचित किया गया था, जो 2030 तक देश में भारत में खपत कुल ऊर्जा का लगभग 50% होगा। उन्होंने आगे सूचित किया कि विद्युत मंत्रालय भारत सरकार ने पत्र दिनांक 06-04-2022 के द्वारा पंजाब, हिरयाणा तथा राजस्थान सहित पीएसपी की खोज सहित बीबीएमबी को 1800 मेगावाट की अनुमानित स्थापित क्षमता के साथ माजरा (हिमाचल प्रदेश) में पंप भंडारण संयंत्र की पहचान की गई साइट आवंटित की है। उन्होंने आगे सूचित किया कि बीबीएमबी ने पंप भंडारण परियोजनाओं की स्थापना हेतु मौजूदा भाखड़ा नंगल परियोजना और पौंग शाह नहर परियोजना के प्रारंभिक व्यवहार्यता अध्ययन/सर्वेक्षण करने के लिए मैसर्ज वैपकोस, गुरूग्राम को नियुक्त किया है। पूर्व-व्यवहार्यता अध्ययन करने और विभिन्न कारकों का विश्लेषण करने के उपरांत जैसे तकनीकी वाणिज्यिक व्यवहार्यता वाटर कंडक्टर प्रणाली की लम्बाई इत्यादि सबसे आशाजनक स्थान गांव रायपुर, जिला उना, हिमाचल प्रदेश में पाया गया। साइट की अनुमानित क्षमता 1500 मेगावाट है।

चर्चा की शुरूआत करते हुए सदस्य (हिरयाणा) ने परियोजना की लागत और परियोजना द्वारा उत्पादित ऊर्जा की प्रित यूनिट लागत जानने की इच्छा जताई। इस संबंध में अध्यक्ष, बीबीएमबी ने सूचित किया कि मैसर्ज वैपकोस द्वारा परियोजना की अनुमानित लागत लगभग 7000 करोड़ रूपये है तथा परियोजना से उत्पन्न ऊर्जा की लागत 6 रूपये प्रित यूनिट की सीमा तक निकाली गई। सदस्य (हिरयाणा) ने कहा कि अन्य जल विद्युत स्त्रोतों की तुलना में ऊर्जा की लागत अधिक है। अध्यक्ष, बीबीएमबी ने स्पष्ट किया कि एक ऊर्जा भंडारण होने के कारण पंप भंडारण संयंत्रों का टैरिफ सामान्य परियोजनाओं से अधिक है, लेकिन इसके लाभ और अर्थशास्त्र दुनिया भर में अच्छी तरह से स्थापित है। ऐसे संयंत्र भारत, जापान और अन्य विकसित देशों सहित पूरे विश्व में लाभ के साथ कार्य कर रहे हैं।

अध्यक्ष, बीबीएमबी ने आगे उल्लेख किया कि प्रस्तावित परियोजना की लागत सांकेतिक है, क्योंकि भारत सरकार द्वारा पंप भंडारण परियोजनाओं के विकास को प्रोत्साहित करने हेतु देश में विभिन्न योजनाएं विचाराधीन रखी गई हैं तथा बीबीएमबी इन परियोजनाओं के अंतर्गत भारत सरकार से कुछ प्रोत्साहन/सब्सिडी प्राप्त कर सकता है। उन्होंने उल्लेख किया कि किसी भी जल विद्युत परियोजना के कार्यान्वयन में प्रारंभिक गतिविधियों में अधिक समय लगता है। वर्तमान प्रस्ताव केवल परियोजना की सैद्धांतिक स्वीकृति प्राप्त करने के लिए है। विस्तृत अध्ययन और जांच के उपरांत, पूरी लागत के विवरण सहित परियोजना की विश्वसनीय डीपीआर बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत की जाएगी।

सदस्य (हिमाचल प्रदेश) के प्रतिनिधि ने बीबीएमबी से परियोजना के कुछ और विवरण साझा करने का अनुरोध किया ताकि हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा भी निष्पादित की जा रही पंप भंडारण परियोजनाओं पर अपने अनुभव सांझा कर सके। तथापि उन्होंने दोहराया कि सौर और पवन ऊर्जा परियोजनाओं की परिवर्तनशीलता को संतुलित करने के लिए पंप भंडारण परियोजनाएं भविष्य की तकनीक है।

सदस्य (हरियाणा) ने बताया कि उन्होंने अभी तक सरकार से स्वीकृति नहीं मांगी है तथा हरियाणा में सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन हेतु मामले को रखने के लिए और अधिक विवरण के लिए अनुरोध किया।

सदस्य (पंजाब) ने प्रस्तावित पीएसपी के लिए नि:शुल्क बिजली घटक के बारे में पूछताछ की, इस पर अध्यक्ष, बीबीएमबी ने बताया कि वर्तमान नीति के अनुसार, नि:शुल्क बिजली पीएसपी पर लागू नहीं होती। संयुक्त सचिव (हाइड्रो) ने भी इस पर स्पष्टीकरण दिया और बताया कि विद्युत मंत्रालय पीएसपी को और प्रोत्साहन देने की नीति पर कार्य कर रहा है।

विस्तृत विचार-विमर्श के उपरांत यह निर्णय लिया गया कि बीबीएमबी अस्थाई लागत विवरण के साथ एक अवधारणा नोट तैयार करेगा और संबंधित बोर्ड के सदस्यों को भेजेगा। बोर्ड के सदस्य शीघ्र अति शीघ परियोजना हेतु अपने सैद्धांतिक अनुमोदन से अवगत कराएंगे।

तथापि, बीबीएमबी प्रारंभिक, गतिविधियों जैसे पूर्व-परीक्षण, पुनर्मूल्यांकन, साइट जांच, तकनीकी आर्थिक मूल्यांकन विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) इत्यादि जारी रखेगा क्योंकि ये गतिविधियां समय लेने वाली है और परियोजना में अधिक स्पष्टता और परिशोधन लाती है।

मद संख्या 243.03

बीबीएमबी जलाशयों का उच्च स्तर एवं कमी।

सचिव, बीबीएमबी ने एजेंडा की व्याख्या करते हुए कहा कि विगत लगभग 02 महीनों से भाखड़ा और पौंग जलाशयों में जल स्तर इस अविध के दौरान पिछले 40 वर्षों के औसत स्तर की तुलना में बहुत अधिक था। पिछले दो महीनों से भाखड़ा जलाशय का जल स्तर 1670 फीट के आस-पास बना हुआ था। बाँध की बाँडी पर लगातार दबाव के कारण बाँध का विक्षेपण अधिकतम गणना मूल्य 1.03 इंच से अधिक हो गया तथा 1.086 इंच तक चला गया। हालांकि दिसम्बर के माह में मांग में वृद्धि के साथ, हरिके में आवश्यकता को पूरा करने के लिए भाखड़ा बाँध से कुछ पानी

छोड़ा गया, जिसके उपरांत भाखड़ा जलाशय में पानी का स्तर 1656 फीट और विक्षेपण भी घटकर 1.06 इंच हो गया।

सदस्य (पंजाब) ने कहा कि इस मुद्दे पर पंजाब की प्रमुख चिंताएं है। उन्होंने कहा कि जिस भूमि से सतलुज नदी गुजरती है, वह अधिकतर निजी व्यक्तियों के स्वामित्व में है, जो गैर-मानसून के मौसम में इस भूमि पर खेती करते हैं तथा लगभग 5000 क्यूसेक से अधिक पानी छोड़ने से उनकी फसल नष्ट हो जाती है, जिससे जन आक्रोश पनपता है। उन्होंने आगे सूचित किया कि राज्य में कच्चा माल जैसे बालू इत्यादि के निर्माण की आवश्यकता को गैर-मानसून माह के दौरान सतलुज नदी में खनन के माध्यम से पूरा किया जा रहा है और जब बीबीएमबी द्वारा सतलुज नदी में पानी छोड़ा जाता है, तो सभी खनन गतिविधियां रूक जाती है, जिससे राज्य की अर्थव्यवस्था प्रभावित होती है। उन्होंने बीबीएमबी से गैर-मानसून महीनों के दौरान सतलुज नदी में पानी छोड़ते समय इन पहलुओं पर विचार करने का अनुरोध किया।

अध्यक्ष, बीबीएमबी ने कहा कि बीबीएमबी के लिए उसके बांधो की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने उल्लेख किया कि जलाशयों में कमी की अविध के दौरान पर्याप्त स्थान बनाने की आवश्यकता है तािक आगामी मानसून के मौसम में पंजाब के निचले इलाकों में बाढ़ से बचा जा सके। उन्होंने सूचित किया कि अक्तूबर और नवंम्बर 2022 के दौरान भागीदार राज्यों ने टीसीएस में उनकी मांग के अनुसार पानी की पूरी मात्रा का उपयोग नहीं किया, जिसके कारण बांधों का जल स्तर उच्च स्तर से ऊपर रहता रहा है।

उन्होनें सदस्य (पंजाब) से सतलुज नदी के माध्यम से पानी के सुरक्षित मार्ग को सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक व्यवस्था करने का अनुरोध किया। सदस्य (पंजाब) ने बीबीएमबी की चिंताओं की सराहना करते हुए आश्वासन दिया कि पंजाब बीबीएमबी को पूर्ण सहयोग प्रदान करेगा। उन्होंने सुझाव दिया कि इस समस्या पर और विचार किया जाना चाहिए और बीबीएमबी और पंजाब के अधिकारियों के बीच उचित समन्वय के माध्यम से इसका समाधान किया जाना चाहिए। उन्होंने सुझाव दिया कि बीबीएमबी भाखड़ा बाँध को खाली करने की अविध को 21 मई से बढ़ाकर 21 जून करने पर विचार कर सकता है, जिससे बीबीएमबी को जलाशय खाली करने के लिए और समय मिल जाएगा। इस संबंध में, बीबीएमबी के अध्यक्ष ने कहा कि भाखड़ा बाँध का जलग्रहण क्षेत्र भी बर्फ से भरा हुआ है और अप्रैल से बर्फ पिघलना शुरू हो जाती है और अक्सर मई के अंतिम सप्ताह से जलाशय भरने का काम शुरू हो जाता है।

सदस्य (हरियाणा) ने कहा कि भाखड़ा बॉध का विक्षेपण 1670 फीट के स्तर पर भी अधिकतम गणना मूल्य को पार कर गया है जबकि बॉध को पूर्ण जलाशय स्तर 1680 फीट है, जोकि राज्य के लिए चिंता का कारण है। उन्होंने सुझाव दिया कि बीबीएमबी को बाँध में भंडारण के नुकसान से बचने के लिए किसी विशेषज्ञ एजेंसी से बाँध के पुनर्मूल्यांकन के अनुमेय विक्षेपण का मूल्य प्राप्त करना चाहिए। उन्होंने आगे सुझाव दिया कि बीबीएमबी को भाखड़ा बाँध जलाशय से गाद निकालने की संभावना का भी पता लगाना चाहिए ताकि गाद के कारण नष्ट हुई भण्डारण क्षमता को बहाल किया जा सके।

विस्तृत विचार-विमर्श के बाद, बोर्ड ने भाखड़ा बॉध के विक्षेपण के मुददे के संबंध में अध्ययन को किसी विशेषज्ञ एजेंसी को सौंपने का निर्णय लिया।

मद संख्या 243.04

बीबीएमबी अधिकारियों को लैपटॉप उपलब्ध कराने के संबंध में नीति। विशेष सचिव, बीबीएमबी ने एजेंडा नोट के बारे में बताया।

विचार-विमर्श के बाद, बोर्ड के सदस्यों ने सर्वसम्मति से एजेंडा नोट में निहित प्रस्ताव पर सहमति व्यक्त की।

<u>मद संख्या 243.05</u>

बीबीएमबी अस्पतालों में विशेषज्ञ डाक्टरों के पैनल के संबंध में।

सचिव, बीबीएमबी ने कार्यवृत्त की व्याख्या करते हुए बताया कि बीबीएमबी अस्पतालों में विशेषज्ञ डॉक्टरों के विभिन्न पद हैं अर्थात ऑर्थी विशेषज्ञ, नेत्र विशेषज्ञ, चिकित्सा विशेषज्ञ, पैथोलॉजिस्ट आदि जैसे पद रिक्त पड़े हैं और बीबीएमबी अस्पतालों में इस तरह की विशेषज्ञता के लिए पंजाब सरकार द्वारा दी जा रही दरों पर ओपीडी सेवा शुरू करना जनहित में होगा। उन्होंने आगे बताया कि एनएचएम पंजाब ने 4 क्षेत्रों अर्थात एनेस्थेटिस्ट, रेडियोलॉजिस्ट, स्त्री रोग विशेषज्ञ और बाल विशेषज्ञ डॉक्टरों के पैनल के लिए तौर-तरीके पेश किए हैं। उन्होंने बोर्ड से यह भी अनुरोध किया कि वह बीबीएमबी अस्पतालों में रिक्त पदों के विरूद्ध पंजाब सरकार की नीति के अन्तर्गत उल्लेखित दरों पर बीबीएमबी अस्पतालों में आवश्यकता अनुसार ओपीडी और आईपीडी सेवांए प्रदान करने के लिए अन्य क्षेत्रों में विशेषज्ञों को पैनलबद्ध करने के लिए अध्यक्ष, बीबीएमबी को अधिकृत करें।

विचार-विमर्श के बाद, बोर्ड ने कार्यवृत्त में निहित प्रस्ताव को मंजूरी दे दी और बीबीएमबी अस्पतालों में रिक्त पदों के विरूद्ध पंजाब सरकार की नीति में उल्लेखित दरों पर बीबीएमबी अस्पतालों में आवश्यकतानुसार ओपीडी और आईपीडी सेवाएं प्रदान करने के लिए अन्य क्षेत्रों में विशेषज्ञों का पैनलबद्ध करने के लिए अध्यक्ष, बीबीएमबी को भी अधिकृत किया।

<u>मद संख्या 243.06</u>

राजकीय बीएसएल सीनियर सेकेंडरी स्कूल, पंडोह को तीन वर्ष के लिए डीएवी कॉलेज प्रबंधन समिति, नई दिल्ली को सौंपने की सैद्धान्तिक मंजूरी।

सचिव, बीबीएमबी ने कार्यवृत्त पेश करते हुए बताया कि सरकारी बीएसएल सीनियर संकेंडरी स्कूल, पंडोह (कक्षा नर्सरी से कक्षा बारहवीं) की स्थापना 1970 के दौरान बीएलएल परियोजना के निर्माण के समय की गई थी और क्षेत्र के अन्तर्गत सीबीएसई, नई दिल्ली संबंद्ध एकमात्र स्कूल है। वर्तमान में स्कूल में छात्रों की कुल संख्या मात्र 43 है। बीबीएमबी पंडोह स्कूल में तैनात स्टाफ के वेतन पर रूपये 1.00 करोड़ वार्षिक की लागत से खर्च कर रहा है।

बीबीएमबी अपनी अन्य परियोजनाओं अर्थात नंगल एवं तलवाड़ा में उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों का संचालन कर रहा है, जिनका प्रबंधन 1984 से डीएवी कॉलेज प्रबंधन समिति द्वारा किया जा रहा है। इन स्कूलों के परिणाम बहुत अच्छे हैं और ये स्कूल बीबीएमबी परियोजना क्षेत्रों के विकास में एक सम्पत्ति साबित हुए हैं। बीबीएमबी के अनुरोध पर, डीएवी कॉलेज प्रबंधन समिति ने बीबीएमबी स्कूल पंडोह में भी कामकाज संभालने का आशय पत्र सौंपा है। तलवाड़ा और नंगल में बीबीएमबी डीएवी स्कूलों की प्रदर्शन को ध्यान में रखते हुए, बीबीएमबी स्कूल, पंडोह को 03 वर्ष की अविध के लिए चलाने हेतु डीएवी कॉलेज प्रबंधन समिति, नई दिल्ली को नियुक्त करने का प्रस्ताव है। 03 वर्ष की अविध के पश्चात, स्कूल के प्रदर्शन की समीक्षा की जाएगी और बोर्ड के अनुमोदन के पश्चात आगे विस्तार किया जाएगा।

विस्तृत विचार-विमर्श के पश्चात, बोर्ड सैद्धांतिक रूप से सरकारी बीएसएल सीनियर सेकेंडरी स्कूल, पंडोह के संचालन और प्रबंधन को आउटसोर्स करने के लिए सहमत हो गया। हांलािक, यह निर्णय लिया गया था कि नामांकन के आधार पर स्कूल को संभालने की बजाए, बीबीएमबी प्रतिस्पर्धा आधार पर स्कूल को आउटसोर्स करने के लिए प्रतिष्ठित शैक्षिक संस्थानों/सोसाइटियों से एक्सप्रेशन ऑफ इंट्रेस्ट (ईओआई) आमंत्रित करेगा।

मद संख्या 243.08

भाखड़ा मेन लाइन कैनाल (बीएमएल) पर मिनी हाइडल परियोजना की स्थापना के लिए बीबीएमबी को प्राधिकृत करने का प्रस्ताव।

एजेंडा की जानकारी देते हुए सचिव, बीबीएमबी ने कहा कि मुद्दे पर 242वीं बोर्ड मीटिंग में भी चर्चा की गई थी, लेकिन इस मुद्दे पर कोई सहमति नहीं बन सकी। उन्होंने आगे सूचित किया कि पंजाब क्षेत्र के अन्तर्गत भाखड़ा मेन लाइन कैनाल पर 27 नं. संम्भावित स्थल है और हरियाणा क्षेत्र में 01 स्थल है, जहां माइक्रो/मिनी हाइडल परियोजनाओं की स्थापना की जा सकती है। इन सभी स्थलों की कुल अनुमानित क्षमता 63.5 मेगावाट है। इस मुद्दे पर पहले भी बोर्ड की 163वी,177वीं, 180वी और 199वीं बैठकों में चर्चा हो चुकी है। दिनांक 20-09-2019 को चण्डीगढ़ में आयोजित 29वीं उत्तरी क्षेत्रीय परिषद की बैठक के दौरान, भाखड़ा मेन लाइन कैनाल (बीएमएल) पर मिनी हाइडल परियोजनाओं की स्थापना के मृद्दे पर चर्चा की गई। पन बिजली परियोजनाओं के निमार्ण के पश्चात नंगल हाइडल चैनल की सिल्टिंग संबंधी चिंताओं पर हरियाणा दवारा प्रस्ताव का विरोध किया गया था। अध्यक्ष, एनजेसी के निर्देशों पर तीनों राज्यों हरियाणा, राजस्थान और दिल्ली की चिंताओं का अध्ययन करने के लिए सचिव, एमएनआरई की अध्यक्षता में एक तकनीकी समिति का गठन किया गया था। समिति द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के अनुसार नहर में गाद जमाव की (और इसलिए नहर क्षमता में कमी) कोई संभावना नहीं है। इसलिए भाखड़ा मेन लाइन कैनाल (बीएमएल) के अन्तर्गत मिनी हाइडल परियोजनाओं की स्थापना से संबंधित कोई तकनीकी मृद्दा नहीं है।

अध्यक्ष, बीबीएमबी ने बताया कि उत्तरी क्षेत्रीय परिषद की पिछली बैठक में यह निर्णय लिया गया था कि इन परियोजनाओं के निष्पादन के मामले पर बीबीएमबी बोर्ड बैठक में चर्चा करनी चाहिए और भागीदार राज्यों के बीच सहमित बनाई जाए। उन्होंने सदस्यों से इस मुद्दे पर विचार-विमर्श करने और निर्णय लेने का अनुरोध किया ताकि बीबीएमबी के सभी भागीदार राज्यों के समग्र हित में दशकों से बर्बाद हो रही कीमती पन बिजली का दोहन किया जा सके।

सदस्य (पंजाब) ने सूचित किया कि उन्हें बीबीएमबी द्वारा इन परियोजनाओं को निष्पादित करने पर कोई आपित नहीं है, बशर्त पंजाब के क्षेत्र में स्थिति परियोजनाओं से उत्पन्न सारी बिजली आपूर्ति पंजाब को की जाए। सदस्य (हरियाणा) ने हालांकि इन परियोजनाओं को क्रियान्वित करने पर आपित व्यक्त की और कहा कि भाखड़ा मेन लाइन (बीएमएल) हरियाणा राज्य की जीवन रखा है और वे उसकी सुरक्षा से संबंधित कोई जोखिम नहीं उठा सकते और ऊर्जा संयंत्रों के निर्माण हेतु बीबीएमबी को कई स्थानों पर नहर पंचर करने की अनुमित देते है। इस संबंध में अध्यक्ष, बीबीएमबी ने स्पष्ट किया कि चल रही नहरों में पंचर करने के लिए सिद्ध प्रौद्योगिकियां उपलब्ध हैं और बीबीएमबी इन परियोजनाओं के निष्पादन के दौरान नहर की पूर्ण सुरक्षा सुनिश्चित करेगा। इस संबंध में सदस्य (हरियाणा) ने कहा कि यदि बीबीएमबी नहर की सुरक्षा सुनिश्चित कर सकता है तो बीबीएमबी के गंगूवाल और कोटला विद्युत घरों के

लिए लागू बिजली का अपना हिस्सा हरियाणा को दिए जाने की स्थिति में हरियाणा प्रस्ताव पर सहमत हो सकता है। सदस्य (हिमाचल प्रदेश) के प्रतिनिधि ने कहा कि हिमाचल प्रदेश राज्य की बिजली शेयर सुनिश्चित की जानी चाहिए। सदस्य (राजस्थान) के प्रतिनिधि ने कहा कि वे पहले से ही नंगल हाइडल चैनल द्वारा राजस्थान को किए जाने वाली पानी की आपूर्ति में उतार-चढ़ाव का सामना कर रहे है और बीबीएमबी से यह सुनिश्चित करने का अनुरोध कया कि इन मिनी माइक्रो परियोजनाओं के निर्माण के बाद पानी में उतार-चढ़ाव न बढ़े। उन्होंने आगे अनुरोध किया कि यदि इन परियोजनाओं को निष्पादन बीबीएमबी द्वारा किया जाता है तो राजस्थान के बिजली हिस्से को स्रक्षित किया जाए।

बीबीएमबी भागीदार राज्यों को बिजली के हिस्से/बंटवारे पर सदस्य (पंजाब) और चैनल की सुरक्षा पर सदस्य (हिरयाणा) और सदस्य (राजस्थान) के कड़े विरोध के मद्देनजर और बीएमएल के माध्यम से उन्हें पानी की अबाधित डिलीवरी बीएमएल पर मिनी हाइडल परियोजनाओं को स्थापित करने हेतु बीबीएमबी को अधिकृत करने पर सहमित नहीं दी जा सकी। इस प्रकार बोर्ड ने इस मुद्दे को इसके समाधान के लिए उतरी क्षेत्रीय परिषद को वापिस भेजने का निर्णय लिया।

<u>मद संख्या 243.09</u>

हरियाणा के माध्यम से सीपी-5 तथा सीपी-4 पर राजस्थान को सतलुज के पानी की कम और अनियमित आपूर्ति के संबंध में।

सचिव, बीबीएमबी ने एजेंडा की जानकारी देते हुए कहा कि राजस्थान और हिरयाणा को उसका शेयर मिलता है जैसा कि हिरयाणा सम्पर्क बिंदुओं अर्थात आरडी-160 नरवाना शाखा और आरडी-390 बीएमएल (पंजाब क्षेत्र) की तकनीकी समिति बैठक में तय किया गया था। इसके अलावा, सिद्धमुख नोहर प्रणाली को भाखड़ा मेन लाइन के माध्यम से पानी मिलता है, जो फतेहाबाद शाखा, बारूवली डिस्ट्रीब्यूटरी और नोहर फीडर का राजस्थान को सीपी-4 के अन्तर्गत नोहर प्रणाली, सीपी-5 पर अमर सिंह उपशाखा एवं सिद्धमुख प्रणाली हेत् पानी मिलता है।

सदस्य (राजस्थान) के प्रतिनिधि ने कहा कि हरियाणा के माध्यम से प्राप्त होने वाली जलापूर्ति उचित नहीं है और ज्यादातर अनियमित है, जिसके कारण उनका पूरा नियमन बाधित हो जाता है। सदस्य (हरियाणा) ने कहा कि इस मुद्दे को हरियाणा और राजस्थान द्वारा द्विपक्षीय रूप से हल किया जा सकता है। उन्होंने यह भी कहा कि कभी-कभी हरियाणा को पंजाब से भी कम आपूर्ति मिलती है और एक सौहार्दपूर्ण समाधान खोजने के लिए हरियाणा और राजस्थान के मुख्य अभियन्ताओं की एक बैठक

आयोजित की जाएगी। उन्होंने मुख्य अभियन्ता/बीडब्ल्यूएस, हरियाणा को भी मामले की जांच करने के निर्देश दिए। मुख्य अभियन्ता/बीडब्ल्यूएस, हरियाणा ने कहा कि फतेहाबाद शाखा, बरूवाली वितरिका एवं नोहर फीड़र की प्रणाली लगभग 35 वर्ष पुरानी है और अधिकृत निर्वहन के लिए इसकी रिमॉडलिंग की आवश्यकता है। इस प्रणाली की मरम्मत/पूर्ननिर्माण के लिए आवश्यक धन राशि राजस्थान से प्रतीक्षित है।

विचार-विमर्श के पश्चात यह निर्णय किया था कि इस मुद्दे को हरियाणा और राजस्थान के बीच द्विपक्षीय रूप से सुलझाया जाएगा। हरियाणा द्वारा अल्पावधि और दीर्घकालिक उपाय करके राजस्थान को पानी की आपेक्षित आपूर्ति सुनिश्चित की जाएगी।

<u>मद संख्या 243.10</u>

बीबीएमबी के भाखड़ा बायां किनारा विद्युत गृह की पांच हाइड्रो उत्पादन यूनिटों के आरएमएंडयू की प्रतिपूर्ति पर रूपये 62.43 लाख (आरआरवीपीएनएल से प्राप्त) के विलम्ब शुल्क को माफ करने के मामले पर विचार-विमर्श करने के लिए।

विशेष सचिव, बीबीएमबी ने एजेंडे की जानकारी देते हुए कहा कि बीबीएमबी के आरएमएंडयू कार्यों, पूंजीगत व्यय और ओ.एंड एम. व्यय का वित्त पोषण भागीदार राज्यों द्वारा सहमत अनुपात में किया जाता है। समय पर भुगतान सुनिश्चित करने के लिए बोर्ड ने दिनांक 04-10-2010 को आयोजित अपनी 205वीं बैठक में निर्णय लिया था कि आर.एम.एंड यू. के खाते में भुगतान बिना किसी प्रोत्साहन के मांग जारी करने के 07 दिनों के भीतर भागीदार राज्यों की विद्युत उपयोगिताओं द्वारा किया जाएगा। हालांकि देरी के मामले में 0.25% प्रति सप्ताह की दर से जुर्माना लगाया जाएगा। निर्णय के अनुसरण में आरआरवीपीएनएल को छोड़कर सभी भागीदार राज्यों ने समय पर भुगतान किया। बोर्ड के निर्णय के अनुसार आरआरवीपीएनएल से भुगतान प्राप्त करने में देरी के कारण बीबीएमबी द्वारा रूपये 62.43 लाख का जुर्माना लगाया गया था।

आरआरवीपीएनएल का इस जुर्माने को माफ करने का अनुरोध बोर्ड की 237वीं बैठक में रखा गया था, जिसके बाद बोर्ड द्वारा यह निर्णय लिया गया था कि आरआरवीपीएनएल इस मुद्दे पर तथ्यों और आंकड़ों के साथ बीबीएमबी से सम्पर्क करेगा और उनके बीच चर्चा के आधार पर मामले को फिर से अगली बोर्ड बैठक में रखा जाएगा। तदनुसार बीबीएमबी और आरआरवीपएनएल के बीच दिनांक 22-06-2022 और

23-06-2022 को बैठक हुई। बैठक के दौरान यह स्पष्ट हो गया कि आरआरवीपीएनएल की ओर से विलम्ब हुआ है । इस संबंध में लेखा परीक्षा प्रेक्षणों के बारे में आरआरवीपीएनएल अधिकारियों को भी अवगत कराया गया था।

मुख्य लेखा नियंत्रक, आरआरवीपीएनएल ने कहा कि 07-05-2019 को आर.एम.एण्ड यू. प्रभारों के लिए बिल प्राप्त करने के बाद बीबीएमबी से कुछ डेटा का अनुरोध किया गया था, जो देर से प्राप्त हुआ, जिसके कारण भुगतान करने में देरी हुई। उन्होंने बोर्ड से बीबीएमबी द्वारा लगाए गए जुर्माने को माफ करने पर विचार करने का अन्रोध किया।

अध्यक्ष, बीबीएमबी ने कहा कि बीबीएमबी और आरवीपीएनएल के बीच बैठक के दौरान, भुगतान करने में देरी आरवीपीएनएल की ओर से स्थापित की गई थी और जुर्माने की छूट एक गलत मिसाल कायम करेगी। सदस्य (पंजाब) ने यह भी राय दी कि राजस्थान पर लगाए गए जुर्माने के शुल्क को माफ नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि यह एक गलत मिसाल कायम करेगा। सदस्य (हिमाचल प्रदेश) के प्रतिनिधि ने भी सदस्य (पंजाब) के विचारों का समर्थन किया कि वित्तीय अनुशासन बनाए रखने के लिए जुर्माने को माफ नहीं किया जाना चाहिए। सदस्य (हिरयाणा) ने यह भी कहा कि सभी भागीदार राज्यों को बीबीएमबी के हित में बोर्ड द्वारा लिए गए निर्णय का सम्मान करना चाहिए।

मुख्य लेखा नियंत्रक, आरवीपीएनएल ने आगे अनुरोध किया कि भुगतान करने के लिए अनुमत 7 दिनों की अनुग्रह अविध के दौरान जुर्माना नहीं लगाया जाना चाहिए। विचार-विमर्श के बाद यह निर्णय लिया गया कि भुगतान करने के लिए अनुमत 07 दिनों की अनुग्रह अविध के दौरान कोई जुर्माना नहीं लगाया जाएगा। इसके अतिरिक्त यह भी निर्णय लिया गया कि अनुग्रह अविध को छोड़कर बीबीएमबी द्वारा जुर्माने की राशि की फिर से गणना की जाएगी, जिसका आरवीपीएनएल द्वारा तुरंत निपटान किया जाएगा।

<u>मद संख्या 243.13</u>

पौंग बॉध विस्थापितों के पुनर्वास और पुन:स्थापन (आरएंडआर) मुद्दे।

विशेष सचिव, बीबीएमबी ने एजेंडा पेश करते हुए बोर्ड के सदस्यों को अवगत कराया कि पौंग बाँध ब्यास नदी पर बनाया था और 1974 में चालू किया गया था। बाँध का जलाशय जिला कांगडा (हिमाचल प्रदेश) में स्थित है। जलाशय में पानी के भंडारण के कारण अपस्ट्रीम पौंग डैम की 75268 एकड़ भूमि 339 गांवों में फैली हुई थी, इस जलाशय के कारण 20722 परिवार विस्थापित हो गए थे। उपायुक्त (आरएंडआर) राजा का तालाब, जिला कांगडा, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान नहर परियोजना क्षेत्र में आयुक्त (उपनिवेशन) बीकानेर, राजस्थान के समन्वय से राजस्थान द्वारा

उपलब्ध कराई गई भूमि के अनुसार पौंग बॉध विस्थापितों के आरएंडआर के लिए जिम्मेदार है।

राजस्थान सरकार ने दिनांक 12 मार्च 1992 की अधिसूचना द्वारा राजस्थान औपनिवेशीकरण (इंदिरा गांधी नहर कॉलौनी में पौंग बॉध विस्थापितों को सरकारी भूमि का आवंटन) नियम,1972 में संशोधन किया, जिसमें कुछ नए खंड जोड़े गए जो विस्थापितों के हितों के विपरीत थे। इसलिए पौंग बॉध विस्थापितों ने भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय में एक याचिका दायर की। भारत की माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने पौंग बॉध विस्थापितों के पुनर्वास और पुनर्वास के मामले के संबंध में 26-07-1996 को 1992 की याचिका (सिविल) सी डब्ल्यू संख्या 439 में निर्णय घोषित किया।

माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों के उचित अनुपालन में, भारत सरकार, विद्युत मंत्रालय ने अपने पत्र संख्या 2/7/96/हाइडल-।। दिनांक 06-09-1996 द्वारा सचिव, जल संसाधन मंत्रालय, भारत सरकार की अध्यक्षता में सर्वोच्च न्यायालय के दिनांक 26-07-1996 के आदेशों की अनुपालना सुनिश्चित करने के लिए एक समिति का गठन किया। समिति पौंग बाँध विस्थापितों के पुनर्वास एवं पुनर्वास मामलों के संबंध में नियमित बैठकें करती रही है। अब तक समिति ने 28 बैठकें बुलाई हैं। 27वीं बैठक दिनांक 07-07-2022 को और नवीनतम 28वीं बैठक उच्च स्तरीय समिति की दिनांक 19.10.2022 को सचिव आर.डी.एंड जी.आर.विभाग, नई दिल्ली के कार्यालय में आयोजित की गई थी।

सचिव (विद्युत) द्वारा दिनांक 21-06-2021 को नई दिल्ली में 01-02-2021 को आयोजित 26वीं बैठक में लिए गए निर्णय के अनुसार बोर्ड की बैठक में पींग बॉध विस्थापितों के आरएंडआर मुद्दे को एक स्थायी एजेंडा के रूप में शामिल करने का निर्देश दिया गया था। बीबीएमबी की 238वीं बोर्ड बैठक के बाद से बीबीएमबी बोर्ड की बैठकों में पौंग बॉध विस्थापितों के पुनः स्थापन और पुनर्वास (आरएंडआर) के संबंध में एक स्थायी एजेंडा नियमित रूप से रखा जा रहा है।

पौंग बॉध विस्थापितों के आरएंडआर मुद्दों के संबंध में मामले को बीबीएमबी लगातार डीसी (आरएंडआर) राजा का तालाब, तहसील फतेहपुर, जिला कांगड़ा (हिमाचल प्रदेश) और आयुक्त, उपनिवेशन, बीकानेर, (राजस्थान) के साथ उठा रहा है।

डीसी (आरएंडआर) जिला कांगडा, हिमाचल प्रदेश और आयुक्त, उपनिवेशन, बीकानेर के साथ नियमित रूप से उठाए जा रहे मृद्दे निम्नान्सार है:-

- पौंग बॉध विस्थापितों को पात्रता प्रमाण पत्र जारी करने एवं कृषि योग्य भूमि
 के आवंटन के संबंध में उनके कार्यालयों में लिम्बत मामलों का शीघ्र निपटान
 करना।
- हिमाचल प्रदेश द्वारा उर्दू में रिकार्ड का शीघ्र पूर्ण अनुवाद करना।

- नवीनतम एमआइएस डेटा (आकंडों का मिलान) के लिए।
- विस्थापितों की सूची तैयार करना, जिन्हें भूमि आवंटित की गयी है (गूगल शीट के माध्यम से आकंडों का आनलॉइन अद्ययतीकरण)
- जिन विस्थापितों को कृषि योग्य भूमि आवंटित की गई है, उनकी सूची राजस्थान सरकार की वेबसाइट पर अपलोड करना।
- डीसी आरएंडआर, राजा का तालाब, जिला-कांगडा (हिमाचल प्रदेश) के साथ आंकडों का मिलान करना और एमआईएस डेटा के सामान्य आंकड़ों तक पहुंचना।

यहां यह उल्लेख करना उचित है कि डब्ल्यूआर, आरडी और जीआर, नई दिल्ली और बीबीएमबी विभाग की प्रथाओं और निरन्तर अनुसरण के कारण, हिमाचल प्रदेश और राजस्थान राज्य 19-10-2022 को आयोजित पिछली 28वीं एचपीसी बैठक में निम्नलिखित बिन्दुओं की सहमति पर पहंचे।

- 1) आंकड़ों के पूर्ण मिलान तक डब्ल्यू आर, आरडी और जीआर, नई दिल्ली विभाग के तहत नई दिल्ली में राज्यों के बीच नियमित सुलह शिविर आयोजित किया जाएगा। अंतिम शिविर दिनांक 21-11-2022 से 26-11-2022 को आयोजित किया गया था। दोनों राज्यों द्वारा लगभग 12000 केसों/मामलों का समाधान किया जा चुका है। अगला शिविर जनवरी के अंतिम सप्ताह या फरवरी, 2023 के पहले सप्ताह में निर्धारित किया गया है।
- 2) पौंग बॉध विस्थापितों को पात्रता प्रमाण पत्र जारी करने की अंतिम तिथि दिनांक 19-04-2023 निर्धारित की गई है। हिमाचल प्रदेश सरकार अंतिम तिथि के पश्चात पात्रता प्रमाण पत्र जारी नहीं करेगी।

2.2.2 बोर्ड की दिनांक 24.03.2023 को आयोजित 244वीं बैठक

<u>मद संख्या 244.02</u>

वर्ष 2023-24 के लिए बजट अनुमान और वर्ष 2022-23 के लिए संशोधित बजट अनुमान।

वित्तीय सलाहकार एवं मुख्य लेखा अधिकारी ने कार्यसूची की व्याख्या करते हुए कहा कि पंजाब पुनर्गठन अधिनियम की धारा 79 के उप खंड-5 के अनुसार भागीदार राज्यों/राज्य विद्युत इकाईयों को बीबीएमबी को अपने कार्यों के निर्वहन में होने वाले खर्चे हेतु निधि उपलब्ध करवाना होता है। आगे बीबीएमबी नियम 1974 के नियम 11 (1) और (2) के अनुसार बीबीएमबी को आगामी वित्तीय वर्ष के लिए बजट अनुमान तैयार करना होता है, जिसे बोर्ड द्वारा अनुमोदित किया जाता है। उन्होंने आगे बताया

कि वर्ष 2022-23 के लिए मूल बजट अनुदान 1489.34 करोड़ रूपये था, जिसे वर्ष 2022-23 के संशोधित बजट अनुमान के अनुसार संशोधित कर 1412.27 करोड़ रूपये किया गया। वर्ष 2023-24 के लिए बजट अनुमान 1622.71 करोड़ रूपये है, जो पिछले वर्ष के मूल बजट अनुमान से 133.37 करोड़ रूपये अधिक है। उन्होंने विभिन्न परियोजनाओं के लिए बजट प्रावधानों के साथ-साथ प्रत्येक भागीदार राज्य/राज्य विद्युत इकाईयों पर कुल वित्तीय प्रभाव के बारे मे भी बताया। बैठक में बजट पर विचार किया तथा पूर्ण बोर्ड द्वारा अनुमोदन के लिए इसकी सिफारिश की।

चर्चा की शुरूआत करते हुए सदस्य (पंजाब) ने शेयरिंग अनुपात के बारे में पूछताछ की। वित्तीय सलाहकार एवं मुख्य लेखा अधिकारी, बीबीएमबी ने शेयरिंग अनुपात को विस्तार पूर्वक बताया। इसके अतिक्ति, सदस्य (पंजाब) और सदस्य (हिरयाणा) ने आरईबी 2022-23 के मुकाबले बीई 2023-24 में वृद्धि के बारे में पूछा।

वित्तीय सलाहकार एवं मुख्य लेखा अधिकारी, बीबीएमबी ने बताया कि कुछ नई परियोजनाओं की शुरूआत के कारण, आरईबी 2022-23 के मुकाबले बीई 2023-24 में लगभग 15 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। सदस्य (पंजाब) ने स्थापना व्यय में वृद्धि के बारे में पूछताछ की। वित्तीय सलाहकार एवं मुख्य लेखा अधिकारी, बीबीएमबी ने बताया कि स्थापना व्यय में केवल 6.4 प्रतिशत की वृद्धि हुई है, जोकि पंजाब सरकार की अधिसूचना के अनुसार है, जिसके अनुसार स्थापना व्यय में 7 प्रतिशत की वृद्धि उचित है। सदस्य (पंजाब) ने भागीदार राज्य कर्मचारियों की पैंशन पर होने वाले खर्च की भी जानकारी मांगी। वित्तीय सलाहकार एवं मुख्य लेखा अधिकारी, बीबीएमबी ने स्पष्ट किया कि भागीदार राज्यों/विद्युत इकाईयों के कर्मचारियों की पैंशन का भुगतान बीबीएमबी द्वारा नहीं किया जा रहा है। बीबीएमबी केवल बीबीएमबी के कर्मचारियों को ही पैंशन दे रहा है। सदस्य (हरियाणा) ने बीबीएमबी द्वारा उठाई जा रही मांग के बारे में पूछा। वित्तीय सलाहकार एवं मुख्य लेखा अधिकारी, बीबीएमबी ने स्पष्ट किया कि बीबीएमबी एक महीने के अग्रिम नकदी प्रवाह को बनाए रखने के लिए बाध्य है और व्यय के अनुसार बीबीएमबी भागीदार राज्यों के लिए मांगे उठाता है।

विस्तृत विचार-विमर्श के उपरांत बोर्ड ने कार्यसूची में वर्ष 2022-23 प्रस्तावित संशोधित बजट अनुमान (1412.27 करोड़ रूपये) और वर्ष 2023-24 के लिए अनुमानित बजट (1622.71 करोड़ रूपये) पारित किए।

मद संख्या 244.03

बीबीएमबी के भाखड़ा और पौंग बॉध जलाशयों के आसपास के क्षेत्रों में पंप भंडारण संयंत्रों का निष्पादन।

अध्यक्ष, बीबीएमबी ने मामले की जानकारी देते हुए सूचित किया कि बीबीएमबी ने लगभग 13100 मेगावाट की संचयी क्षमता के साथ कुल 08 संभावित पीएसपी स्थलों, प्रत्येक भाखड़ा और पौंग बॉध जलाशयों की परिधि पर 4 प्रत्येक की स्व-

पहचान की है। जल संचालन प्रणाली की लंबाई पर उपलब्ध जानकारी, आर एण्ड आर मामलों, बुनियादी ढांचे को सक्षम करना, स्थलाकृति इत्यादि को ध्यान में रखते हुए इन स्थलों को इनके आकर्षण के आधार पर रैंक किया गया है। शुरूआत में कम से कम 02 सबसे लाभप्रद स्थलों (भाखड़ा और पौंग में एक-एक) की डी.पी.आर. तैयार करने का प्रस्ताव है। इन दोनों स्थलों के संबंध में पूर्व व्यवहार्यता रिपोर्ट पहले ही तैयार की जा चुकी है। आगे बढ़ने के लिए इन स्थलों के संबंध में विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने की आवश्यकता है, जिसके लिए हिमाचल प्रदेश सरकार से कुछ वैधानिक मंजूरी अपेक्षित है। उन्होंने आगे सूचित किया कि हिमाचल प्रदेश सरकार के साथ-साथ विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार को इन 08 स्थलों को बीबीएमबी को आगामी खोज हेतु स्वचिन्हित पीएसपी स्थलों के रूप में आंबटित करने के लिए एक औपचारिक अनुरोध पहले ही भैजा जा चुका है।

अध्यक्ष, बीबीएमबी ने सदस्यों से अनुरोध किया कि वे रायपुर जिला ऊना, हिमाचल प्रदेश में भाखड़ा की परिधि में 1300 मेगावाट पंप भंडारण संयंत्र तथा पौंग बॉध की परिधि में 2800 मेगावाट पंप भंडारण संयंत्र गांव गरियाल, जिला कांगड़ा हिमाचल प्रदेश में निष्पादन हेतु डीपीआर तैयार करने और अन्य वैधानिक मंजूरी से संबंधित कार्य करने के लिए सैद्धांतिक अनुमोदन प्रदान करें ताकि राज्य सरकार के साथ आगामी तौर-तरीके, वैधानिक निकाय, नियामक मंजूरी, हिमाचल प्रदेश सरकार के साथ पूर्व कार्यान्वयन समझौते पर हस्ताक्षर इत्यादि प्राथमिकता के आधार पर किए जा सकें। उन्होंने आगे बताया कि आवश्यक मंजूरी प्राप्त करने और विस्तृत परियोजना रिपोर्ट के पूरा होने के उपरान्त सभी तकनीकी और वाणिज्यिक विवरणों के साथ एक पूर्ण प्रस्ताव अपेक्षित अनुमोदन हेतु बोर्ड के समक्ष रखा जाएगा।

चर्चा की शुरूआत करते हुए सदस्य (राजस्थान) ने सुझाव दिया कि समय की हानि से बचने और संसाधनों का इष्टतम उपयोग करने के लिए बीबीएमबी को सभी 08 स्थलों का विस्तृत अध्ययन करना चाहिए। उन्होंने आगे बताया कि बीबीएमीबी द्वारा रायपुर डोबार पीएसपी (1500 मेगावाट) स्थल के लिए संकेतिक टैरिफ अधिक प्रतीत होता है और सुझाव दिया कि विस्तृत अध्ययन और साइट जांच के दौरान परियोजना मापदंडों को अनुकूलित किया जाना चाहिए और टैरिफ को कम करने के यथा संभव प्रयास किए जाने चाहिए। उन्होंने यह भी सुझाव दिया कि बीबीएमबी को इन परियोजनाओं के वित्तपोषण हेतु वैकल्पिक मॉडलों का भी पता लगाना चाहिए क्योंकि इन परियोजनाओं के लिए अत्यधिक निवेश की आवश्यकता होती है।

सदस्य (पंजाब) ने भी सदस्य (राजस्थान) के विचारों के साथ सहमित व्यक्त की और प्रस्ताव पर पंजाब की सहमित व्यक्त की तथा डीपीआरएस की तैयारी के कार्य को शीघ्रता से करने का अनुरोध किया।

सदस्य (हरियाणा) ने भी प्रस्ताव पर सहमित व्यक्त की तथा बीबीएमबी द्वारा चिन्हित परियोजनाओं की डीपीआरएस शीघ्रता से तैयार करने का अनुरोध किया ताकि इन परियोजनओं पर आगे की कार्रवाई पर निर्णय लिया जा सके।

सदस्य (हिमाचल प्रदेश) के प्रतिनिधि ने भी पीएसपी के प्रस्ताव का समर्थन किया और उल्लेख किया कि भविष्य के ऊर्जा परिदृश्य को देखते हुए पीएसपी सबसे उपयुक्त विकल्प है।

संयुक्त सचिव (हाइड्रो) ने बताया कि पीएसपी पर भारत सरकार द्वारा बहुत जोर दिया जा रहा है और बीबीएमबी द्वारा वर्ष 2030 से पूर्व कम से कम कुछ परियोजनाओं को चालू करने हेतु हर संभव प्रयास किया जाना चाहिए।

विस्तृत विचार-विमर्श के उपरान्त बोर्ड ने निम्नानुसार निर्णय किए:-

- 1. बीबीएमबी को बीबीएमबी द्वारा निर्धारित भाखड़ा और पौंग बाँध जलाशयों की परिधि में सभी आठ पीएसपी साइटों के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) तैयार करने और केन्द्र/राज्य/वैधानिक निकायों जैसे सीईए/सीडब्ल्यूसी/जीएसआई/ सीएसएमआरएस इत्यादि से आवश्यक वैधानिक मंजूरी/सहमति प्राप्त करने जैसे कार्यों हेत् अधिकृत किया गया है।
- 2. प्रत्येक डीपीआर को पूरा होने के बाद, परियोजना के निष्पादन पर आगामी निर्णय हेतु पूर्ण तकनीकी और वाणिज्यिक ब्यौरे के साथ एक समग्र प्रस्ताव बोर्ड के समक्ष रखा जाएगा।
- 3. बीबीएमबी समवर्ती रूप से परियोजनओं के निष्पादन के वित्तपोषण हेतु वैकल्पिक मॉडलों का पता लगाएगा। बीबीएमबी द्वारा केन्द्र/राज्य या अंतर्राष्ट्रीय निकायों इत्यादि से इन पीएसपी परियोजनाओं हेतु प्रस्तावित किसी भी प्रकार के अनुदान, सब्सिडी, कार्बन क्रेडिट इत्यादि की संभावनाओं का पता लगाया जाएगा।

<u>मद संख्या 244.04</u>

मैसर्ज एस जे वी एन ग्रीन एनर्जी लिमिटिड को बीबीएमबी के चार अलग-अलग स्थानों पर ग्रिड से जुड़े ग्राउंड माउंटेड सौर ऊर्जा संयंत्रों को स्थापित करने के लिए आदेश जारी करने हेतु कुल 18 मेगावाट इंटर कनेक्शन बिन्दु का परिवर्तन।

अध्यक्ष, बीबीएमबी ने सूचित किया कि बोर्ड की 242वीं बैठक में मैंसर्ज एस.जे.वी.एन. ग्रीन एनर्जी लिमिटिड को पी.एस.ई.आर.सी द्वारा एलटीए और एसएलडीसी शुल्कों की छूट की शर्त पर, बीबीएमबी के चार अलग-अलग स्थानों पर ग्रिड से जुडे 18 मेगावाट की कुल क्षमता वाले ग्राउंड माउंटेड सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने की मंजूरी दी गई थी। तदनुसार, तलवाडा में स्थित 10 मेगावाट ग्रिड से जुडे ग्राउंड माउंटेड सौर ऊर्जा संयंत्र हेतु एलटीए और एसएलडीसी शुल्क माफी के लिए एक याचिका

दाखिल की गई थी, हांलांकि पीएसईआरसी ने अपने अंतिम आदेश दिनांक 10.1.2023 के जोरदार प्रयास के बावजूद बीबीएमबी के अनुरोध को खारिज कर दिया।

उन्होंने आगे कहा कि बीबीएमबी ने इन शुल्कों में छूट हेतु पीएसईआरसी में एक समीक्षा याचिका दायर की है, जो अभी लंबित है। इस बीच बीबीएमबी ने प्रस्तावित एसपीपी से बिजली निकालने हेतु वैकल्पिक संभावनाओं का भी पता लगाया है तथा पाया गया है कि प्रस्तावित पीएसपी साइट से बीबीएमबी के पौंग विद्युत घर तक एक समर्पित 66 के.वी. पारेषण लाइन का निर्माण किया जा सकता है। इस समर्पित पारेषण लाइन का कुल वित्तीय निहितार्थ लगभग 10.37 करोड़ रूपए होगा। स्तरित आधार पर इसकी लागत 13 पैसे प्रति यूनिट होगी, लेकिन इस प्रस्ताव से पीएसपीसीएल को भुगतान किए जाने वाले ओपन एक्सेस चार्ज (व्हीलिंग प्रभार) के कारण 3.42 करोड रूपए वार्षिक शुल्क की बचत होगी। यदि कनेक्टिविटी 66/11 के.वी उपकेन्द्र, तलवाड़ा (पीएसपीसीएल) से ली जाती है, तो इसकी कीमत 1.50 रूपये प्रति यूनिट होगी। इस प्रकार, यदि पीएसईआरसी एलटीए और एसएलडीसी शुल्कों की छूट के संबंध में बीबीएमबी से अनुरोध को स्वीकार नहीं करता है तो बीबीएमबी के लिए यह विवेकपूर्ण होगा कि वह पीएसपीसीएल से कनेक्टिविटी लेने की बजाय अपनी स्वयं की पारेषण लाइन का निर्माण करें।

विचार-विमर्श के उपरान्त, बोर्ड ने एजेंडे में निहित प्रस्ताव को मंजूरी दे दी कि यदि बीबीएमबी द्वारा एलटीए और एसएलडीसी शुल्कों की छूट के संबंध में दायर समीक्षा याचिका पीएसईआरसी द्वारा खारिज कर दी जाती है तो, बीबीएमबी प्रस्तावित एसपीपी से 66 के.वी पौंग विद्युत घर तक अपनी स्वयं की पारेषण लाइन के निमार्ण हेतु आगे बढ़ सकता है और 10.37 करोड़ रूपए की लागत वास्तविक अनुसार, जो भी कम हो 66/11 के.वी उपकेन्द्र, तलवाडा (पीएसपीसीएल) से 66 के.वी. पौंग विद्युत घर, बीबीएमबी में प्रस्तावित 10 मेगावाट सौर परियोजना के बिजली निकासी इंटरकनेक्शन बिन्द् बदल सकता है।

<u>मद संख्या 244.05</u>

संविदा के आधार पर सलाहकार की नियुक्ति।

सचिव, बीबीएमबी ने एजेन्डा में दिए गए विवरण अनुसार इंजी. सरबजीत सिंह इडवाल, प्रमुख अभियन्ता (सेवानिवृत) को संविदात्मक आधार पर बतौर सलाहकार की सेवाएं लेने की आवश्यकता के सम्बन्ध में बोर्ड सदस्यों को अवगत करवाया।

चर्चा शुरू करते हुए सदस्य (पंजाब) ने पूछताछ की कि क्या बीबीएमबी किसी विशिष्ट व्यक्ति को शामिल करना चाहता है या बाजार से उपयुक्त सलाहकार लेना चाहता है। इस सम्बन्ध में यह स्पष्ट किया गया कि प्रस्ताव इंजीनियर सरबजीत सिंह इडवाल की सेवाएं लेने का है, जो हाल ही में प्रमुख अभियन्ता, बीबीएमबी (पीएसपीसीएल केडर) के पद से सेवानिवृत हुए हैं और सदस्य (विद्युत) बीबीएमबी का वर्तमान प्रभार भी संभाल रहे थे। अधिकारी को बड़े जल संयंत्रों के निर्माण और

संचालन का व्यापक अनुभव है और उनकी सेवाएं बीबीएमबी के लिए बहुत उपयोगी होगी, विशेष रूप से बीबीएमबी में शुरू की जा रही नई परियोजनाओं को देखते हुए ।

उपरोक्त स्पष्टीकरण से, सदस्य (पंजाब) प्रस्ताव से सहमत थे।

सदस्य (राजस्थान) ने यह जानना चाहा कि क्या इस अधिकारी के विरूद्ध कोई शिकायत है । इस सम्बन्ध में यह स्पष्ट किया गया कि पूंजी अनुरक्षण करने वाली फर्म द्वारा भाखड़ा बायां किनारा पावर हाऊस के यूनिट संख्या 7 के पूंजी अनुरक्षण कार्य को पूरा होने में विलम्ब के कारण रूपये 100 करोड से अधिक की उत्पादन हानि के सम्बन्ध में एक सामान्य शिकायत थी । सदस्य (पंजाब) के अनुरोध पर, बोर्ड की 242वीं बैठक में इस मुद्दे पर एक टेबल एजेन्डा रखा गया । बोर्ड मीटिंग में विस्तृत चर्चा की गई और स्पष्टीकरण प्रस्तुत किए गए और रूपये 100 करोड से अधिक के नुकसान के आरोप निराधार पाए गए । हालांकि 243वीं बैठक के कार्यवृत की पृष्टि करते हुए यह निर्णय लिया गया कि स्वतंत्र जांच के लिए शिकायत को मुख्य सतर्कता अधिकारी, बीबीएमबी, चण्डीगढ़ को भेजा जाए और यदि रूपये 100 करोड़ से अधिक के नुकसान की शिकायत झूठी निकली तो लागू कानून/आचरण नियमों के अनुसार शिकायतकर्ताओं के विरूद्ध सख्त कार्रवाई श्रूरू की जाएगी ।

हिमाचल प्रदेश के प्रतिनिधि ने कहा कि वह इस प्रस्ताव का विरोध करते हैं। सदस्य (हिरयाणा) ने कहा कि बीबीएमबी उनकी सेवाएं लेने से पहले की जा रही जांच के पिरणाम की प्रतीक्षा कर सकता है। इस पर, यह कहा गया कि जांच को अंतिम रूप देने में समय लग सकता है और कुछ असंतुष्ट तथ्यों की बीबीएमबी के विरष्ठ अधिकारियों के विरूद्ध तुच्छ और झूठी शिकायतें करने की आदत है ताकि वे अपने महत्वपूर्ण क्षेत्र संचालन को बाधित करने और छिव को खराब करने के उद्देश्य से उनका मनोबल गिरा सके। उन्हें बीबीएमबी की छिव को खराब करने के लिए भी अच्छी तरह जाना जाता है।

अध्यक्ष, बीबीएमबी ने बोर्ड के सदस्यों को ऐसी शिकायतों को बिना किसी आंकलन के संज्ञान न लेने का अनुरोध किया । क्योंकि यह दिन प्रतिदिन की कार्य प्रणाली के साथ-साथ बीबीएमबी में भविष्य के विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए अनुत्पादक होगा । बीबीएमबी की अधिकांश योजनाएं 40 से 50 वर्ष पुरानी हैं और किसी भी अन्य विद्युत परियोजना की तरह इसमें तकनीकी समस्याएं आती हैं । जिन्हें कि बीबीएमबी इंजीनियरों की बहुत ही सक्षम और प्रेरित टीम द्वारा देखा जाता है, और जहां भी आवश्यकता हो, परियोजनाओं के सुचारू संचालन के हित में उनके द्वारा मौके पर निर्णय भी लिया जाता है । उन्होंने आगे उल्लेख किया है कि मौजूदा परियोजनाओं के ओ. एण्ड एम. के अलावा, बीबीएमबी भागीदार राज्यों की बढ़ती भविष्य की जरूरतों को पूरा करने के लिए नवीकरणीय के साथ ही साथ भंडारण परियोजनाओं दोनों में एक बहुत महत्वकांक्षी लक्ष्यों की भी शुरूआत कर रहा है ।

विस्तृत विचार-विमर्श के बाद, बोर्ड ने इंजी. सरबजीत सिंह डडवाल, प्रमुख अभियन्ता (सेवानिवृत) पीएसपीसीएल की सेवाओं को लेकर चल रही जांच के पूरा होने उपरान्त एजेन्डा में उल्लेखित निबंधन और शर्तों के अनुसार संविदा के आधार पर बतौर सलाहकार रखने के लिए अध्यक्ष, बीबीएमबी को अधिकृत करने का निर्णय लिया । बोर्ड ने यह भी इच्छा व्यक्त की सीवीओ, बीबीएमबी से शीघ्रता से जांच पूरी करने का अनुरोध किया जाए ।

<u>मद संख्या 244.07</u>

बीबीएमबी में 74 वर्ष की आयु तक बतौर पार्ट टाईम डॉक्टर के रूप में डॉक्टर नरोत्तम भारद्वाज की नियुक्ति के लिए एक बार के रूप में डॉक्टर नीति में छूट।

सचिव, बीबीएमबी ने सूचित किया कि डॉक्टर नरोत्तम भारद्वाज जो पिछले 35 वर्षों से बीबीएमबी में अंशकालिक आधार पर काम कर रहे हैं, की सेवाएं कोविड-19 के कठिन समय के दौरान उदाहरण रही है और डाक्टर हमेशा नियमित परामर्श के साथ साथ किसी भी आपातकालीन स्थिति के मामले में हमेशा उपलब्ध रहे है। चिकित्सक दिनांक 31.12.2022 को 72 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका है लेकिन बीबीएमबी में सेवाएं देने के लिए फिट है। इसलिए उनके अनुभव और बीबीएमबी को दी गई बहुमूल्य सेवाओं को देखते हुए डा. नरोत्तम भारद्वाज का कार्यकाल बढ़ाया जा सकता है।

विचार विमर्श के बाद, बोर्ड ने डॉक्टरों हेतू नीति के प्रावधान में छूट देते हुए डा. नरोत्तम भारद्वाज के कार्यकाल को एक-एक वर्ष के दो चरणों में दो और वर्षों के लिए निबंधन और शर्तों पर "एक बार के उपाय के रूप में" बढाने का निर्णय लिया।

मद संख्या 244.08

वर्ष 2023 के हिमाचल प्रदेश अध्यादेश संख्या 2- जल विद्युत उत्पादन अध्यादेश 2023 पर हिमाचल प्रदेश जल कर ।

सचिव, बीबीएमबी ने हिमाचल प्रदेश के अधिकार क्षेत्र में संचालित बीबीएमबी परियोजनाओं से उत्पादन की लागत पर अध्यादेश के संभावित प्रभाव और एजेण्डा की जानकारी दी । उन्होंने सूचित किया कि पिछले वर्ष के दौरान निर्वहन के अनुसार उपरोक्त अध्यादेश का वित्तीय प्रभाव 1200 करोड़ रूपये का होगा और बीबीएमबी परियोजनाओं के टैरिफ में प्रति यूनिट एक रूपये से अधिक की वृद्धि होने की संभावना है। चूकि, बीबीएमबी को भागीदार राज्यों द्वारा वित्त पोषित किया जाता है, इसलिए व्यय को स्टेट पावर यूटीलिटीज और राज्य सरकारों द्वारा वहन करना होगा।

चर्चा की शुरूआत करते हुए, सदस्य (पंजाब) ने सूचित किया कि पंजाब और हरियाणा की विधान सभाओं ने पहले ही इस प्रकार उपकर को लगाने के विरूद्ध

प्रस्ताव पारित कर दिया है, जिसकी एक प्रति भारत सरकार के साथ-साथ बीबीएमबी को भेजी जा रही है। उन्होंने आगे कहा कि अध्यादेश अंतर्राज्जीय नदी जल विवाद अधिनियम, 1956 के उल्लंघन में पारित किया गया है। उन्होंने बीबीएमबी से अनुरोध किया कि हिमाचल प्रदेश सरकार से बीबीएमबी परियोजनाओं को जल उपकर के दायरे से छूट देने और गैर सकारात्मक प्रतिक्रिया के मामले में हिमाचल प्रदेश सरकार के साथ मामला उठाए, इस अध्यादेश को अदालत में चुनौती देने के लिए कानूनी विकल्प तलाशें जा सकते हैं। उन्होंने बीबीएमबी से यह भी अनुरोध किया कि वह इस मामले को विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार के समक्ष उठाए ताकि हिमाचल प्रदेश सरकार पर दवाब बनाया जा सके और उन पर इस उपकर को वापिस लेने का दबाव डालें।

सदस्य (राजस्थान) ने भी सदस्य (पंजाब) के विचारों का समर्थन किया और कहा कि यह मामला अंतर्राज्जीय नदी जल विवाद अधिनियम 1956 के प्रावधानों के तहत पूरी तरह से कवर किया गया है और सुझाव दिया कि बीबीएमबी और भागीदार राज्यों दोनों को उपकर वापिस लेने के लिए इस मामले में हिमाचल प्रदेश सरकार के समक्ष उठाना चाहिए और अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार मामले में हस्तक्षेप करने के लिए भारत सरकार से औपचारिक अनुरोध करना चाहिए।

सदस्य (हरियाणा) ने भी सदस्य (पंजाब) के विचारों को दोहराया और सूचित किया कि हरियाणा की विधानसभा ने भी इस उपकर आरोपण के विरूद्ध एक प्रस्ताव पारित किया है और बीबीएमबी से इस मामले को भागीदार राज्यों की ओर से अदालत में ले जाने का अन्रोध किया है।

हिमाचल प्रदेश के प्रतिनिधि ने सूचित किया कि जल उपकर आरोपण हिमाचल प्रदेश सरकार की सुविचारित नीति है और बीबीएमबी का भागीदार राज्य होने के नाते, बीबीएमबी को अपने स्वयं के भागीदार राज्य के विरूद्ध कानूनी कार्रवाई नहीं करनी चाहिए । उन्होंने आगे कहा कि अगर अन्य भागीदार राज्य अध्यादेश के प्रावधानों से असंतुष्ट हैं तो उनके लिये कानूनी विकल्प लेने का विकल्प खुला है, लेकिन बीबीएमबी के माध्यम से नहीं ।

अध्यक्ष, बीबीएमबी और वित्तीय सलाहकार एवं मुख्य लेखा अधिकारी, बीबीएमबी ने उल्लेख किया कि हालांकि बीबीएमबी को भागीदार राज्यों की ओर से कानूनी कार्रवाई करने में कोई समस्या नहीं है, तथापि बीबीएमबी में संसाधन उपलब्धता जैसे कानूनी जनशक्ति, एडवोकेट पैनल आदि सीमित हैं और बीबीएमबी को इस मामले के लिये उच्च न्यायालय, हिमाचल प्रदेश का दरवाजा खटखटाना पड़ सकता है, जबिक शायद राज्य इस मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय में सीधे मामला दर्ज कर सकते हैं। इसके अलावा, यह मामला एक हाई प्रोफाइल होने के कारण प्रति वर्ष 1200 करोड़ से अधिक दांव पर है, यह विवेकपूर्ण होगा यदि राज्य इस तरह के जटिल अंतर्राज्यीय मुद्दों से निपटने में अपने विशाल अनुभव को देखते हुए अपने दम पर कानूनी कार्रवाई करे।

विस्तृत विचार-विमर्श के बाद यह निर्णय लिया गया था कि बीबीएमबी परियोजनाओं पर जल उपकर की छूट के लिये और हिमाचल प्रदेश सरकार से गैर-सकारात्मक प्रतिक्रिया के मामले में बीबीएमबी हिमाचल प्रदेश सरकार के साथ सीधे मामला उठाएगी। इस संबंध में बीबीएमबी द्वारा कानूनी विकल्पों का पता लगाया जा सकता है।

मद संख्या 244.09

पौंग बॉध विस्थापियों के पुनर्वास और पुन:स्थापन (आर एण्ड आर) मृद्दे ।

बोर्ड के सदस्यों ने पौंग बॉध विस्थापितों के पुनर्वास और पुन:स्थापन (आर एण्ड आर) के लिये किये जा रहे प्रयासों के संबंध में स्थिति को नोट किया ।

मद संख्या 244.15

बीबीएमबी श्रेणी-। एवं श्रेणी-।। अधिकारी (भर्ती एवं सेवा की शर्ते) विनियम 2015 में और उसकी अनुसूची-ए में संशोधन संबंधी।

सचिव, बीबीएमबी ने बोर्ड के सदस्यों को बीबीएमबी श्रेणी-। एवं श्रेणी-।। अधिकारी (भर्ती एवं सेवा की शर्तें) विनियम 2015 के विनियम-7 के मौजूदा प्रावधानों के कार्यान्वयन में बीबीएमबी दवारा सामना की जा रही व्यवहारिक समस्याओं से अवगत कराया और विद्युत मंत्रालय तथा इसकी अनुसूची-ए के अनुमोदन से कार्यसूची के भाग-ए में किये गये संशोधन की आवश्यकता को स्पष्ट किया। बोर्ड सदस्यों ने यह भी अवगत कराया कि जब तक विनियम-7 में प्रस्तावित संशोधन को मंत्रालय द्वारा अन्मोदित नहीं किया जाता है तब तक ऐ.ई. एवं सिस्टम एनालिस्ट के संबंध में जिन्होने समय सीमा के समाप्त हो जाने के पश्चात् अधिकारियों के लिये पदोन्नति निर्धारित डी.ए.ई. उतीर्ण कर लिया है को विनियम 7 (iii) के कार्यान्वयन में छूट देने की आवश्यकता है और ऐ.ई. एवं सिस्टम एनालिस्ट को एक और अवसर प्रदान करने की आवश्यकता है, जिन्होंने आज तक अधिकारियों की पदोन्नति के लिये डी.ए.ई उतीर्ण नहीं किया है तथा बोर्ड विनियम के खंड 21 के तहत अपनी निहित शक्तियों के अर्थात 'पावर टू रिलेक्स' के अनुसार इसे अनुमोदित कर सकता है जैसा कि एजेण्डा नोट के भाग-बी के तहत बताया गया है । सचिव, बीबीएमबी ने यह भी बताया कि पीएसपीसीएल की तर्ज पर मोटे तौर पर नियमों की अन्सूची में कुछ मामूली संशोधन भी किये जाने की आवश्यकता है जैसा कि एजेण्डा नोट के भाग-सी में प्रस्तावित है जिसके लिये बोर्ड नियमों 2 (ओ) बीबीएमबी श्रेणी-। एवं श्रेणी-।। अधिकारी (भर्ती एवं सेवा की शर्तें) विनियम 2015 के प्रावधानों के अन्सार सक्षम है।

उपरोक्त के मद्देनजर बोर्ड ने एजेण्डा नोट पर विचार किया और निम्नलिखित निर्णय लिये गए:- 1 बीबीएमबी श्रेणी-। एवं श्रेणी-।। अधिकारी (भर्ती एवं सेवा की शर्तें) विनियम 2015 के विनियम-7 में संशोधन के संबंध में मामले को विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार को इसके अनुमोदन के लिये तथा बाद में विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा इसके अनुमोदन के पश्चात् अनुसूची-ए में सशोधन करने के लिये आगे संदर्भित करने हेतु एजेण्डा नोट के भाग-ए में निहित प्रस्ताव को अनुमोदित किया गया।

इस बात पर भी सहमित हुई कि विद्युत मंत्रालय द्वारा प्रस्तावित संशोधन के अनुमोदन तक, बीबीएमबी ऐसे पात्र कर्मचारियों के संबंध में निम्नानुसार पदोन्नित करना जारी रखेगा।

- क) एस.डी.ओ., जे.ई. के पद पर पदोन्नति के लिये, जिन्होने इंजीनियरिंग अधीनस्थों के लिये डी.ए.ई. उतीर्ण किया है।
- ख) कार्यकारी अभियंता, ईडीपी प्रबंधक के पद के लिये जिन अधिकारियों ने अधिकारियों की पदोन्नति के लिये निर्धारित डी.ए.ई को विनियम-7 (i) में निर्धारित समय सीमा के भीतर या समय सीमा के बाद उतीर्ण किया है और एजेण्डा नोट के भाग-बी के अनुसार ऐसे अधिकारियों के संबंध में देरी के मामले में बोर्ड द्वारा छूट दी गई है।
- 2 विनियम-7 (iii) के कार्यान्वयन में इस आशय से छूट देने के लिये एजेण्डा नोट के भाग-बी में निहित प्रस्ताव को मंजूरी दी गई कि बीबीएमबी केडर में अब तक पदोन्नत ऐ.ई. और सिस्टम एनालिस्ट , जिन्होने विनियम-7(i) में निर्दिष्ट समय सीमा के बाद अधिकारियों के लिये निर्धारित डी.ए.ई पास किया है, को प्रत्यावर्तित नहीं किया जायेगा और अगली पदोन्नति बतौर कार्यकारी अभियंता या ईडीपी मैनेजर के लिये विचार किया जायेगा जैसा भी मामला हो तथा आगे बीबीएमबी केडर में अब तक पदोन्नत ऐई और सिस्टम एनालिस्ट, जिन्होने आज तक अधिकारियों के लिये निर्धारित डी.ए.ई पास नहीं किया है, इस संबंध में आदेश जारी होने क तिथि से विनियम-7 (i) में निर्दिष्ट समय सीमा के भीतर अधिकारियों की पदोन्नति के लिये निर्धारित डी.ए.ई उतीर्ण करने का एक और अवसर प्रदान किया जायेगा, ऐसा न करने पर उनके विरूद्ध विनियम-7 (iii) के अन्सार कार्रवाई की जायेगी।
- 3 एजेण्डा नोट के भाग-सी में निहित अनुसूची-ए में प्रस्तावित संशोधनों को मंजूरी दी गई।




अध्याय-3

Chapter-3

संगठनात्मक व्यवस्था Organizational Set Up

बीबीएमबी सचिवालय की संगठनात्मक व्यवस्था Organizational Set-Up of BBMB Secretariat




3.1 बीबीएमबी जनशक्ति

दिनांक 31.03.2023 को सम्पूर्ण बीबीएमबी के लिए कुल स्वीकृत पदों तथा कार्यरत कार्मिकों की संख्या निम्नानुसार है:-

स्थापना की श्रेणी	स्वीकृत पदों की संख्या	कार्यरत कार्मिक
समूह क व ख	2269	1210
समूह ग	5060	2130
समूह घ	4742	2377
योग	12071	5717

बीबीएमबी की जन शक्ति (कार्यपालक एवं अ-कार्यपालक)
BBMB's Manpower (Executives and Non-Executives)



3.2 बीबीएमबी सचिवालय

अध्यक्ष, भाखड़ा ब्यास प्रबन्ध बोर्ड, बोर्ड के मुख्य कार्यपालक हैं और दो पूर्णकालिक सदस्य, अर्थात सदस्य (सिंचाई) और सदस्य (विद्युत) उनकी सहायता करते हैं।

क. स्टाफ की संख्या

दिनांक 31.3.2023 को बीबीएमबी सचिवालय, चण्डीगढ़ तथा उप सचिव/समन्वय कार्यालय, नई दिल्ली सिहत केन्द्रीय कार्यालय में संस्वीकृत एवं नियुक्त स्टाफ की संख्या निम्नानुसार है:-

स्थापना की श्रेणी	स्वीकृत पदों की संख्या	कार्यरत कार्मिक
समूह-क	80	48
समूह-ख	80	53
समूह-ग	160	78
समूह-घ	96	42
योग	416	221


ख. दिनांक 31.3.2023 को बीबीएमबी सचिवालय के विभिन्न अनुभागों में कार्यरत अधिकारियों एवं कर्मचारियों का आवंटन:-

श्रेणी										बीब	वीएमबी		
	पंजाब	हरियाणा	राजस्थान	हिमाचल प्रदेश	केन्द्र सरकार	पंजाब पावर यूटिलिटीज़	हरियाणा पावर यूटिलिटीज़	राजस्थान पावर यूटिलिटीज़	एचपीएसईबीएल	नियमित	संविदा आधार पर तदर्थ	अन्य	कुल योग
अधिकारी (सभी समूह)	6	6	2	0	1	14	6	1	3	9	लागू न	ाहीं	48
कर्मचारी (सभी समह)		21	7	0	0	17	7	1	6	89	लागू न	 ाहीं	173
योग	31	27	9	0	1	31	13	2	9	98	0		221

3.3 सिंचाई खण्ड

सिंचाई खण्ड के तीन परियोजना स्थलों का नेतृत्व मुख्य अभियन्ता/भाखड़ा बाँध , नंगल, मुख्य अभियन्ता/ब्यास बाँध , तलवाड़ा और मुख्य अभियन्ता/ब्यास सतलुज लिंक, सुन्दरगनर करते हैं। जल विनियम मामलों के लिए निदेशक/जल विनियम, नंगल उत्तरदायी है।

बीबीएमबी (सिंचाई खण्ड) की संगठनात्मक व्यवस्था Organisational Set-Up of BBMB (Irrigation Wing)



क. स्टाफ की संख्या

दिनांक 31.3.2023 को नियमित स्थापना के स्वीकृत पदों तथा कार्यरत स्टाफ की संख्या निम्नलिखित है:-

स्थापना की श्रेणी	स्वीकृत पदों की संख्या	कार्यरत कार्मिक
समूह-क	268	140
समूह-ख	658	318
समूह-ग	2625	1278
समूह-घ	3326	1735
योग	6877	3471


ख.दिनांक 31.3.2023 को विभिन्न संगठनों से नियुक्त अधिकारियों/कर्मचारियों का आवंटन

श्रेणी										बीबीएमबी			
	पंजाब	हरियाणा	राजस्थान	हिमाचल प्रदेश	केन्द्र सरकार	पंजाब पावर यूटिलिटीज़	हरियाणा पावर यूटिलिटीज़	राजस्थान पावर यूटिलिटीज़	एचपीएसईबीएल	नियमित	संविदा आधार पर तदर्थ	अन्य	कुल योग
अधिकारी (सभी समूह)	51	52	9	11	0	3	0	1	14	17	लागू न	हीं	158
कर्मचारी अधिकारी (सभी (सभी समूह) समूह)	1168	89	12	12	0	16	9	3	39	1965	लागू नः	हीं	3313
योग	1219	141	21	23	0	19	9	4	53	1982	0		3471

3.4 विद्युत खण्ड

बीबीएमबी के विद्युत खण्ड के अंतर्गत तीन मुख्य अभियन्ता अर्थात: मुख्य अभियन्ता/पारेषण प्रणाली, चण्डीगढ़, मुख्य अभियन्ता/उत्पादन, नंगल और मुख्य अभियन्ता/प्रणाली परिचालन, चण्डीगढ़ क्रमश: पारेषण, उत्पादन तथा प्रणाली परिचालन खण्ड का नेतृत्व करते हैं।

बीबीएमबी (विद्धयुत खण्ड) की संगठनात्मक व्यवस्था Organisational set up of BBMB (Power Wing)



क. स्टाफ की संख्या

दिनांक 31.03.2023 को नियमित स्थापना के स्वीकृत पदों तथा कार्यरत स्टाफ की संख्या निम्नलिखित है:-

स्थापना की श्रेणी	स्वीकृत पदों की संख्या	कार्यरत कार्मिक
समूह-क	313	210
समूह-ख	689	331
समूह-ग	2111	715
समूह-घ	1227	563
योग	4340	1819

ख. <u>दिनांक 31.3.2023 को विभिन्न संगठनों से नियुक्त</u> अधिकारियों/कर्मचारियों का आवंटन


श्रेणी										बीब	ीएमबी	
	पंजाब	हरियाणा	राजस्थान	हिमाचल प्रदेश	केन्द्र सरकार	पंजाब पावर यूटिलिटीज़	हरियाणा पावर यूटिलिटीज़	राजस्थान पावर यूटिलिटीज़	एचपीएसईबीएल	नियमित	संविदा आधार पर तदर्थ	कुल योग
अधिकारी (सभी सम्ह	4	3	1	1	0	71	71	29	15	41	लागू नहीं	236
कर्मचारी (सभी समूह)		28	1	1	1	148	95	85	6	1079	लागू नहीं	1583
योग	143	31	2	2	1	219	166	114	21	1120	0	1819

3.5 वित्त, लेखे तथा लेखा परीक्षा

वितीय सलाहकार एवं मुख्य लेखा अधिकारी बोर्ड के "निजी खाता लेखा" के परिचालन के लिए तथा लेखों से सम्बन्धित आवश्यक अनुदेश जारी करने के लिए प्रधान अधिकारी हैं। वितीय सलाहकार एवं मुख्य लेखा अधिकारी का कार्य तिहरा है, अर्थात:

- क) सभी वितीय मामलों में बोर्ड का वितीय सलाहकार।
- ख) बोर्ड की आय तथा व्यय लेखे संकलित करने के लिए मुख्य लेखा अधिकारी तथा
- ग) बोर्ड के वित्तीय लेन-देन की आन्तरिक लेखा-परीक्षा तथा संवीक्षा के लिए मुख्य आन्तरिक लेखा-परीक्षक ।

वित्तीय सलाहकार एवं मुख्य लेखा अधिकारी, बीबीएमबी की संगठनात्मक व्यवस्था Organizational Set-Up of FA & CAO, BBMB



क. स्टाफ की संख्या

दिनांक 31.03.2023 को नियमित स्थापना के स्वीकृत पदों तथा नियुक्त कार्मिकों की संख्या निम्नलिखित तालिका में दी गई है:

स्थापना की श्रेणी	स्वीकृत पदों की संख्या	कार्यरत कार्मिक	
समूह-क	35	23	
समूह-ख	146	87	
समूह-ग	164	59	
समूह-घ	93	37	
योग	438	206	

ख. दिनांक 31.03.2023 को विभिन्न संगठनों से नियुक्त अधिकारियों/कर्मचारियों का आवंटन

श्रेणी								b	ज	र्ब	ोबीएमबी		
	पंजाब	हरियाणा	राजस्थान	हिमाचल प्रदेश	केन्द्र सरकार	पंजाब पावर यूटिलिटीज़	हरियाणा पावर यूटिनिटीज़	राजस्थान पावर यूटिलिटीज़	एचपीएसईबीएल	नियमित	संविदा	अन्य	कुल योग
अधिकारी (सभी समूह)	0	9	0	2	2	6	2	0	0	2	लागूः	नहीं	23
<u>कर्मचारी (सभी</u> समूह)	51	22	1	0	0	22	10	1	0	76	लागू	नहीं	183
योग	51	31	1	2	2	28	12	1	0	78	0		206



अध्याय-4

Chapter-4

वित्तीय कार्य-निष्पादन Financial Performance


आखडा ब्यास प्रबंध बोर्ड की वित्तीय समीक्षा

- पंजाब पुनर्गठन अधिनियम 1966 की धारा 79 (1) के अंतर्गत अधिनियम की धारा 79 में उल्लेखित कार्यों के प्रशासन, परिचालन और अनुरक्षण हेतु भाखड़ा ब्यास प्रबंध बोर्ड का गठन किया गया है। अधिनियम की धारा 79 की उप धारा 5 के अनुसार तत्कालीन पंजाब के उत्तराधिकारी राज्यों की सरकारों और राजस्थान राज्य के लिए हमेशा भाखड़ा ब्यास प्रबंध बोर्ड के अपने कार्यों के निर्वहन हेतु सभी अपेक्षित खर्चों को पूरा करने के लिए आवश्यक निधि जुटाना अपेक्षित है। बोर्ड वित्तीय सलाहकार एवं मुख्य लेखाधिकारी के परामर्श से भाखड़ा ब्यास प्रबंध बोर्ड नियमों के नियम 11 के अंतर्गत की गई व्यवस्था के अनुसार आगामी वित्तीय वर्ष के लिए बजट आंकलन के साथ-साथ चालू वर्ष के लिए संशोधित बजट आंकलन तैयार करता है।
- सिंचाई खण्ड के राजस्व खर्चे का वित्त पोषण भागीदार राज्यों, पंजाब, हिरयाणा और राजस्थान की सरकारों अर्थात बीबीएमबी द्वारा सहमत अनुपातों में उनके अपने निजी संसाधनों से किया जाता है। इसी प्रकार, विद्युत खण्ड का राजस्व खर्च, आंशिक रूप में सामान्य पूल उपभोक्ताओं से की गई प्राप्तियों से और शेष में भागीदार पावर यूटीलिटीज़ द्वारा सहमत अनुपात में उनके अपने संसाधनों से पूरा किया जाता है।
- भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश पर, विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली ने अपनी दिनांक 31.10.2011 की अधिसूचना सं.2/13/96-बीबीएमबी (वाल्यूम-VI) के द्वारा दिनांक 01.11.2011 से भाखडा-नंगल और ब्यास परियोजनाओं से विद्युत खण्ड के ऊर्जा के आवंटन के हिस्से में संशोधन किया है।
- विद्युत खण्ड की राजस्व प्राप्तियों के हिस्से को घटाने के बाद भागीदार राज्य सरकारों/भागीदार पावर यूटीलिटीज़ के वर्ष 2022-23 के बजट पर आधारित दायित्व निम्नानुसार निश्चित किए गए हैं:-

(लाख रू में)

पंजाब सरकार	16866.30	पीएसपीसीएल	26451.08
हरियाणा सरकार	10916.57	एचवीपीएनएल	22336.01
राजस्थान सरकार	14115.80	आरआरवीपीएनएल	15161.17
		एचपीएसईबी लिमिटेड	3927.66
		यूटी, चण्डीगढ़	1911.93

- भागीदार राज्य सरकारों और राज्य बिजली बोर्डों द्वारा दी गई अग्रिम राशि भारत सरकार के पब्लिक अकाउंट में खोले गए वित्तीय सलाहकार एवं मुख्य लेखाधिकारी के निजी खाता लेखे (पीएलए) में जमा कराई जाती है। जब भी खर्चा किया जाता है तो राज्य सरकारों/राज्य भागीदार पावर यूटीलिटीज़ का आनुपातिक हिस्सा, राज्य सरकारों/भागीदार पावर यूटीलिटीज़ के लेखों में ब्यौरा देने हेतु सम्बन्धित महालेखाकार/भागीदार पावर यूटीलिटीज़ को भेज दिया जाता है।
- भाखड़ा ब्यास प्रबंध बोर्ड का पीएलए जो समीक्षाधीन पूरे वर्ष के दौरान सकारात्मक रहा, वह 31 मार्च 2023 को 18099.43 लाख रूपये के जमा बकाया के साथ बंद ह्आ।
- 2. लेखांकन की पीडब्लयूडी प्रणाली का अनुकरण किया जा रहा है और वर्ष के दौरान लेखांकन नीति में कोई भी परिवर्तन नहीं किया गया है।
- 3. i) नोशनल परिचालन खर्च रू 88566.41 लाख (विद्युत खण्ड को प्रभार्य)
 - ii) उत्पादित यूनिटें (एक्स-बस) 10694.20 एमयू
- 4. ऊर्जा का प्रति यूनिट नोशनल 82.82 पैसे परिचालन खर्च (उत्पादन एवं पारेषण)
- 5. **ऊर्जा बिक्री से प्राप्त राजस्व : रू** 26683.28 लाख जमा की गई राशि:
 - i) पी.एस.पी.सी.एल = रू 11669.69 लाख
 - ii) एच.वी.पी.एन.एल. = रू 8487.70 लाख
 - iii) आर.आर.वी.पी.एन.एल = रू ४११३.१५ लाख
 - iv) एचपीएसईबी लिमिटेड = रू 1622.79 लाख
 - v) यूटी, चण्डीगढ़ = रू 789.95 लाख




6. भागीदार राज्य सरकारों को जारी जल बिक्री से राजस्व तथा अन्य विविध प्राप्तियां:रु 1706.27 लाख

 (i) पंजाब राज्य
 = रु 749.71 लाख

 (ii) हरियाणा राज्य
 = रु 499.80 लाख

 (iii) राजस्थान राज्य
 = रु 456.76 लाख



7. पूंजीगत व्यय

(लाख रु में)

	पंजाब	हरियाणा	राजस्थान	कुल
	सरकार	सरकार	सरकार	
भाखड़ा	-26.93	-17.95	-8.06	-52.94
ब्यास	0.41	0.27	0.95	1.63
(अवशिष्ट कार्य)				

8. पिछले 5 वर्षों के लिए बीबीएमबी (कार्य एवं स्थापना) का कुल व्यय इस प्रकार है:-

(रू. करोड़ में)

वित्तीय वर्ष	कार्य व्यय	स्थापना व्यय	कुल
2018-19	226.51	990.41	1216.92
2019-20	227.60	985.31	1212.91
2020-21	125.91	1016.42	1142.33
2021-22	113.71	995.56	1109.27
2022-23	121.45	1153.97	1275.42



4.1 <u>विद्युत खण्ड</u>

4.1.1 (क) लाभानुभोगी

भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश पर, विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली की दिनांक 31.10.2011 की अधिसूचना सं.2/13/96-बीबीएमबी (वाल्यूम-VI) के द्वारा नियत आवंटन के अनुसार दिनांक 01.11.2011 से निम्नलिखित लाभान्भोगी राज्य बीबीएमबी परियोजनाओं से विद्युत प्राप्त कर रहें हैं:-

- क) पंजाब
- ख) हरियाणा
- ग) राजस्थान
- घ) हिमाचल प्रदेश
- ड.) संघीय क्षेत्र, चंडीगढ़

सामान्य पूल उपभोक्ता

- क. राष्ट्रीय उर्वरक लिमिटेड, नया नंगल
- ख. पुराना हिमाचल प्रदेश
- ग. राजस्थान में उर्वरक कारखानेके लिए बिजली की आपूर्ति
- घ. संघीय क्षेत्र, चण्डीगढ़

- 1.02 लाख यूनिट/दिन
- 1.20 लाख यूनिट/दिन 5.00 लाख यूनिट/दिन
- 1.0 लाख यूनिट/दिन जमा 10 लाख यूनिट/दिन की विशेष सहायता

ड. नंगल, तलवाड़ा और ब्यास सतलुज लिंक कॉम्पलैक्स में सिंचाई शाखा को परियोजना आपूर्तियां

4.1.2 राजस्व प्राप्तियाँ और खर्चे

विद्युत खण्ड की राजस्व प्राप्तियां और खर्चें भागीदार राज्य पावर यूटिलिटीज़ के बीच निम्नानुसार बांटे गए है:-

क. भाखड़ा काम्प्लैक्स

राजस्व प्राप्तियां और खर्चे जिसमें आर.एम.एण्ड.यू. खर्चे भी शामिल हैं, भागीदार राज्य पावर यूटिलिटीज़ के बीच निम्नलिखित अनुपात में बांटे गए हैं:

क्रम.सं.	राज्य विद्युत यूटिलिटी	प्रतिशत
1.	आर.आर.वी.पी.एन.एल.	15.22%
2.	पी.एस.पी.सी.एल.	51.80%
		(आरआरवीपीएनएल का हिस्सा घटाने के बाद)
3.	एच.वी.पी.एन.एल	37.51%
		(आरआरवीपीएनएल का हिस्सा घटाने के बाद)
4.	एच.पी.एस.ई.बी.एल.	7.19%
		(आरआरवीपीएनएल का हिस्सा घटाने के बाद)
5.	विद्युत विभाग, यूटी.,	3.50%
	चण्डीगढ़।	(आरआरवीपीएनएल का हिस्सा घटाने के बाद)

ख) ब्यास परियोजना

(i) ब्यास परियोजना यूनिट-I (देहर विद्युत संयंत्र)

देहर विद्युत संयंत्र से कुल राजस्व प्राप्तियां/खर्चे विद्युत और सिंचाई खण्डों के बीच 94:6 के अनुपात में बांटे जाते हैं। विद्युत क्षेत्र की शुद्ध राजस्व प्राप्तियां/खर्चे भागीदार राज्य पावर यूटिलिटीज़ के बीच निम्नलिखित अनुपात में बांटे गए हैं:-

राज्य विद्युत यूटिलिटी	प्रतिशत
आर.आर.वी.पी.एन.एल.	20%
पी.एस.पी.सी.एल.	51.80%
	(आरआरवीपीएनएल का हिस्सा घटाने के बाद)
एच.वी.पी.एन.एल	37.51%
	(आरआरवीपीएनएल का हिस्सा घटाने के बाद)
एच.पी.एस.ई.बी.एल.	7.19%

	(आरआरवीपीएनएल का हिस्सा घटाने के बाद)
विद्युत विभाग, यूटी.,	3.50%
चण्डीगढ़।	(आरआरवीपीएनएल का हिस्सा घटाने के बाद)

(ii) ब्यास परियोजना यूनिट-II (पौंग बॉध)

पौंग विद्युत संयंत्र से कुल राजस्व प्राप्तियां/खर्चे को सिंचाई और विद्युत खण्डों में 76.5 और 23.5 अनुपात में बांटा जाता है। विद्युत क्षेत्र की शुद्ध राजस्व प्राप्तियां/खर्चें को भागीदार राज्य पावर यूटिलिटीज़ के बीच निम्नलिखित अनुपात में बांटा जाता है:-

राज्य विद्युत यूटिलिटी	प्रतिशत
आर.आर.वी.पी.एन.एल.	58.50%
पी.एस.पी.सी.एल.	51.80%
	(आरआरवीपीएनएल का हिस्सा घटाने के बाद)
एच.वी.पी.एन.एल	37.51%
	(आरआरवीपीएनएल का हिस्सा घटाने के बाद)
एच.पी.एस.ई.बी.एल.	7.19%
	(आरआरवीपीएनएल का हिस्सा घटाने के बाद)
विद्युत विभाग, यूटी.,	3.50%
चण्डीगढ़।	(आरआरवीपीएनएल का हिस्सा घटाने के बाद)

(iii) ब्यास पारेषण लाइनें

भागीदार पावर यूटीलिटीज के बीच हिस्से का पुन: आवंटन निम्नानुसार किया गया:-

राज्य विद्युत यूटिलिटी	प्रतिशत		
आर.आर.वी.पी.एन.एल.	23.80%		
पी.एस.पी.सी.एल.	28.72%		
	(आरआरवीपीएनएल का हिस्सा घटाने के बाद)		
एच.वी.पी.एन.एल	60.59%		
	(आरआरवीपीएनएल का हिस्सा घटाने के बाद)		
एच.पी.एस.ई.बी.एल.	7.19%		
	(आरआरवीपीएनएल का हिस्सा घटाने के बाद)		
विद्युत विभाग, यूटी,	3.50%		
चण्डीगढ़।	(आरआरवीपीएनएल का हिस्सा घटाने के बाद)		

4.1.3 राजस्व प्राप्तियां और खर्चे

विद्युत खण्ड के राजस्व खर्चे प्रधानतः सामान्य पूल उपभोक्ताओं की राजस्व प्राप्तियों से किए जाते हैं। सामान्य पूल उपभोक्ता की राजस्व प्राप्तियों से राजस्व खर्चों के बढ़ जाने की स्थिति में पंजाब पुनर्गठन अधिनियम-1966 के अन्तर्गत किए गए उपबन्धों के अनुसार भागीदार राज्य बिजली बोर्ड/पावर यूटीलिटिज़ द्वारा इन अतिरिक्त खर्चों को वहन किया जाता है। राजस्व प्राप्तियां, वसूले गए अग्रिम और किए गए खर्च और शेष राशि की स्थिति निम्नानुसार है:

क राजस्व प्राप्तियां (लाख रु में)

1	भाखड़ा	25762.15
2	ब्यास पारेषण लाइनें	123.03
3	देहर विद्युत संयंत्र, सलापड़ (अन्य प्राप्ति)	229.37
4	देहर विद्युत संयंत्र (विद्युत की बिक्री)	66.78
5	पौंग विद्युत संयंत्र, तलवाड़ा (अन्य प्राप्ति)	5.11
6	पौंग विद्युत संयंत्र (विद्युत की बिक्री)	13.57
7	भाखड़ा सिंचाई शाखा से स्थानान्तरण	400.39
8	यूनिट नं. 1 ब्यास सतलुज लिंक, सुन्दरनगर से स्थानान्तरण	43.42
9	पौंग बॉध तलवाड़ा की इकाई संख्या 2 से स्थानान्तरण	39.46
	योग	26683.28

ख राजस्व व्यय

वर्ष 2022-23 के दौरान राजस्व खर्चों के आंकड़े निम्नलिखित हैं:-

(लाख रु में)

क्र.स.	विवरण	कार्य	स्थापना	कुल
परिचा	लन एवं अनुरक्षण			
1.	भाखड़ा बायां किनारा विद्युत संयंत्र/उत्पादन	-916.79	6288.76	5371.97
2.	भाखड़ा बायां किनारा विद्युत संयंत्र /पारेषण	327.04	3864.54	4191.58
3.	भाखड़ा दायां किनारा विद्युत संयंत्र /उत्पादन	1433.31	4369.73	5803.04
4.	भाखड़ा दायां किनारा विद्युत संयंत्र /पारेषण	681.37	12408.09	13089.46
5.	ब्यास पारेषण लाइनें	1249.25	7683.64	8932.89
6.	देहर विद्युत संयंत्र	2144.06	4380.00	6524.06
7.	पौंग विद्युत संयंत्र	162.48	824.95	987.43

8.	भाखड़ा सिंचाई शाखा से स्थानान्तरण	916.93	18364.40	19281.33
9.	ब्यास परियोजना के यूनिट नं. 1 (ब्यास	1692.94	18752.10	20445.04
	सतलुज लिंक, सुन्दरनगर) से स्थानान्तरण			
10.	ब्यास परियोजना के यूनिट नं. 2 (पौंग डैम,	195.08	3744.53	3939.61
	तलवाड़ा) से स्थानान्तरण			
	योग	7885.67	80680.74	88566.41
	नवीनीकरण, आधुनिकीकरण एवं उन्नयन (अ	ार.एम. एण्ड	यू.)	
	3		4,	
11	भाखड़ा बायां किनारा विद्युत घर का	1618.42		1618.42
11	भाखड़ा बायां किनारा विद्युत घर का नवीनीकरण, आधुनिकीकरण एवं उन्नयन	1618.42		1618.42
11	, , ,	1618.42 1618.42		1618.42 1618.42
	नवीनीकरण, आधुनिकीकरण एवं उन्नयन		80680.74	

ग पूंजीगत व्यय

पूंजीगत लेखा शीर्ष में कोई पूंजीगत व्यय बुक नही किया गया है । तथापि, वर्ष के दौरान नवीनीकरण, आधुनिकीकरण एवं उन्नयन योजनाओं से संबंधित व्यय का ब्यौरा उपरोक्त दिया गया है ।

4.1.4 भागीदार राज्य पावर यूटिलिटीज़ पर बकाया ओ एण्ड एम प्रभार

दिनांक 31 मार्च, 2023 को भागीदार राज्य पावर यूटिलिटीज़ से राजस्व खर्चे में इनके हिस्से की वसूली योग्य राशि की स्थिति निम्नानुसार दी गई है-:

(-) अग्रिम

(+) वसूली योग्य राशि

(लाख रु में)

विवरण	पीएसपीसी	एचवीपी	आरआरवीपी	एचपीएसई	यूटी,	योग
	एल	एनएल	एनएल	बीएल	चण्डीगढ़	
01.04.2022 को	9525.56	-632.61	-328.34	-107.61	-52.57	8404.43
बकाया राशि						
वर्ष के दौरान	11669.69	8487.70	4113.15	1622.79	789.95	26683.28
वसूल की गई						
राजस्व प्राप्तियां						
वर्ष के दौरान	22377.09	18849.97	13025.41	3319.34	1330.92	58902.73

भागीदार राज्य						
पावर यूटिलिटीज़						
द्वारा जारी की						
गई अग्रिम राशि						
कुल उपलब्ध राशि	24521.22	27970.28	17466.90	5049.74	2173.44	77181.58
वर्ष के दौरान किए	35154.13	28165.42	17667.79	5097.61	2481.45	88566.40
गए खर्चे						
दिनांक	10632.91	195.14	200.89	47.87	308.01	11384.82
31.03.2023 को						
उपलब्ध शेष राशि						

4.1.5 भागीदार राज्य पावर यूटिलिटीज़ पर बकाया आर.एम.एवं यू.प्रभार

दिनांक 31 मार्च, 2023 को भागीदार राज्य पावर यूटिलिटीज़ से आर.एम.एवं यू. खर्चे में इनके हिस्से की वसूली योग्य राशि की स्थिति निम्नानुसार दी गई है-:

(-) अग्रिम

(+) वसूली योग्य राशि

(लाख रु में)

विवरण	पीएसपीसीएल	एचवीपी	आरआरवीपी	एचपीएसई	यूटी,	योग
		एनएल	एनएल	बीएल	चण्डीगढ़	
01.04.2022 को	311.48	225.60	108.01	50.29	21.07	716.45
बकाया राशि						
वर्ष के दौरान	1000.24	724.29	346.65	145.89	34.22	2251.29
भागीदार राज्यों						
पावर यूटिलिटीज						
द्वारा जारी की गई						
राशि						
कुल उपलब्ध राशि	688.76	498.69	238.64	95.60	13.15	1534.84
वर्ष के दौरान किया	710.75	514.67	246.32	98.66	48.02	1618.42
गया व्यय.						
31.03.2023 तक	21.99	15.98	7.68	3.06	34.87	83.58
उपलब्ध शेष राशि						

दिनांक 31.03.2023 को बकाया राशि का संक्षिप्त विवरण

(-) अग्रिम

(+) वसूली योग्य राशि

(लाख रु में)

क्रम	राज्य विद्युत यूटिलिटी	कुल ओ.एण्ड एम.	कुल आर.एम.	कुल बकाया
संख्या		प्रभार	एण्ड यू .प्रभार	राशि
1.	पीएसपीसीएल	10632.91	21.99	10654.90
2.	एचवीपीएनएल	195.14	15.98	211.12
3.	आरआरवीपीएनएल	200.89	7.68	208.57
4.	एचपीएसईबीएल	47.87	3.06	50.93
5.	संघीय क्षेत्र, चण्डीगढ़	308.01	34.87	342.88
	योग	11384.82	83.58	11468.40

4.1.6 बिजली की बिक्री के लिए सामान्य पूल उपभोक्ताओं से बकाया राशि

वर्ष के दौरान मैसर्ज़ राष्ट्रीय उर्वरक लिमिटेड, नया नंगल, पुराना हिमाचल प्रदेश, संघीय क्षेत्र, चण्डीगढ़, राजस्थान उर्वरक कारखाना और भाखड़ा ब्यास प्रबंध बोर्ड का सिंचाई खण्ड, सामान्य उपभोक्ता रहे थे। विभिन्न सामान्य पूल उपभोक्ताओं तथा अन्य के विरुद्ध 31 मार्च, 2023 को निम्नानुसार राशियाँ बकाया थीं:

(-) अग्रिम

(+) वसूली योग्य राशि

लाख रु में

क्र.सं.	की गई विद्युत बिक्री	कुल बकाया राशि
1.	मैसर्ज़ राष्ट्रीय उर्वरक लिमिटेड, नया नंगल	6.33
	- কর্जা	0.55
	- पानी की बिक्री	
2.	राजस्थान विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड के माध्यम से	4087.44
	राजस्थान उर्वरक कारखाना	
3.	सिंचाई खण्ड नंगल	2.21
4.	ब्यास सतलुज लिंक परियोजना	20.51

5.	ब्यास परियोजना	3.32
6.	संघीय क्षेत्र, चण्डीगढ़,	7433.62
	(निर्धारित आवंटन 3.5 प्रतिशत)	
7.	संघीय क्षेत्र, चण्डीगढ़ (विशेष सहायता) 10 लाख युनिटस्	2214.71
	/दिन	
8	संघीय क्षेत्र, चण्डीगढ़ (एक लाख युनिटस्/दिन)	221.48
9.	हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड(पुरानी आपूर्ति)	34.44
	योग	14024.06

4.1.7 अन्य बकाया राशि

क) पूल कृत पारेषण हानियाँ

लाख रु में

क्र.सं.	विवरण	राशि
1.	पी.एस.पी.सी.एल.	-2.89
2.	संघीय क्षेत्र, चण्डीगढ़	0.01
3.	एच.ਰੀ.ਪੀ.एਜ.एल.	0.01
4.	उत्तर प्रदेश विद्युत निगम लिमिटेड	0.01
	योग	-2.86

ख) व्हीलिंग प्रभार (समयपुर)

लाख रु में

क्र.सं.	विवरण	राशि
1.	उत्तर प्रदेश विद्युत निगम लिमिटेड	-2.72
	योग	-2.72

ग) व्हीलिंग प्रभार (बैरासूल)

लाख र में

क्र.सं.	विवरण	राशि
1.	हरियाणा विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड (एचवीपीएनएल)	31.54
	योग	31.54

घ) केन्द्रीय विद्युत शुल्क

लाख रु में

क्र.सं.	विवरण	राशि
1.	संघीय क्षेत्र, चण्डीगढ़	59.33
2.	ब्यास सतलुज लिंक परियोजना	3.01
	योग	62.34

इ) 132 केवी, देहर-शिमला लाइन पर नियंत्रण उपकरण का अनुरक्षण प्रभार

लाख रु में

क्र.सं.	विवरण	राशि
1.	हिमाचल प्रदेश राज्य बिजली बोर्ड लिमिटेड	4.43
	योग	4.43

कुल योग रु 14116.79 लाख में

नोट:- 1) केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ का बकाया (3.5%), खाता बही के अनुसार 12431.38 है। हालांकि, देय बकाया रुपये 4997.76 लाख समायोजित किया गया है। अब 7433.62 रूपये बकाया रह गया है।

4.1.8 ऊर्जा आवंटन/बिक्री

सामान्य पूल उपभोक्ताओं से विद्युत के विक्रय द्वारा राजस्व एकत्र किया जा रहा है, जबिक राज्य बिजली बोर्डों को ऊर्जा हर एक परियोजना में उनके हिस्से के अनुसार आवंटित की जाती है। राज्य विद्युत यूटीलिटीज़ के साथ-साथ सामान्य पूल उपभोक्ताओं को किए गए आवंटन का विवरण निम्नलिखित है:-

(आंकडे मिलियन यूनिट में)

परियोजना	पंजाब राज्य	हरियाणा विद्युत	राजस्थान राज्य	हिमाचल प्रदेश	संघीय क्षेत्र,	राष्ट्रीय	सिंचाई खंड	योग
	विद्युत निगम	प्रसारण निगम	विद्युत प्रसारण	राज्य विद्युत	चण्डीगढ़	उर्वरक		
	लिमिटेड	लिमिटेड	निगम लिमिटेड	बोर्ड लिमिटेड		लिमिटेड		
भाखड़ा	2368.68	1735.61	1013.17	563.46	376.50	25.71	20.05	6103.18
काम्प्लेक्स	2500.00	1,00.01	1010.17	202.10	270.20	25.71	20.00	0103.10
देहर	1215.59	880.31	586.67	82.13	168.67	0.00	13.07	2946.44
विद्युत								
गृह								
पौंग	324.07	234.69	881.78	21.86	44.92	0.00	9.36	1516.68
विद्युत								
गृह								
कुल	3908.34	2850.61	2481.62	667.45	590.09	25.71	42.48	10566.30
योग								

- i. आंकड़े एनआरपीसी द्वारा जारी आरईए में दर्शाई गई शैडयूल एनर्जी पर आधारित हैं।
- ii. सितंबर, 2022 और मार्च, 2023 के आंकड़े अनंतिम आरईए पर आधारित हैं क्योंकि एनआरपीसी द्वारा अभी तक अंतिम आरईए जारी नहीं किए गए हैं।
- iii. बीबीएमबी विद्युत घरों द्वारा भेजी गई कुल ऊर्जा 10694.02 एमयू है और भागीदार राज्यों/लाभार्थियों को बुक की गई ऊर्जा 10566.30 एमयू है। भागीदार राज्यों/लाभार्थियों को शैडयूल/बुक की गई और वास्तविक ऊर्जा के अन्तर को विचलन निपटान तंत्र (डीएसएम) के अंतर्गत रखा गया है, क्योंकि बीबीएमबी के उत्पादन केन्द्र जून 2016 से एबीटी के दायरे में आ गए हैं।

4.1.9 बीबीएमबी प्रणाली की परिचालन एवं अन्रक्षण लागत

वर्ष के दौरान बीबीएमबी की काल्पनिक उत्पादन और पारेषण की लागत क्रमशः रु 623.52 करोड़ और रु 262.14 करोड़ बुक की गई। काल्पनिक उत्पादन कार्यों के लिए ओ एण्ड एम लागत 558.31 पैसे/किलोवाट घंटे तथा पारेषण लागत 24.71 पैसे/किलोवाट घंटे निकलती है। सामान्य पूल उपभोक्ताओं से प्राप्तियों की गणना करने के उपरांत भागीदार राज्यों (काल्पनिक पारेषण सिहत) को उनके हिस्से की एवज में वितरित ऊर्जा लागत 62.70 पैसे/किलोवाट घंटे निकलती है।

4.2 सिंचाई खण्ड

4.2.1 राजस्व प्राप्तियाँ और खर्च की हिस्सेदारी

क. भाखड़ा

सकल प्राप्ति/खर्च सिंचाई तथा विद्युत खण्ड के बीच 50:50 अनुपात में बांटी जाती है।

शुद्ध सिंचाई प्राप्ति खर्च को आगे राज्य सरकारों में निम्नलिखित अनुपात में बांट दिया जाता है:-

राजस्थान	15.22%	यूनिट नं.1
	19.06%	यूनिट नं. 2 और 3
पंजाब	60%	राजस्थान का हिस्सा घटाने
हरियाणा	40%	के पश्चात

ख. ब्यास परियोजना यूनिट नं.1 (ब्यास सतल्ज लिंक)

ब्यास परियोजना यूनिट नं.।, ब्यास सतलुज लिंक परियोजना की कुल राजस्व प्राप्ति/खर्च सिंचाई तथा विद्युत के बीच 6:94 के अनुपात में बांटी जाती है। भागीदार राज्य सरकारों के बीच शुद्ध सिंचाई प्राप्तियाँ/खर्चे की हिस्सेदारी निम्नलिखित अनुपात में की जाती है:-

राजस्थान 15% हरियाणा 34% पंजाब 51%

ग. ब्यास परियोजना यूनिट-II (पौंग बॉध)

सिंचाई खण्ड की कुल प्राप्ति/खर्च सिंचाई और विद्युत के बीच 76.5:23.5 के अनुपात में बांटा जाता है। शुद्ध 76.5 प्रतिशत राजस्व प्राप्तियां/खर्चे भागीदार राज्य सरकारों के बीच निम्नलिखित अनुपात में बांटे जाते हैं:-

राजस्थान 58.5% पंजाब 24.9% हरियाणा 16.6%

4.2.2 राजस्व प्राप्तियाँ और खर्च

राजस्व एवं पूंजीगत खर्चों के संबंध में समेकित मासिक लेखे राज्य लेखों में समायोजित करने के लिए सम्बन्धित महालेखाकारों को भेजे जाते हैं। मासिक प्राप्तियाँ खर्चों की प्राप्तियाँ भारत सरकार, राज्य सरकारों और भागीदार राज्यों के मुख्य अभियन्ताओं को भेजी जाती हैं तािक उन्हें इन खर्चों के प्रवाह से अवगत कराया जा सके और बोर्ड के लिए वित्त की व्यवस्था की जा सके। आहिरत चेकों तथा भेजी गयी रकम के मासिक वर्गीकृत लेखे, लेखा नियन्त्रक, भारत सरकार, विद्युत मंत्रालय को भेजे जाते हैं।

क राजस्व प्राप्तियाँ

वर्ष के अन्तर्गत भागीदार राज्य सरकारों अर्थात पंजाब सरकार (रूपये 749.71 लाख) हरियाणा सरकार (रूपये 499.80 लाख) तथा राजस्थान सरकार (रूपये 456.76

लाख) की राजस्व प्राप्तियाँ प्रचलित प्रथा के अनुसार, सिंचाई खण्ड से सम्बन्धित राजस्व प्राप्तियों का भागीदार राज्य सरकारों को भुगतान किया जाता है।

ख राजस्व खर्च

कुल राजस्व खर्च, निम्न पैरा 4.2.2 में वर्णित सिंचाई और विद्युत खण्ड में विभाजित किया जाता है। जारी की गई निधियों के साथ-साथ किए गए खर्च की भागीदार राज्यवार स्थिति नीचे दी गई है:-

(-) अग्रिम

(+) वसूली योग्य राशि

विवरण	पंजाब	हरियाणा	राजस्थान	योग
	सरकार	सरकार	सरकार	
भाखड़ा परियोजना				
दिनांक 01.04.2022 को प्रारम्भिक शेष	-2555.45	4436.36	-485.64	1395.27
वर्ष के दौरान जारी की गई राशि	8823.30	6000.00	2879.12	17702.42
उपलब्ध कुल धन राशि	11378.75	1563.64	3364.76	16307.15
वर्ष के दौरान खर्च	10092.11	6513.52	2991.21	19596.84
31.03.2023 को अंतिम शेष राशि	-1286.64	4949.88	-373.55	3289.69
ब्यास परियोजना				
दिनांक 01.04.2022 को प्रारम्भिक शेष	-2477.84	-5065.88	-3898.40	-11442.12
वर्ष के दौरान जारी की गई राशि	5089.70	4000.00	8751.04	17840.74
उपलब्ध कुल धन राशि	7567.54	9065.88	12649.44	29282.86
वर्ष के दौरान खर्च	4871.66	3247.77	9641.08	17760.51
31.03.2023 को अंतिम शेष राशि	-2695.88	-5818.11	-3008.36	-11522.35
31.03.2023 को भाखड़ा और ब्यास में उपलब्ध कुल शेष राशि	-3982.52	-868.23	-3381.91	-8232.66

वर्ष के अंतर्गत भागीदार राज्य सरकारों अर्थात पंजाब सरकार (रू. 749.71 लाख), हिरयाणा सरकार (रू. 499.80 लाख) तथा राजस्थान सरकार (रू. 456.76 लाख) का राजस्व प्राप्तियाँ वसूली गई है।

4.2.3 परियोजनाओं का पूंजीगत खर्च

क. भाखडा परियोजना

बोर्ड का पूंजीगत खर्च अतिरिक्त भण्डार मशीनरी की बिक्री से हुई आय से चलाया जाता है क्योंकि इस खर्च के लिए भागीदार राज्य सरकारों/भारत सरकार द्वारा लेखे के पूंजीगत शीर्ष के अधीन कोई ऋण स्वीकृत नहीं किया जाता है। भागीदार राज्यवार स्थिति निम्नानुसार है:-

4700 - वृहद सिंचाई पर पूंजीगत लागत

- (-) अग्रिम
- (+) वसूली योग्य राशि

(लाख रु में)

	पंजाब	हरियाणा	राजस्थान	योग
01.04.2022 को प्रारम्भिक शेष राशि	-953.72	-635.82	-285.04	-1874.58
वर्ष के दौरान खर्च	-26.93	-17.95	-8.06	-52.94
राज्य सरकारों द्वारा बीबीएमबी को भुगतान योग्य कुल राशि	-980.65	-653.77	-293.10	-1927.52

4801 - विद्युत परियोजना- हाईडल उत्पादन बायां विद्युत संयंत्र (एलपीपी)

(-) अग्रिम

(+) वसूली योग्य राशि

(लाख रु में)

01.04.2022 को प्रारम्भिक शेष राशि	- 31.84	- 21.22	- 9.52	- 62.58
वर्ष के दौरान खर्च				
राज्य सरकारों द्वारा बीबीएमबी को भुगतान योग्य कुल राशि	- 31.84	- 21.22	- 9.52	- 62.58

4801 - विद्युत परियोजना -हाईडल उत्पादन दायां विद्युत संयंत्र (आरपीपी)

- (-) अग्रिम
- (+) वसूली योग्य राशि

01.04.2022 को प्रारम्भिक शेष राशि	66.29	44.24	14.68	125.21
वर्ष के दौरान खर्च				
राज्य सरकारों द्वारा बीबीएमबी को भुगतान योग्य	66.29	44.24	14.68	125.21
कुल राशि				
राज्य सरकारों द्वारा बीबीएमबी को भुगतान योग्य	34.45	23.02	5.16	62.63
राशि का कुल योग (एलपीपी+आरपीपी)				

ख. ब्यास परियोजना

ब्यास परियोजना का पूंजीगत खर्च, पहले भारत सरकार द्वारा भागीदार राज्य सरकारों को दी जाने वाली केन्द्रीय सहायता से पूर्ण किया जाता था। परियोजना की अवशिष्ट देयताओं को कार्यरूप देने के लिए अब भागीदार राज्य सरकारों द्वारा अपनी योजना लागत में से या अपने निजी संसाधनों से निधियों की व्यवस्था की जाती है। शेष खर्चों की राज्यवार स्थिति निम्नानुसार है:-

4700 एवं 4801 - ब्यास परियोजना का पूंजीगत खर्च

(-) अग्रिम

(+) वसूली योग्य राशि

(लाख रु में)

	पंजाब	हरियाणा	राजस्थान	योग
01.04.2022 को प्रारम्भिक शेष	340.76	258.14	442.36	1041.26
राशि				
वर्ष के दौरान राज्य सरकारों से				
प्राप्त राशि				
वर्ष 2022-23 के दौरान खर्च(0.41	0.27	0.95	1.63
31.3.2023 तक)				
राज्य सरकारों द्वारा बीबीएमबी को	341.17	258.41	443.31	1042.89
भुगतान योग्य कुल राशि (सिंचाई				
और विद्युत 31.3.2023 तक)				
-				

.43 भागीदार राज्य सरकारों से बकाया राशि की स्थिति (31.03.2023 के अनुसार)

(-) अग्रिम

(+) वसूली योग्य राशि

•			•	. ,
विवरण	पंजाब	हरियाणा	राजस्थान	योग
	सरकार	सरकार	सरकार	
परिचालन एवं अनुरक्षण प्रभार	-3982.52	-868.23	-3381.91	-8232.66

बीसीबी (अवशिष्ट कार्य)	341.17	258.41	443.31	1042.89
योग	-3641.35	-609.82	-2938.60	-7189.77

4.4 अंशदायी एवं सामान्य भविष्य निधि (31.3.2023 की स्थिति अनुसार)

भाखड़ा ब्यास प्रबंध बोर्ड के तदर्थ/नियमित/वर्कचार्ज्ड कर्मचारी बीबीएमबी अंशदायी एवं सामान्य भविष्य निधि ट्रस्ट द्वारा संचालित बोर्ड की सामान्य भविष्य निधि/पेंशन योजना अथवा अंशदायी भविष्य निधि योजना में अभिदान के हकदार हैं। आधे न्यासी प्रबंधक वर्ग का और शेष आधे कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व करते हैं। विभिन्न निर्धारित योजनाओं के अन्तर्गत भाखड़ा ब्यास प्रबंध बोर्ड कर्मचारी अंशदायी एवं सामान्य भविष्य निधि के शेष की स्थिति निम्नलिखित है:-

क्र. सं.	प्रतिभूतियों/इन्स्ट्रमेन्ट्स का नाम	रूपये
1.	केन्द्रीय सरकार की प्रतिभूतियां	5736.30
2.	भारत सरकार का विशेष जमा योजना खाता	6678.99
3.	आधार आवास वित्त लिमिटेड	200.00
4.	आदित्य बिरला फाइनेंस	400.00
5.	अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमटेड	400.00
6.	आन्ध्र प्रदेश राज्य विकास ऋण खाता	2079.90
7.	आसाम राज्य विकास ऋण खाता	1148.84
8.	बिहार राज्य विकास ऋण खाता	780.00
9.	कैपिटल /आईडीएफसी फर्स्ट लिमिटेड	800.00
10.	छतीसगढ़ स्टेट पावर डीसी लिमिटेड	1073.50
11.	क्रैडिला वित्त सेवाएँ प्राइवेट लिमिटेड	400.00
12.	चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंस लिमिटेड	800.00
13.	दीवान हाऊसिंग फाइनेंस लिमिटेड	508.39
14.	एडलिवेस फिनवेस्ट प्राइवेट लिमिटेड	600.00
15.	फेडरल बैंक लिमिटेड	100.00
16.	फुलर्टीन इंडिया क्रेडिट कंपनी लिमिटेड	200.00
17.	भारतीय खाद्य निगम बॉन्ड	700.00
18.	गुजरात राज्य विकास ऋण खाता	308.00
19.	गुजरात राज्य इनवेस्टमेंट लिमिटेड	800.00
20.	द ग्रेट इस्टर्न शिपिंग कम्पनी	300.00
21.	हरियाणा राज्य विकास ऋण	2140.23

22.	हिमाचल प्रदेश बिजली बोर्ड बॉन्ड	250.00
23.	आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज प्राइमरी डीलरशिप लिमिटेड	200.00
24.	आईआईएफएल फाइनेंस लिमिटेड	1070.00
25.	आईएल एंड एफ.एस.वितीय सेवाएं	456.51
26.	आईएल एण्ड एफ.एस ट्रासंपोर्टेशन नेटवर्क लिमिटेड	1550.00
27.	इण्डिया बुल्ज वित्तीय सेवाएं लिमिटेड	310.00
28.	भारतीय रेलवे वित्त निगम बॉन्ड	300.00
29.	जम्मू एवं कश्मीर राज्य विकास ऋण खाता	1190.30
30.	जयप्र विद्युत वितरण निगम लिमिटेड (जेवीवीएनएल)	638.00
31.	जेएम फाइनेंशियल प्रोडक्ट लिमिटेड	500.00
32.	जेएम फाइनेंशियल क्रेडिट सॉल्यूशंस लिमिटेड	740.00
33.	कर्नाटका एसडीएल	900.00
34.	एल एड टी इन्फ्रास्ट्रक्चर वित्त कार्पोरेशन लिमिटेड	780.00
	बॉन्ड	
35.	एल एड टी आवास वित्त लिमिटेड	200.00
36.	मिजोरम एसडीएल	72.70
37.	महुवा भरतपुर एक्सप्रेसवे लिमिटेड	250.00
38.	ओएनजीसी पेट्रो एडीशंस लिमिटेड	800.00
39.	पटेल केएनआर हैवी इन्फ्रा लिमिटेड	1000.00
40.	पीएनबी आवास वित्त लिमिटेड बॉन्ड	250.00
41.	विद्युत वित्त निगम लिमिटेड बॉन्ड	1250.00
42.	पंजाब राज्य विकास ऋण खाता	1600.00
43.	पीरामल कैपीटल एवं हाउसिंग फाइनेंस	140.16
44.	पीएनबी मेटलाइफ इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड	400.00
45.	तेलंगाना राज्य विकास खाता	586.97
46.	राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड	400.00
47.	राजस्थान राज्य विकास ऋण खाता	1712.28
48.	रिलायंस कैपिटल लिमिटेड बॉन्ड	900.00
49.	ग्रामीण विद्युतीकरण निगम लिमिटेड बॉन्ड	978.76
50.	श्री राम सीटी यूनियन वित्त लिमिटेड	600.00
51.	सिक्किम राज्य विकास ऋण खाता	450.00
52.	सिनटैक्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड	600.00

तमिलनाडु उत्पादन एवं वितरण कॉरपोरेशन	500.00	
<u> </u>		
तमिलनाड् उदय बॉड	2240.00	
तमिलनाडु राज्य विकास ऋण	561.65	
टाटा कैपीटल फाइनेंस सर्विसिंज लिमिटेड	1450.00	
टाटा क्लीनटैक कैपीटल लिमिटेड	400.00	
टूरिज्म फाइनेंस कारपोरेशन लिमिटेड	132.00	
उत्तर प्रदेश पावर कारपारेशन लिमिटेड	800.00	
उत्तर प्रदेश राज्य विकास ऋण खाता	4408.50	
पश्चिम बंगाल राज्य विकास खाता	2894.60	
योग	60816.58	
म्यूच्यूअल फंड	·	
अल फंड	1542.97	
ईटीएफ	·	
कुल ईटीएफ		
1. एफडीआर एडीएफसी		
कुल निवेश 31.03.2023 तक		
	टाटा कैपीटल फाइनेंस सर्विसिंज लिमिटेड टाटा क्लीनटैक कैपीटल लिमिटेड ट्रिज्म फाइनेंस कारपोरेशन लिमिटेड उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड उत्तर प्रदेश राज्य विकास ऋण खाता पश्चिम बंगाल राज्य विकास खाता योग म्यूच्यूअल फंड अल फंड ईटीएफ	

.45 लेखा परीक्षा

भाखड़ा ब्यास प्रबंध बोर्ड के विभिन्न मण्डलों/कार्यालयों की आन्तरिक लेखा परीक्षा बोर्ड के वित्तीय सलाहकार एवं मुख्य लेखाधिकारी द्वारा की जाती है। वैधानिक लेखा परीक्षा महालेखाकार, लेखा परीक्षा, पंजाब द्वारा की जाती है।

.46 निजी बही खाता लेखा (पीएलए)

पंजाब पुनर्गठन अधिनियम 1966 की धारा 79(5) के उपबन्धों के अन्तर्गत, बीबीएमबी को अपने कार्यों, जिनमें क्रमशः सिंचाई खण्ड (बांधों, नहरों और अन्य सिविल संरचनाओं) और विद्युत खण्ड (विद्युत संयन्त्र, पारेषण नेटवर्क, आदि) के लिए परिचालन एवं अनुरक्षण प्रभार शामिल हैं, का निर्वहन करने के लिए अपेक्षित सभी खर्चों को पूरा करने हेतु भागीदार राज्य सरकारों और राज्य बिजली बोर्डों द्वारा आवश्यक निधियों की व्यवस्था कराना आवश्यक है, क्योंकि बीबीएमबी के पास परिचालन एंव

अनुरक्षण प्रभारों को पूरा करने के लिए अपनी कोई कार्य पूंजी नहीं है, इसलिए दिनांक 14.02.1967 को सचिव, सिंचाई एवं विद्युत, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा आयोजित बैठक में सरकार की पुस्तिकाओं में खोले जाने वाले निजी बही खाता लेखा (पीएलए) में इन निधियों की व्यवस्था करने का निर्णय लिया गया था, जिसमें भागीदार राज्य अपने सम्बन्धित बजट में प्रावधान करने के उपरांत अपने हिस्से के अनुसार उचित राशि का अंशदान करेंगे। 31.03.2023 को निजी बही खाता लेखा में रु 18099.43 लाख शेष थे।



अध्याय -5

Chapter-5

परिचालन कार्य-निष्पादन Operational Performance

5.1 विद्युत खण्ड

बीबीएमबी के विद्युत घरों से विद्युत उत्पादन करने और विभिन्न भागीदारों/लाभानुभागियों को इसे पारेषित करने का कार्य बोर्ड के विद्युत खण्ड के अधीन है । प्रणाली के एकीकृत परिचालन के लिए विद्युत प्रणाली की रियल टाइम मॉनीटरिंग की आवश्यकता है ताकि प्रणाली में फ्रीक्वेंसी, वोल्टेज और लोडिंग पर प्रभावी नियन्त्रण रखा जा सके तथा उत्पादन संसाधनों का इष्टतम प्रयोग किया जा सके । ये कार्य चण्डीगढ़ में स्थापित किए गए स्टेट ऑफ दी आर्ट प्रणाली भार प्रेषण केन्द्र के माध्यम से विद्युत विनियम निदेशालय द्वारा निष्पादित किए जाते है।

5.1.1 ऊर्जा उत्पादन

वर्ष 2022-2023 के दौरान बीबीएमबी के विद्युत उत्पादक केन्द्रों का कुल उत्पादन 10835.587 मिलियन यूनिट (जिसमें गंगूवाल एवं कोटला विद्युत घरों का अनुमानित 11.07 मिलियन यूनिट का उत्पादन शामिल है) हुआ था, जो वर्ष 2022-23 के लिए सीईए द्वारा निर्धारित किए गए 9650 मिलियन यूनिट के वार्षिक उत्पादन लक्ष्य से 12.29% अधिक है। वर्ष 2022-23 के दौरान बीबीएमबी के प्रत्येक विद्यंत घर का वार्षिक ऊर्जा उत्पादन चित्र 1 में दर्शाया गया है। वर्ष 2013-2014 से 2022-2023 तक के वर्षों के दौरान वार्षिक लक्ष्य और वास्तविक ऊर्जा उत्पादन चित्र-2 में प्रदर्शित किया गया है।

5.1.2 शीर्ष उत्पादन

बीबीएमबी भागीदार राज्यों की शीर्ष मांग को पूरा करने का पूर्ण प्रयास करता है। मानसून, सर्दी, हल्की सर्दी और गर्म मौसम की अवधियों में बीबीएमबी विद्युत घरों का विशिष्ट उत्पादन वक्र चित्र-3 में दर्शाया गया है।

5.1.3 विद्युत घरों की उपलब्धता

भाखड़ा बायां किनारा और भांखड़ा दायां किनारा विद्युत घरों का वार्षिक संयंत्र उपलब्धता गुणक क्रमशः 99.99% और 100% था । पौंग विद्युत घर में उपलब्धता 96.80% थी । देहर विद्युत घर में उपलब्धता 98.31% थी । गंगूवाल और कोटला विद्युत घरों का वार्षिक उपलब्धता गुणक क्रमशः 99.80% और 99.91% था । बीबीएमबी के विद्युत घरों का संयंत्र उपलब्धता गुणक चित्र-4 में दर्शाया गया है । बीबीएमबी विद्युत घरों की कुल उपलब्धता 98.99% थी ।

5.1.4 ऊर्जा पारेषण

बीबीएमबी विद्युत घरों से (विभिन्न भागीदार/लाभग्राही राज्यों को) 10694.02 मिलियन यूनिट ऊर्जा पारेषित की गई और भागीदार/लाभग्रहियों को 10566.30 मिलियन यूनिट ऊर्जा बुक की गई, (इन आंकड़ों में गंगूवाल और कोटला विद्युत घरों का अनुमानित

उत्पादन शामिल नहीं है) जैसा कि चित्र-5 में दर्शाया गया है । चूंकि बीबीएमबी के उत्पादन केन्द्र जून, 2016 से एबीटी के तहत आ गए है, अतएव बाहर भेजी गई ऊर्जा तथा भागीदार राज्य/ लाभग्रहियों को बुक की गई ऊर्जा की गणना विचलन निपटान तंत्र (डीएसएम) के अन्तर्गत की गई है । वर्ष 2022-23 के लिए विचलन निपटान तंत्र (डीएसएम) के तहत कुल 26,57,87,870 रूपये वसूल किये गये हैं। बीबीएमबी विद्युत घरों में सहायक खपत 26.1993 मिलियन यूनिट (0.2420%) हुई है और पारेषण हानियाँ 104.2977 मिलियन यूनिट (0.9635%) रही हैं।

5.1.5 पारेषण की उपलब्धता

दिनांक 01.04.2022 से 31.03.2023 तक बीबीएमबी के 220 केवी और 400 पारेषण प्रणाली की उपलब्धता 99.80% रही है।

5.1.6 नंगल हाईडल चैनल (एनएचसी) से श्री आनन्दपुर साहिब हाईडल चैनल (एएसएचसी) तक पानी का प्रत्यावर्तन (डाइवर्शन)

बोर्ड की 23.12.2003 को आयोजित 184वीं बैठक में लिए गए निर्णय के अनुसार जब कभी गंग्वाल और/अथवा कोटला विद्युत घर (घरों) पर कोई मशीन बन्द होती है, तब पंजाब और हरियाणा की सिचाई की मांग पूरा करने के बाद अतिरिक्त पानी नंगल हाइडल चैनल (एनएचसी) के माध्यम से श्री आनन्दपुर साहिब हाइडल चैनल (एएसएचसी) को प्रत्यावर्तित किया जाएगा । आगे प्रत्यावर्तन के कारण गंग्वाल/कोटला विद्युत घरों में उत्पादन की जो हानि होगी उसकी क्षतिपूर्ति पंजाब राज्य पावर कार्पोरेशन लिमिटेड (पहले पंजाब राज्य बिजली बोर्ड) द्वारा की जाएगी और उत्पादन की हानि की गणना करने के बाद आन्नदपुर साहिब हाइडल प्रोजैक्ट पर उत्पादन में हुई बाकी वृद्धि को बी.बी.एम.बी. और पी.एस.पी.सी.एल.के बीच बराबर बांट दिया जाएगा । जल प्रत्यावर्तन के कारण गंग्वाल तथा कोटला विद्युत घरों में उत्पादन का कुल क्रैडिट गंग्वाल/कोटला विद्युत घरों के डीम्ड उत्पादन के रूप में समझा जाएगा । इसके अतिरिक्त दिनांक 23.04.2019 को आयोजित बीबीएमबी की 136वीं विद्युत उप सिमिति की बैठक में लिए गए निर्णय के अनुसार भीगीदार राज्यों के बीच डीम्ड उत्पादन का समायोजन किया जाता है ।

उपरोक्त के अनुसारण में वर्ष 2022-23 के दौरान गंगूवाल और कोटल विद्युत घरों पर डीम्ड उत्पादन निम्नानुसार है :-

(सभी आंकडे मिलियन यूनिट में)

अवधि	गंगूवाल तथा कोटला में उत्पादन की हानि		डीम्ड उत्पादन	बीबीएमबी को लाभ
	(एमयू)	(एमयू)	(एमयू)	(एमयू)
4/22 से 3/23	0	22.13	11.07	11.07

5.1.7 प्रणाली भार प्रेषण केन्द्र (एसएलडीसी)

भाखड़ा ब्यास प्रबंध बोर्ड का प्रणाली भार प्रेषण केंद्र बीबीएमबी के पारेषण परिचालन तथा उत्पादन परिसम्पतियों को नियंत्रण करने तथा उन पर 24 घन्टे निरन्तर निगरानी रखने के प्रति उत्तरदायी है। बीबीएमबी का प्रणाली भार प्रेषण केंद्र स्टेट ऑफ आर्ट पर्यवेक्षक नियंत्रण आंकड़ा अधिग्रहण एवं ऊर्जा प्रबंधन प्रणाली (स्काडा/ईएमएस) तथा एक समर्पित आप्टिकल फाइबर आधारित संचार प्रणाली के अत्याधुनिक उपकरणों से सुसज्जित है, जिससे हमारे एसएलडीसी के अभियन्ता नवीनतम तकनीकों की सहायता से अपने उत्तरदायित्वों को दक्षतापूर्वक निभाते हैं। इसके अलावा, स्काडा उपकरण यूएलडीसी योजना के तहत उन्नयन की प्रक्रिया में है।

बीबीएमबी में पीएसटीसीएल के साथ इसके संगठनात्मक ढाँचे को बाँट कर इसका बैक-अप एसएलडीसी भी स्थापित किया है, तािक विपदा के समय भी सेवा में निरंतरता के लिए अद्वितीय तथा प्रभावी दर पर उर्जा उपलब्ध करवाई जा सके। पीएसटीसीएल के साथ एसएलडीसी का बैक-अप बांटने से बीबीएमबी ने परियोजना लागत के पांच करोड़ रुपयों की बचत की तथा इतनी ही बचत पीएसटीसीएल की हुई। बीबीएमबी में अपने सभी महत्वपूर्ण उत्पादन स्टेशनों एवं उपकेंद्रों पर स्टेट ऑफ आर्ट आरटीयूज की स्थापना की है।


इसके अतिरिक्त बीबीएमबी के सभी विद्युत घरों तथा उपकेंद्रों को समर्पित स्काडा रिमोट कंसोल उपलब्ध करवाये गए हैं। यह रिमोट कंसोल बीबीएमबी के प्रणाली भार प्रेषण केंद्र से एक समर्पित सम्प्रेषण जोड़ से जुड़े हुए हैं। इन रिमोट कंसोल की सहायता से उपकेन्द्र/विद्युत घरों के अधिकारी/स्टाफ अपने उपकेंद्रों के साथ बीबीएमबी में स्थापित अन्य उपकेंद्रों पर विभिन्न ऊर्जा प्रणाली उपकरणों पर निगरानी रख सकते हैं। इसके अतिरिक्त प्रत्येक विद्युत घर एवं उपकेंद्रों से सम्बंधित रिपोर्ट नियंत्रण कक्ष के अभियंता/ स्टाफ स्थानीय तौर पर बना सकते हैं।

अपने अथक प्रयासों से बीबीएमबी प्रणाली भार प्रेषण केंद्र के अभियन्ताओं ने सिम्मिलित रूप से नवीनतम तकनीकों के प्रयोग द्वारा ऊर्जा प्रणाली निगरानी, परिचालन एवं नियंत्रण को बेहतर बनाया है तथा अपने लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए बीबीएमबी में स्मार्ट ग्रिड के क्रियान्वयन हेतु सतत् प्रयास कर रहे हैं।

चित्र-1 Figure-1

बीबीएमबी के विद्युत घरों में वार्षिक सकल ऊर्जा उत्पादन वर्ष 2022-23 ANNUAL GROSS ENERGY GENERATION AT BBMB POWER HOUSES 2022-23


कुल उत्पादन 10835.587 एमयू TOTAL GENERATION 10835.587MU



गंगूवाल एवं कोटला विद्युत घरों से कुल उत्पादन में अनुमानित उत्पादन के रूप में 11.07 एमयूज शामिल है। (गंगूवाल =5.54 एमयू एवं कोटला= 5.53 एमयू) The total generation figures at Ganguwal & Kotla Power House includes 11.07MUs as Deemed Generation (Ganguwal=5.54MU & Kotla=5.53MU)

वर्ष 2013-2014 से 2022-2023 तक ऊर्जा उत्पादन के सम्बन्ध में लक्ष्य/उपलब्धियाँ


TARGET/ACHIEVEMENTS IN RESPECT OF ENERGY GENERATION DURING THE YEAR 2013-2014 TO 2022-2023



चित्र-3 Figure-3


वर्ष 2022-23 के दौरान बीबीएमबी विद्युत घरों का उच्चतम उत्पादन (20.08.2022 को) PEAK GENERATION OF BBMB POWER HOUSES DURING THE YEAR

2022-23 (ON 20.08.2023)



चित्-3-ए Fig. 3A


वर्ष 2022-23 के दौरान बीबीएमबी के प्रतीकात्मक दैनिक उत्पादन वक्र TYPICAL DAILY GENERATION CURVES OF BBMB DURING 2022-23



चित्र-4 Figure 4

X 100

वर्ष 2022-23 के दौरान बीबीएमबी के विद्युत घरों का संयन्त्र उपलब्धता PLANT AVAILABILITY FACTOR OF BBMB POWER HOUSES DURING THE YEAR 2022-23



वर्ष में कुल घंटे- (अनिवार्य घंटों की कटौती + आरएमएण्ड्यू अविध को छोड़कर योजनाबद्ध घंटों की कटौती + आरएमएण्ड्यू अविधि)


संयन्त्र उपलब्धता गुणक(पीएएफ) प्रतिशतता Plant Availability Factor (PAF) %age= Total hrs in a year - (Forced outage hrs+Planned outage hrs
excluding RM&U Period + RM&U Period)

वर्ष में कुल घंटे-आरएमएण्ड्यू अवधि के घंटे

चित्र-5 Figure-5 वर्ष 2022-23 के दौरान बीबीएमबी के विद्युत-घरों से भागीदार राज्यों/लाभार्थियों को पारेषित ऊर्जा

ENERGY SCHEDULED TO PARTNER STATES/BENEFICIARIES FROM BBMB POWER HOUSES DURING THE YEAR 2022-23.

चित्र एम यू में Figure in MU



- आंकड़े अनुसूचित ऊर्जा पर आधारित हैं जैसा कि एनआरपीसी द्वारा जारी अनंतिम आरईए में
 उल्लेख किया गया है क्योंकि अंतिम आरईए अभी तक जारी नहीं किए गए हैं।
- 2. बीबीएमबी विद्युत घरों से भेजी गई कुल ऊर्जा 10694.02 एमयू है और भागीदार राज्यों/लाभार्थियों को बुक की गई ऊर्जा शेड्यूल /बुक की गई ऊर्जा 10566.30 एमयू है। भागीदार राज्य/लाभार्थियों को भेजी गई वास्तविक ऊर्जा और निर्धारित ऊर्जा में अंतर को विचलन निपटान तंत्र (डीएसएम) के तहत हिसाब में लिया गया है क्योंकि बीबीएमबी के उत्पादन स्टेशन जुन 2016 से एबीटी के दायरे में आ गए हैं।
- 1. Figures are based on scheduled energy as mentioned in provisional REAs issued by NRPC as final REAs have not been issued yet.
- 2. Total energy sent out from BBMB Power Houses is 10694.02 MUs and energy scheduled/energy booked to the partner states/beneficiaries is 10566.30 MUs. The difference in actual energy sent out and energy scheduled to the partner State/beneficiaries has been accounted for under Deviation Settlement Mechanism (DSM) since generating stations of BBMB have come under the ambit of ABT w.e.f June 2016.

5.2 सिंचाई खण्ड

5.2.1 जलाशयों की स्थिति

जलाशयों का नियन्त्रण एवं परिचालन तथा विभिन्न भागीदार राज्यों/लाभानुभोगियों को पानी का नियमन और वितरण, बीबीएमबी के सिंचाई खण्ड के अधीन है।

भाखडा जलाशय

- क) दिनांक 11.10.2022 को अधिकतम जलाशय स्तर ईएल 1673.90 फीट प्राप्त किया गया था।
- ख) दिनांक 29.06.2022 को न्यूनतम जलाशय स्तर ईएल 1294.84 फीट प्राप्त किया गया था।
- ग) दिनांक 21.05.2022 से 20.05.2023 तक बीएसएल सिस्टम के माध्यम से डायवर्जन सहित कुल अंतर्वाह 15.591 बीसीएम था।
- घ) क्ल बहिर्प्रवाह 15.605 बीसीएम था।

पौंग जलाशय

- क) दिनांक 29.09.2022 को अधिकतम जलाशय स्तर ईएल 1385.24 फीट प्राप्त किया गया था।
- ख) दिनांक 29.06.2022 को न्यूनतम जलाशय स्तर ईएल 1294.84 फीट प्राप्त किया गया था।
- ग) क्ल अंतर्वाह 8.800 बीसीएम था।
- घ) कुल बहिर्प्रवाह 8.454 बीसीएम था।

5.2.2 जलापूर्ति की लागत

भागीदार राज्यों को जलापूर्ति की लागत 15.50 पैसे/एम3 होती है ।

5.2.3 जल आपूर्तियों और जल लेखे का नियमन

जल लेखा तैयार करने के लिए वर्ष को दो अवधियों में बांट दिया जाता है अर्थात भराई अवधि 21 मई से 20 सितम्बर तक और रिक्तिकरण अवधि 21 सितम्बर से अगले वर्ष की 20 मई तक। भराई और रिक्तिकरण अवधि के लिए जल लेखे अलग-अलग तैयार किए जाते है। एक अवधि की अधिकता/कमी को अगली अवधि में नहीं ले जाया जाता। दिनांक 21.09.2022 से 20.05.2023 तक की अवधि के लिए रावी-ब्यास जल के साथ-साथ सतलुज के जल में से इन राज्यों द्वारा प्राप्त किए गए जल की अधिकता/कमी सिहत भागीदार राज्यों को वितरण/हिस्से और सुपुर्दगी तथा दिल्ली जल बोर्ड को दिया गया जल, चित्र 6 से 13 में दर्शाया गया है। इन चार्टों में अंकित किए गए आंकड़े भागीदार राज्यों को समय-समय पर परिचालित किए गए जल लेखों से लिए गए हैं।

भाखड़ा और पौंग जलाशयों से जल छोड़ने का निर्णय तकनीकी समिति (जिसमें अध्यक्ष, बीबीएमबी की अध्यक्षता में बोर्ड के पूर्णकालिक सदस्य, भागीदार राज्य बिजली बोर्डी/राज्य पारेषण यूटिलिटी के तकनीकी सदस्य/निदेशक तथा सिंचाई विभागों के मुख्य अभियन्ता शामिल होते हैं) द्वारा, सिंचाई और विद्युत की आवश्यकताओं, जलाशय के स्तर और अंतर्वाह को ध्यान में रखते हुए, मासिक बैठकों में लिया जाता है।

विभिन्न भागीदार राज्यों का हिस्सा वितरण और विभिन्न अन्तर्राज्यीय सम्पर्क बिन्दुओं पर सतलुज और रावी-ब्यास जल से वितरित किए जाने वाले जल तथा जलाशयों से अनुमोदित जल निर्मोचन के सम्बन्ध में नहरी तार/बेतार सन्देश के द्वारा भागीदार राज्यों के सम्बन्धित अधिकारियों को 10 दैनिक आधार पर सूचित किया जाता है।

भराई/रिक्तिकरण अविध के दौरान भागीदार राज्यों को की गई जल आपूर्ति निम्नान्सार है-:

- सतलुज और रावी-ब्यास जल से -चित्र 6 एवं चित्र 7
 पंजाब को की गई जल आपूर्ति
- 2. सतलुज और रावी-ब्यास जल से -चित्र 8 एवं चित्र 9 हिरयाणा को की गई जल आपूर्ति
- सतलुज और रावी-ब्यास जल से चित्र 10 से चित्र 12 राजस्थान को की गई जल आपूर्ति
- 4. दिल्ली जल बोर्ड को की गई
 चित्र 13

 जल आपूर्ति

दिनांक 21.09.2022 से 20.05.2023 तक राज्यों को कुल जल आपूर्ति निम्नान्सार की गई है:-

(सभी आंकड़े मिलियन एकड फीट में)

राज्य	सतलुज	रावी-ब्यास	योग
पंजाब	4.136	5.785	9.921
हरियाणा	3.946	1.943	5.889
राजस्थान	1.137	8.826	9.963
दिल्ली जल बोर्ड	0	0.294	0.294
योग	9.219	16.848	26.067

नोट:- भागीदार राज्यों के साथ आंकड़ों का मिलान होना शेष है।


Figure-6

चित्र 6


दिनांक 21.09.2022 से 20.05.2023 तक की अविध के लिए सतलुज जल से पंजाब को सप्लाई किए गए जल की स्थिति को दर्शाने वाली विवरणिका

Statement showing position of water supplies to Punjab out of water for the period from 21.09,2022 to 20.05,2023

भराई अवधि(21.05.2022से 20.09.2022) Filling Period (21.05.2022 to 20.09.22)



रिक्तिकरण अवधि 21.09.2022)से 20.05.2023 Depletion Period (21.09.2022 to 20.05.2023




नोट:-

- 1.सभी आंकड़े क्यूसेक दिनों में।
- 2.सभी सुपुर्दगियाँ आवश्यकता अनुसार तकनीकी समिति की बैठक में लिए गए निर्णय अनुसार।
- 3. पंजाब को की गई सुपुर्दिगियों में रोपड़ के डाउनस्ट्रीम की गई कुछ आपत्तियां भी शामिल हैं जो पंजाब को रोपड़ पर पहले ही बुक की जा चुकी है। 4.21.09.2022 से 20.05.2023 तक आंकड़ेा का भागीदार राज्यों से मिलान किया जाना है।. Note:-
- 1. All Figures are in cusec days.
- 2. The deliveries have been made as per requirements decided in Technical Committee Meeting.
- 3. The deliveries to Punjab also include some supplies made d/s Ropar which have already been booked to Punjab at Ropar.
- 4. The figures from 21.09.2022 to 20.05.2023 are yet to be reconcile with Partner States


दिनांक 21.9.2022 से 20.05.2023 तक की अविध के लिए रावी ब्यास से पंजाब को सप्लाई किए गए जल की स्थिति को दर्शाने वाली विवरणिका

Statement showing position of water supplies to Punjab out of Ravi-Beas waters for the period from 21.9.2022 to 20.05.2023

भराई अवधि(21.05.2022से 20.09.2022) Filling Period (21.05.2022 to 20.09.2022



रिक्तिकरण अवधि 21.09.2022)से 20.05.2023)



नोट:-


- 1.सभी आंकड़े क्यूसेक दिनों में।
- 2.सभी स्पूर्दगियाँ आवश्यकता अन्सार तकनीकी समिति की बैठक में लिए गए निर्णय अन्सार।
- 3. पंजाब को की गई सुपुर्दिगियों में रोपड़ के डाउनस्ट्रीम की गई कुछ आपितयां भी शामिल हैं जो पंजाब को रोपड़ पर पहले ही बुक की जा चुकी है। 4.21.09.2022 से 20.05.2023 तक आंकड़ेा का भागीदार राज्यों से मिलान किया जाना है।. Note:-
- (1) All figures are in cusec days.
- (2) The deliveries have been made as per requirements decided in Technical Committee Meeting
- $(3) The \ deliveries \ to \ Punjab \ also \ include \ some \ supplies \ made \ d/s \ Ropar \ which \ have \ already \ been \ booked \ to \ Punjab \ at \ Ropar.$
- (4). The figures from 21.09.2022 to 20.05.2023 are yet to be reconcile with Partner States.

चित्र 8 Fig. 8


दिनांक 21.9.2022 से 20.05.2023 तक की अविध के लिए सतलुज जल से हरियाणा को सप्लाई किए गए जल की स्थिति को दर्शाने वाली विवरणिका

Statement showing position of water supplies to Haryana out of Satluj waters for the period from 21.9.2022 to 20.05.2023

भराई अवधि(21.05.2022से 20.09.2022) Filling Period (21.05.2022 to 20.09.22



रिक्तिकरण अवधि 21.09.2022)से 20.05.2023) Depletion Period (21.09.2022 to 20.05.2023)



नोट:-

1.सभी आंकड़े क्यूसेक दिनों में।

2.सभी सुपुर्दगियाँ आवश्यकता अनुसार तकनीकी समिति की बैठक में लिए गए निर्णय अनुसार।

3.21.09.2022 से 20.05.2023 तक आंकड़ा का भागीदार राज्यों से मिलान किया जाना है।.


Note:-

- 1. All Figures are in cusec days.
- 2. The deliveries have been made as per requirements decided in Technical Committee Meeting.
- 3. The figures from 21.09.2022 to 20.05.2023 are to be reconcile with Partner States


दिनांक 21.9.2022 से 20.05.2023 तक की अविध के लिए रावी-ब्यास जल से हरियाणा को सप्लाई किए गए जल की स्थिति को दर्शाने वाली विवरणिका

Statement showing position of water supplies to Haryana out of Ravi-Beas water for the period from 21.9.2022 to 20.05.2023.

भराई अवधि(21.05.2022से 20.09.2022) Filling Period (21.05.2022 to 20.09.22)



रिक्तिकरण अवधि 21.09.2022)से 20.05.2023) Depletion Period (21.09.2022 to 20.05.2023)



नोट:-

1.सभी आंकड़े क्यूसेक दिनों में।

2.सभी सुपुर्दिगियाँ आवश्यकता अनुसार तकनीकी सिमिति की बैठक में लिए गए निर्णय अनुसार। 3.21.09.2022 से 20.05.2023 तक आंकड़े। का भागीदार राज्यों से मिलान किया जाना है।.


Note:-

- 1. All Figures are in cusec days.
- 2. The deliveries have been made as per requirements decided in Technical Committee Meeting.
- 3 The figures from 21.09.2022 to 20.05.2023 are to be reconcile with Partner States.


दिनांक 21.9.2022 से 20.05.2023 तक की अविध के लिए सतलुज जल की हिरयाणा के रास्ते राजस्थान को हुई सप्लाई की स्थिति को दर्शाने वाली विवरणिका

Statement showing position of water supplies to Rajasthan via Haryana out of Satluj water for the period from 21.9.2022 to 20.05.2023

भराई अवधि(21.05.2022से 20.09.2022) Filling Period (21.05.2022 to 20.09.22)



रिक्तिकरण अवधि 21.09.2022)से 20.05.2023) Depletion Period (21.09.2022 to 20.05.2023)



नोट:-

1.सभी आंकड़े क्यूसेक दिनों में।

- 2.सभी सुपुर्दगियाँ आवश्यकता अनुसार तकनीकी समिति की बैठक में लिए गए निर्णय अनुसार।
- 3.21.09.2022 से 20.05.2023 तक आंकड़ा का भागीदार राज्यों से मिलान किया जाना है।.


Note:

- 1. All Figures are in cusec days.
- ${\bf 2. \ The \ deliveries \ have \ been \ made \ as \ per \ requirements \ decided \ in \ Technical \ Committee \ Meeting.}$
- 3 The figures from 21.09.2022 to 20.05.2023 are to be reconcile with Partner States.


दिनांक 21.9.2022 से 20.05.2023 तक की अविध के लिए सतलुज जल की पंजाब के रास्ते राजस्थान को हुई सप्लाई की स्थिति को दर्शाने वाली विवरणिका

Statement showing position of water supplies to Rajasthan via Punjab out of Satluj water for the period from 21.9.2022 to 20.05.2023

भराई अवधि(21.05.2022से 20.09.2022) Filling Period (21.05.2022 to 20.09.22)



रिक्तिकरण अवधि 21.09.2022)से 20.05.2023) Depletion Period (21.09.2022 to 20.05.2023)



नोट:-

- 1.सभी आंकड़े क्यूसेक दिनों में।
- 2.सभी स्पूर्दगियाँ आवश्यकता अन्सार तकनीकी समिति की बैठक में लिए गए निर्णय अन्सार।
- 3. 21.09.2022 से 20.05.2023 तक आंकड़ा का भागीदार राज्यों से मिलान किया जाना है।


Note:

- 1. All Figures are in cusec days.
- 2. The deliveries have been made as per requirements decided in Technical Committee Meeting.
- 3 The figures from 21.09.2022 to 20.05.2023 are to be reconcile with Partner States.


दिनांक 21.9.2022 से 20.05.2023 तक की अविध के लिए रावी-ब्यास जल से राजस्थान को हुई जल आपूर्ति की स्थिति को दर्शाने वाली विवरणिका

Statement showing position of water supplies to Rajasthan out of Ravi-Beas water for the period from 21.9.2022 to 20.05.2023

भराई अवधि(21.05.2022से 20.09.2022) Filling Period (21.05.2022 to 20.09.22)



रिक्तिकरण अवधि 21.09.2022)से 20.05.2023) Depletion Period (21.09.2022 to 20.05.2023)



नोट:-

1.सभी आंकड़े क्यूसेक दिनों में।

2.21.09.2022 से 20.05.2023 तक आंकड़ा का भागीदार राज्यों से मिलान किया जाना है।.


Note:-

- 1. All Figures are in cusec days.
- 2. The figures from 21.09.2022 to 20.05.2023 are to be reconcile with Partner States.


दिनांक 21.9.2022 से 20.05.2023 तक की अविध के लिए दिल्ली जल बोर्ड को की गई जल आपूर्ति की स्थिति दर्शाने वाली विवरणिका

Statement showing position of water supplies made to Delhi Jal Board for the period from 21.9.2022 to 20.05.2023

भराई अवधि(21.05.2022से 20.09.2022) Filling Period (21.05.2022 to 20.09.22)



रिक्तिकरण अवधि 21.09.2022)से 20.05.2023) Depletion Period (21.09.2022 to 20.05.2023)



नोट:-

1.सभी आंकड़े क्यूसेक दिनों में।

2.21.09.2022 से 20.05.2023 तक आंकड़ा का भागीदार राज्यों से मिलान किया जाना है।.

- 1. All Figures are in cusec days.
- 2. The figures from 21.09.2022 to 20.05.2023 are to be reconcile with Partner States.



अध्याय-6 **Chapter-6**

परिचालन एवं अनुरक्षण Operation & Maintenance

6.1 विद्युत खण्ड

वर्ष 2022-23 के दौरान बीबीएमबी के विद्युत घरों का सामान्य नियमित अनुरक्षण करने के अतिरिक्त विभिन्न विद्युत घरों/पारेषण प्रणाली पर निम्नलिखित महत्वपूर्ण कार्य किए गए:-

6.1.1 भाखड़ा विद्युत घर

क. यूनिटों का अनुरक्षण

यूनिट नं	अनुरक्षण की अवधि		अभिकथन	
	से	तक		
1	01.04.2022	31.03.2023	आरएम एंड यू (नियोजित आउटेज)	
	02.04.2022	02.04.2022	मासिक अनुरक्षण (नियोजित आउटेज)	
	04.05.2022	04.05.2022	मासिक अनुरक्षण	
	13.06.2022	13.06.2022	मासिक अनुरक्षण	
	15.06.2022	15.06.2022	#1 के आरएम एंड यू के लिए बस डक्ट का मापन	
2	26.07.2022	26.07.2022	मासिक अनुरक्षण एवं गर्म बिंदुओं में भाग लेने के लिए	
	01.09.2022	01.09.2022	जल प्रवाह रिले का मासिक अनुरक्षण और प्रतिस्थापन	
	21.12.2022	21.12.2022	मासिक अनुरक्षण	
	31.01.2023	31.01.2023	मासिक अनुरक्षण (नियोजित आउटेज)	
	06.05.2022	06.05.2022	मासिक अनुरक्षण	
	07.06.2022	07.06.2022	मासिक अनुरक्षण	
	06.07.2022	06.07.2022	मासिक अनुरक्षण	
	08.08.2022	08.08.2022	मासिक अनुरक्षण	
	16.08.2022	18.08.2022	ब्रेक जैक सिस्टम में खराबी को ठीक करने के लिए	
	14.09.2022	14.09.2022	मासिक अनुरक्षण	
3	29.09.2022	30.09.2022	उच्च कंपन की गलती में भाग लेने के लिए	
	01.12.2022	14.12.2022	च्च शाफ्ट कंपन पैदा करने वाली समस्या को दूर करने के लिए।	
	17.02.2023	28.02.2023	सिंचाई विंग और गेट होइस्ट द्वारा पेनस्टॉक हेड गेट के कैपिटल मेंटेनेंस और पावर विंग द्वारा इसका नियंत्रण।	

	01.03.2023	20.03.2023	सिंचाई विंग और गेट होइस्ट द्वारा पेनस्टॉक हेड गेट के कैपिटल मेंटेनेंस और पावर विंग द्वारा इसका नियंत्रण
	01.10.2022	10.10.2022	उच्च कंपन की गलती में भाग लेने के लिए
	14.10.2022	31.10.2022	पेनस्टॉक ड्रेन लाइन से पानी के रिसाव की खराबी को दूर करने के लिए।
	05.05.2022	05.05.2022	मासिक अन्रक्षण
	01.06.2022	01.06.2022	दोष में भाग लेने के लिए
	06.06.2022	06.06.2022	मासिक अनुरक्षण
	07.07.2022	07.07.2022	मासिक अनुरक्षण
	16.09.2022	16.09.2022	मासिक अनुरक्षण
4	20.10.2022	20.10.2022	नियमित अनुरक्षण
	23.12.2022	31.12.2022	वार्षिक अनुरक्षण (नियोजित आउटेज)
	01.01.2023	13.01.2023	वार्षिक अनुरक्षण (नियोजित आउटेज)
	27.03.2023	27.03.2023	नियमित अनुरक्षण (नियोजित आउटेज)
	01.04.2022	30.04.2022	धावकों के वार्षिक अनुरक्षण और संशोधन के लिए
	01.05.2022	16.05.2022	धावकों के वार्षिक अनुरक्षण और संशोधन के लिए
	16.06.2022	16.06.2022	मासिक अनुरक्षण
	05.06.2022	25.06.2022	ब्रेक पैड के प्रतिस्थापन के लिए
	14.07.2022	14.07.2022	मासिक अनुरक्षण
5	20.08.2022	20.08.2022	मासिक अनुरक्षण
	09.09.2022	09.09.2022	मासिक अनुरक्षण
	18.10.2022	18.10.2022	मासिक अनुरक्षण
	19.10.2022	19.10.2022	नियमित अनुरक्षण
	26.01.2023	31.01.2023	वार्षिक अनुरक्षण (नियोजित आउटेज)
	01.02.2023	15.02.2023	वार्षिक अनुरक्षण (नियोजित आउटेज)
	16.03.2023	16.03.2023	मासिक अनुरक्षण (नियोजित आउटेज)

(ख) मुख्य कार्य

- 1. भाखड़ा बायां किनारा में महत्वपूर्ण अनुरक्षण कार्यः विद्युत कार्यः -
- 1. 108 मेगावाट से 126 मेगावाट तक हाइड्रो-जनरेटिंग यूनिट नं. 01 के आर एम यू के दौरान 150 एमवीए जेनरेटर ट्रांसफार्मर के निर्माण, परीक्षण और कमीशनिंग का कार्य।
- 2. परियोजना आपूर्ति केन्द्र पर 10 नं. केवी, वीसीबी पैनल और 7 नं. 220 केवी स्विचयाई पर 11 केवी वीसीबी पैनलों को हटाने के बाद सफलतापूर्वक स्थापित और चालू कर दिया गया।
- 3. भाखड़ा बायां विद्युत घर में नए 600 एच, 220पी डीसी बैटरी बैंक का निर्माण, परीक्षण और कमीशनिंग सफलतापूर्वक किया गया।
- 4. आर एम एण्ड यू के बाद भाखड़ा पीपी-1 से 220 केवी स्विचयार्ड बस सैक्शन-1 तक नवीनीकृत हाइड्रो जनरेटिंग यूनिट नं. 1 की उत्पन्न बिजली को निकालने के लिए यूनिट नं. 1 की मौजूदा लिंक लाइन को 66 केवी से 220 केवी सिस्टम तक बढाना।

यांत्रिक कार्य: -

- 1. जेनरेटर और टर्बाइन घटकों के निर्माण के पूरा होने और यूनिट नं. 1 की पूर्व कमीशनिंग परीक्षण के बाद यूनिटों की अंतिम कमीशनिंग के लिए विभिन्न अनिवार्य परीक्षण किए गए।
- 2. दिनांक 23.12.2022 से 13.01.2023 तक यूनिट नं. 04 का वार्षिक अनुरक्षण किया गया।
- 3. दिनांक 25.01.2023 से 15.02.2023 तक यूनिट नं. 5 का वार्षिक अनुरक्षण किया गया।
- 4. दिनांक 29.03.2023 से 12.04.2023 तक यूनिट नं. 2 का वार्षिक अनुरक्षण किया गया।
- 5. दिनांक 24.04.2023 से 12.05.2023 तक यूनिट नं. 3 का वार्षिक अनुरक्षण किया गया।
- 6. भाखड़ा बायां किनारा विद्युत घर के ईएल-1150' पर स्थापित प्रेशर फिल्ट्रेशन टेंक में फिल्ट्रेशन मीडिया को बदलने के बाद, फिल्ट्रेशन टंक को 28.07.2022 को सफलतापूर्वक चार्ज किया गया।
- 7. यूनिट नं. 3 के पेनस्टॉक डि-वाटरिंग पाइप लीकेज के क्षितिग्रस्त हिस्से पर लॉक टाइट पाइप रिपेयर सीलिंग सिस्टम लगाकर ठीक किया गया और रिसाव को ठीक से रोका गया।

2. भाखड़ा दायां किनारा के महत्वपूर्ण अन्रक्षण कार्य:

- 1. भाखड़ा दायां किनारा विद्युत घर के 220 केवी स्विचयार्ड में 220 केवी/300 एएच बैटरी बैंक स्थापित किया गया है।
- 2. दिनांक 25.09.2022 से 27.12.2022 तक सभी 5 नं. 157 मेगावाट जनरेटर पर 20 साल पुरानी रिशयन प्रोटेक्शन स्कीम के स्थान पर नए न्यूमेरिकल जनरेटर और जनरेटर ट्रांसफार्मर प्रोटेक्शन स्कीम के ईटीसी का कार्य सफलतापूर्वक पूरा कर लिया गया है।
- 3. सिंचाई विंग द्वारा यूनिट नंबर 8 के पेनस्टॉक हेड गेट का पूंजी रखरखाव और पावर विंग द्वारा इसकी पीएसएचजी हॉइस्ट प्रणाली को 02.01.2023 से 04.02.2023 तक सफलतापूर्वक किया गया था।
- 4. 20 वर्ष पुराने रूस निर्मित एक्साइटेशन सिस्टम को बदलने के बाद यूनिट नंबर 8 पर न्यू वॉयथ निर्मित स्टैटिक एक्साइटेशन सिस्टम का कार्य 02.01.2023 से 12.02.2023 तक सफलतापूर्वक पूरा कर लिया गया है।
- 5. 20 वर्ष पुराने रूस निर्मित एक्साइटेशन सिस्टम को बदलने के बाद यूनिट नंबर 7 पर न्यू वॉयथ निर्मित स्टैटिक एक्साइटेशन सिस्टम का कार्य 14.02.2023 से 16.03.2023 तक सफलतापूर्वक पूरा कर लिया गया है।
- 6. दिनांक 25.09.2022 से 28.10.2022 तक (मध्याविध) यूनिट नंबर 7 का वार्षिक अनुरक्षण ।
- 7. दिनांक 29.10.2022 से 26.11.2022 तक (पूर्ण-अविध) यूनिट नंबर 8 का वार्षिक अनुरक्षण ।
- 8. दिनांक 18.03.2023 से 15.04.2023 तक (मध्याविध) यूनिट नंबर 9 का वार्षिक अनुरक्षण ।
- 9. दिनांक 04.01.2023 से 30.01.2023 तक (मध्यावधि)यूनिट नंबर 10 का वार्षिक अनुरक्षण ।

सिविल अनुरक्षण कार्य:

- 1. पावर विंग, नंगल में ए, बी, सी और डी टाइप क्वार्टर में फिटिंग और किचन सिंक उपलब्ध कराने के साथ प्राने मौजूदा जीआई पाइप को बदला गया।
- 2. नंगल में 14 नं. एनआर भवनों का वाटर प्रूफिंग की परत के साथ छतों का आर एंड आर किया गया।
- 3. शिकायत रजिस्टर में प्राप्त शिकायतों के अनुसार आवासीय एवं गैर-आवासीय भवनों, कार्यालयों एवं विद्युत घरों का दैनिक अनुरक्षण किया गया।

6.1.2 गंगूवाल एवं कोटला विद्युत घर

क. यूनिटों का अन्रक्षण

वतः व्यापाता वर्षा अनुस्थाना				
यूनिट नं	अनुरक्षण की अवधि		अभिकथन	
	से	तक		
गंग्वाल				
1	01.04.2022	06.04.2022	वार्षिक अन्रक्षण	
	07.11.2022	14.11.2022	उ अर्धवार्षिक अनुरक्षण	
2	06.04.2022	14.04.2022	वार्षिक अन्रक्षण	
	14.11.2022	19.11.2022	उ अर्धवार्षिक अनुरक्षण	
3	14.04.2022	20.04.2022	वार्षिक अनुरक्षण	
	01.11.2022	7.11.2022	अर्धवार्षिक अनुरक्षण	
कोटला				
1	01.04.2022	6.04.2022	वार्षिक अनुरक्षण	
	08.11.2022	13.11.2022	अर्धवार्षिक अनुरक्षण	
2	15.04.2022	20.04.2022	वार्षिक अनुरक्षण	
	02.11.2022	08.11.2022	अर्धवार्षिक अनुरक्षण	
3	06.04.2022	15.04.2022	वार्षिक अन्रक्षण	
	13.11.2022	19.11.2022	अर्धवार्षिक अनुरक्षण	

ख. मुख्य कार्य

- 1. दिनांक 14/10/2022 को गंगूवाल पावर हाउस के 132 केवी/33केवी टी/एफ टी-2 का वार्षिक अन्रक्षण किया गया।
- 2. गंग््वाल-कोटला टाई सर्किट नंबर 1 का वार्षिक रखरखाव दिनांक 03/10/2022 को किया गया ।
- 3. गंगूवाल पावर हाउस के 132 केवी /33 केवी 16 एमवीए टी/एफ टी-1 और टी-3 का वार्षिक रखरखाव दिनांक 28/10/2022 को किया गया।
- 4. गंगूवाल और कोटला के एम/सी 1,2 और 3 के लिए नया सी एण्ड आर पैनल कमीशन किया गया।
- 5. गंग्वाल और कोटला के लिए नया बैटरी बैंक चार्जर कमीशन किया गया। ।
- 6. दिनांक 09/05/2022 को गंगूवाल पावर हाउस के 132/220केवी 90 एमवीए आई/एल टी/एफ टी-2 का अर्धवार्षिक अनुरक्षण किया गया।
- 7. गंगूवाल पावर हाउस के 132/220केवी 90 एमवीए आ/एल टी/एफ टी-2 का वार्षिक रखरखाव दिनांक 06/10/2022 को किया गया ।

- 8. दिनांक 17/10/2022 को गंगूवाल पावर हाउस में 132 केवी बस-कपलर का वार्षिक अनुरक्षण किया गया।
- 9. गंगूवाल-कोटला टाई सर्किट सं.2 का वार्षिक रखरखाव दिनांक 26/11/2022 को किया गया ।
- 10. दिनांक 04/05/2022 को गंगूवाल पावर हाउस के 132/220केवी 90 एमवीए आई/एल टी/एफ टी-1 का अर्धवार्षिक अनुरक्षण किया गया।
- 11. गंगूवाल पावर हाउस के 132/220केवी 90 एमवीए आई/एल टी/एफ टी-1 का वार्षिक रखरखाव दिनांक 04/10/2022 को किया गया था।

6.1.3 पौंग विद्युत घर

क. यूनिटों का अनुरक्षण

·	The interest of the states		
यूनिट नं	अनुरक्षण की अवधि		कथन
	से	तक	
1	07.10.2022	21.10.2022	स्पायरल केस के मैन होल कार्य के
			साथ-साथ रीथ्रेडिंग का वार्षिक
			अनुरक्षण कार्य किया गया।
2	22.10.2022	03.11.2022	स्पायरल केस के मैन होल कार्य के
			साथ-साथ रीथ्रेडिंग कार्य का वार्षिक
			अनुरक्षण किया गया।
3	06.03.2023	21.03.2023	स्पायरल केस के मैन होल कार्य के
			साथ-साथ रीथ्रेडिंग कार्य का वार्षिक
			अनुरक्षण किया गया।
4.	10.02.2022	04.06.2022	स्पायरल केस के मैन होल कार्य के
			साथ-साथ रीथ्रेडिंग कार्य का वार्षिक
			अनुरक्षण किया गया।
	03.11.2022	15.11.2022	75 एमवीए जीटी की मरम्मत के
			बाद स्थापना और कमीशनिंग के
			साथ अर्धवार्षिक अनुरक्षण कार्य।
5	22.04.2022	02.05.2022	वार्षिक अनुरक्षण कार्य।
	04.11.2022	15.11.2022	स्पायरल केस के मैन होल कार्य के
			साथ-साथ रीथ्रेडिंग कार्य का वार्षिक
			अन्रक्षण किया गया।
6	03.05.2022	17.05.2022	एमआईवी वार्षिक अनुरक्षण कार्य के

		साथ-साथ हूनियन सील को बदलने का कार्य किया गया।
22.11.2022	02.12.2022	स्पायरल केस के मैन होल के अर्धवार्षिक अनुरक्षण कार्य के साथ-साथ रीथ्रेडिंग कार्य किया गया।

(ख) मुख्य कार्ययांत्रिक अनुरक्षण कार्य:-

- 1. अग्निशमन यंत्रों का प्रतिस्थापनः- पी.ओ. क्रमांक जेम अनुबंध क्रमांक-जीईएमसी-511687706412765 दिनांक 01.07.2022 के अनुसार दिनांक 20.09.2022 को पीएच के सभी 18 नम्बर प्राने क्षतिग्रस्त अग्निशमन यंत्रों को बदला गया।
- 2. यूनिट-4 के स्टेटर की मरम्मत:- 07.12.2022 को 01:53 बजे जेनरेटर बैरल में Co2 बैंक के रिलीज के साथ जेनरेटर डिफरेंशियल फॉल्ट के कारण यूनिट 4 ट्रिप हो गई। जाँच करने पर, यह पाया गया कि पैरलल पाथ में स्टेटर कॉइल्स (टॉप ओवरहैंग) और जम्पर जोड़ों से भारी फ्लैश हुआ। तत्पश्चात दिनांक 14.01.2023 को विभागीय तरीके से 15 नं. स्टेटर क्वाइल बदलकर फॉल्ट अटेंड किया गया।
- 3. प्राइमरी फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स टेस्ट: वर्क ऑर्डर नंबर 108/पीआर-1746 दिनांक 12.01.2023 और वर्क ऑर्डर नंबर 109/पीओजी-iv दिनांक 01.03.2023 के अनुसार यूनिट 2 और 3 की प्राइमरी फ्रिक्वेंसी रिस्पांस का आयोजन मैसर्ज सोलविना इंडिया प्रा. लिमिटेड. और मैसर्ज एंडरिटज लिमिटेड. क्रमशः 27.03.2023 से किया गया।
- 4. पीओ संख्या जीईएम अनुबंध संख्या जीईएमसी 511687723738446 दिनांक 08.09.2022 के अनुसार पौंग विद्युत गृह में 19.01.2023 को आरओ सिहत 2 नंबर पेयजल कूलर उपलब्ध कराए।
- 5. 22.03.2023 को पूर्ण किए गए नए एचवी टेस्टिंग सेट की स्थापना और कमीशनिंग, जीईएम पीओ संख्या जीईएमसी- 511687784995797 दिनांक 12.10.2022 के अनुसार मैसर्ज टेस्ला इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्रीज, भोपाल को आपूर्ति की गई।

अन्य विद्युत अनुरक्षण कार्य:-

1. बस बार सुरक्षा और एलबीबी का प्रतिस्थापन कार्य: - पी.ओ. संख्या 714/पीएचडी/पी एंड सी-203 दिनांक 30.08.2019 के अनुसार पुराने इलेक्ट्रो-

- मैकेनिकल बस बार और एलबीबी संरक्षण को न्यूमेरिकल बस बार और एलबीबी संरक्षण के साथ दिनांक 12.12.2022 को सफलतापूर्वक प्रतिस्थापन किया गया।
- 2. यूनिट-6 के क्षितिग्रस्त एसएफ-6 ब्रेकर का प्रतिस्थापन- मैसर्स सीमेन निर्मित के एसएफ-6 ब्रेकर का दिनांक 06.12.2022 को हेड फ्लैश ओवर प्रोटेक्शन का पर्दाफाश हुआ। तत्पश्चात , मैसर्स सीजीएल के नए ब्रेकर से बदलने का निर्णय किया । तदनुसार, इसे मैसर्ज सीजीएल से लेकर दिनाक 13.02.2023 को प्रतिस्थापित किया गया।

6.1.4 देहर विद्युत गृह

क. यूनिटों का अनुरक्षण

यूनिट नं	अनुरक्षण की अवधि		कथन
	से	तक	
1	25.11.2022	01.03.2023	प्रधान अनुरक्षण
2	30.01.2023	18.02.2023	वार्षिक अनुरक्षण
3	20.02.2023	16.03.2023	वार्षिक अनुरक्षण
4	05.01.2023	21.01.2023	वार्षिक अनुरक्षण
6	07.10.2022	26.12.2022	प्रधान अनुरक्षण

(ख) मुख्य कार्य

- 1. नए 4 नं. 11 केवी/400 केवी सिंगल फेज जेनरेटर ट्रांसफार्मर को बदला गया है।
- 2. देहर पावर हाउस, सलापड़ में नए 11 नं. 11 केवी, वीसीबी ब्रेकर बदले गए हैं।
- 3. कम प्रतिबाधा नए 400 केवी बस बार सुरक्षा और 220 केवी बस बार सुरक्षा को बदल दिया गया है।
- 4. यूनिट नंबर 4 और यूनिट नंबर 6 के लिए एक्साइटेशन सिस्टम की सर्विसिंग ओईएम अर्थात मैसर्स एंड्रिट्ज़ प्रा. लिमिटेड द्वारा की गई।
- 5. नए 3 नं. 220 केवी बस कपलर के 220 केवी करंट ट्रांसफार्मर को एक्सटेंडेड बस -II के साथ बदल दिया गया है।
- 6. देहर स्विचयार्ड, सलापड़ में सभी प्रकार से पूर्ण नए 12 नं. 11 केवी पैनल वैक्यूम सर्किट ब्रेकर को प्रतिस्थापित कर दिया गया।
- 7. 220 केवी आइसोलेटर नंबर 221 एचसीबी टाइप 40/40/13 एमवीए ट्रांसफार्मर बे को नए के साथ बदला गया ।
- 8. देहर यूनिट नंबर 3 के बस आइसोलेटर नंबर 404 और ब्रेकर X-2 के बीच स्थापित देहर यूनिट नंबर 3 के 420 केवी सीटी को नए के साथ बदला गया है।

- 9. 3 नं. 220 केवी बस सेक्शन-। के 245 केवी वोल्टेज ट्रांसफार्मर को नए से बदल दिया गया ।
- 10. 40/40/13 एमवीए, 220/132/11 केवी ट्रांसफार्मर टी-8 के 220 केवी ब्लू फेज करंट ट्रांसफार्मर (बस साइड), को बदला गया ।
- 11. यूनिट नंबर 3 के 400 केवी बस साइड आइसोलेटर नं. 405, 220 केवी देहर गंगूवाल सर्किट-। के 220 केवी साइड बस आइसोलेटर नंबर 208 और 220 केवी बस-1 पीटी के 220 केवी साइड बस आइसोलेटर नं. 221 को नए के साथ बदला गया।
- 12. येलो फेज देहर गंग्वाल सर्किट के 198 केवी एलए को बदला गया।

6.1.5 पारेषण प्रणाली

बीबीएमबी उपकेन्द्रों और पारेषण लाइनों का सामान्य कार्य निष्पादन संतोषजनक रहा। किए गए मुख्य कार्यों का ब्यौरा निम्नान्सार है :-

i. विद्युत ट्रांसफार्मर्स

220/66 केवी 100 एमवीए सीजीएल निर्मित ट्रांसफार्मर को न्यू भारत बिजली निर्मित 220/66 केवी 160 एमवीए ट्रांसफार्मर के साथ बदला गया तथा 220 केवी उपकेन्द्र, बीबीएमबी, जमालपुर पर चालू किया गया।

ii. सर्किट ब्रेकर्ज

- 1. 220 केवी उपकेन्द्र, भा.ब्या.प्र.बोर्ड, चरखी दादरी में स्थापित 220 केवी चरखी दादरी-महेन्द्रगढ़ सर्किट-2 के पुराने सीजीएल निर्मित सर्किट ब्रेकर को 245 केवी नए सीजीएल निर्मित स्प्रिंग चार्ज सर्किट ब्रेकर से बदला गया तथा चालू किया गया ।
- 2. 220 केवी उपकेन्द्र, भा.ब्या.प्र.बोर्ड, कुरूक्षेत्र में 02 नं. सीजीएल निर्मित 145 केवी एसएफ-6 सर्किट ब्रेकरों को नये सीमेन्स निर्मित सर्किट ब्रेकरों के साथ बदला गया।
- 3. 132 केवी कोटला पावर हाउस में 132 केवी गग्वाल-कोटला टाई सर्किट-2 पर नए 132 केवी सर्किट ब्रेकर (सीमेंस निर्मित) को स्थापित किया गया।
- 4. 220 केवी उपकेंद्र, जालंधर पर 03 नंबर 145 केवी पुराने एचबीबी निर्मित एसएफ़-6 ब्रेकर को नए सीमेन्स निर्मित एसएफ़-6 ब्रेकर से बदला गया।
- 5. 220 केवी उपकेंद्र, बीबीएमबी, जमालपुर पर 04 नंबर 11 केवी वीसीबी पैनल भेल निर्मित को नये स्टेलनिर्मित निर्मित 11 केवी वीसीबी पैनल के साथ बदला गया।
- 6. 220केवी उपकेंद्र, बीबीएमबी, जमालपुर पर 01 नंबर 66केवी एबीबी निर्मित पुराने एवं प्रयुक्त सर्किट ब्रेकर को सीजी पावर निर्मित सर्किट ब्रेकर से बदला गया (ट्रांसफार्मर की क्षमता में वृद्धि के कारण)।

iii करंट ट्रांसफार्मर्ज (सीटीज)

- 1. 220 केवी उपकेन्द्र, भा.ब्या.प्र.बोर्ड, समयपुर में 1 नं 220 केवी सीटी को 220 केवी समयपुर-चरखी दादरी लाईन के साथ बदला गया ।
- 2. 400 केवी उपकेन्द्र, भिवानी में 220 केवी भिवानी-हिसार-पर 01 न. 220 केवी येलो फेज सीटी से बदला गया।
- 3. 400 केवी उपकेन्द्र, भा.ब्या.प्र.बोर्ड, भिवानी में 400 केवी पीजीसीआईएल हिसार लाईन (सीबी-एक्स-6) व (एक्स-9) पर 2 नं. 400 केवी सीटी (लाल व नीले फेज) से बदला गया।
- 4. 400 केवी सब स्टेशन बीबीएमबी, भिवानी में 220 केवी भिवानी-हिसार सर्किट-1 के ब्लू फेज पुराने सीटी के स्थान पर 1 नं 220 केवी सीटी का परीक्षण और कमीशनिंग किया गया।
- 5. 220 केवी कुरूक्षेत्र-जगाधरी लाइन पर 3 नं. हेप्टाकेयर पावर इन्डस्ट्रीज प्राईवेट लिमिटेड निर्मित सीटीज़ एवं 220 केवी उपकेन्द्र, बीबीएमबी, कुरूक्षेत्र में कुरूक्षेत्र- पानीपत लाइन पर 03 नं. हेप्टाकेयर पावर इंडस्ट्री प्राईवेट लिमिटेड स्थापित निर्मित सीटीज को स्थापित किया।
- 6. 400 केवी उप-केन्द्र पानीपत में जय दुर्गा निर्मित के 33 केवी दोषपूर्ण येलो फेज सीटी को बदला गया।
- 7. 400 केवी उप-केन्द्र पानीपत में जय दुर्गा निर्मित के 33 केवी दोषपूर्ण येलो फेज सीटी को बदला गया।
- 8. 66 केवी उपकेंद्र चंडीगढ़ में 66 केवी धूलकोट-चंडीगढ़ सर्किट.-॥ के 01 सीटी ब्ल्यू फेज एई बाम्बे निर्मित को उच्च टेन डेल्टा वेल्यू के कारण न्यू मेहरू निर्मित जीटी के साथ बदला गया।
- 9. 66 केवी संगरूर-रंगियां (भलवान) के 220 केवी उपकेंद्र, संगरूर पर(येलो फेज) के सीटी के हाई टेन डेल्टा के परिणाम स्वरूप कैप्को निर्मित सीटी के साथ बदला गया।
- 10 220 केवी उपकेंद्र, जमालपुर पर 03 नंबर 220 केवी सीटी डबल्यूएसआई निर्मित व . 01 नंबर सीटी टेल्क निर्मित को नये 03 नंबर मेहरू निर्मित व 01 नंबर सीटी हेप्टाकेयर निर्मित से बदला गया । (ट्रांसफार्मर की क्षमता में वृद्धि के कारण)
- 11 220 केवी उपकेंद्र, जमालपुर पर 04 नंबर 66केवी कैपको निर्मित सीटी को नये मेहरू . निर्मित सीटी के साथ बदला गया है । (ट्रांसफार्मर की क्षमता में वृद्धि के कारण)

iv सीवीटी/पीटीज़

1. 220 केवी उपकेन्द्र, भा॰ब्या॰प्र॰बोर्ड, चरखी दादरी में 220 केवी चरखी दादरी-खेत्री सिक्ट-1 के येलो फेज के 01 नं. मौजूदा सीवीटी को 01 नं. नए पीटी को नई पीटी हैप्टाकेयर प्रा.लि. निर्मित के साथ बदला गया ।

- 400 केवी पानीपत में सैस के लिए पुराने एल्सटॉम निर्मित पीटी के स्थान पर 220 केवी चरखी दादरी लाइन के ब्लू फेज पर 220 केवी नए हिवोल्ट्रांस निर्मित पीटी को चालू किया गया।
- 400 केवी उपकेन्द्र, पानीपत में 220 केवी थर्मल सर्किट नंबर 2 पर एल्सटॉम निर्मित के येलो फेज के 220 केवी क्षितिग्रस्त सीवीटी मेहरू निर्मित के नए सीवीटी के साथ बदला गया।
- 4. 220 केवी उप-केन्द्र, बीबीएमबी, जालंधर में 220 केवी जालंधर-जमालपुर सर्किट-2 पर 01 नं. क्षितिग्रस्त हिवोल्टरन निर्मित के पीटी को नए सीजीएल निर्मित के पीटी के साथ बदला गया।
- 5. 220 केवी उपकेंद्र, संगरूर में क्षतिग्रस्त 220केवी बस-1 की पीले फेज़ के सीवीटी को नए (सीजीएल निर्मित) पीटी के साथ बदला गया ।

v. लाईटनिंग ऐरेस्टर्स (एल.एज़)

- 220 केवी उपकेन्द्र, भा.ब्या.प्र.बोर्ड, चरखी दादरी में 220 केवी चरखी-दादरी'खेत्री सर्किट
 2 के नए इलेक्ट्रोलाइट निर्मित सिहत लाल, नीले एवं पीले फेज पर 03 नं. एलए बदले गए।
- 2. 220 केवी उपकेन्द्र, भा.ब्या.प्र.बोर्ड, चरखी दादरी में 220 केवी चरखी दादरी-बल्लभगढ़ के नए इलेक्ट्रोलाइट निर्मित सहित ब्ल्यू फेज पर 01 नं. एलए बदला गया।
- 3. 220 केवी उपकेन्द्र, बीबीएमबी, हिसार में 220/132 केवी 100 एमवीए ट्रांसफार्मर टी-2 के रेड फेज़ पर 01 नं. एलए बदला गया।
- 4. 220 केवी उपकेन्द्र, बीबीएमबी, हिसार में 132 केवी हिसार-सिरसा सर्किट के रेड फेज़ पर 01 नं. एलए बदला गया।
- 5. 220 केवी उपकेन्द्र, बीबीएमबी, दिल्ली में 220 केवी रोहतक रोड- नरेला सर्किट -II के ब्ल्यू फेज़ के 01 नं. 220 केवी क्षतिग्रस्त एलए को नए एल ए से बदला गया।
- 6. 400 केवी उपकेन्द्र, बीबीएमबी,पानीपत में 220 केवी छज्जपुर सर्किट नं. 1 पर क्षतिग्रस्त आर फेज़ एलए को नए एलए के साथ बदला गया।
- 7. 220 केवी उपकेन्द्र, बीबीएमबी,जगाधरी में 220 केवी जगाधरी-कुरूक्षेत्र एस/सी लाईन के क्षतिग्रस्त येलो लाइन फेज़ 198 केवी एलए को नए एलए के साथ बदला गया।
- 8. 220 केवी उपकेन्द्र, बीबीएमबी, धूलकोट में 66 केवी धूलकोट बरनाला सर्किट के क्षतिग्रस्त 01 नं. 60 केवी एलए को नए एलए के साथ बदला गया।
- 9. 220 केवी उपकेन्द्र, बीबीएमबी, जालंधर में 132 केवी के 04 नं. क्षतिग्रस्त 120 केवी एलए को नए एलए के साथ बदला गया।
- 10 220 केवी उपकेन्द्र, बीबीएमबी, जालंधर में 220 केवी जालंधर-अलबलपुर सर्किट (नीले फेज़) के क्षतिग्रस्त 198 केवी (सीजीएल निर्मित) एलए को नए एलए (इलेक्ट्रोलाइट निर्मित) के साथ बदला गया।

- 11 220 केवी उपकेन्द्र, बीबीएमबी , संगरूर में 220 केवी संगरूर-जमालपुर सर्किट-1 के क्षितिग्रस्त 198 केवी ब्लू फेज एलए को नए एलए (इलेक्ट्रोलाइट निर्मित) के साथ बदला गया।
- 12 220 केवी उपकेन्द्र, बीबीएमबी , संगरूर में 66/11 केवी, 10/12.5 एमवीए ट्रांसफार्मर टी-2 को क्षतिग्रस्त 66 केवी येलो फेज एलए को नए एलए(इलेक्ट्रोलाइट निर्मित) के साथ बदला गया।
- 13 220 केवी उपकेन्द्र, बीबीएमबी , जमालपुर में 2 नं. क्षतिग्रस्त 60 केवी एलए को नए एलए के साथ बदला गया।
- 14 220 केवी उपकेन्द्र, बीबीएमबी , जमालपुर में 03 नं. क्षतिग्रस्त 120 केवी एलए को नए एलए के साथ बदला गया।
- 15 220 केवी उपकेन्द्र, बीबीएमबी , जमालपुर में 2 नं. क्षतिग्रस्त 198 केवी एलए को नए एलए के साथ बदला गया।

vi. आइसोलेटर्ज

- 1. 220 केवी उपकेन्द्र, भा.ब्या.प्र.बोर्ड, चरखी-दादरी 100 एमवीए ट्रांसफार्मर टी-2 (एचवीपीएनएल) पर एचवीपीएनएल द्वारा 01 नं. मौजूदा पुरानी बस-1 और बस-2, 220 केवी आईसोलेटर को नए आईसोलेटर के साथ बदला गया।
- 2. 220 केवी उपकेन्द्र, भा.ब्या.प्र.बोर्ड, चरखी-दादरी में 220 केवी चरखी दादरी-महेन्द्रगढ़ सिकट-2 पर एचवीपीएलएल द्वारा 01 नं. मौजूदा पुराने बस-1, बस-2 आईसोलेटर और लाईन आईसोलेटर के साथ अर्थ स्विच को नए आईसोलेटर व अर्थ स्विच के साथ बदला गया।
- 3. 220 केवी उपकेन्द्र, भा.ब्या.प्र.बोर्ड, चरखी-दादरी में 220 केवी चरखी दादरी-खेतड़ी सिकट-2 पर आरवीपीएनएल द्वारा 01 नं. मौजूदा पुराने बस-2 लाईन आईसोलेटर के साथ अर्थ स्विच को नए आईसोलेटर व अर्थ स्विच के साथ बदला गया।
- 4. 220 केवी उपकेन्द्र, भा.ब्या.प्र.बोर्ड, चरखी दादरी में 220 केवी चरखी दादरी-खेतड़ी सिकट-2 पर आरवीपीएनएल द्वारा 01 नं. मौजूदा पुराने बस-1 आईसोलेटर को नए आईसोलेटर के साथ बदला गया ।
- 5. 220 केवी उपकेन्द्र, भा.ब्या.प्र.बोर्ड, दिल्ली में 08 नं. 33 केवी आईसोलेटरों को नये आईसोलेटरों के साथ बदला गया।
- 6. 220 केवी उपकेंद्र, जमालपुर में 220/66केवी 160 एमवीए ट्रांसफॉर्मर टी-3 के 02 नंबर 66 केवी आइसोलेटर्स को नये हिव्लम निर्मित आइसोलेटर्स के साथ बदला गया।
- 7. 220 केवी उपकेंद्र, जमालपुर में विभिन्न फीडरों पर 13 नंबर पुराने एवं प्रयुक्त 245 केवी आइसोलेटर्स को नये जीआर पावर निर्मित आइसोलेटर्स के साथ बदला गया ।
- 220 केवी उपकेंद्र, जमालपुर में विभिन्न फीडरों पर 06 नंबर पुराने एवं प्रयुक्त 66 केवी आइसोलेटर्स को नये ईलैक्ट्रोलाईट निर्मित आइसोलेटर्स से बदला गया ।

vii. संरक्षण एवं परीक्षण

- 1. 220 केवी उपकेन्द्र, बीबीएमबी, चरखी दादरी उप-केन्द्र के स्वचालित कार्य के दौरान 220/132 केवी 100 एमवीए ट्रांसफार्मर टी-1 एवं टी-2 (एचवीपीएनएल) की 220 केवी साईड की पुरानी खराब न्यूमेरिकल डिफ्रैंशियल प्रोटैक्शन स्कीम को नई सिमन्स निर्मित न्यूमेरिकल डिफ्रैंशियल प्रोटैक्शन स्कीम के साथ बदला गया ।
- 2. 220 केवी उपकेन्द्र, बीबीएमबी, चरखी दादरी उप-केन्द्र के स्वचालित कार्य के दौरान 220 केवी चरखी दादरी-खेतड़ी सर्किट-1 एवं सर्किट-2 (आरवीपीएनएल) की पुरानी खराब सिमन्स निर्मित न्यूमेरिकल डिफ्रैंशियल प्रोटैक्शन स्कीम को नई आईईसी 61850 कम्पलांयस सिमन्स निर्मित न्यूमेरिकल डिफ्रैंशियल प्रोटैक्शन स्कीम के साथ बदला गया।
- 3. 220 केवी उपकेन्द्र, बीबीएमबी, चरखी दादरी में 220 केवी चरखी दादरी-भिवानी सिकंट-3 की सिमन्स निर्मित न्यूमेरिकल बैकअप ओ/सी एण्ड ई/एफ रिले को सिमन्स निर्मित न्यूमेरिकल बैकअप ओ/सी एण्ड ई/एफ रिले के साथ बदला गया ।
- 4. 220 केवी उपकेन्द्र, बीबीएमबी, दिल्ली में 220 केवी बस बार प्रोटैक्शन सकीम को चालू किया गया।
- 5. 220 केवी सबस्टेशन, नरेला में 132 केवी बहादुरगढ़ फीडर पर खराब रिले के स्थान पर पुराना एवं प्रयुक्त की गई माइकॉम पी 442 रिले चालू की गई ।
- 6. गंगूवाल विद्युतघर में यूनिट नंबर,1 2, 3 तथा कोटला विद्युत घर में यूनिट नंबर ,12, 3 के मौजूदा रिले पैनलों के प्रतिस्थापन के बाद मैसर्स जीई टी एंड डी इंडिया लिमिटेड, चेन्नई के रिले पैनलों और न्यूमेरिकल रिले के तारों की सम्पूर्ण जांच एवं चालू किया।
- 7. 220 केवी उपकेन्द्र, धूलकोट में 66/11 केवी ट्रांसफार्मर टी-2 के खराब केबीसीएच रिले को अतिरिक्त रिले के साथ बदला गया।
- बल्लभगढ़ स्टेशन पर 66 केवी हैदराबाद एवं 66 केवी ग्लोब स्टील के पुराने सिफांग सीएससी 161 रिले के स्थान पर सिप्रोटेक 7एसए52 रिले चालू किया गया।
- 9. 400 केवी उपकेन्द्र, पानीपत में 220 केवी छाजपुर- 1 पर एम 1 व एम 2 खराब सीएससी 101 रिले को नए जेड.आई.वी रिले के साथ बदला तथा 220 केवी छजपुर- 2 एम-1 एवं 2 खराब सीएससी 101 रिले को नए जेड आई वी रिले तथा पुराने तथा प्रयुक्त ईपीएसी 3000 रिले के साथ बदला गया ।
- 10 400 केवी उपकेन्द्र, पानीपत में 220 केवी थर्मल- 4 के एम 2 पर क्षतिग्रस्त रिले . को पुराने एवं प्रयुक्त माइकॉम-पी 442 रिले से बदला गया।
- 11 220 केवी सबस्टेशन, समयपुर पर 220 केवी पाली 2 सर्किट के खराब एलबीबी रिले . को रिपेयर रिले से बदला गया ।

12 220 केवी सबस्टेशन, धूलकोट में 33 केवी और 11 केवी के नए न्यूमेरिकल श्नाईडर . निर्मित रिले पैनल का परीक्षण और कमीशनिंग किया गया ।

viii. ब्रेकर्ज़ की मरम्मत

-शून्य-

ix. डिपॉजिट कार्य

- डीएमआरसी की डिपॉजिट कार्य के रूप में मेट्रो लाइन के कारण 220 केवी रोहतक रोड-नरेला डी/सी ट्रांसिमशन लाइन के टावर संख्या 1056-1060 को स्थानान्तिरत करने का कार्य पूरा हो गया है।
- उत्तरी रेलवे के डिपॉजिट कार्य के रूप में मेहम-हॉसी से नई रेलवे लाइन के कारण 400 केवी राजपुरा-भिवानी लाइन के टावर संख्या 888-889 को स्थानान्तरित करने का कार्य पूरा हो गया है।
- एनएचएआई डिपॉजिट कार्य के रूप में पानीपत शामली लाइन के कारण 220 केवी पानीपत-नरेला सर्किट-III लाईन के टावर संख्या 11-12 को स्थानान्तरित करने का कार्य पूरा हो गया है।
- 4. हरियाणा पीडब्ल्युडी बी एंड आर के डिपॉजिट कार्य के रूप में पानीपत रिफाइनरी रोड पर ओवर ब्रिज के निर्माण के कारण 220 केवी पानीपत-धूलकोट डी/सी लाइन के टावर संख्या 768 को स्थानांतरित करने का कार्य पूरा हो गया है।

x. सिविल कार्य

- 1 पानीपत परिमण्ड्ल के अधीन विभिन्न उप-केन्द्रों पर मौजूदा भवनों/चारदीवारी इत्यादि की मरम्मत, नवीनीकरण तथा प्रतिस्थापन किया गया।
- 2 220 केवी उपकेंद्र, बीबीएमबी,जगाधरी में नियंत्रण कक्ष को जा रही सड़क के दोनों और करबस, चैनल एंव इंटरलॉकिंग पेवर ब्लॉक के माध्यम से पक्का बर्म उपलब्ध कराने का कार्य किया गया।
- 3 220 केवी उप-केन्द्र जगाधरी में मण्डल कार्यालय भवन की छत पर टाइल टेरसिंग का कार्य पूरा किया गया है।
- 4 220 केवी जीएसएस, बीबीएमबी, जगाधरी के मण्डल कार्यालय भवन में अधिकारियों, प्रूष एवं महिलाओं के वाश्रूम का आर एण्ड आर का सिविल कार्य किया गया।
- 5 220केवी उपकेंद्र, बीबीएमबी, बरनाला के विश्राम गृह के पिछली तरफ की क्षितिग्रस्त/टूटी हुई दीवार का निर्माण किया गया।
- 6 220 केवी उपकेंद्र, बीबीएमबी, धूलकोट में स्थित डिस्पेन्सरी, क्लब हाउस बिल्डिंग, वाहन शेड व अधिकारी विश्राम गृह की छत का नवीनीकरण का कार्य किया गया।

- 7 220 केवी उपकेंद्र बीबीएमबी धूलकोट में कॉलोनी परिसर की चार दिवारी की मरम्मत का कार्य किया गया।
- 8 220 केवी उपकेंद्र बीबीएमबी जमालपुर में ए, बी एवं सी टाईप आवासों की छत पर टाइल टेरसिंग की मरम्मत/बदलाव का कार्य पूरा किया गया ।

xi. विविध कार्य

- 1 220 केवी उपकेन्द्र, बीबीएमबी, नरेला में 6000 एलपीएच के ट्रांसफार्मर आंयल फील्टरेशन सेट को नये के साथ बदला गया ।
- 2 220 केवी उप-केन्द्र, बीबीएमबी, हिसार में 12 नं. 220 केवी, 13 नं. 132 केवी, 12 नं. 33 के.वी. व 5 नं. 11 केवी बीपीसीयू, 1 नं. एसएएस, 1 नं. ऑक्सीलरी व 1 नं. एसीडीबी सीमन निर्मित एस ए एस पैनलों के ऑटोमेशन का परीक्षण और चालू किया गया ।
- 3 220 केवी उप-केन्द्र, बीबीएमबी, चरखी दादरी के आटोमेशन अधीन 18 नं. 220 केवी, 1 नं. 132 केवी तथा 1 नं. 11 के.वी. सीमन निर्मित एसएएस पैनल का परीक्षण और चालू किया गया ।
- 4 220 केवी उप-केन्द्र, बीबीएमबी, बल्लभगढ़ में उपकेन्द्रों के आटोमेशन के अन्तर्गत नए 6 नं. 220 केवी, 18 नं. 66 केवी, 4 नं. 33 केवी व 01 नं. 11 के.वी. बीपीसीयू सीमेन निर्मित एस ए एस पैनलों का परीक्षण और चालू किया गया।
- 5 220 केवी उप-केन्द्र, बीबीएमबी, समयपुर में उप-केन्द्रों 11 नं. 220 केवी पैनलों का ऑटोमेशन के अधीन परीक्षण और कमीशनिंग किया गया ।
- 6 जालंधर उप-केन्द्र में 220/132 केवी, 100 एमवीए, टी/एफ-3 के नए आर वी टी का परीक्षण और चालू किया गया।
- 7 400 केवी उप-केन्द्र, भिवानी में एएजेसीओ निर्मित 48 वॉल्ट 350 एएच लेड एसिड बैटरियों को चालू किया गया।
- 8 220 केवी उप-केन्द्र, बीबीएमबी, नरेला में मौजूदा 48 वॉल्ट 150 एएच स्टेशनरी लेड एसिड बैटरी बैंक को नई एक्साइड निर्मित 48 वॉल्ट 200 एएच बैटरी सैट के साथ बदला गया।
- 9 बीबीएमबी उप-केन्द्र, पानीपत, दिल्ली, समयपुर, संगरूर, बरनाला, चंडीगढ़, गंगूवाल, कोटला व पौंग में कैरियर रूम में रैडेट्रॉन निर्मित 48-वॉल्ट बैटरी चार्जर को सफलतापूर्वक स्थापित और चालू किया गया।

xii. उपकेंद्र स्वच**ालन प्रणाली और रिमोट सं**चालन

वर्ष 2018-19 में 220 केवी उपकेंद्र, बीबीएमबी, संगरूर से रिमोट ऑपरेशन के साथ 220 केवी उपकेन्द्र, बीबीएमबी, बरनाला में स्वचालन का सफलतापूर्वक पूरा होने के बाद, बीबीएमबी चार नं. उपकेन्द्र अर्थात् 220 केवी बीबीएमबी उपकेन्द्र समयपुर, बल्लभगढ़, चरखी दादरी और हिसार, एसएलडीसी चंडीगढ़ ओर 400 केवी बीबीएमबी, भिवानी से रिमोट संचालन के साथ ऑटोमेशन की दिशा में एक कदम आगे बढ़ गया है। इस कार्य को पूरा करने के लिए दिनांक 20.07.2020 को मैसर्स सीमेन लिमिटेड को कार्य आदेश (एलओए) दिया गया जिसकी कुल परियोजना लागत रूपये 12.69 करोड़ है।

परियोजना का निर्माण, परीक्षण और कमीशनिंग पूरा हो चुका है और परियोजना की 1000 घंटे उपलब्धता परीक्षण प्रगति पर है।

xiii. रूफ टॉप सौर संयंत्र

बीबीएमबी नं अपने उपकेन्द्रों और विद्युत घरों के 71 नं. गैर-आवासीय भवनों पर 3375.90 के डब्ल्यू पी रूफटॉप सौर ऊर्जा संयंत्रों को सफलतापूर्वक चाल् किया है। इसके अलावा बीबीएमबी ने मैसर्ज एसजेवीएन ग्रीन एनर्जी लिमिटेड के साथ गाँव नेला, जिला बिलासप्र, हि.प्र. के पास नंगल बाँध जलाशय में 15 मेगावाट फलोंटिंग सौर ऊर्जा संयंत्र की स्थापना के लिए एक पीपीए पर हस्ताक्षर किए हैं और जिसकी अप्रैल 2024 तक चालू होने की संभावना है। बीबीएमबी ने नंगल और तलवाड़ा में 04 नं. अलग-अलग स्थानों पर 18 मेगावाट के ग्राउंड माउंटेड सौर ऊर्जा संयंत्रों की स्थापना भी श्रूक कर दी है जो अंतिम चरण में है और एल ओ आई शीघ्र ही जारी किया जाएगा। इसके अलावा बीबीएमबी ने कैपेक्स मोड में संचयी क्षमता 11.5 मेगावाट ग्राउंड माउंटेड सौर ऊर्जा संयंत्र की स्थापना के लिए एनआईटी भी जारी की है, जिसमें 400 केवी जीएसएस भिवानी में 10 मेगावाट और 220 केवी जीएसएस हिसार में 1.5 मेगावाट है। बीबीएमबी केनाल टॉप में सौर ऊर्जा की संभावनाएं भी तलाश रहा है। बग्गी चैनल, बीबीएमबी, सुन्दरनगर में स्थापित किए जाने वाले कनाल टॉप सौर ऊर्जा संयंत्र के लिए तकनीकी व्यवहार्यता अध्ययन करने के लिए कार्य आदेश शीघ्र ही जारी किया जाएगा।

6.2 सिंचाई खण्ड

6.2.1 भाखड़ा नंगल परियोजना

क. भाखड़ा बॉध

भूमिका :-

व्यवहार की निगरानी करने और भाखड़ा बॉध और बिजली संयंत्रों के निरंतर सुरिक्षित संचालन को सुनिश्चित करने के लिए, कई उपकरणें/इन्स्ड्र्मेंट जैसे अपलिफ्ट प्रैशर पाइप, अंडरग्राउंड वाटर होल्स, ड्रेनेज होल्स, सैटलमेंट बैंचमार्क्स, ट्रैवर्स मार्कर, जियोडेटिक सर्वे बिंदु प्लंब लाइन, टिल्ट मीटर्स, कैरीसन प्रतिरोध प्रकार के उपकरण, भूकम्पमापी मजबूत गित एक्सेलेरोग्राफ, संरचनात्मक प्रतिक्रिया रिकार्डर इत्यादि बॉध और उससे जुड़े कार्यों के अंदर और बाहर के लिए प्रदान किए गए हैं।

वर्ष के दौरान भाखड़ा बाँध का भूगर्भीय सर्वेक्षण कार्य कार्य अवलोकन, अनुप्रस्थ अवलोकन और बाँध के अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम दोनों तरफ तय किए गए बिंदुओं के साथ संबद्ध डबल लेविलंग को ध्यान में रखते हुए किया गया था। भाखड़ा बाँध पर लिया गया अवलोकन::-

1. अपलिफ्ट

रिपोर्ट के तहत अवधि के दौरान किए गए वर्टिकल अपलिफ्ट प्रैशर पाइपों की वार्षिक गहराई की जाँच से पता चलता है कि ये सभी पाइप कम या अधिक अपनी मूल गहराई को बनाए रख रहे हैं। अपलिफ्ट, प्रैशर पाइप की कार्यात्मक/गैर-कार्यात्मक स्थिति का पता लगाने के लिए वार्षिक कार्यप्रणाली परीक्षण भी किया गया था।

2. संयुक्त निकासी और मध्यवर्ती निकासी से निकासी प्रवाह का अवलोकन भूमिगत जल छिद्रों और अन्य क्षेत्रों के अवलोकन के आधार पर, रिपोर्ट में अविध के दौरान अतिरिक्त जल निकासी छिद्रों की ड्रिलिंग को आवश्यक नहीं माना गया।

3. विशेष विकृति:- इसमें सम्मिलित है

डाउनस्ट्रीम रॉक रिब पॉइंट्स:- ये टाइम प्लॉट रिपोर्ट के अन्तर्गत अविध के दौरान 04 सीरीज के अवलोकन डेटा और पिछले दो वर्षों के चक्र और तुलना को ध्यान में रखते हुए हैं।

बॉध के डाउनस्ट्रीम फेज़ के लक्ष्य: - बॉध के बाएं और दाएं गैर-अतिप्रवाह खंडों पर ट्रांसवर्स लाइनों में लक्ष्य और स्पिलवे की सेन्ट्रल ट्रेलिंग वॉल पर लक्ष्य क्रमश: ब्लॉक 15, 25 और 20 में बॉध की बॉडी में प्लंब लाइनों की दिशा से मेल खाते हैं। इन लक्ष्यों के डेटा को जून, 1975, अवलोकन श्रृंखला के संदर्भ

में संसाधित किया गया है। इन प्लेटों में प्लॉट किए गए डेटा का अवलोकन किसी निश्चित प्रवृत्ति का संकेत नहीं देता है।

4. प्लंब-लाइन

बॉध की धुरी के लंबवत, निलंबन बिंदुओं के प्लंब-लाइन विक्षेपण के वक्र लिए गए। ब्लॉक-20 में निलंबन बिंदु के विक्षेपण का समय वक्र और ब्लॉक 15 और 25 में निचले निलंबन बिंदु बह्त छोटे परिमाण के बॉध अक्ष के समानांतर है।

कार्यों का संचालन:-

न्यूनतम आरडब्ल्यूएल से अधिकतम आरडब्ल्यूएल तक बॉध के अपस्ट्रीम फेस का नियमित निरीक्षण किया गया। दरारों का निरीक्षण नाव की सहायता से कमी और भराव अविध के दौरान किया गया है। गैलरी के अंदर कंक्रीट की सतह का भी निरीक्षण किया गया और यह देखा गया कि रिपोर्ट में अविध के दौरान कोई ताजा दरार नहीं है।

5. पेनस्टॉक ट्रैश रैक और नदी आउटलेट ट्रैश रैक का निरीक्षण और अनुरक्षण।
गोताखोरों द्वारा:- न्यूनतम निकासी स्तर पर ईएल 1462 फीट के जलाशय स्तर
पर ट्रेश रैक के कुछ भाग को किसी भी नुकसान का पता लगाने के लिए देखा
जा सकता है। गोताखोरी की संभावित गहराई लगभग 80 फीट है। रिपोर्ट में
अविध के दौरान जलाशय का स्तर न्यूनतम स्तर तक कम नहीं होने के कारण
इस वर्ष निरीक्षण नहीं किया गया।

रिमोट संचालित वाहन (आरओवी) के माध्यम से:- नियमित अंतराल पर आरओवी का उपयोग करके कचरा रैक का पानी के भीतर निरीक्षण भी किया जा रहा है। उपरोक्त रिपोर्ट इंगित करती है कि कचरा रैक को कोई भौतिक क्षति नहीं हुई है।

ख नंगल बाँध एवं नंगल हाईडल चैनल (एनएचसी)

परिचालन मैनुअल के अनुसार नंगल बॉध , नंगल हाइडल चैनल के साथ-साथ इसके संबंधित कार्यों और विभिन्न स्टेशनों पर नहर कॉलोनियों का नियमित रखरखाव और मरम्मत, यानी नंगल बॉध , गंग्वाल, कोटला, लोहंड, भरतगढ़ और घनौली में मुख्य कार्य और एनएचसी के साथ-साथ गंग्वाल और कोटला में दोनों विश्राम गृहों की मरम्मत की गई।

- 1. सामान्य तौर पर, नंगल बॉध के तल के नीचे उत्थान दबाव डिजाइन सीमा के भीतर रहा।
- 2. नदी तल के ऊपरी और निचले हिस्से के ध्वनि अवलोकन से संकेत मिलता है कि गाद का जमाव कम हो गया है।

3. नंगल हाइडल चैनल की जल निकासी रिपोर्ट इंगित करती है कि चालू वर्ष के दौरान सभी क्रॉस ड्रेनेज कार्यों से गुजरने वाला डिस्चार्ज डिज़ाइन किए गए डिस्चार्ज से कम है और क्रॉस ड्रेनेज कार्यों का व्यवहार संतोषजनक था।

ग. गेटस एंड गियरिंग

नियमित मरम्मत और अनुरक्षण कार्य अर्थात सर्वो कोट /ग्रीस के साथ रिस्सियों की ग्रीसिंग, विंचेस की ग्रीसिंग, गंगूवाल और कोटला स्पिलवे पर डूनियन पिन की ग्रीसिंग और नंगल में यांत्रिक उपकरणों पर सभी अनुरक्षण के निम्नलिखित कार्य किए गए हैं:-

- नंगल बॉध में बे संख्या 20, 21 और 24 के रिवर हेड रेगुलेटर गेट (ऊपरी और निचले) की पेंटिंग।
- चरणगंगा एस्केप के गेट नंबर 1 से 3 की मरम्मत, अनुरक्षण और पेंटिंग।
- 1 से 6' तक रोपड़ हेड रेगुलेटर गेटों की मरम्मत, अनुरक्षण और पेंटिंग।
- निक्कियां में कैनाल क्रॉस रेगुलेटर गेट नंबर" 1 से 7 की मरम्मत,
 अन्रक्षण और पेंटिंग।
- चरणगंगा में कैनाल क्रॉस रेगुलेटर गेट नंबर 1 और 5 की मरम्मत,
 अनुरक्षण और पेंटिंग ।
- नंगल बॉध में कैनाल हेड रेगुलेटर (सीएचआर) बे नंबर 7 और 8 (ऊपरी और निचले) गेटों की मरम्मत, अनुरक्षण और पेंटिंग।

घ. आरएम एवं एसआर मंडल (न्यूमेटिक केसन विधि द्वारा निरीक्षण एवं मरम्मत)

लेफ्ट बे में गोताखोरों की मदद से स्पिलवे एप्रन फ्लोर का निरीक्षण मई 2022 में और राइट बे का अक्टूबर 2022 में किया गया था।

स्पिलवे

क्रम सं.	विवरण	स्थिति
1.	बीम और डेक के तल में	ठीक है
2.	स्पिलवे डाउन स्ट्रीम बालकनी	ठीक है
3.	स्पिलवे ब्रिज पियर्स	ठीक है
4.	स्पिलवे टरेनिंग दीवारें जलस्तर से	ठीक है
	ऊपर	
5.	स्पिलवे आउटलेट आई ब्रो	ठीक है

ड. भाखडा यांत्रिक मंडल, नंगल

भाखडा यान्त्रिक मण्डल, नंगल मुख्य रूप से रेडियल गेट्स, रिवर आउटलेट गेट्स, ट्रैश रैक, स्पिलवे रेडियल गेट्स आदि सिहत स्थायी प्रतिष्ठानों के संचालन, रखरखाव/मरम्मत कार्यों के लिए जिम्मेदार है, भारी अर्थमूविंग मशीनरी, परिवहन वाहनों सिहत सभी यांत्रिक उपकरणों के रखरखाव और ओवरहालिंग के लिए जिम्मेदार है। भाखड़ा नंगल परियोजना और रेलवे नेटवर्क पर जो कामगारों और सामग्री को नंगल से भाखड़ा बाँध तक ले जाने और ऐसे अन्य कार्यों के लिए प्रदान किया गया है।

सामान्य पूंजी रखरखाव और सभी यांत्रिक स्थापनाओं की आवधिक मरम्मत और पेंटिंग के अलावा, जैसे पेनस्टॉक हाई हेड गेट्स, रिवर आउटलेट गेट्स, पेनस्टॉक स्टील लाइनर, लिफ्ट, डीहयूमिडिफाइंग प्लांट, हॉइस्ट गैन्ट्री क्रेन आदि।

भाखड़ा यांत्रिक मण्डल, बीबीएमबी नंगल टाउनशिप में 01.04.2022 से 31.03.2023 की अवधि के दोरान निम्नलिखित अतिरिक्त कार्य किए गए:-

- 1. 7430 वर्ग फुट के भाखड़ा बॉध क्षेत्र के आस पास पहाड़ी ढलान पर सुरक्षा कार्य के रूप में भाखड़ा बॉध के दाई तरफ सुरंग पोर्टल के ऊपर गुनिटिंग की गइ है।
- 2. डिहयूमिडिफाईंग प्लांट 31/10/2022 से प्रभावी संचालन में रहा।
- 3. सभी 4 नंबर रेडियल गेटस का पैच का कार्य किया गया।
- 4. यांत्रिक प्रतिष्ठापन के रखरखाव एवं पूर्व मानसून तथा मानसून के बाद निरीक्षण के कार्य किए गए।
- 5. रिवर आउटलेट गेट नंबर 8 एवं 3 प्रधान अनुरक्षण किया गया।
- 6. रिवर आउटलेट गेट नंबर 6 एवं 2 प्रधान अनुरक्षण का पूरा किया गया तथा गेट नं. 9 प्रक्रियाधीन है।
- 7. भाखडा बॉध के भीतर सीढ़ीयों और पाइप लाइन की पेंटिंग की गई।
- 8. पैनस्टाक लाइनर नंबर 8 एवं 4 का निरीक्षण किया गया।
- 9. नंगल भाखड़ा रेलवे ट्रेक पर कुल 155 नंबर स्लीपर बदले गये।
- 10. 02 नंबर रेलवे बोगी की विशेष मुरम्मत की गई।

च. भाखड़ा विद्युत मण्डल, नंगल ।

वर्ष 2022-2023 के दौरान पूर्ण किये गये निम्नलिखित विशेष कार्य:-

- भाखड़ा बाँध में टिम्बर रोप वे लोडिंग स्टेशन के लिए 01 नंबर फ्लोटिंग डेक के प्राने खराब ट्रेलिंग केबल को बदलना।
- 2. भाखड़ा बॉध में आरएल-1400 पर पुराने इलेक्ट्रिक स्टेशनर एयर कंप्रेसर को नए से बदलना।

3. नंगल टाऊनिशप के सिंचाई सदन में 10 पुराने विंडो टाइप 1.5 टन क्षमता वाले एयर कंडीशनर को नए 1.5 टन स्प्लिट टाईप (हॉट एण्ड कोल्ड) एयर कंडीशनर से बदलना।

छ. नंगल कार्यशाला मंडल

नंगल कार्यशाला कई छोटी शॉप्स की इकाई है और मुख्य रूप से वर्ष 1947 में शिक्तशाली भाखड़ा बॉध के निर्माण के लिए स्थापित की गई थी, बाद में इसने भाखड़ा बॉध और बीएसएल परियोजना के लिए बहुत योगदान दिया और अब इसकी क्षमता का उपयोग सभी की विभिन्न रख रखाव गतिविधियों के लिए किया जा रहा है। हालाँकि इसकी कम क्षमता का उपयोग विभिन्न बिजली बोर्ड और सरकार की विभिन्न संरचना जाँब्स को लेने के लिए किया जा रहा है।

नंगल कार्यशाला ने 2022-2023 (01.04.2022 से 31.03.2023) के दौरान निम्नलिखित प्रमुख् कार्यों को निष्पादित किया गया:-

- 1. 11 नंबर एम.एस. पैंटून का निर्माण पूरा किया गया और वितरित किया गया।
- 36 नंबर गाइड वेन्स, 1 नंबर बेस प्लेट, और 6 नंबर ब्रास की मरम्मत पूरी की गई और वितरित की गई।
- 18 नंबर म्यूजिकल रबर सील का निर्माण पूरा किया गया और वितिरत किया गया।
- 4. ट्री गार्ड 25 नं., जी-1 पाइप 3 नं., एम.एस. बोल्ट 13 नं., रबर सील 2 नं., ब्रेक शू 16 नं., ब्रेक ब्लॉक 33 नं., स्टील अलमारी 6 नं., मरम्मत लकड़ी की कुर्सी 16 नं., मरम्मत पाइप थ्रेडिंग 25 नं. का निर्माण पूर्ण किया गया और वितरित किया गया।
- 5. 24 नं. एम.एस. चौखट, झूला 1 नं., मुख्य कवर के फ्रेम 150 नं., मेन कवर के फ्रेम 150 नं., फ्लावर पॉट स्टैंड 16 नं., एम.एस. शीट 6 नंबर, एम.एस. दरवाजे 6 नं., लोहे के फ्रेम ग्रिल सिहत 4 नं., शाफ्ट 2 नं., एम.एस. ग्रिल 4 नंबर, एंगल ऑफ आयरन चौखट एक नंबर, सिंगल डोर चौखट 4 नंबर, फुटबॉल पोल 1 नंबर, गेट 5 नंबर, डबल डोर पट्टम 10 नंबर, सिंगल डोर, चौखट 4 नंबर, एम.एस. ग्रिल 10 नं., एंगल पोस्ट 40 नं., सीसीटीवी कैमरे के कवर फ्रेम 4 नं., एम.एस. विंडो 1 नं., साइन बोर्ड 5 नं., एम.एस. एंगल चौखट 40 नं., मूल्य की चाबी 2 नं., रिपेयर डस्ट-बिन 7 नं., रिपेयर एम.एस. चौखट 20 नं., मरम्मत एम.एस. विंडो 9 नंबर, मरम्मत एम.एस. गेट 3 नंबर, रिपेयर आयरन पेयर 96 नंबर का विनिर्माण पूरा किया गया और वितरित किया गया।
- 6. सीआई रोलर 7 नंबर, जी.एम.बुश 7 नंबर, रोलर पिन- 2 नंबर, इनर लॉिकंग प्लेट 2 नंबर, आउटर लॉिकंग प्लेट 2 नंबर, लकड़ी की कुर्सी 24 नंबर, एम.एस. का निर्माण। गेट 1 नंबर, बैरिकेड 1 नंबर, फ्रेम 2 नंबर, फ्लावर पॉट स्टैंड 4 नंबर, एम.एस. चौखट सिहत दरवाजा 8 नं., स्टील अलमारी 2 नं., पैकर 1 नं., रस्सी

ब्रैकेट 1 नं., पायदान 1 नं., रबर सील 1 नं., साइन बोर्ड 10 नं., नाली के लिए फ्रेम 10 नं., मरम्मत लकड़ी कुर्सी 4 नं., बैरिकेड 1 नं. का निर्माण कार्य पूर्ण किया गया और वितरित किया गया ।

निष्कर्ष:-

- सामान्य तौर पर, बाँध के नीचे उत्थान दबाव डिजाइन सीमा के भीतर ही रहा।
- आस-पास के क्षेत्रों में भूमिगत जल का स्तर आमतौर पर वर्षा और जलाशय के जल स्तर में भिन्नता से प्रभावित होता है।
- बॉध में विभिन्न स्थानों पर सीपेज डिस्चार्ज मुख्य रूप से वर्षा की घटनाओं
 और जलाशय के जल स्तर में भिन्नता के कारण कम होने से प्रभावित होता
 है और यह प्रवृत्ति पिछले वर्षों की तरह ही बनी हुई है।
- भराव अविध के दौरान जलाशय भार के पिरणामस्वरूप बॉध और तटबंधों का निपटान निम्नलिखित कमी अविध के दौरान स्वयं ठीक हो जाता है और सामान्य प्रवृत्ति से कोई विचलन नहीं होता है।
 - 25.90 मिमी (ईएल 336.80 मीटर (1105 फीट) के संदर्भ में) का अधिकतम डाउनस्ट्रीम विक्षेपण 28.09.2022 को निलंबन बिंदु एल द्वारा दर्ज किया गया था। जब जलाशय का स्तर ईएल 590.52 मीटर (1671.74 फीट) पर था तब ब्लॉक 20 में प्लांब लाइन का ईएल 490.12 मीटर (1608 फीट)। बॉध के शीर्ष पर ट्रैवर्स मार्करों के माप से प्राप्त विक्षेपण इंगित करता है कि लक्ष्य बिंदुओं के मूल्य 9/1978 में दर्ज मूल्यों की तुलना में कम हैं।
- रॉक रिब बिंदुओं के भूगर्भिक माप से प्राप्त क्षैतिज विक्षेपण के देखे गए मूल्य कुछ स्थानों पर अलग-अलग जलाशय के स्तर के साथ कुछ बदलाव का संकेत देते हैं, फिर भी यह जलाशय स्तरों की तुलना में विक्षेपण के किसी निश्चित पैटर्न का संकेत नहीं देते हैं।
- ईएल 334.06 मीटर (1096 फीट) पर स्थापित कार्यशील तनाव मीटरों के देखें गए डेटा से संपीड़ित तनाव से की गई गणना कमोबेश उसी क्रम की है जैसा कि पिछले वर्षों के दौरान देखा गया था।

6.2.2 ब्यास परियोजना

6.2.2.1 ब्यास परियोजना यूनिट-I (बीएसएल)

पंडोह बाँध और उसके जल कंडक्टर सिस्टम का कार्य प्रबंधन, जिसमें पंडोह बग्गी सुरंग, बग्गी कंट्रोल वर्क्स, सुंदरनगर हाइडल चैनल, बैलेंसिंग जलाशय, सुंदरनगर सलापड़ टनल, सर्ज शाफ्ट, पंडोह और सुंदरनगर में पेन स्टॉक टाउनशिप और पंडोह, सुंदरनगर और सलापड़ के अस्पतालों के साथ-साथ सुंदरनगर में 2 स्कूल और पंडोह में 1 नंबर स्कूल और सलापड़ स्कूल का प्रशासनिक नियंत्रण कार्य मुख्य अभियंता रैंक के

एक अधिकारी द्वारा किया जा रहा है। जिसका मुख्यालय बीएसएल परियोजना, स्ंदरनगर में है। परियोजना के घटक इस प्रकार हैं:-

क. पंडोह बॉध

पंडोह बॉध का अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम ढलान सिहत इसके संरक्षण कार्य यथावत रहे। बरसात के मौसम में पंडोह बॉध के निचले ढलान पर कोई गीला पैच, स्लोइंग, डिप्रेशन आदि नहीं देखा गया। बॉध की सतह पर बायीं और दायीं एबटमेंट नालियां, हॉल रोड और नालियां बरकरार रही।

पंडोह स्पिलवे के पांच नंबर रेडियल गेट:-

पंडोह स्पिलवे के सभी 5 नं. रेडियल गेट अच्छी तरह से काम कर रहे हैं। गेटों के सुचारू कामकाज के लिए मार्च 2023 के महीने में स्पिलवे पियर्स में प्रदान किए गए 5 रेडियल गेट्स चैंबर/टैंकों को हाइड्रोलिक ऑयल किया गया था। गेट नंबर 2 की ओवरहालिंग की गई।

2. ड्रम प्रकार लॉग ब्रम:

मानसून सीजन 2022 की शुरुआत के दौरान स्थापित किए गए अस्थायी ड्रम टाइप लॉग बूम ने संतोषजनक काम किया है। मानसून के मौसम के बाद लॉग बूम को नष्ट कर दिया गया। लॉग बूम की मरम्मत का कार्य किया गया और मानसून की शुरुआत से पहले बूम को फिर से स्थापित किया गया।

3. बाएँ और दाएँ एबटमेंट के साथ बेंच

पंडोह बॉध के बाएं और दाएं एबटमेंट बैंच स्थिर रहे ।

4. शीर्ष गठन:

वर्ष 2022-23 के परिचालन के दौरान शीर्ष गठन नगण्य पाया गया।

ठूश रैक:-

ट्रैश रैक की सफाई और पेंटिंग का काम किया गया और संरचना से संबंधित सभी पेंटिंग का काम पूरा कर लिया गया।

6. पंडोह बॉध के डी एंड जी गैलरी में सल्फेट की समस्या

पंडोह बॉध के ड्रेनेज और ग्राउटिंग (डी एंड जी) गैलिरयों के प्रभावित रिसाव छिद्रों में उच्च सल्फेट सामग्री का प्रवाह स्थिर स्थिति में है। केंद्रीय मृदा एवं सामग्री अनुसंधान स्टेशन (सीएसएमआरएस) द्वारा 4/1992 से 4/1995, 11/1995 से 6/1996, 1/1998, 3/1999, 3/2000, 4/2004 तक आयोजित अल्ट्रासोनिक पल्स वेग परीक्षण की रिपोर्ट और मई-2006 तथा 4/2010,

6/2013 के दौरान किए गए परीक्षण से यह निष्कर्ष निकाला कि समय बीतने के साथ कंक्रीट की गुणवत्ता में कोई महत्वपूर्ण गिरावट नहीं हुई है।

कंक्रीट की कुल मिलाकर गुणवत्ता अच्छी है। हालाँकि, कुछ स्थानों पर जहाँ SO4 की मात्रा अधिक है और पल्स वेलोसिटी भी कम थी, दिनांक 29.07.1999 को चंडीगढ़ में आयोजित अपनी 7वीं बैठक में बीबीएमबी (सिंचाई खण्ड) की तकनीकी समिति की सलाह के अनुसार 2 नं. कंक्रीट कोर 75 मि.मी निकाला गया था।

इन कोर को केंद्रीय मृदा एवं सामग्री अनुसंधान स्टेशन (सीएसएमआरएस), नई दिल्ली विश्लेषण के लिए भेजा गया था और परिणाम काफी अनुकूल पाए गए थे। सीएसएमआरएस 1991 से विभिन्न डी एंड जी गैलरी में जल गुणवत्ता परीक्षण भी कर रहा है।

सीएसएमआरएस ने 2000 से 2002 तक लगातार तीन वर्षों तक रासायनिक विश्लेषण परीक्षण भी किया है।

जांच से संबंधित अंतिम रिपोर्ट से यह भी पता चलता है कि वर्ष के दौरान पीएच और सल्फेट में कोई अधिक परिवर्तन नहीं देखा गया है, बल्कि अधिकांश छिद्रों में सल्फेट की सांद्रता कम हो आई है।

चूंकि कंक्रीट की गुणवता अच्छी साबित हुई है, जैसा कि 2 नंबर कोर की कंप्रेसिव स्ट्रेन्थ के परीक्षण से और साथ ही सल्फेट पानी के नीचे रखे कंक्रीट सिलेंडरों की कंप्रेसिव स्ट्रेन्थ से भी पता चला है, जिसे दो साल के अंतराल के बाद परखा जाता है, ऐसी स्थिति किसी भी चिंता की गारंटी नहीं है।

7. स्थायी प्लग का निरीक्षण

डायवर्जन सुरंग और उसके स्थायी प्लग का निरीक्षण हर 3 साल में किया जाना है। डायवर्जन सुरंग से गाद/कीचड़ साफ होने के बाद निरीक्षण किया गया। सुरंग में कोई असामान्यता नहीं देखी गई, प्लग बरकरार पाया गया और प्लग से कोई रिसाव भी नहीं हुआ। प्लग तक 120 नंबर रिंगों में उपलब्ध कराए गए सभी जल निकासी छेदों की गहराई से जाँच भी की गई। सभी छेद अच्छे तरह से काम कर रहे थे। कार्य 27-10-2022 को शुरू किया गया था और तब से दिनांक 08.11.2022 को पूरा किया गया है।

प्लग के निरीक्षण के बाद डायवर्जन टनल के निकास पोर्टल पर डायवर्जन टनल के गेट को लॉक कर दिया गया और उसके बाद कच्चा हॉलो ब्लॉक चिनाई से गेट को भी ब्लॉक कर दिया गया।

8. रिलीफ वेल संख्या 4 और 5 के आसपास का संरक्षण कार्य

रिलीफ नंबर 5 के पास पत्थर से भरे तार के कुछ बक्से 2022 के बाद के मौसम में क्षतिग्रस्त हो गए थे और उनकी मरम्मत कर दी गई है। रिलीफ वेल नंबर 4 और 5 पर अन्य सभी सुरक्षा कार्य अच्छी स्थिति में हैं।

9. ब्यास नदी के अन्प्रवाह में नहरीकरण कार्य

ब्यास की डाउनस्ट्रीम नदी के चैनलाइजेशन का काम मानसून सीजन 2023 से पहले कर लिया गया है।

10. पंडोह जलाशय में गाद जमा होना

पंडोह जलाशय की सकल भंडारण क्षमता लगभग 4100 हेक्टेयर मीटर (33240 एकड़ फीट) और लाइव क्षमता 1855 हेक्टेयर मीटर (15039 एकड़ फीट) है, इसका अधिकतम जलाशय स्तर इएल 896.42 मीटर (2941 फीट) है। जून, 2022 के दौरान किए गए पंडोह जलाशय के नवीनतम अवसादन सर्वेक्षण से पता चलता है कि रिपोर्ट के तहत अवधि के लिए पंडोह जलाशय में जमा सकल गाद 61.05 हेक्टेयर (494.90 एकड़ फीट) थी।

11. फ्लशिंग ऑपरेशन:-

पंडोह बॉध जलाशय का फ्लिशिंग ऑपरेशन दिनांक 11.08.2022 से 12.08.2022 तक किया गया है।

12. विभिन्न निर्वहन स्थलों पर गेजों की पेंटिंग:-

भुंतर में पार्वती, भुंतर में ब्यास और मनाली में ब्यास को छोड़कर गेज और निर्वहन स्थलों की पेंटिंग का काम पूरा हो चुका है। लंबित गेज का पेंटिंग कार्य मानसून 2023 से पहले किया जाएगा।

13.सामला अदित गेट

सामला अदित गेट की नियमित जांच निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार नियमित रूप से की जाती है। गेट के सभी हिस्सों को अच्छी तरह से साफ, पेंट और ग्रीस किया जाता है ताकि किसी भी जंग लगने/क्षतिग्रस्त होने से बचा जा सके, कोई रिसाव नहीं देखा गया था।

14.10 टन क्षमता की ईओटी क्रेन:-

दोनों ईओटी क्रेनें संतोषजनक ढंग से काम कर रही हैं। ईओटी क्रेन की पेंटिंग का कार्य किया गया।

15.विद्युत स्थापना

रिपोर्टाधीन अविध के दौरान पंडोह बॉध के विभिन्न स्थानों पर स्थापित सभी स्थायी विद्युत प्रतिष्ठान बरकरार रहे, इसलिए कोई असामान्यता नहीं देखी गई।

16. पंडोह बॉध की गैलरियों/सुरंगों के पानी में अत्यधिक सल्फेट सामग्री की समस्या

रिसाब जल में सल्फेट की मात्रा की समस्या की नियमित रूप से निगरानी की जा रही है। पंडोह बॉध की डी एंड जी गैलरी के प्रभावित सीपेज होल में उच्च सल्फेट सामग्री का प्रवाह स्थिर स्थिति में है। मार्च, 2021 के दौरान सीएस एंड एमआरएस, नई दिल्ली द्वारा किए गए अल्ट्रासोनिक पल्स वेलोसिटी परीक्षण से यह पता चला कि निगरानी अविध के दौरान कंक्रीट की गुणवता में कोई महत्वपूर्ण गिरावट नहीं हुई है। कंक्रीट की समग्र गुणवता अच्छी है।

17. पंडोह बग्गी टनल इनटेक पॉकेट की फ्लशिंग।

गलत वस्तुओं के प्रवेश को रोकने और पीबीटी में गाद के प्रवेश में कमी लाने के लिए, पीबीटी इनटेक पॉकेट का दिनांक 11.08.2022 से 12.08.2022 तक 01 बार फ्लिशिंग ऑपरेशन किया गया।

18. पंडोह स्पिलवे की मरम्मत

2021 के बाढ़ के मौसम के बाद पंडोह स्पिलवे की मरम्मत का कार्य किया गया और प्रचलित प्रथा के अनुसार 353.16 वर्ग मीटर क्षेत्र की मरम्मत की गई।

19. पंडोह स्पिलवे के डाउनस्ट्रीम में संरक्षण कार्य

आरडी-600 से आरडी-4200 तक सामला परिसर के साथ लगे तार क्रेटों को कुछ क्षति हुई है। अन्य सभी सुरक्षा कार्य अच्छी स्थिति में हैं।

20. बग्गी कंट्रोल वर्क्स के आपातकालीन द्वार

बग्गी कंट्रोल वर्क्स स्टिलिंग बेसिन के दाएं और बाएं बे के वार्षिक रखरखाव के दौरान, सभी आपातकालीन द्वारों का रिसाव सामान्य था। यांत्रिक कार्यों, स्टॉप लॉग्ज आदि का रखरखाव सामान्य प्रक्रिया एवं कार्यक्रमानुसार किया गया।

21. सुंदर नगर हाइडल चैनल का सिल्ट इजेक्टर

आरडी 1364.59 मीटर (4477 फीट) हाइडल चैनल पर सिल्ट इजेक्टर जुलाई, 2022 से सितंबर, 2022 तक मानसून अविध के दौरान 7.078 से 14.158 क्यूमेक्स (250 से 500 क्यूसेक) के बीच डिस्चार्ज के साथ संचालित किया गया था। निकाली गई गाद की कुल गुणवत्ता 5.98 हेक्टेयर मीटर (48.50 एकड़ फीट) थी। बरसात के मौसम में सिल्ट इजेक्टर का संचालन संतोषजनक रहा।

22. संतोलक जलाशय में गाद का प्रेक्षण

जुलाई, 2022 से सितंबर, 2022 की अविध के दौरान, संतोलक जलाशय से तीन ड्रेजरों ने द्वारा 91.06 हेक्टेयर मीटर (738.21 एकड़ फीट) गाद हटाई गई। वर्ष 2022 में नवीनतम गाद सर्वेक्षण के अनुसार, अविध के अंत में जमा शेष गाद 117.10 हेक्टेयर मीटर (949.38 एकड़ फीट) थी।

23. पेनस्टॉक हेडर और शाखाएँ

पेनस्टॉक हेडर्स, शाखाओं और ड्रेसर कप्लिंग का नियमित रखरखाव किया गया है। क्छ भी असामान्य नहीं देखा गया।

ख बग्गी और सुंदरनगर हाईडल चैनल

1. बग्गी नियंत्रण कार्य

इंस्ट्रमेंटेशन - पीज़ोमीटर

बग्गी कन्ट्रोल वकर्स के विभिन्न गेट संयोजन/उदघाटन और पंडोह जलाशय स्तरों के लिए स्थापित पीज़ोमीटर पर अवलोकन से संकेत मिलता है कि सभी देखे गए दबाव सकारात्मक हैं और कहीं भी कोई नकारात्मक दबाव दर्ज नहीं किया गया है। वर्तमान में उपलब्ध आंकड़ों से यह देखा गया है कि गेटों के समान संयोजन के लिए इनगेट खोलने में वृद्धि के साथ सकारात्मक दबाव कम हो जाता है।

स्टिलिंग बेसिन

इसी प्रकार, प्रत्येक वर्ष अक्टूबर, 2022 से अप्रैल, 2023 तक बग्गी कंट्रोल वर्क्स एल/साइड और आर/साइड बे के स्टिलिंग बेसिन का वार्षिक निरीक्षण और मरम्मत किया जाता था। इस वर्ष के दौरान, यह देखा गया है कि स्टिलिंग बेसिन के दाएं बे अर्थात् स्टिलिंग बेसिन के ग्लेशिस भाग के गेट नं.2 के सामने हुई क्षिति की पिछले वर्ष में मरम्मत की गई। यह भी देखा गया कि ग्लासिक फर्श का क्षिति पैटर्न कुछ हद तक बाईं ओर यानी गेट नंबर 1 और 2 की डिवाइडर दीवार के सामने भी बढ़ गया है। बाएं बे में कुल क्षिति क्षेत्र का लगभग आकार 4-5 वर्गमीटर और गहराई 50-100 मीटर थी। इन क्षितियों की मरम्मत उच्च शक्ति सूक्ष्म कंक्रीट से की गई है, हालांकि, स्टिलिंग बेसिन के बाएं हिस्से में कोई क्षिति नहीं देखी गई है। स्टिलिंग बेसिन की मरम्मत मार्च, 2023 के तीसरे सप्ताह में पूरी हो गई थी और दोनों बे चालू हो गए हैं। 2022-23 के दौरान की गई मरम्मत का आंकलन मानसून सीजन 2023-24 की समाप्ति के बाद किया जाएगा और तदनुसार रिपोर्ट आगे प्रस्तुत की जाएगी।

आपातकालीन और विनियमन द्वार

इस वर्ष के दौरान गेट नंबर 4 का आविधिक रखरखाव निर्धारित किया गया था, लेकिन पिछले वर्ष बोनट बॉक्स में आपातकालीन गेट नंबर 3 को नीचे करने के दौरान (इसके आविधिक मरम्मत और रखरखाव के बाद), गेट की साइड सील टूट गई थी और इसलिए जुलाई 2022 के दौरान गेट को बंद कर दिया गया था। नंबर 3 को फिर से बोनट बॉक्स से बाहर निकाला गया और आवश्यक मरम्मत और रखरखाव किया गया और बोनट बॉक्स में डाल दिया गया। हालाँकि समय की कमी के कारण, गेट नंबर 4 का आविधिक रखरखाव वर्ष 2023-24 में पुनर्निर्धारित किया गया है। यहां यह उल्लेख करना उचित है कि आपातकालीन गेट नंबर 4 ठीक से काम कर रहा है और इस गेट से कोई रिसाव नहीं देखा गया है, लेकिन आपातकालीन गेट नंबर 3 की साइड सील से रिसाव अभी भी जारी है और इसलिए इस वर्ष मानसून के दौरान इसकी मरम्मत की जानी है। . सभी 4 नं. रेगुलेटिंग गेटों का अनुरक्षण अक्टूबर 2022 से मार्च 2023 के बीच किया गया था और गेटों के रखरखाव के दौरान दोनों बे में स्टील लाइनर की भी जांच की गई। सभी 04 नं. रेगुलेटिंग गेटों का एक-एक करके निरीक्षण किया गया। गेट नंबर 1, 2 एवं 4 की निचली रबर सील और साइड कांस्य सील की जाँच की गई तथा आवश्यक मरम्मत एवं सुधार/रखरखाव किया गया। हालाँकि, आपातकालीन गेट नंबर 3 से महत्वपूर्ण रिसाव के कारण रेगुलेटिंग गेट नंबर 3 की निचली सील की मरम्मत और रखरखाव नहीं किया जा सका। सभी 04 नंबर रेगुलेटिंग गेट और कंड्यूट बॉक्स नंबर 1 से 4 के स्टील लाइनर पर एपॉक्सी पेंट का कोट लगाया गया।

2. यांत्रिक स्थापना का कार्य

रिपोर्टाधीन अविध के दौरान बग्गी कंट्रोल वर्क्स में ड्रेनेज गैलरी, जेंट्री और ईओटी क्रेन, स्टॉप लॉग और अन्य इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल इंस्टॉलेशन दोनों की डीवाटरिंग प्रणाली का सामान्य प्रदर्शन संतोषजनक पाया गया है। बग्गी नियंत्रण कार्यों के 01 नंबर गैन्ट्री क्रेन, 2 नंबर ईओटी क्रेन और 08 नंबर होइस्ट का अंशांकन और परीक्षण अगस्त, 2022 के महीने में किया गया था। इस वर्ष के दौरान स्टॉप लॉग्स पर पॉलीसुफाइड आधारित एपॉक्सी कोटिंग (स्टिलिंग बेसिन बे को बंद करने के लिए उपयोग किया जाता है) की गई है। इस कोटिंग का औसत जीवन लगभग 4-5 वर्ष है और इससे हर साल स्टॉप लॉग की पेंटिंग पर होने वाले जनशक्ति और सामग्री के आवर्ती व्यय की बचत होगी।

3. बग्गी बाई पास आपातकालीन द्वार

बग्गी बाई पास के आपातकालीन द्वारों से पानी का रिसाव नियमित रूप से देखा गया और शून्य पाया गया। टेल रेस स्टॉप लॉग से रिसाव नियंत्रणाधीन है। हालाँकि, वर्ष 2022-23 के दौरान सुरंग का रिसाव 1.70 एलपीएम से 10.20 एलपीएम तक मापा गया।

4. बग्गी बाई पास टेल रेस स्टॉप लॉग्स

बग्गी बाय पास टेल रेस लॉग का प्रदर्शन संतोषजनक रहा। वर्ष के दौरान पानी का रिसाव सामान्य पाया गया था।

5. विद्युत आपूर्ति व्यवस्था

बीसीडब्ल्यू, बग्गी कॉम्प्लेक्स, सिल्ट इजेक्टर और रेस्ट कैंप की बिजली आपूर्ति को ठीक से बनाए रखा गया था। वर्ष के दौरान सभी विद्युत उपकरणों जैसे ट्रांसफार्मर, पैनल, सर्किट, ब्रेकर और जनरेटर ने संतोषजनक ढंग से काम किया।

6. आरडी 1364.56 मीटर (4477) पर सिल्ट इजेक्टर।

सिल्ट इजेक्टर आउटफॉल चैनल में सतही गड्ढों की मरम्मत एपॉक्सी मोर्टार से की गई। वर्ष 2022-23 में बरसात के मौसम के दौरान रनिंग सिल्ट इजेक्टर और निकाली गई गाद की मात्रा का विवरण नीचे दिया गया है:-

माह	कार्य के घंटे	उत्सर्जित गाद की मात्रा		डिस्चार्ज	
		हेक्टेयर	एकड़	क्यूमेक्स	क्यूसेक
		मीटर.	फीट		
7/22	672	3.45	28.00	7.078 to 14.158	250-500
8/22	744	2.22	18.00	7.078 to 14.158	250-500
9/22	720	0.31	2.50	7.078 to 9.910	250-350
Total	2136	5.98	48.50		

7. ड्रेनेज गैलरी से डिवाटरिंग

बीसीडब्ल्यू ड्रेनेज गैलरी से रिसाव के पानी के निपटान के लिए स्थापित सभी पंप सुचारू रूप से काम कर रहे थे। इन पंपों का समय-समय पर रखरखाव किया जाता था। इन पंपों की मदद से ड्रेनेज गैलरी, बाई पास टनल और बाई पास टेल रेस के रिसाव जल हाइडल चैनल में निस्तारित किया गया।

8. हाईडल चैनल और उससे जुड़े घटक

सुंदरनगर हाइडल चैनल बीसीडब्ल्यू बग्गी में आरडी 0 से शुरू होता है और आरडी 11800 टीसीएम सुंदरनगर पर समाप्त होता है। वहां 16 एक्वाडक्ट्स और एक सुपर-पैसेज मौजूद हैं, जिसका फील्ड स्टाफ द्वारा नियमित रूप से निरीक्षण किया जाता है। वर्ष 2022-23 के दौरान हाइडल चैनल का कामकाज अच्छा और सुचारू रहा है और चैनल के अंदरूनी परत और बाहरी तटबद्ध

ढलान में कोई क्षिति नहीं पाई गई। हालाँकि, आरडी 5000 पर बाएं तटबंध के बाहरी ढलान पर 19.08.2022 को कटाव हुआ है। चैनल के बाहरी किनारे की ढलान पर कीचड़ जमा हो गया, जिसे तुरन्त पाँलिथीन शीट से ढका गया उसके बाद क्षितिग्रस्त हिस्से की मिट्टी से पुनः भराई की गई और उसके मैन्युअल संघनन द्वारा अस्थायी रूप से बहाल कर दिया गया है। विभागीय तौर पर कुछ लंबाई में टो वाँल का भी निर्माण कराया गया है. हालाँकि, इस पहुंच में तटबंध का ढलान अपर्याप्त है, जिसके कारण इस पहुंच के खिसकने का खतरा है और इसलिए स्थायी समाधान के लिए 50 मि0मी0 फिल्टर मीडिया और स्पैल्स के साथ 1:2::4 सीमेंट कंक्रीट में प्रीकास्ट कंक्रीट ब्लॉक (300 x 300 x 40 मिमी) को बिछाकर पीसीसी ब्लॉक से ठीक किया गया।

सभी एक्स-ड्रेनेज कार्य संरचना अच्छी स्थित में हैं और अच्छी तरह से कार्य कर रहे हैं। सभी रिसाव बिंदुओं की नियमित रूप से निगरानी की जा रही है। वर्ष के दौरान आरडी 9724.34 एम एसएनएचसी पर नगवेन एक्वाडक्ट के बैरल में रिसाव लगातार @+/- 28 से +- 32 लीटर/मिनट की दर से बना रहता है और इस अवधि के दौरान कोई महत्वपूर्ण परिवर्तन नहीं देखा गया है। नगवेन एक्वाडक्ट के सभी रिसाव बिंदुओं को भी प्रतिदिन देखा जा रहा है और सभी रिसाव बिंदुओं के देखे गए आंकड़े नियमित रूप से निदेशक, डिजाइन बीबीएमबी नंगल को भेजा जा रहा है।

• सुन्दरनगर हाईडल चैनल आंतरिक गतिविधि

- 1 एपॉक्सी ट्रीटमेंट कर दिया गया है।
- 2 सभी साइड स्लोप ड्रेन, समांतर ड्रेन, टो ड्रेन और आउटफॉल की ठीक से मरम्मत की जाती है।
- 3 सभी एक्वाडक्ट बैरल का सही से रख रखाव किया जाता है।
- 4 सभी भारी मशीनें चालू हालत में है।

9. टेल नियंत्रण संरचना

- i. इनटेक वेल: रोपा टेल कंट्रोल (आरटीसी) गेट के दोनों तरफ के इनटेक वेल की जांच की गई है और उन्हें गाद से मुक्त पाया गया है।
- ii. पायलट वाल्व: दोनों तरफ के पायलट वाल्वों की जांच की गई है और ठीक से काम कर रहे हैं।
- iii. होइस्ट असेंबली:- मुख्य गियर और वॉर्म गियर के गियर ऑयल को बदल दिया गया है और अन्य यांत्रिक भागों को ठीक से साफ और ग्रीस कर दिया गया है।

- iv. गेट्स:- रस्सी, गियर, पिनियन और गेट के अन्य संबंधित घटकों को ठीक से जांचा गया और ठीक पाए गए।
- v. गैलरी:- गैलरी की ठीक से जांच की गई और गैलरी में दिए गए स्लुइस वाल्व ठीक पाए गए।
- vi. पेंटिंग कार्य:- आर.टी.सी. गेटों पर पॉलीसल्फाईड आधारित इपाक्सी कोटिंग की गई तथा वे स्थिर और अच्छी स्थिति में है।
- vii. लाइटिंग सिस्टम:- ऊर्जा कुशल एलईडी स्ट्रीट लाईटें ठीक से काम कर रही हैं और नियंत्रण कक्ष में आरटीसी गेट्स का बिजली संचालन जांचा गया और सही पाया गया।

10.डी.जी. सैट

बीसीडब्ल्यू का 125 के.वी.ए. डीजी सैट तथा टेल कंट्रोल का 40 के.वी.ए. डीजी सैट परिचालन स्थिति में है और ठीक से काम कर रहे हैं।

- ग. विद्युत एवं कार्यशाला प्रभाग, बीबीएमबी, सुंदरनगर
- 1. हैवी अर्थमूविंग उप मण्डल, बीबीएमबी, सुंदरनगर:- यह उप मण्डल हैवी अर्थमूविंग मशीनरी यानी क्रेन, ट्रेलरों, पोक्लेन्स, क्रॉलर डोजर, व्हील डोजर, मोटर ग्रेडर फ्रंट और लोडर, टग और ड्रेजिंग उपकरणों आदि की प्रमुख मरम्मत/ओवरहालिंग के लिए जिम्मेदार है। यांत्रिक मदों से संबंधित सभी मशीनरी कार्य आवश्यकतानुसार अन्य विविध भारी अर्थ मूविंग मशीनरी/उपकरण और, नौकरियों को स्थानांतरित करने के लिए क्रेन और ट्रेलर प्रदान करना।
- 2. ऑटोशॉप और परिवहन उप मण्डल, बीबीएमबी, सुंदरनगर:-

इस उपमण्डल को भारी/हल्के परिवहन वाहनों अर्थात कार, टवेरा, बोलेरो, बस, ट्रक, टिपर, दमकल गाडि़याँ, टाटा मोबाइल 207/28, एम्बुलेंस वैन आदि की वृहद् मरम्मत/ओवरहालिंग आदि तथा सभी एचईएम मशीनरी को लुब्रिकेशन सेवाएं प्रदान करने का काम सौंपा गया है। परियोजना के विभिन्न स्थलों अर्थात बग्गी, कंसा, टेल, कंट्रोल, बीआर क्षेत्र, चत्रोखरी जाने वाले कॉलेज के छात्र-छात्राएं व पावर विंग के जॉब ऑर्डर के आधार पर डीपीएच सलापड़ से श्रमिकों एवं स्टाफ को परिवहन तथा परियोजना अधिकारियों और वीआईपी द्वारा कार्यों के निरीक्षण के लिए आवश्यक सभी हल्के वाहन जैसे एम्बुलेंस, कार, जीप, टवेरा, बोलेरो आदि इस उपमण्डल के नियंत्रणाधीन हैं।

3. वाणिज्य उपमण्डल, बीबीएमबी सुंदरनगर:- इस उपमण्डल को सुंदरनगर कॉम्प्लेक्स के आवासीय एवं गैर-आवासीय इमारतों तथा फील्ड स्थलों को बिना-रकावट बिजली आपूर्ति का कार्य सौंपा गया है। यह निम्नलिखित कार्यों के लिए जिम्मेदार है।

- i. ब्यास सतलुज लिंक कॉलोनी सुंदरनगर में एच.टी. एवं एल.टी. पारेषण लाइनों का रखरखाव, मरम्मत करना, सुंदरनगर से बग्गी, रोपा, पुंग और हराबाग क्षेत्र तक एच.टी. लाइनों का रख-रखाव।
- ii. ट्रांसफार्मर के उप-केंद्र कंट्रोल पैनल और स्विच गियर का रखरखाव और मरम्मत ।
- iii. सुंदरनगर परिसर के आवासीय एवं गैर-आवासीय इमारतों में इलेक्ट्रिक वायरिंग अन्रक्षण एवं मरम्मत।
- iv. सुंदरनगर परिसर में सरकारी संपत्ति के वॉच एवं वार्ड के लिए इलेक्ट्रिक वायरिंग, स्ट्रीट लाइट एवं लाइटिंग की समुचित व्यवस्था का रखरखाव और प्रतिस्थापन।
- v. पब्लिक ड्रेसिंग सिस्टम, , एयर कंडीशनर, एयर कूलर और वाटर गीजर को चलाना और मरम्मत करना।
- vi. सभी आवासीय एवं गैर-आवासीय इमारतों की बिलिंग और बिजली की खपत के कारण इस तरह के श्लक का संग्रह।

घ . ड्रेजर आप्रेशन एवं अनुरक्षण उपमडल, बीबीएमबी सुन्दरनगर

यह उपमण्डल 3 ड्रेजरों, 2 टगों एवं सहायक उपकरणों के परिचालन और अनुरक्षण के लिए जिम्मेदार है।

ड्रेजिंग कार्य

क्र.सं	विवरण		मात्रा (एकड़ फीट)
1	30.09.2021 को पिछला शेष	-	424.648 एकड़ फीट
2	दिनांक 01.10.2021 से 30.09.2022	-	797.322 एकड़ फीट
	की अवधि के दौरान बीआर में फंसी		
	कुल गाद		
3	बी.आर. में कुल गाद	-	1221.970 एकड़ फीट
4	दिनांक 01.07.2022 से 30.09.2022	-	738.025 एकड़ फीट
	की अवधि के दौरान निकाली गई कुल		
	गाद।		
5	दिनांक 01.10.2022 तक बी.आर. में	-	483.945 एकड़ फीट
	गाद		
6	विस्तार		
	ड्रेजर	कार्य के	निकाली गई गाद ।
		घण्टे	

	आईएचसी -1500 ड्रेजर	563.75	163.04
	एफएल-1800 ड्रेजर	1370.75	459.76
	आईएचसी-996.	357.00	115.22
	कुल	2251.00	738.025
2(i)	IHC-1500 ड्रेजर के मुख्य इंजन D-		
	399 की ओवरहॉलिंग वर्ष 2023 के		
	दौरान M/S GCPL से की गई है।		
(::)			
(ii)	HC-996 ड्रेजर के इंजन 3508 की		
	ओवरहॉलिंग वर्ष 2023 के दौरान		
	मेसर्स जीसीपीएल से की गई है।		
(iii)	वर्ष 2023 के दौरान IHC-996 के 2		
	नम्बर स्पड रैम स्थापित किए गए हैं।		
(iv)	IHC-1500 ड्रेजर का 1 नंबर स्पड		
	रैम वर्ष 2023 के दौरान स्थापित		
	किया गया है।		
	·		

इ संतुलन जलाशय परिसर सुंदरनगर

1. जलाशय परिसर संतुलन

विभिन्न कार्यों के सभी घटक जैसे सुकेती डायवर्जन, जल निकासी कार्य और एसएसटी सेवन संरचना सामान्य रूप से/संतोषजनक रूप से कार्य किया है। इन घटकों को उचित कार्य परिस्थितियों के लिए रखने के लिए इन कार्यों की सामान्य मरम्मत नियमित रूप से की जाती है।

2. पैलेस नाला और बहाव नाला

मानसून 2021 के दौरान उपरोक्त नालों में जमा किए गए मलबे/बजरी सामग्री को पोकलेन शोवल और टिपर आदि की तैनाती द्वारा साफ किया गया है।

3. साइफन एस्केप का निरीक्षण और अनुरक्षण : -

रिपोर्ट की अविध के दौरान साइफन एस्केप कार्य नहीं किया, क्योंकि बीआर में जल स्तर ईएल 2764 से नीचे रहा। हालाँकि कुछ भी असामान्य नहीं देखा गया है और साइफन एस्केप को ठीक से बनाए रखा जा रहा है।

4. स्केती डायवर्जन चैनल:-

बरसात के मौसम में आरडी-0 से आरडी-7800 तक (विभिन्न चरणों में) सुकेती डायवर्जन चैनल के नुकसान की मरम्मत का कार्य प्रक्रियाधीन है और मानसून-2023 से पहले पूरा कर लिया जाएगा।

5. हराबाग कॉम्प्लेक्स:-

एडिट में सभी घटकों/उपकरणों का सही से रख-रखाव किया गया है। एडिट में वीप छिद्रों से डिस्चार्ज सामान्य चल रहा है। चेन और अन्य उपकरणों पर ग्रीसिंग और ऑइलिंग और पेंटिंग आदि का अनुरक्षण अनुसूची के अनुसार किया गया।

6. पूंग इंटेक स्ट्रक्चर:-

फ्लोटिंग ट्रैश बैरियर को सेक्शन 10-ए में रखा गया है। पुंग इनटेक स्ट्रक्चर के पास जमा हुए फ्लोटिंग ट्रैश को देहर विद्युत गृह में पानी के मुफ्त प्रवाह आपूर्ति के लिए नियमित कार्य के रूप में वर्ष के दौरान जब भी आवश्यक हो हटा दिया गया है। सेक्शन 10-ए पर एक फ्लोटिंग ट्रैश बैरियर भी लगाया गया है मानसून के दौरान एसएसटी इंटेक स्ट्रक्चर में कचरे के प्रवेश को कम करने के लिए बीआर को 10 एसएसटी इंटेक स्ट्रक्चर के 6 नंबर बे के सभी फाटकों को हटा दिया गया है, साफ किया गया है और रिकार्ड समय में वापस रखा गया है।

च. सलापड़ कॉम्प्लेक्स

1. यांत्रिक कार्य

पेनस्टॉक सेक्शन बाय-पास:- पेनस्टॉक हेडर 1 से 3 और उसकी शाखाओं 1 से 6 का नियमित रखरखाव/जाँच कार्यक्रम के अनुसार किया गया है। डीपीएच यूनिट-II के ड्रेसर कपलिंग की मरम्मत और रबर गैसिकट के प्रतिस्थापन का कार्य 01.02.2023 से 10.02.2023 के दौरान किया गया था। बाई पास शूट के आपात द्वार एवं रेगुलेटिंग द्वार:- आपातकालीन गेट और रेगुलेटिंग गेट का नियमित रखरखाव और जाँच शेड्यूल के अन्सार किया गया।

स्टॉप लॉग्स और 30 टन सेमी-गोलियय क्रेन:- पेनस्टॉक और बाय-पास टनल, स्टॉप लॉग्स और 30 टन सेमी गोलियथ क्रेन का नियमित अनुरक्षण शेड्यूल के अनुसार किया गया। सेमी गोलियथ क्रेन के पैनल की मरम्मत और अनुरक्षण का कार्य विशेष कार्य के तहत 14.10.2022 को पूरा कर लिया गया है। आटोशाप:- सभी वाहन सुचारू रूप से चल रहे हैं।

2. सिविल वर्क्स

सर्ज शाफ्ट कॉम्प्लेक्स:-

सर्ज शाफ्ट के पीछे की सभी बैंचों से गंदगी और झाड़ियों को साफ कर दिया गया है। बीबीएमबी कॉलोनी के मुख्य द्वार से सर्ज शाफ्ट की ओर जाने वाली सड़क के साथ-साथ सभी नालियों की सफाई की गई है और जहां कहीं आवश्यकता हो उनकी मरम्मत की गई है।

देहर पावर हाउस एरिया:- देहर पावर हाउस के पीछे की सभी बैंचों से झाड़ियों को साफ कर दिया गया है। देहर पावर हाउस में ड्रेनेज होल की धुलाई भी अनुरक्षण कार्यक्रम के अनुसार की गई है। देहर पावर हाउस के पीछे के सभी नालों/नाले को भी साफ कर दिया गया है।

6.2.2.2 ब्यास परियोजना यूनिट-II (पौंग बॉध)

पौंग बॉध के अंदर और बाहर स्थापित विभिन्न यंत्रों/उपकरणों से देखे गए डेटा का प्रसंस्करण इंगित करता है कि 2022-23 की अविध के दौरान पौंग बॉध का संरचनात्मक व्यवहार काफी सामान्य रहा है।

विभिन्न उपकरणों/उपकरणों पर देखे गए डेटा की मदद से पौंग बाँध , पौंग बाँध और पावर प्लांट के विभिन्न घटकों के व्यवहार की निगरानी की गई और यह पाया गया कि इन कार्यों का संरचनात्मक व्यवहार काफी संतोषजनक रहा है।

1. पौंग जलाशय की परिधि के साथ क्रस्टल विरूपण:

15 कि.मी. लम्बाई तक जलाशय के दाहिनी ओर परिधि के साथ निर्धारित बेंच मार्क उचाई का अवलोकन माह मई/जून व अक्तूबर/ नवम्बर 2022 के दौरान लिया गया था और इस संबंध में रिपोर्ट निदेशालय अभिकल्प, बीबीएमबी, नंगल को प्रस्तुत की गई है।

है।

2. पौंग जलाशय का अवसादन:

स्मारकों, बुर्जियों और जंगल की सफाई का निरीक्षण माह जनवरी,2023 के दौरान किया गया था। पौंग जलाशय में अवसाधन सर्वेक्षण का कार्य जनवरी, 2023 से किया गया था।

पौंग जलाशय के 2021-2022 के दौरान किए गए तलछट सर्वेक्षण से पता चला है कि वर्ष 1974 से 2022 (48 वर्ष) तक गाद की औसत वार्षिक दर 24.09 मिलियन घन मीटर (19532 एकड़) के डिजाइन आंकड़े के मुकाबले 25.29 मिलियन घन मीटर (20500 एकड़ फीट) है। जलग्रहण क्षेत्र (1974 से 2022) की औसत गाद उपज/वर्ष/वर्ग मील 4995.59 घन मीटर (4.05 एकड़ फीट) बनती है। 1975-76 से 2021-22 के दौरान औसत ट्रैप दक्षता लगभग 97.45% है। जमा कुल तलछट का प्रतिशत जलाशय के मृत भण्डारण में 26.37 और जलाशय के लाइव भंडारण में 73.63 है।

3. सिंचाई आउटलेट स्रंग

टी-1 और टी-2 आउटलेट सुरंगों के निकास चैनल के संरक्षण कार्य और सिविल संरचना के खुले हिस्से का दृश्य निरीक्षण किया गया। अवांछित जंगल और खरपतवार की वृद्धि को नियमित रूप से हटाया जा रहा है। टी-1 व टी-2 आउटलेट टनल के डाउनस्ट्रीम एरिया से अधिशेष पानी निकालने के लिए नाली को चौड़ा किया गया व खुदाई की गई है।

6.2.3 बॉध सुरक्षा गतिविधियां

- 1. ब्यास बॉध परिसर की विभिन्न इकाइयों का मानसून पूर्व और मानसून के बाद निरीक्षण किया गया था और कुछ भी असामान्य नहीं देखा गया था ।
- 2. 5वीं बाँध सुरक्षा समिति की सिफारिशों के कार्यन्वयन की स्थिति की भी समीक्षा की गई और मासिक स्थिति रिपोर्ट संबंधित तिमाही को नियमित रुप से प्रस्तुत की गई है।
- 2. वर्ष 2022 के लिए भाखड़ा ब्यास कॉम्प्लेक्स की विभिन्न इकाइयों का वार्षिक -मानसून पूर्व और मानसून पश्चात का निरीक्षण क्षेत्रीय अभियन्ताओं द्वारा किया गया था और कुछ भी असामान्य नहीं बताया गया था।
- 3. बॉध स्रक्षा समीक्षा पैनल (डीएसआरपी) ने बीबीएमबी के सभी चार बांधों का प्रक निरीक्षण किया क्योंकि नए प्नर्वास और स्धार कार्यों को श्रू करने और लाभकारी प्रस्तावों को तैयार करने के लिए मौजूदा कार्यों को फिर से समायोजित करने की आवश्यकता महसूस की जा रही थी। माननीय अध्यक्ष, बीबीएमबी और बीबीएमबी के अन्य अधिकारियों के साथ दिनांक 11.12.2022 से 16.12.2022 तक भाखड़ा ब्यास कॉम्प्लेक्स के निरीक्षण सहित विचार-विमर्श किया गया। बीबीएमबी के सभी चार बांधों की डीएसआरपी पूरक निरीक्षण रिपोर्ट सीडब्ल्यूसी के सीपीएमयू और विश्व बैंक को जनवरी, 2023 के दौरान बोर्ड कार्यालय के माध्यम से प्रस्तुत की गई थी। विश्व बैंक को डीईए, भारत सरकार से बीबीएमबी को डीआरआईपी-॥ में शामिल करने के लिए दिसंबर, 2022 में सरकारी पत्र प्राप्त ह्आ है।. बैंक प्रक्रिया के भाग के रूप में, विश्व बैंक टीम और सीपीएमयू ने फरवरी, 2023 के दौरान तैयारी के लिए बीबीएमबी का मूल्यांकन किया है। बीबीएमबी विश्व बैंक के तैयार मानदंडों को पूरा कर चुका है और औपचारिक रूप से डीआरआईपी-॥ में शामिल होने वाला है। . बीबीएमबी एक उधारकर्ता के रूप में निमंत्रण पर विश्व बैंक के साथ ऋण समझौते और परियोजना समझौते पर हस्ताक्षर कर सकता है जो शीघ्र ही अपेक्षित है।
- 4. बीबीएमबी के तहत वर्ष 2022 के लिए सभी बांधों की वार्षिक समेकित स्वास्थ्य स्थिति संतोषजनक थी और अप्रैल 2023 के दौरान वार्षिक स्वास्थ्य स्थिति रिपोर्ट सभी संबंधितों को प्रस्तुत कर दी गई है।

- 5. बॉध सुरक्षा निदेशालय, बीबीएमबी, नंगल द्वारा सभी बॉध सुरक्षा समितियों (डीएससीज) द्वारा की गई सिफारिश/अवलोकन की तिमाही आधार पर नियमित रूप से निगरानी की जा रही है और उच्च अधिकारियों को रिपोर्ट प्रस्तुत की जा रही है।
- 6. सीडब्ल्यूसी और आईसीओएलडी द्वारा जयपुर में अक्टूबर, 2022 के दौरान अंतर्राष्ट्रीय बॉध सुरक्षा सम्मेलन का आयोजन किया गया था और बीबीएमबी से चार अधिकारियों ने संगठन की क्षमता निर्माण के लिए सम्मेलन में भाग लिया।

6.2.4 बीबीएमबी चिकित्सालय

बीबीएमबी के अस्पतालों में बीबीएमबी कर्मचारियों के साथ-साथ क्षेत्र के आम लोगों को भी अंतरंग और बिहरंग दोनों चिकित्सा सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं। पर्याप्त निदान सूचक साधनों जैसे एक्स-रे, पैथोलॉजीकल अन्वेषणों अर्थात एचबी/टीएलसी/डीएलसी/ईएसआर/बीटी/जीटी, यूरिन, ब्लड शूगर/यूरिया, एस बिलिरूबिन, कोलेस्ट्रॉल , एस.क्रेटाटिनाइन, वीडीआरएल, ब्लड शूगर, एचबीज एनएजी एवं अन्य पैथेलॉजिकल अन्वेषण अस्पताल लेबोरेटरी में बीबीएमबी आयोजित की जा रही है। , ई.सी.जी.के अतिरिक्त फिजियोथेरेपी, अल्ट्रासाऊंड और अन्य रक्त-आधान जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। रिवाइज्ड नैशनल टी.बी. नियन्त्रण प्रोग्राम (आरएनटीसीपी), इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम आदि भी चलाए जा रहे हैं। नेत्र विभाग में आई.ओ.एल. ऑपरेशन भी किए जाते हैं। अस्पतालों में जन स्वास्थ्य देख-भाल और परिवार कल्याण सुविधाएं भी उपलब्ध कराई जा रही हैं।

6.2.5 पर्यटक

वर्ष 2022-23 के दौरान 245 आंगतुकों ने पौंग बाँध का भ्रमण किया। हालांकि बाँध के सुरक्षा पहलू को ध्यान में रखते हुए आंगतुकों के संबंधित दस्तावेज़ों (पहचान पत्र, साक्ष्य आदि) की उचित जाँच के उपरांत ही सीमित परमिट जारी किए गए थे।

6.2.6 यांत्रिक मण्डल

ब्यास बाँध स्थल पर फील्ड स्टॉफ के लिए मोटर बोट के सुरक्षित बोर्डिंग और डी-बोर्डिंग के लिए रू 16.10 लाख की फलोटिंग जैटी की सफलतापूर्वक खरीद की गई है। फलोटिंग जैटी के प्लेटफॉर्म के बनने से क्लोज़र कार्य और सिंचाई आऊटलैट सुरंग टी-1 व टी-2 सुरंग, पेनस्टॉक सुरंग पी-1, पी-2 व पी-3 के अनुरक्षण के कार्य में सुविधा हुई है। पहले मोटर बोट से सामान उतारने व

चढ़ाने में अत्यधिक कठिनाई होती थी । फलोटिंग जैटी के अधिष्ठापन के पश्चात सामान को उतारने व चढ़ाने का कार्य अत्याधिक आसान हो गया है और इस से समय की भी बचत होगी । अब क्लोज़र कार्य और सिंचाई आऊटलैट सुरंग टी-1 व टी-2 सुरंग, पेनस्टॉक सुरंग पी-1, पी-2 व पी-3 के अनुरक्षण का कार्य समयानुसार होगा । यह फलोटिंग जैटी, मोटर बोट द्वारा अधिकारियों को उपरोक्त कथित क्लोज़र एवं अनुरक्षण कार्य के लिए सुरक्षित एवं सुविधाजनक प्लेटफॉर्म उपलब्ध करवाएगी ।

अत: इस फलोटिंग जैटी का प्लेटफॉर्म स्टॉफ के कार्य करने, सामान उतारने और चढ़ाने, जलाश्य के साथ स्थित सर्वे स्टेशनों और निश्चित रूप से अन्य संबंधित कार्यों के लिए अत्यधिक उपयोगी है।

6.3 राष्टीय हाइडोलॉजी परियोजना

भारत सरकार, जल संसाधन मंत्रालय ने विश्व बैंक के सहयोग से नेशनल हाइड्रोलॉजी प्रोजेक्ट (एनएचपी) की शुरूआत भारत के लिए की ताकि एनएचपी के अधीन राष्ट्रीय हाइड्रोलॉजी परियोजना के अन्तर्गत हाइड्रो के प्रोजेक्ट फेस-II के कार्य तथा लक्ष्यों को आगे बढ़ाया जा सके । इसके लिए बीबीएमबी को रूपये 25.00 करोड़ आवंटित किए गए, जिससे कि डेटा एक्विजिशन सिस्टम (डीएएस) को सुदृढ़ और विस्तार करना, अल्टरनेट मॉडल का विकास और तकनीक की वृद्धि साथ में इस संगठन में क्षमता बढ़ोतरी जिससे कि अच्छे परिणाम आए।

इस परियोजना के अन्तर्गत, सतलुज तथा ब्यास निदयों के अवाह क्षेत्र में स्टेट ऑफ दि आर्ट प्रौद्योगिकी से नवीनतम उपकरणों/सेंसरों का प्रयोग कर भागीदार राज्यों के संपर्क बिंदुओं पर तथा 10 स्वचालित स्टेज रिकॉर्डरों सिहत, स्वचालित रेन गेज स्टेशनों, स्वचालिक फुल क्लाइमेट स्टेशनों, स्नो वॉटर इक्विलैंट, जल स्तर रिकार्डरों, केबल वे इत्यादि को स्वचालित करते हुए 87 रीयल टाइम डेटा एक्विजिशन स्टेशन लगाए गए हैं। इसके अलावा 6 नंबर मौसम विज्ञान स्टेशनों को भी आईएमडी के साथ सहयोजित किया गया है। रियल टाइम डिसीजन सपोर्ट सिस्टम की योजनाबद्ध व्यवस्था में इन्सेट-3 डी के माध्यम से 1 घंटे के अंतराल पर हाइड्रो मेट्रोलॉजिकल डेटा का अर्थ रिसीविंग स्टेशन, चंडीगढ़ को रियल टाइम पारेषण शामिल है।

मौजूदा आरटीडीएस नेटवर्क को दो नं. अनुबंधों के माध्यम से अपग्रेड किया जा रहा है, जबिक 21 नं. आरटीडीएस स्टेशन की स्थापना से सम्बन्धित एक अनुबंध निष्पादन के अग्रिम चरण में है, 85 नं. स्टेशनों की स्थापना के लिए अन्य अनुबंध का निष्पादन निकट भविष्य में होगा।

रियल टाइप डेटा को रेनफॉल रनऑफ मॉडल, हाईड्रो डायनेमिक मॉडल, फ्लड मॉडल और माईक सॉफ्टवेयर के जल आवंटन का प्रयोग करते हुए संसाधित किया जाता है। मौसम संबंधी पूर्वानुमान की प्रसिद्ध एजेंसियों (जीएफएस, ईसीएमडब्ल्यूएफ, एनसीएमआरडल्युएफ, आईएमडी आदि) का उपयोग मॉनसून के मौसम में जलाशयों में प्रवाह की भविष्यवाणी करने के लिए किया जाता है। स्टेशन टेलीमेट्री डेटा, मॉडल आउटप्ट और दीर्घकालिक परिदृश्य आगे एनएचपी डैशबोर्ड पर साझा किए जाते हैं।

6.4 सूचना प्रौद्योगिकी

निपटाए गए मुद्दे इस प्रकार हैं:-

1. एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर पैकेज

बीबीएमबी ने विभिन्न एमआईएस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर पैकेज अर्थात एचआरएमएस, पेरोल, वितीय लेखा, बजट, बैंक समाधान, जीपीएफ/सीपीएफ लेखा, विशेष ऊर्जा मीटर एमआईएस एप्लीकेशन, बीबीएमबी का इंट्रानेट, सिंचाई पावर एमआईएस एप्लीकेशन, विजिटर पास प्रबंधन एप्लीकेशन, पेंशन पेपर ट्रैकिंग एप्लीकेशन, कानूनी मामले एमआईएस एप्लीकेशन, ई-लाइब्रेरी एप्लीकेशन आदि लागू किये है।

2. बीबीएमबी में ई-ऑफिस का कार्यान्वयन

भारत सरकार के राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस कार्यक्रम (एनईजीपी) के तहत ई-ऑफिस एक मिशन मोड परियोजना को बीबीएमबी में लागू किया गया है।

3. जेम पोर्टल के माध्यम से खरीद

बीबीएमबी में जेम पोर्टल के माध्यम से खरीद को लागू किया गया है। जेम पर उपलब्ध नवीनतम सुविधाओं पर उपयोगकर्ताओं का नियमित प्रशिक्षण आयोजित किया जा रहा है।

4. ई-<u>रिवर्स नीलामी</u>

ई-रिवर्स नीलामी (ई-आरए) सभी निविदाओं के लिए लागू की गई है, जिसकी प्रारम्भिक मूल्य रूपये 10 लाख (दस लाख) है।

5. ई-निविदा/ई-प्रोक्योरमेंट

ई-निविदा/ई-प्रोक्योरमेंट गतिविधियों के लिए बीबीएमबी राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (एनआईसी) के जीईपीएनआईसी पोर्टल पर ऑन-बॉरडैड है। बीबीएमबी के विभिन्न कार्यालयों द्वारा रूपये 2 लाख (रुपये दो लाख) से अधिक मूल्य की सभी निविदाएं ई-प्रोक्योरमेंट/ई-निविदा प्रणाली के माध्यम से आमंत्रित की जाती हैं।



अध्याय-7 **Chapter-7**

जल-विद्युत अध्ययन Water-Power Study

7.1 दिनांक 01.04.2022 से 31.03.2023 तक की अविध के लिए भाखड़ा जलाशय के परिचालन हेतु माहवार वास्तविक संचालन।

देहर पावर प्लांट से भाखड़ा कॉम्प्लेक्स उत्पादन से उपलब्ध कुल विद्युत सम्बन्धी सूचना दिनांक 01.04.2022 से 31.03.2023 की अविध (माह-वार) के लिए सतलुज में प्रवाह के साथ-साथ भाखड़ा जलाशयों से जारी मात्रा को नीचे दी गई तालिका में दर्शाया गया है: -

अंजर्बाट क्यापक दिज

माह	अवाध		अत	वाह क्यूसक	ादन		नगल तथा	दिल्ला	डब्ल्यू.	भाखड़ा	आतम	भाखड़ा		~	ाल एव	भार	•	दहर
		सतलुज		बीएसएल		योग	रोपड़ के	जल बोर्ड	जे. सी.	जलाशय से	जलाशय	घरों का			विद्युत	कॉम्ले		विद्युत
			देहर	बाईपास	योग कॉलम	कालम (3+6))	बीच लाभ अथवा हानि	(क्यूसेक दिन)	अंशदान (क्यूसेक	रिलीजेज (क्यूसेक	स्तर (फीट)	विद्	युत		ा औसत ऱ्युत	उपलब्ध विद	ध कुल युत	से कुल उत्पादन
			पावर हाऊस	शूट	कालम (4+5))	(010))	(क्यूसेक	,	दिन)	दिन)							.5	
			~	~	~	~	दिन)	~	~	~								
		Cs.	Cs.	Cs.	Cs.	Cs.	Cs.	Cs.	Cs.	Cs.	Ft.	MW	LU	MW	LU	MW	LU	LU
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	31.03.2022 को आरंभिक जलाशय: 1570.30 फीट																	
अप्रैल ,2022	01-10	7073	4535	0	4535	11608	-300	496	0	10546	1572	304	73	103	25	407	98	87
	11-20	6900	4229	0	4229	11129	-300	496	0	12409	1570	369	88	103	25	472	113	81
	21-30	6737	3985	0	3985	10722	-300	496	0	17008	1563	485	116	105	25	589	141	77
मई	01-10	9446	4393	0	4393	13839	-600	496	0	19226	1557	538	129	149	36	687	165	84
	11-20	14297	7011	0	7011	21308	-600	496	0	19619	1559	546	131	147	35	693	166	130
	21-31	8729	4739	0	4739	13468	-600	496	0	12493	1561	361	87	139	33	499	120	92
जून	01-10	12771	5846	0	5846	18617	-600	496	0	13697	1566	402	96	144	35	546	131	109
	11-20	14244	6503	0	6503	20747	-600	496	0	19847	1565	578	139	149	36	727	175	121

	21-30	13433	5883	0	5883	19316	-600	496	0	30089	1555	838	201	149	36	987	237	109
	21-30	13-133	5005	0	3003	1/310		770	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	30007	1333	0.50	201	177	30	707	231	107
जुलाई	01-10	30005	8406	0	8406	38411	1000	125	779	26710	1570	749	180	149	36	898	215	146
	11-20	31921	8480	0	8480	40401	1000	125	980	24251	1586	706	169	147	35	853	205	148
	21-31	34489	8455	0	8455	42944	1000	125	1785	14667	1612	469	113	142	34	611	147	145
अगस्त	01-10	39004	7130	0	7130	46134	1000	125	2029	15794	1631	551	132	127	30	678	162	127
	11-20	49479	7527	0	7527	57006	1000	125	1844	19633	1654	695	167	150	36	845	203	131
	21-31	35048	8424	0	8424	43472	1000	125	250	23448	1664	826	198	150	36	976	234	146
सितम्बर	01-10	25413	8445	0	8445	33858	0	125	727	24407	1668	871	209	148	36	1020	245	145
	11-20	18615	7847	0	7847	26462	0	125	1925	26617	1668	956	230	150	36	1106	265	137
	21-30	19180	8205	0	8205	27385	0	125	913	18809	1673	692	166	138	33	830	199	143
अक्तूबर	01-10	11092	5891	0	5891	16983	0	496	0	14669	1674	556	133	150	36	706	169	106
	11-20	10778	5557	0	5557	16335	0	496	0	21644	1671	790	190	144	35	935	224	101
	21-31	7040	3553	0	3553	10593	0	496	0	10982	1671	411	99	118	28	529	127	66
नवम्बर	01-10	6511	2891	0	2891	9402	0	496	0	10880	1670	395	95	103	25	498	120	54
	11-20	5479	2661	0	2661	8140	0	496	0	9326	1669	343	82	101	24	443	106	50
	21-30	5212	2271	0	2271	7483	0	496	0	15806	1664	573	137	140	34	712	171	43
दिसम्बर	01-10	5590	2104	0	2104	7694	100	496	0	26265	1654	912	219	149	36	1061	255	40
	11-20	4855	1888	0	1888	6743	100	496	0	25372	1644	878	211	150	36	1027	247	36
	21-31	4001	1729	0	1729	5730	100	496	0	20187	1635	708	170	149	36	857	206	33

जनवरी 2023	01-10	3734	1600	0	1600	5334	200	496	0	11192	1631	383	92	124	30	507	122	30
2023	11-20	3858	1657	0	1657	5515	200	496	0	11341	1628	384	92	126	30	510	122	32
	21-31	3442	1578	0	1578	5021	200	496	0	14674	1621	504	121	147	35	651	156	30
फरवरी	01-10	4132	1601	0	1601	5733	400	496	0	15800	1614	534	128	149	36	684	164	32
	11-20	3572	1679	0	1679	5251	400	496	0	16281	1606	539	129	150	36	689	165	34
	21-28	4271	1870	0	1870	6141	400	496	0	17242	1599	561	135	149	36	710	170	36
मार्च	01-10	4684	1606	0	1606	6290	200	496	0	15934	1591	511	123	149	36	660	158	32
	11-20	4604	1547	0	1547	6151	200	496	0	15830	1583	491	118	149	36	640	154	32
	21-31	4235	2138	0	2138	6373	200	496	0	9602	1580	296	71	107	26	403	97	43

7.2 दिनांक 1.4.2022 से 31.3.2023 तक की अविध के लिए पौंग जलाशय के परिचालन हेतु माहवार वास्तविक संचालन।

पौंग पावर हाउस से उपलब्ध कुल बिजली के संबंध में सूचना दिनांक 01.04.2022 से 31.03.2023 (माह-वार) की अविध के लिए ब्यास में प्रवाह के साथ-साथ पौंग जलाशयों से जारी मात्रा को नीचे दी गई तालिका में दर्शाया गया है:-

माह	अवधि	पौंग में अंतर्वाह	पौंग एवं मंडी प्लेन	रावी से ब्यास को	पौंग जलाशय से	अंतिम	पौग से	उत्पादन			
		(क्यूसेक)	के बीच लाभ अथवा हानि	शुद्ध प्रत्यावर्तन (क्यूसेक)	रिलीजेज (क्यूसेकú)	जलाशय स्तर (फीट)	एम डब्ल	यू			
			(क्यूसेक)	(14,117)	(1.70.100)	(1.10)	एलयू	•			
		Cs.	Cs.	Cs.	Cs.	Ft.	MW	LU			
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
	31.03.2021 को आरंभिक जलाशय =1322.60 फीट										
अप्रैल,2022	01-10	1741	0	1850	829	1323	14	3			
. , .	11-20	1231	0	2657	2288	1322	39	9			
	21-30	1447	0	4514	2577	1322	44	11			
मई	01-10	1619	-500	4428	2950	1321	51	12			
,	11-20	1900	-500	1700	2720	1321	46	11			
	21-31	2203	-500	2406	8579	1316	143	34			
जून	01-10	2731	-500	5210	11178	1311	187	45			
^	11-20	1393	-500	3665	13784	1302	225	54			
	21-30	3517	-500	3596	13620	1297	207	50			
जुलाई	01-10	20098	1125	2769	10952	1304	166	40			
3 `	11-20	29928	1125	2598	7625	1318	125	30			
	21-31	29318	1125	1765	6013	1335	103	25			
अगस्त	01-10	45191	1125	2050	5245	1350	96	23			
	11-20	55991	1125	7459	6907	1377	133	32			
	21-31	49973	1125	6785	15802	1383	324	78			
सितम्बर	01-10	20781	1125	3808	15258	1385	318	76			

	11-20	10622	1125	2254	16155	1383	336	81
		10632			16155			
	21-30	17763	1125	2091	11058	1385	231	55
अक्तूर	01-10	6317	750	6412	10571	1384	222	53
	11-20	5273	750	3389	4032	1384	85	21
	21-31	3129	750	5106	11212	1381	234	56
नवम्बर	01-10	2602	375	4516	11452	1378	237	57
·	11-20	2418	375	3357	12083	1374	247	59
	21-30	3034	375	2002	13000	1371	262	63
दिसम्बर	01-10	2532	375	1792	9396	1368	186	45
	11-20	1930	375	1573	9731	1365	194	47
	21-31	1745	375	4023	9097	1362	179	43
जनवरी,	01-10	1577	375	3576	11135	1358	216	52
2023	11-20	1876	375	6133	7577	1356	145	35
	21-31	3918	375	225	13096	1351	248	60
फरवरी	01-10	1942	375	2149	11792	1347	221	53
	11-20	2615	375	2979	12874	1342	237	57
	21-28	3459	375	3372	13090	1339	237	57
मार्च	01-10	3292	375	4387	12220	1334	219	53
	11-20	2973	375	4073	11922	1330	212	51
	21-31	2909	375	1507	3595	1330	63	15



अध्याय -8

Chapter-8

पुरस्कार एवं सम्मान Honours and Awards

8.1 वर्ष 2022-23 के अंतर्गत 31.03.2023 तक बीबीएमबी द्वारा जीते गए पुरस्कार:

विद्युत क्षेत्र पुरस्कार:

- बीबीएमबी ने दिनांक 09.04.2022 को बेलगाम, कर्नाटक में आयोजित आईपीपीएआई (IPPAI) पावर अवाडर्स समारोह 2022 में 'सर्वश्रेष्ठ हाइड्रो पावर जनरेटर- आउटपुट>25मेगावाट, आउटपुट<25मेगावाट" का पुरस्कार प्राप्त किया।
- अध्यक्ष, बीबीएमबी ने दिनांक 03.03.2023 को नई दिल्ली में श्री आर.के. सिंह, माननीय केंद्रीय विद्युत, नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री से जल, विद्युत और आरई क्षेत्र के विकास में उत्कृष्ट योगदान के लिए "सीबीआईपी व्यक्तिगत पुरस्कार 2022" प्राप्त किया ।

खेल पुरस्कार

- विशाखापटनम में दिनांक 12.04.2022 को आयोजित 25वें इंटर-सीपीएसयू वालीबाल टूर्नामेंट प्रतियोगिता में बीबीएमबी पुरुष टीम ने स्वर्ण पदक हासिल किया।
- दिल्ली में दिनांक 29.04.2022 को आयोजित 27वें इंटर-सीपीएसयू चैस टूर्नामेंट
 प्रतियोगिता में बीबीएमबी महिला एवं पुरुष टीम ने कांस्य पदक हासिल किया।
- नई दिल्ली में दिनांक 24.05.2022 को आयोजित केन्द्रीय खेलकूद समिति की बैठक में ऊर्जा मंत्रालय के अधीन देश की ऊर्जा इकाइयों के इंटर सेंट्रल पावर स्पोटर्स यूनिट की ओर से करवाई गई खेल प्रतियोगिताओं में बीबीएमबी ने ओवरआल ट्राफी जीती।

3. हिंदी पुरस्कार

भाखड़ा ब्यास प्रबन्ध बोर्ड ने वर्ष 2021-22 के दौरान राजभाषा नीति के श्रेष्ठ कार्यान्वयन के लिए राजभाषा कीर्ति पुरस्कारों के अंतर्गत 'ख' क्षेत्र में प्रथम पुरस्कार हासिल किया। 14 सितम्बर, 2022 को हिंदी दिवस के अवसर पर पंडित दीनदयाल उपाध्याय इंदोर स्टेडियम, सूरत (गुजरात) में आयोजित द्वितीय अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन में मुख्य अतिथि, श्री अमित शाह, माननीय

- गृह सहकारिता मंत्री, भारत सरकार ने बीबीएमबी को प्रथम राजभाषा कीर्ति पुरस्कार देकर सम्मानित किया।
- नराकास (सी-1), चण्डीगढ़ ने बीबीएमबी को वर्ष 2017-18 व 2019-20 के दौरान राजभाषा में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए क्रमश: प्रथम व द्वितीय पुरस्कार से सम्मानित किया।
- राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, भारत सरकार ने दिनांक 03-11-2022 को उत्तर क्षेत्र-। और उत्तर क्षेत्र- ॥ के कार्यालयों के लिए अमृतसर (पंजाब) में एक राजभाषा सम्मेलन और प्रस्कार वितरण समारोह का आयोजन किया। इस प्रस्कार वितरण समारोह के दौरान भाखड़ा ब्यास प्रबन्धन बोर्ड के अभियन्ता/प्रणाली परिचालन (वर्ष 2020-21 के लिए) एवं निदेशक/पी एण्ड डी (पीपी), बीबीएमबी, चण्डीगढ़ को (वर्ष 2021-22 के लिए) को 'ख' क्षेत्र के अंतर्गत क्रमशः प्रथम एवं तृतीय प्रस्कारों से सम्मानित किया गया। यह म्ख्य अभियन्ता/प्रणाली परिचालन, पुरस्कार बीबीएमबी, चण्डीगढ़ श्री बी.एस.सभरवाल तथा निदेशक/पी एण्ड डी (पीपी), श्री हरप्रीत सिंह मनोचा द्वारा प्राप्त किए गए। इस समारोह में श्रीमती शीला देवी, हिंदी अनुवादक और श्रीमती भगवती बाई, हिंदी अन्वादक को उनके प्रदर्शन के लिए राजभाषा विभाग द्वारा प्रशंसा पत्र से सम्मानित किया गया।



अध्याय -9

Chapter-9

पर्यावरण प्रबंधन Environment Management

9.1 पर्यावरण प्रबन्धन

नदी घाटी परियोजनाओं का पर्यावरणीय मूल्यांकन प्रशासनिक आवश्यकता के रूप में वर्ष 1979 में आरम्भ किया गया था,परन्तु बाद में प्रभाव आंकलन की अधिसूचना द्वारा इसे जनवरी, 1994 से अनिवार्य कर दिया गया। जल-विद्युत शक्ति, मुख्य सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण सिंहत उनके सिम्मश्रण के लिए नई नदी घाटी परियोजनाओं के लिए गज़ट अधिसूचना संख्या एस.60(ई) दिनांक 27 जनवरी, 1994 (तदन्तर संशोधित) के अनुसार पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करना आवश्यक है। इसमें सुरक्षा तथा न्यूनीकरण दोनों उपाय कवर किए गए हैं। नदी घाटी परियोजनाओं के लिए वर्तमान पर्यावरण प्रभाव आंकलन (ईआईए)/पर्यावरणीय प्रबन्धन योजना (ईएमपी) में निम्नलिखित कार्रवाई योजनाएं आती हैं:-

- आवाह-क्षेत्र निरूपण योजना (सीएटी)
- वृक्षारोपण योजना
- पेड़-पौधे तथा जीव-जन्तु के सर्वेक्षण और पुनः स्थापन के लिए कार्रवाई
 योजना
- पुनर्वास तथा पुनः स्थापन योजना (आर एण्ड आर), यदि कोई है;
- सिंचित क्षेत्र विकास योजना (सीएडी)

भाखड़ा तथा ब्यास परियोजनाओं के सम्बन्ध में आर एण्ड आर योजनाओं का प्रावधान था, किन्तु सीएटी, सीएडी, वनीकरण योजनाओं, आदि जैसी अन्य योजनाओं के लिए ऐसा कोई प्रावधान नहीं था, क्योंकि इन परियोजनाओं का निर्माण 1979 से पहले हुआ था। तथापि बीबीएमबी ने अपने आप निर्माण के बाद की पर्यावरणीय घटकों की स्थिति तथा इनके प्रभाव का अध्ययन एवं मूल्यांकन करना भी आरम्भ किया है, ताकि सभी परियोजनाओं केन्द्रों पर अल्पाविध एवं दीर्घाविध न्यूनीकरण उपाय किए जा सकें।

9.2 बीबीएमबी परियोजनाओं के सामाजिक-आर्थिक प्रभाव

योजना स्तर पर विचार किए गए प्रभावों की तुलना में भाखड़ा एवं ब्यास परियोजनाओं के लाभकारी प्रभाव बहुत अधिक महत्वपूर्ण हैं। भाखड़ा तथा ब्यास परियोजनाएं बहुउद्देशीय परियोजनाएं होने के कारण इनमें दो बड़े भण्डारण जलाशय हैं, जिनके नाम 'गोबिंदसागर' तथा 'महाराणा प्रताप सागर' हैं। ये जलाशय पंजाब, हरियाणा, राजस्थान,दिल्ली तथा चण्डीगढ़ को सिंचाई एवं पीने

का पानी उपलब्ध कराते हैं। ये जलाशय तथा इनसे जुड़ी नहर प्रणाली उत्तरी क्षेत्र में 'हरित क्रांति' ही नहीं अपित् 'श्वेत तथा औदयोगिक क्रांति' भी लाई है।

बीबीएमबी की परियोजनाओं से रोजगार के अवसरों में वृद्धि, अच्छी ऊर्जा और सिंचाई सुविधाएँ, उन्नत औद्योगिकरण, बाढ़ों की रोकथाम के कारण बाधों के डाउनस्ट्रीम क्षेत्रों में परिस्थितिकीय सुधार द्वारा क्षेत्र में सामाजिक-आर्थिक उन्नति हुई है।

इसके अतिरिक्त, ये जलाशय न केवल पर्यटकों को आकर्षित करते हैं, बल्कि मत्स्य पालन को भी बढ़ावा देते हैं।

पौंग बाँध झील (अर्थात महाराणा प्रताप सागर) को वेटलैंड पर 1971 के रामसर सम्मेलन के अंतर्गत अगस्त 2002 में "अंतर्राष्ट्रीय महत्व की वेटलैंड" की सूची में शामिल किया गया है। प्रवासी पिक्षयों की 220 प्रजातियां एक लाख से अधिक संख्या में प्रत्येक वर्ष महाराणा प्रताप सागर का भ्रमण करती हैं। नंगल झील को भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा जनवरी 2008 में राष्ट्रीय वेटलैंड संरक्षण कार्यक्रम के अन्तर्गत शामिल किया गया है।

बीबीएमबी ने माह अगस्त 2005 को नई दिल्ली में 'भाखड़ा नंगल परियोजना के प्रभाव' विषय पर केन्द्रीय सिंचाई और विद्युत बोर्ड के सहयोग से एक राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन कराया। बीबीएमबी ने इस कार्यशाला के माध्यम से भाखड़ा-नंगल परियोजना के सकारात्मक प्रभावों से सम्बन्धित तथ्यों को राष्ट्र के समक्ष प्रस्तुत किया।

9.3 बीबीएमबी के लिए पर्यावरण प्रबन्ध कार्यक्रम

बीबीएमबी की पर्यावरण प्रबंधन प्रणाली के अंतर्गत आने वाली प्रक्रियाओं में बांधों, जलाशयों, जल कंडक्टर प्रणाली और टाउनिशप जैसे संबंधित बुनियादी ढांचे का संचालन और रखरखाव शामिल है। इसमें प्रचलित अंतर्राष्ट्रीय /राष्ट्रीय मानक, प्रथाओं, प्रौद्योगिकी और कानून के अनुसार पर्यावरण क्षरण को रोकने के लिए कुशल अपशिष्ट प्रबंधन और इसके निपटान की उचित प्रणाली सुनिश्चित करना भी शामिल है। नीति वक्तव्य पर्यावरण योजनाओं के अनुसार उचित पर्यावरणीय उद्देश्यों, लक्ष्यों और उनकी उपलिष्धियों की स्थापना की भी पुष्टि करता है ताकि उनके निरंतर सुधार को सुनिश्चित किया जा सके।

बीबीएमबी के लिए पर्यावरण प्रबंधन योजना के कार्यान्वयन के संबंध में निम्नलिखित उपाय किए गए:

- बीबीएमबी अपनी जलविद्युत परियोजनाओं और विद्युत उत्पादन इकाइयों के पर्यावरण प्रबंधन प्रणाली के लिए आईएसओ 14001:2008 प्रमाणित संगठन है।
- भाखड़ा और पौंग बांधों के आर एंड आर पहलुओं को पूरा किया जा रहा है।
- तलवाड़ा में बीबीएमबी कॉलोनी और रॉक गार्डन में पौधे लगाने के लिए सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट से उपचारित पानी का उपयोग करने के प्रयास किए जा रहे हैं।
- ठोस/खतरनाक कचरे के निपटान की सभी उचित प्रक्रियाओं का पालन किया जा रहा है और ईएमएस और संबंधित नियमों/अधिनियमों को ध्यान में रखते हुए इसका उचित रिकॉर्ड रखा जा रहा है।

9.4 वृक्षारोपण

बीबीएमबी अपनी खाली पड़ी भूमि पर प्रत्येक वर्ष नियमित 'वृक्षारोपण कार्यक्रम' उद्यानों द्वारा टीलों, जलाशयों के सीमावर्ती क्षेत्रों , परियोजना कॉलोनियों, कार्यालयों आदि के रखरखाव और पारिस्थितिक सुधार द्वारा पर्यावरण में सुधार कर रहा है। वर्ष 2022-23 के दौरान. निम्नलिखित अनुसार कुल 18650 नं पौधों का रोपण/वितरण किया गया:-

क्र.सं.	प्रशासन	लगाए/वितरित किए गए
		पौधों और झाड़ियों की संख्या
1	मुख्य अभियन्ता, पारेषण प्रणाली	7605 नं.
2	मुख्य अभियन्ता, भाखड़ा बॉध	2500 नं.
3	मुख्य अभियन्ता, बीएसएल परियोजना	2800 नं.
4	मुख्य अभियन्ता, ब्यास बॉध	5000 नं.
5	मुख्य अभियन्ता, उत्पादन	705 नं.
6	मुख्य अभियन्ता, प्रणाली परिचालन	40 नं.
	कुल	18650 नं.

9.5 तलवाडा में रॉक गार्डन

तलवाड़ा टाउनिशप में लगभग 20 एकड़ खाली पड़ी जमीन पर बीबीएमबी ने "चण्डीगढ़ रॉक गार्डन" के संस्थापक पद्मश्री नेक चन्द के प्रबन्ध अधीन एक आधुनिक रॉक गार्डन विकसित किया है, जो इस प्रकार का पहला उद्यान है।

तलवाड़ा में रॉक गार्डन का विकास ब्यास बॉध से एकत्रित बेकार और फालतू सामग्री से किया गया है। इसमें बॉध निर्माण को चित्रित करते हुए इंजीनियरिंग खण्ड, पर्यावरण खण्ड और बाल उद्यान जैसी अद्वितीय विशेषताएं हैं। इस आधुनिक रॉक गार्डन का उदघाटन पद्मश्री नेक चन्द की उपस्थिति में, अध्यक्ष, बीबीएमबी, चण्डीगढ़ द्वारा दिनांक 16 अगस्त, 2005 को किया गया। इस गौरवशाली गार्डन में प्रतिवर्ष नए विकास कार्य किए जा रहे हैं।

9.6 समाज कल्याण गतिविधियाँ

बीबीएमबी अपने सामाजिक उत्तरदायित्वों के प्रति पूरी तरह सजग है। प्रत्येक परियोजना स्टेशन पर, बीबीएमबी परियोजनाओं के आसपास रहने वाले स्थानीय लोगों के लिए कल्याणकारी गतिविधियों पर उदारतापूर्वक खर्च कर रहा है।

बोर्ड कार्यालय (27.11.2015 को आयोजित 222वीं बैठक) द्वारा लिए गए नवीनतम निर्णय के अनुसार सिंचाई कार्यों के लिए स्वीकृत 2% बजट को बीबीएमबी परियोजनाओं के आसपास रहने वाले लोगों के लिए विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में संबंधित स्थानीय अधिकारियों/क्षेत्रों के उपायुक्तों के परामर्श से सामाजिक कल्याण गतिविधियों के लिए रखा जाना है।

वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान बोर्ड कार्यालय द्वारा दो कार्य अर्थात् जिला बिलासपुर (हिमाचल प्रदेश) के विभिन्न गांवों में मोक्ष धाम के निर्माण के लिए लागत 21.79 लाख रुपये और जिला बिलासपुर (हिमाचल प्रदेश) में लुहन् ग्राउंड के नजदीक पुराने घाट पर एक फ्लोटिंग जेटी की आपूर्ति, स्थापना, परीक्षण और कमीशनिंग के लिए राशि रूपये 8.49 लाख स्वीकृत किए गए हैं।

मोटर बोट द्वारा किए जाने वाले कार्यों के लिए ब्यास बॉध क्षेत्र में 8.94 लाख रुपये की लागत से फ्लोटिंग जेट्टी प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराया गया है। फ्लोटिंग जेट्टी प्लेटफॉर्म टी-1, टी-2, पी-1, पी-2, पी-3 को बंद करने के काम में मदद करता है। पहले मोटर बोट से सामान शिफ्ट करने में बड़ी दिक्कत होती थी। फ्लोटिंग जेट्टी प्लेटफॉर्म की मदद से सामान उठाना, मोटर बोट की पार्किंग, बॉध से संबंधित मरम्मत कार्य करना और ब्यास बॉध झील के भीतर स्टेशनों तक पहुंचना जैसे काम आसान हो गए हैं। इसके अलावा ब्यास बॉध क्षेत्र की परिधि के नजदीक सरकार स्कूल विद्यार्थियों को इ्यूल डेस्क, क्लासरूम टेबल, ब्लैकबोर्ड आदि सामग्री जिसकी लागत रु 4.99 लाख है, वितरित किए गए।


बीएसएल परियोजना प्राधिकरण ने स्थानीय लोगों के कल्याण के लिए परियोजना क्षेत्र में विभिन्न गतिविधियां शुरू की हैं, जैसे मुफ्त चिकित्सा शिविरों की व्यवस्था करना, सरकारी सुविधाएं प्रदान करना, आस-पास के गाँवों में स्कूल, सार्वजनिक स्थानों का विकास/विशेष मरम्मत आदि आदि। ये कल्याणकारी गतिविधियाँ

एनईईआरआई (नीरी), नागपुर द्वारा तैयार पर्यावरण प्रबंधन योजना (ई.एम.पी.) में प्रस्तावित शमन उपायों के अतिरिक्त हैं।

9.7 बीबीएमबी ने आयोजित की ऊर्जा संरक्षण पर राज्य स्तरीय चित्रकला प्रतियोगिता

पंजाब, हिरयाणा एवं यू.टी. चण्डीगढ़ राज्यों के लिए बी.ई.ई विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा शुरू की गई ऊर्जा संरक्षण योजना 2022 पर चित्रकला प्रतियोगिता को लागू करने के लिए बीबीएमबी को नोडल एजेंसी के रूप में नामांकित किया गया था। चित्रकला प्रतियोगिता में स्कूल स्तर, राज्य स्तर तथा राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताएं शामिल है। बीबीएमबी ने हिरयाणा, पंजाब एवं यू.टी. चंडीगढ़ के शिक्षा विभाग के सहयोग से स्कूल स्तर पर लगभग 22.55 लाख छात्रों की प्रतिभागिता हासिल की। दिनांक 14.11.2022 को बीबीएमबी टीम ने पंजाब, हिरयाणा और यू.टी. चंडीगढ़ राज्यों के श्रेणी-ए की कक्षा 5वीं, 6वीं तथा 7वीं तथा श्रेणी-बी की कक्षा 8वीं, 9वी तथा 10वीं के छात्रों के लिए ऊर्जा सरंक्षण 2022 ऑन द स्पॉट राज्य स्तरीय चित्रकला प्रतियोगिता के बाद पुरस्कार वित्ररण समारोह का आयोजन इन्द्र धनुष ऑडिटोरियम सेक्टर -5, पंचक्त्ला में किया गया। प्रत्येक समूह में प्रथम, द्वितीय, तृतीय एवं 10 नं. सांत्वना पुरस्कार वितरित किए गए और ऐसे 6 समूह थे। इस प्रकार कुल 78 छात्रों को रू. 10,50,000/- के नकद पुरस्कार से सम्मानित किया गया।

बीबीएमबी टीम के सिक्रय सहयोग और दिन रात के अथक प्रयासों से स्कूल स्तर,राज्य स्तर और राष्ट्रीय स्तर के सभी कार्यक्रमों का सफलतापूर्वक आयोजन किया गया।





मानव संसाधन विकास Human Resource Development

10.1 मानव संसाधन विकास

10.1.1 बीबीएमबी की प्रशिक्षण नीति

- बीबीएमबी ने विद्युत मंत्रालय की "विद्युत क्षेत्र के लिए प्रशिक्षण नीति-मार्च 2002" की तर्ज पर वर्ष 2003 में अपनी प्रशिक्षण नीति तैयार की और अपने कार्मिकों को व्यापक एवं नियमित प्रशिक्षण देने के लिए इसे वर्ष 2003-04 और इससे आगे कार्यान्वित किया। विद्यमान नीति की समीक्षा करने और द्विवर्षीय प्रशिक्षण योजना तैयार करने के लिए, बीबीएमबी में सम्पूर्ण प्रशिक्षण कार्यों का मार्गदर्शन करने हेत् अक्तूबर, 2007 में वित्तीय सलाहकार एवं मुख्य लेखा अधिकारी के नेतृत्व में एक किया। विभिन्न कोर का गठन ग्र्प पाठ्यक्रमों/सेमिनारों/संगोष्ठी इत्यादि के लिए अधिकारियों/कर्मचारियों के नामांकन हेत् कार्य प्रक्रिया तैयार की गई है, जो दिनांक 9.6.2015 से लागू है और समय-समय पर जरूरत के अनुसार संशोधित की जा रही है।
- ख बीबीएमबी की प्रशिक्षण नीति का आदर्श वाक्य था "प्रत्येक कर्मचारी के लिए वर्ष में एक बार सभी के लिए प्रशिक्षण सुनिश्चित करना"। नीति के आधार पर अधिकारियों/कर्मचारियों को न्यूनतम 3 कार्य दिवसों के प्रशिक्षण का लक्ष्य है। वितीय वर्ष के आधार पर विभागाध्यक्ष से अन्य परियोजना स्थलों में प्रशिक्षण के लिए अधिकारियों/कर्मचारियों को प्रतिनियुक्त करने के लिए प्रशिक्षण मॉड्यूल सहित इन हाउस प्रशिक्षण कैलेंडर मांगा जाता है। संपूर्ण बीबीएमबी के लिए निर्धारित कुल कार्य दिवसों में से उनके कार्यालयों के लिए कार्य दिवसों के लक्ष्य के साथ-साथ इसके लिए स्वीकृति संबंधित कार्यालयों को भेजी जाती है। पूर्व अभ्यास के अनुसार वर्ष 2022-23 के लिए संस्थागत प्रशिक्षण के साथ साथ इन-हाउस प्रशिक्षण,कैलेंडर में विभिन्न मॉड्यूल को दर्शाने वाले प्रशिक्षण जैसे तकनीकी प्रशिक्षण, व्यक्तित्व विकास, आईटी और कंप्यूटर कौशल, स्वास्थ्य एवं जीवन शैली प्रबंधन, मानव संसाधन एवं वित, प्राथमिक चिकित्सा के साथ अग्नि सुरक्षा, श्रमिक प्रशिक्षण, विविध मॉड्यूल प्रशिक्षण इत्यादि भी सम्मिलित किए गए थे।
- ग अपनी प्रचलित प्रशिक्षण नीति की समीक्षा करने के बाद, चूंकि सेवानिवृत्तियों द्वारा हुई रिक्तियों को भरने के लिए भागीदार राज्यों से आ रहे नए स्टाँफ को केन्द्रित तथा व्यापक प्रशिक्षण देने की आवश्यकता महसूस की गई। कर्मचारियों के विभिन्न विभागों और विभिन्न कार्य

संस्कृति के होने के कारण उन्हें प्रवेश प्रशिक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत बीबीएमबी की जरूरतों तथा कार्य संस्कृति के अनुसार प्रशिक्षित करना अनिवार्य हो जाता है। इसके अतिरिक्त, स्टाँफ के उनके मूल विभाग से बार-बार स्थानांतरण/विभाग को प्रत्यावर्तन के कारण यह भी अनिवार्य हो जाता है कि नियमित आधार पर प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन किया जाए ताकि सभी नवागंतुकों को बीबीएमबी की कार्य अपेक्षाओं एवं संस्कृति की जानकारी दी जा सके। अतः यह आवश्यक है कि सभी श्रेणियों के कार्यरत कर्मचारियों को प्रशिक्षण कार्यक्रमों में सम्मिलित किया जाए ताकि उनकी तकनीकी/प्रबंधकीय कुशलता में सुधार हो और उन्हें नवीनतम जानकारी एवं अभिनव प्रौद्योगिकियों से लैस किया जा सके। सिंचाई खण्ड एवं विद्युत खण्ड के नव सम्मिलित अभियन्ताओं के लिए परियोजना केन्द्रों पर समय- समय पर अभिविन्यास कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं

घ बीबीएमबी द्वारा संचालित विभिन्न प्रशिक्षण निम्नानुसार है:-

- i. संस्थागत प्रशिक्षण जिसमें बीबीएमबी के विभिन्न केन्द्रों पर स्थित भिन्न-भिन्न संस्थानों पर प्रशिक्षण कार्यक्रमों/सेमिनारों/सम्मेलनों/कार्यशालाओं में भाग लेने हेतु कार्मिकों को नामित किया जाता है अथवा बीबीएमबी कार्मिकों के लिए बाहय् विशेषज्ञों/शिक्षा संकायों इत्यादि के माध्यम से प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित कराए जाते हैं।
- ii. बीबीएमबी के अपने विशेषज्ञों दवारा इन-हाउस प्रशिक्षण कार्यक्रम।
- iii. नई भर्ती द्वारा अथवा भागीदार राज्यों से बीबीएमबी में कार्य ग्रहण करने वाले कार्मिकों को प्रवेश प्रशिक्षण।
 - विद्युत यूटिलिटीज़/भागीदार राज्यों के डिस्कॉम के वितरण सुधारों पर डीआरयूएम प्रशिक्षण ।
- iv. दूसरे संगठनों के इंजीनियरों जैसे; हरियाणा सिंचाई से एचसीएस परिवीक्षार्थी, एनपीटीआई, पीएसपीसीएल इत्यादि को ऑन-जॉब साइट प्रशिक्षण ।
- v. भारत के विभिन्न विश्वविद्यालयों/महाविद्यालयों से आने वाले अंडर ग्रेजुएट/पोस्ट ग्रेजुएट अभियांत्रिकी पाठयक्रम के छात्रों को व्यवहारिक प्रशिक्षण ।
- vi. बीबीएमबी विद्यालयों के शिक्षण स्टाफ को सीबीएसई द्वारा आयोजित क्षमता निर्माण कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए नामांकित किया जाता है ताकि उन्हें शिक्षा प्रणाली में नई तकनीक के साथ अपडेट किया जा सके।

- vii. परियोजना स्थलों पर बीबीएमबी विद्यालयों के छात्रों के लिए समय-समय पर विज्ञान और प्रौद्योगिकी में संवर्धन के लिए अभिविन्यास कार्यक्रम और कैरियर काउंसलिंग आयोजित किया जाता है।
- viii. विद्युत और सिंचाई खंड दोनों के अभियंताओं के लिए विभिन्न ऑनसाइट कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं ताकि वे अपने जॉब प्रोफाइल से संबंधित नवीनतम तकनीकों का ज्ञान प्राप्त कर सकें।

बीबीएमबी में उक्त प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रत्येक श्रेणी के अधिकारियों/कर्मचारियों यथा इंजीनियरों, मंत्रालयिक कर्मचारी जैसे कि अधीक्षकों/सहायकों, आदि (गैर-तकनीकी श्रेणी) और कामगार श्रेणी को प्रशिक्षण देने के लिए संचालित किए जा रहे हैं।

कामगार श्रेणी/ मंत्रालयिक कर्मचारी श्रेणियों के कर्मचारियों के लिए संस्थागत प्रशिक्षण सस्ता नहीं पड़ता है इसलिए प्रबन्धन ने सभी परियोजना केन्द्रों/कार्य स्थलों पर गहन इन-हाउस प्रशिक्षण/इंटरैक्टिव वर्कशॉप/सम्मेलन इत्यादि कार्यक्रमों के आयोजन का निर्णय लिया है। सभी परियोजना केन्द्रों/कार्य स्थलों पर तकनीकी प्रबंधन, प्रेरणा, स्वास्थ्य, वित आदि जैसे विविध विषयों पर बड़े पैमाने पर पारस्परिक कार्यशालाएं/सेमिनार आदि आयोजित किए जा रहे हैं।

बीबीएमबी ने अपने कर्मचारियों को प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए अपना मूल ढ़ांचा तैयार किया है। वर्ष 2003 में एसएलडीसी कॉम्प्लैक्स, चण्डीगढ़ में इन हाउस व्याख्यान/कार्यशालाएं/सेमिनारों के आयोजन हेतु व्याख्यान कक्ष स्थापित किया गया है। मार्च, 2005 से नंगल में, प्रशिक्षण केन्द्र के नाम से "भाखड़ा ब्यास प्रशिक्षण केन्द्र" ने काम करना शुरू कर दिया है जिसमें, अध्ययन के सभी नवीनतम साधन, सिंचाई एवं विद्युत खण्डों के लिए दो भिन्न मॉडल-कक्ष और बीबीएमबी एवं अन्य विद्युत यूटिलिटिज़ के विद्युत क्षेत्र के इंजीनियरों एवं टेक्निशियनों को संस्थागत प्रशिक्षण प्रदान करने हेतु एक परिचर्चा कक्ष मौजूद है।

वर्ष 2005-06 से बीबीएमबी में "वितरण, सुधार, उन्नयन और प्रबंधन (डीआरयूएम) पर प्रशिक्षण कार्यक्रम "बिना लाभ-हानि" स्वपोषित आधार पर आयोजित किया जा रहा है जिसमें, भागीदार राज्यों/यूटिलिटीज के इंजीनियर भी भाग लेते है।

10.1.2 वर्ष 2022-23 के दौरान प्रशिक्षण की उपलब्धियां

वर्ष 2022-23 में बीबीएमबी में प्रयुक्त मानव-दिवसो के संबंध में उपलब्धियां निम्नानुसार हैं:-

वर्ष	निर्धारित	प्रशि	प्रशिक्षण मानव दिवस						
	मानव	कार्यपालक	अकार्यपालक						

	दिवस	संस्थागत	इन-हाउस	संस्थागत	इन-हाउस	योग उपलब्धि
	का लक्ष्य	प्रशिक्षण	प्रशिक्षण	प्रशिक्षण	प्रशिक्षण	
2022-23	18000	1169	1657	908	14835	18569

10.2 अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण नीति का कार्यान्वयन

बीबीएमबी, पंजाब पुनर्गठन अधिनियम 1966 की धारा 79(1) में निर्धारित अपने कार्यों का निर्वहन करता है जिसके लिए कार्यों के परिचालन एवं अनुरक्षण हेतु भागीदार राज्य सरकारों/राज्य बिजली बोर्डों द्वारा स्थानान्तरण आधार पर स्टाफ की व्यवस्था की जाती है। तथापि भागीदार राज्यों/राज्य बिजली बोर्डों द्वारा स्टाफ उपलब्ध कराने में असमर्थ होने की स्थिति में बीबीएमबी केवल समूह 'ग' एवं 'घ' के कर्मचारियों से सम्बन्धित सीधी भर्ती एवं पदोन्नित करता है।

बीबीएमबी में स्टाफ पदों के आवंटित हिस्सों के पदों के अन्सार भागीदार राज्यों से लिया जाता है । ऐसे कर्मचारी उनके पैतृक विभाग में उनके ऊपर लागू निबन्धन एवं शर्तों के अनुसार शासित होते है। इस श्रेणी के कर्मचारियों से संबंधित अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति के सदस्यों के लिए आरक्षण की निगरानी राज्य सरकार के पैतृक विभागों द्वारा अपनी नीतियों/नियमों/विनियमों के अनुसार की जाती है । बीबीएमबी के अपने भर्ती किए गए कर्मचारी बीबीएमबी द्वारा श्रेणी-।।। एवं IV कर्मचारी (भर्ती एवं सेवा की शर्ते) विनियम, 1994 और बीबीएमबी श्रेणी-। एवं ।। अधिकारी (भर्ती एवं सेवा की शर्ते) विनियम, 2015 द्वारा शासित होते हैं । बीबीएमबी श्रेणी-।।। एवं IV कर्मचारी (भर्ती एवं सेवा की शर्ते) विनियम, 1994 और बीबीएमबी श्रेणी-। एवं ।। अधिकारी (भर्ती एवं सेवा की शर्ते) विनियम, 2015 के प्रावधानों के अन्सार बीबीएमबी में अप्रैल, 2017 तक में पंजाब सरकार की आरक्षण नीति लागू थी । अब भारत सरकार की राजपत्र अधिसूचना के अनुसार मई, 2017 से बीबीएमबी में केन्द्र सरकार की आरक्षण नीति का अनुसरण किया जा रहा है । इन विनियमों की संशोधित धारा ।। में निर्दिष्ट है कि सेवा के अंतर्गत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, भूतपूर्व सैनिक, शरीरिक दिव्यांग व्यक्तियों तथा सेवा में मृतक कर्मचारी के आश्रितों को केन्द्र सरकार की नीति के प्रावधानों के अन्सार समय-समय पर यथानिर्धारित सेवा में आरक्षण तथा सभी अन्य रियायतें प्राप्त होगी । बीबीएमबी के विभिन्न प्रशासनों/विभागाध्यक्षों द्वारा रोस्टर रजिस्टरों का रख-रखाव किया जाता है ।

01.01.2023 को बीबीएमबी के अनुसूचित जाति के कर्मचारियों की संख्या/प्रतिश्तता निम्नानुसार है:-

वर्ग	बीबीएमबी द्वारा स्वयं भर्ती किए गए कुल कर्मचारी	अनुसूचित जाति	प्रतिशतता
क	28	7	25 %
ख	204	55	26.96 %
ग	1649	486	29.47 %
घ	1633	570	34.90 %
योग	3514	1118	31.81 %

10.3 प्रबंधन-कर्मचारी संबंध

स्टाफ/यूनियनों के प्रतिनिधियों के साथ प्रबंधन की बैठकों का समय-समय पर आयोजन किया जाता है और यूनियनों द्वारा उठाई गई मांगों और उनकी शिकायतों का मैत्रीपूर्ण भाव से निपटारा किया जाता है।

10.4 सतर्कता संगठन का ध्येय: सत्यनिष्ठा एवं ईमानदारी

भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड में सतर्कता प्रशासन में एक मुख्य सतर्कता अधिकारी (सीवीओ) एस.जे.वी.एन.एल से हैं, जिनके पास सीवीओ बीबीएमबी का अतिरिक्त प्रभार है और पांच सतर्कता अधिकारी जैसे कि एक उप मुख्य सतर्कता अधिकारी, एक उप निदेशक, एक अधिशाषी अभियंता, एक सहायक निदेशक और एक लेखा अधिकारी सतर्कता कार्यों के लिए नियुक्त किए गए है। कोई भी शिकायत मिलने पर सतर्कता अधिकारी द्वारा उसकी गहनता से जांच की जाती है और जांच परिणाम/अभिलेख के आधार पर मुख्य सतर्कता अधिकारी, बीबीएमबी के अनुमोदन के साथ उचित कार्रवाई की जाती है।

बीबीएमबी का सतर्कता संगठन, सतर्कता को सुरक्षात्मक सिद्धांतों के रूप में बीबीएमबी के सभी कर्मचारियों के मन में बैठाने के लिए निम्नलिखित भरसक प्रयास कर रहा है:-

- (i) मामलों में किसी की भी ओर से देरी की प्रवृत्ति की जांच और नियन्त्रण करना।
- (ii) आदेशों के गुण दोषों का उल्लेख करते हुए फाइलों पर स्व-स्पष्ट आदेश स्पष्ट शब्दों में रिकार्ड करना।
- (iii) निहित स्वार्थ के कारण निर्णय प्रभावित होने से बचना ।
- (iv) किसी सहयोगी, वरिष्ठ अथवा अधीनस्थ द्वारा दिए गए किसी भी ऐसे सुझाव को हमेशा ग्रहण करना जिसके परिणामस्वरूप राजकोष में बचत हो।
- (v) किसी भी कीमत पर सत्यनिष्ठा की सुरक्षा हेतु दढ़ विश्वास रखना ।

- (vi) संवेदनशील स्थानों की पहचान तथा ध्यान केन्द्रित करना, ऐसे संस्थानों की नियमित तथा औचक जॉच/निरीक्षण करना ।
- (vii) भ्रष्टाचार के संदिग्ध कार्मिकों की पहचान, पब्लिक डीलिंग, स्थापना तथा परचेज संबंधित कार्य में संल्प्पित, संवेदनशील पदों पर तैनात कार्मिकों की उचित छंटनी तथा सीवीसी दिशा-निर्देशों के अनुरूप उनकी प्रत्येक तीन वर्ष के पश्चात रोटेशन करना।
- (viii) भ्रष्टाचार के पनपने वाले सभी स्थानों पर नज़र रखना।
- (ix) स्वयं तुष्टिकरण के कार्यों में संलिप्त व्यक्तियों का निर्भयता से विरोध करना।
- (x) सादा जीवन व्यतीत करना और ईमानदारी के कार्य करने में गर्व अनुभव करना।
- (xi) नियमों, प्रक्रियाओं, हिदायतों, नियम-पुस्तिकाओं आदि का सावधानीपूर्वक अनुसरण करना।
- (xii) नियमों में कोई अस्पष्टता होने की स्थिति में अनुचित लाभ उठाने के उद्देश्य से अतार्किक एवं विवादास्पद निष्कर्ष निकालने से बचना।
- (xiii) ईमानदार तथा संदिग्ध अंखडता वाले कार्मिकों की सूची तैयार करना है और यह सुनिश्चित किया जाना कि संदिग्ध अखंडता वाले अधिकारियों/ कर्मचारियों को संवेदनशील पदों पर तैनात नहीं किया जाए।
- (xiv) पैतृक राज्यों/राज्य बिजली बोर्डों से जॉच और निर्णय प्राप्त करने के लिए उन पर अनुवर्ती कार्रवाई शीघ्र पूरी करना।
- (xv) बिना किसी विलम्ब के अन्शासनात्मक कार्यवाई का क्रियन्वयन करना।
- (xvi) बीबीएमबी में प्रणाली सुधार हेतु विभिन्न परामर्श जारी किए गए ।
- (xvii) बीबीएमबी की कार्य प्रणाली के जागरूक्ता में सुधार होने के साथ-साथ प्रणाली में सुधार लाने हेतु समय-समय पर परिपत्र जारी करना ।

वर्ष 2022-23 के दौरान (01.04.2022 से 31.03.2023) 23 शिकायतें प्राप्त हुई थी, जिसमें से 21 शिकायतों का निपटान किया जा चुका है और अन्य 02 शिकायतें अन्वेषणाधीन हैं।

उपरोक्त के अतिरिक्त दिनांक 31.10.2022 से 06.11.2022 तक बीबीएमबी चण्डीगढ़ के साथ-साथ परियोजना स्थलों पर सतर्कता जागरूकता सप्ताह – 2022 मनाया गया।अभियान मोड में सतर्कता जागरूकता सप्ताह के हिस्से के रूप में विभिन्न गतिविधियाँ भ्रष्टाचार मुक्त भारत-विकसित भारत विषय पर कॉर्पोरेट एवं मुख्य

अभियंता कार्यालयों के साथ साथ चण्डीगढ़, नंगल, तलवाड़ा एवं सुंदरनगर परियोजना केन्द्रों पर आयोजित की गई।

10.5 बीबीएमबी में संघ की राजभाषा नीति का कार्यान्वयन

भाखड़ा ब्यास प्रबन्ध बोर्ड में कार्मिकों की नियुक्ति मुख्यतः इसके भागीदार राज्यों पंजाब, हिरयाणा, राजस्थान और हिमाचल प्रदेश से स्थानान्तरण आधार पर की जाती है। इनमें से लगभग 60 % स्टाफ पंजाब राज्य/पंजाब राज्य बिजली बोर्ड से होता है, जिनकी मातृ-भाषा पंजाबी है और वे अपना समस्त सरकारी काम-काज पंजाबी अथवा अंग्रेजी में ही करते हैं। ऐसी स्थिति में बोर्ड में भारत सरकार की राजभाषा नीति का कार्यान्वयन अत्यन्त कठिन कार्य था। एक समय था जब बोर्ड में केवल 4-5% कार्य ही हिंदी में किया जाता था, किन्तु बोर्ड के उच्च अधिकारियों की वचनबद्धता और उनके सक्षम एवं कुशल मार्गदर्शन में धीरे-धीरे बोर्ड के सरकारी काम-काज में हिंदी का प्रयोग बढने लगा।

राजभाषा हिंदी के प्रगामी प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए राजभाषा विभाग प्रतिवर्ष एक वार्षिक कार्यक्रम जारी करता है। बोर्ड द्वारा वार्षिक कार्यक्रम में निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने हेतु हर संभव प्रयास किए जाते हैं और इन लक्ष्यों की तुलना में बोर्ड में हिंदी के प्रगामी प्रयोग की प्रगति निम्नान्सार है-

राजभाषा अधिनियम, 1963 की धारा 3(3) का अनुपालनः

राजभाषा अधिनियम, 1963 की धारा 3(3) के अंतर्गत बोर्ड सचिवालय तथा सम्पूर्ण बोर्ड द्वारा वर्ष 2022-23 के दौरान जारी किए गए कागजातों का विवरण निम्नलिखित है :-

	धारा 3(3) के अन्तर्गत जारी	केवल अंग्रेजी में जारी
	कुल कागजात	कागजात
बोर्ड सचिवालय	69	शून्य
सम्पूर्ण बोर्ड	1879	शून्य

हिंदी में प्राप्त पत्रों के उत्तरः

बोर्ड सचिवालय तथा अधीनस्थ कार्यालयों में हिंदी में प्राप्त सभी पत्रों के उत्तर हिंदी में दिए जाते हैं। वर्ष 2022-23 के दौरान हिंदी में प्राप्त पत्रों के उत्तर की स्थिति निम्नलिखित है-

	हिंदी में प्राप्त	उत्तर	उत्तर
	कुल पत्र	हिंदी में	अंग्रेजी में
बोर्ड सचिवालय	15331	13581	शून्य
सम्पूर्ण बोर्ड	445441	372375	शून्य

नोट : शेष पत्र फाइल किए गए।

हिंदी पत्राचारः

बोर्ड में राजभाषा हिंदी के कार्यान्वयन के लिए संयुक्त रूप से किए गए प्रयासों के फलस्वरूप पिछले कुछ वर्षों से बोर्ड सचिवालय तथा अधीनस्थ कार्यालयों द्वारा भेजे जा रहे हिंदी पत्रों की संख्या में अत्यधिक वृद्धि हुई है और वार्षिक कार्यक्रम में निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति

सुनिश्चित की गई है। वर्ष 2022-2023 के दौरान बोर्ड सचिवालय द्वारा औसतन 99.84% तथा सम्पूर्ण बोर्ड द्वारा 97.83% पत्र हिंदी में भेजे गए हैं, जिनका ब्यौरा निम्नलिखित है-

	कुल पत्र	हिंदी में भेजे गए	अंग्रेजी में भेजे गए
बोर्ड सचिवालय	35655	35601	54
सम्पूर्ण बोर्ड	622802	609298	13504

हिंदी में टिप्पणः

बोर्ड में लगभग 95% टिप्पणियां हिंदी में लिखी जाती हैं।

हिंदी में श्रुतलेख

अधिकारियों द्वारा 85% श्रुतलेख हिंदी में दिए जाते हैं।

हिंदी टंककों/आशुलिपिकों की भर्ती:

बोर्ड में टंककों, आशुलिपिकों की भर्ती शत-प्रतिशत हिंदी/द्विभाषी ही की जाती है। प्रतकालय के लिए हिंदी प्रतकों की खरीदः

वर्ष 2022-23 के दौरान बोर्ड सचिवालय एवं अधीनस्थ कार्यालयों द्वारा पुस्तकालय के लिए हिंदी पुस्तकों की खरीद पर किए गए व्यय का विवरण निम्नलिखित है-

पुस्तकों की खरीद पर कुल व्यय	हिंदी पुस्तकों की खरीद पर व्यय		
69617/- रुपए	53617/- रुपए (77%)		

कम्प्यूटरः

बोर्ड में अब तक कुल 541 कम्प्यूटर उपलब्ध हैं और कम्प्यूटरों पर द्विभाषी (हिंदी/अंग्रेजी) रूप में कार्य करने की स्विधा उपलब्ध है।

वेबसाइटः

बोर्ड की वेबसाइट पूर्णतः द्विभाषी (हिंदी/अंग्रेजी) रूप में है तथा दोनों ही भाषाओं में दी गई सूचना का नियमित रूप से अद्यतन किया जाता है।

राजभाषा कार्यान्वयन समिति:

बोर्ड के सभी कार्यालयों में राजभाषा कार्यान्वयन समिति का गठन किया गया है जिसकी तिमाही बैठकें नियमित रूप से आयोजित की जाती हैं। वर्ष 2022-23 के दौरान बोर्ड सचिवालय की राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठकों के आयोजन का विवरण निम्नलिखित है-

तिमाही	बैठक की तिथि
अप्रैल – जून	30 जून, 2022
जुलाई- सितम्बर	30 सितम्बर,2022
अक्तूबर – दिसम्बर	27 दिसम्बर, 2022
जनवरी – मार्च	10 अप्रैल, 2023

हिंदी कार्यशालाः

बोर्ड सचिवालय में वर्ष 2022-23 के दौरान निम्नलिखित हिंदी कार्यशालाएं आयोजित की गईं:

तिमाही	कार्यशाला की तिथि
अप्रैल-जून	28 जून, 2022
जुलाई- सितम्बर	30 सितम्बर, 2022
अक्तूबर - दिसम्बर	20 दिसम्बर, 2022
जनवरी - मार्च	16 मार्च, 2023

हिंदी पखवाडाः

बोर्ड सचिवालय के साथ-साथ सभी अधीनस्थ कार्यालयों में प्रत्येक वर्ष सितम्बर माह में हिंदी पखवाड़े का आयोजन किया जाता है। वर्ष 2022-23 के दौरान बोर्ड सचिवालय में दिनांक 14 सितम्बर, 2022 से 29 सितम्बर, 2022 तक हिंदी पखवाड़े का आयोजन किया गया। इस अवसर पर विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया।

हिंदी पखवाड़े के दौरान निम्नलिखित हिंदी प्रतियोगिताएं आयोजित की गईं:-

- i) हिंदी शब्द ज्ञान प्रतियोगिता
- ii) कम्पयुटर पर हिंदी टंकण प्रतियोगिता
- iii) हिंदी निबंध एवं अनुवाद प्रतियोगिता
- iv) हिंदी नोटिंग व ड्राफ्टिंग प्रतियोगिता
- v) हिंदी श्रुतलेख प्रतियोगिता

इन प्रतियोगिताओं में अधिकारियों तथा कर्मचारियों ने बढ़-चढ़ कर हिस्सा लिया। प्रतियोगिताओं में प्रथम, द्वितीय तथा तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों को क्रमशः 3,000/- रु., 2,500/- रु. तथा 2,000/- रु. के नगद पुरस्कार दिए गए। इसके अतिरिक्त प्रोत्साहन योजना के अन्तर्गत वर्ष के दौरान अपना ज्यादा से ज्यादा सरकारी

काम-काज हिंदी में करने वाले 19 कर्मचारियों को भी नकद पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया।

हिंदी पखवाड़े के समापन पर दिनांक 29 सितम्बर, 2022 को पुरस्कार वितरण समारोह आयोजित किया गया ।

द्विभाषी/हिंदी प्रकाशनः

बोर्ड द्वारा द्विभाषी/हिंदी में निम्नलिखित सामग्री/पुस्तकें प्रकाशित की गई हैं :-

- > वार्षिक प्रशासनिक रिपोर्ट
- बीबीएमबी समाचार (हाउस जनरल)
- > समाचार पत्रों में प्रकाशित की जाने वाली समस्त सामग्री
- बीबीएमबी जनता तथा कॉरपोरेट ब्रोशर
- "जीवन धारा" पत्रिका
- > बेहतर सतर्कता अनुपालन के लिए क्या करें एवं क्या न करें के मार्ग निर्देश
- > बोर्ड का केलेन्डर और डायरी
- टेलीफोन डायरेक्टरी
 उक्त के अतिरिक्त बोर्ड द्वारा निम्नलिखित अन्य पुस्तकों का प्रकाशन भी किया गया
 है-
- प्रशासनिक शब्दावली
- राजभाषा सहायक पुस्तक
- > तकनीकी शब्दावली
- भाखड़ा ब्यास की कहानी
- 🕨 ब्यास-सतलुज लिंक परियोजना

दो शब्द:

कर्मचारियों को दिन-प्रतिदिन का सरकारी कार्य हिंदी में करने हेतु सुविधा प्रदान करने के लिए एक श्वेत पट्ट पर दो शब्द अंग्रेजी के और उनके हिंदी पर्यायवाची शब्द प्रतिदिन प्रदर्शित किए जाते हैं।



अध्याय -11 Chapter-11

परामर्शी सेवाएं Consultancy Services

11.1 परामर्शी सेवाएं

भारत सरकार ने बीबीएमबी को वर्ष 1999 में जल विद्युत परियोजनाओं तथा सिंचाई परियोजनाओं के क्षेत्र में अभियांत्रिकी और सम्बद्ध तकनीकी परामर्शी सेवाएं उपलब्ध कराने के अतिरिक्त कार्य सौपें हैं।

11.2 परामर्शी निदेशालय की गतिविधियां

1. 2x21 मैगावाट बग्गी एच.ई.पी.

2x21 मैगावाट बग्गी एच.ई.पी की डीपीआर, हिमाचल प्रदेश .के ऊर्जा निदेशालय द्वारा दिनांक 01.10.2022 को अनुमोदित की गई। तदोपरान्त बग्गी एचईपी के कार्यान्वयन हेतु खुली निविदा प्रक्रिया के माध्यम से सलाहकार का चयन किया गया तथा इस संबंध में 'विस्तृत अनुबन्ध समझौता' बीबीएमबी और सलाहकार मैसर्स इनर्जी इन्फ्राटैक प्राईवेट लिमिटेड के मध्य दिनांक 09.11.2022 को हस्ताक्षरित हुआ। बग्गी एचईपी के सिविल, एचएम, ईएम तथा ट्रांसिमशन लाईन्स से सम्बन्धित कार्यों के लिए के ईपीसी काँट्रैक्टर चयन हेतु निविदा दस्तावेज का मसौदा तैयार कर लिया गया है जो कि समर्थ अधिकारी की स्वीकृति के उपरान्त शीघ्र ही जारी कर दिया जाएगा।



अध्याय -12 **Chapter-12**

सूचना का अधिकार Right to Information

जन शिकायतें/आर.टी.आई (अध्याय 32)

सूचना का अधिकार अधिनियम - 2005 को 12 अक्तूबर, 2005 से प्रदर्शित कर पूर्ण रूप से क्रियान्वित किया गया है। यह अधिनियम सरकारी कार्यालयों में प्राक्टय पारदर्शिता तथा जवाबदेही को बढ़ावा देने के लिए सूचना के अधिकार के व्यवहारिक शासन को स्थापित करने में सहायता प्रदान करता है। बीबीएमबी ने अक्षरश: अधिनियम को अपनाया तथा लागू किया। अधिनियम के संचालन के लिए आवश्यक बुनियादी ढांचा उपलब्ध कराया गया। बीबीएमबी ने भिन्न-भिन्न प्रशासनों/स्थानों पर नौ सहायक जन सूचना अधिकारियों (एपीआईओज़) एवं आठ जन सूचना अधिकारियों (पीआईओज़) को नामित किया है। अधिनियम की आवश्यकताओं के अनुसार आठ अपीलीय प्राधिकारियों को भी नामित किया गया है। बीबीएमबी की कार्यालयीन वेबसाइट (www.bbmb.gov.in) इन अधिकारियों के कार्यालयीन पदनाम, पते और दूरभाष नम्बर दर्शाती है। सूचना हेत् आवेदन करने संबंधी प्रक्रिया का विस्तृत विवरण वेबसाइट पर उपलब्ध है। मैन्युअल नं.17 के बारे में जानकारी जो कि आरटीआई अधिनियम की धारा 4 (2) के प्रावधानों के अनुसार तैयार की गई है, वेबसाइट पर उपलब्ध है। सूचना के अधिकार अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार समय-समय पर सूचना का अद्यतन किया जाता है। अपील अधिनियम के अंतर्गत प्राप्त आवेदनों की मांग तथा अन्य संबंधित विवरण नीचे दिए गए अनुलग्नक-1 में दर्शाए गए हैं:

अनुलग्नक -I

वर्ष 2023 के लिए आर.टी.आई अधिनियम से सम्बन्धित विवरण (01.04.2022 to 31.03.2023 तक)								
क्र.स.	प्राप्त	निर्णित	निर्णय, जहां सूचना के आवेदनों को अस्वीकार किया इस अधिनियम के	कितनी प्रभार				
	आवेदनों	आवेदनों की	अंतर्गत प्रशासन से	राशि एकत्रित की				
	की संख्या	संख्या	सम्बन्धित ऐसे कितने	(₹)				
			मामले हैं, जिनमे					
			कितनी बार विभिन्न प्रावधानों को लागू किया गया अधिकारी के विरूद्ध					
			अनुशासनात्मक					
			कार्रवाई की गई					
			धारा 8(1) अन्य धाराएं					
			क ख ग घ ड च छ ज झ ञ 9 11 24 अन्य					
1	241	241	शून्य शून्य शून्य	8593/-				

स्चना का अधिकार अधिनियम, 2005 से संबंधित अध्याय-34 में शामिल करने के लिए सामग्री।

दिनांक 01.04.2022 से 31.03.2023 तक आरटीआई आवेदन एवं अपील की स्थिति

आवेदन प्राप्त हुए	आवेदन निस्तारित	प्रथम अपील	प्रथम अपील	सीआईसी से	दूसरी अपील का	क्या स्वप्रेरणा से
		प्राप्त हुई	निस्तारित	प्राप्त	सीआईसी ने	प्रकटीकरण कंपनी
		S		द्वितीय	निस्तारण किया	की वेबसाइट पर
				अपील		अपलोड किए जाते
						र्हें
241	241	24	24	02	02	-

बीबीएमबी पारेषण नेटवर्क BBMB TRANSMISSION NETWORK जम्मु व कश्मीर JAMMU & KASHMIR हिमाचल प्रदेश HIMACHAL PRADESH पोंग पावर हाऊस PONG P.H. भारवहा पावर हाऊस BHAKRA P.H. वेहर पावर हाऊस DASUYA DEHAR P.H. मिस गंगुवाल MISS GANGUWAL JALANDHAR (गंगुवाल विद्युत घर GANGUWAL P.H. JAMALPUR रांशिगड CHANDIGARH KOTLA P.H. (LUDHIANA) पंजाब पंचकृता PANCHKULA **PUNJAB** RAJPURA (PGCIL) धूलकोट DHULKOTE (PSTCL) BARNALA संगहर SANGRUR JAGADHARI विदेश सेहरा मोहब्बल BATHINDA LEHRA MOHABBAT (PSTCL) (PSTCL) युस्क्षेत्र KURUKSHETRA हरियाणा उत्तर प्रदेश UTTAR Haryana पानीपत PANIPAT **PRADESH** HISSAR NARELA भिवानी BHIWANI राजस्थान ferreff DELHI BADARPUR(NTPC) **RAJASTHAN** वावरी DADRI BALLABGARH समयपुर SAMAYPUR शीर्घक LEGEND: हाईडो पावर स्टेशन 400 केवी सिंगल सर्कट लाइन HYDRO POWER STN. 400 KV SINGLE CIRCUIT LINE थर्मल पावर स्टेशन 220 केवी डबल सर्कट लाइन THERMAL POWER STN. 220 KV DOUBLE CIRCUIT LINE 400 के.वी सब स्टेशन 220 केवी सिंगल सर्कट लाइन **400 KV SUB STATION** 220 KV SINGLE CIRCUIT LINE 13 2 केवी लाइनें 220 के.वी सब स्टेशन 132 KV LINES 220 KV SUB STATION 66 केवी लाइनें 132 KV SUBSTATION 66 के.वी सब स्टेशन 66 KV LINES 66 KV SUB STATION